वार्षिक रिपोर्ट

2010-11 तथा 2011-12

(जून 2010 से मार्च 2011 तक भाग वार्षिक रिपोर्ट
एवं
अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक वार्षिक रिपोर्ट)

राष्ट्रीयअ नुसूचितज ातिअ ायोग

बीवि ंग,प ांचवांत ल,ल ोकनायकभ ावन,न ईदि ल्ली-110 003
दूरभाष/फैक्सः 24625378 टोलफ्र ीः 1800118888 वेबसाइटः http://ncsc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i-ii
I	परिचय	1-11
II	संवैधानिक सुरक्षण	13-18
III	आयोग के कार्य तथा कर्त्तव्य	19-23
IV	आयोग की बैठकों में लिए गए बड़े निर्णय एवं उन पर की गई कार्रवाई	25-33
V	राज्य स्तरीय बैठकें (उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल) अध्याय I – V के अनुबंध	35-48
VI	आर्थिक एवं शैक्षिक विकास क. आर्थिक विकास ख. शैक्षिक विकास ग. अध्याय VI का अनुबंध	49-230
VII	सेवा सुरक्षण अध्याय VII का अनुबंध	231-281
VIII	अत्याचार	283-289
IX	सफल एवं अहम मामले	291-312
X	प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां	313-318
XI	प्रमुख बाधाएं	315-318
XII	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुदृढ़ीकरण एवं कार्य स्थितिं में सुधार के लिए सिफारिशें	319-334

प्राक्कथन

संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 जो 19-2-2004 को प्रवर्तित हुआ था, के परिणामस्वरूप पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को (1) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** तथा (2) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संशोधित नियम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 25-3-2009 को अधिसूचित किए गए थे ।

तीसरा एवं वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन दिनांक 15-10-2010 को हुआ जिसके अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया, उपाध्यक्ष, डॉ. राजकुमार वेरका, सदस्य, श्री राजू परमार, श्री एम. शिवाना और श्रीमती लता प्रियाकुमार हैं ।

वर्तमान आयोग ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संबंध में अनेक निर्णायक कदम उठाए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं । आयोग ने अनुसूचित जातियों की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने तथा उपयुक्त तंत्र के माध्यम से उनकी स्थितियों में सुधार के लिए तरीके एवं साधन सुझाए जाने की दृष्टि से सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की अध्यक्षता में 16 आन्तरिक समितियों का गठन किया है जो निम्नानुसार हैं:-

1.	अनुसूचित जातियों पर अत्याचार संबंधी समिति ।
2.	एससीपी एवं एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावी उपयोगिता संबंधी समिति ।
3.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास संबंधी समिति ।
4.	20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को भूमि/पट्टा आवंटन संबंधी समिति ।
5.	न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति ।
6.	रोज़गार एवं आरक्षण संबंधी समिति ।
7.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण संबंधी समिति ।
8.	सफाईकर्ता समुदाय की दशा में सुधार – मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन ।
9.	महिलाओं पर अपराध संबंधी प्रावधानों की समीक्षा ।
10.	छात्रवृत्ति/शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/भुगतान की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा ।
11.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नवीकरण/नई योजनाएं ।
12.	अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं/सुरक्षणों/अधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए अभियान ।
13.	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए अनुरक्षणों की समीक्षा ।
14.	अन्य राज्यों को प्रवास करने वाली अनुसूचित जातियों की समस्याओं की समीक्षा ।
15.	अनुसूचित जातियों की सूची में दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों को शामिल करने के मुद्दे का अध्ययन ।
16.	निजी क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी समिति ।

उपर्युक्त कुछ समितियों ने अपनी रिपोर्टें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं और आयोग तथा सरकार के विचारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इसकी संवैधानिक बाध्यताओं के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आरम्भ किए गए कार्य-कलापों पर आधारित एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है । वर्तमान आयोग का गठन 15-10-2010 को किया गया था । दूसरे आयोग द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें मई, 2010 तक अर्थात् दूसरे आयोग द्वारा पदमुक्त होने तक की अवधि को शामिल किया गया है । इस बीच कोई आयोग विद्यमान नहीं था । वर्तमान आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है जिसमें जून, 2010 से मार्च, 2012 तक आयोग के कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है ।

अध्याय–I

परिचयः

1.1 संविधान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सुरक्षणों तथा अन्य रक्षात्मक विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी को विभिन्न संविधियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच का काम सौंपा गया था और इन सुरक्षणों के कार्यकरण पर इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जानी थी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए देश के उन विभिन्न भागों में आयुक्त के 17 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए जहां अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक था ।

संसद सदस्यों की लगातार इस मांग पर कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त नही है, एक बहु-सदस्य निकाय के लिए संविधान की धारा 338 में संशोधन (46वां संशोधन) का एक प्रस्ताव लाया गया । सरकार ने एक प्रशासनिक निर्णय के तहत एक बहु-सदस्य आयोग के गठन करने का फैसला किया । अतः पहला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अगस्त, 1978 में स्थापित किया गया जिसके श्री भोला पासवान शास्त्री, अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य बने । पूर्व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय जिन्हें 1965 में महानिदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण के नियंत्रणाधीन किया गया था, उन्हें इस आयोग के नियंत्रण में लाया गया । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्य के व्यापक रूप से अनुरूप था । वर्ष 1978 में स्थापित बहुसदस्य आयोग के कार्यों में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का नाम बदलकर उसे **1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग** कर दिया गया । वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया । इसकी स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के स्तर और व्यापक नीतिगत मसलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी ।

संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 जो 19-2-2004 को प्रवर्तित हुआ था के परिणामस्वरूप पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर क्रमशः (1) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए ।** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियम 20 फरवरी, 2004 को अधिसूचित किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप 25-3-2009 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सर्वश्री सूरजभान, उपाध्यक्ष, फकीरभाई वाघेला, सदस्य, फूल चन्द वर्मा, वी. देवेन्द्र तथा श्रीमती सुरेखा लाम्बतुरे बनाए गए । दिनांक 6-8-2006 को डॉ. सूरज भान, अध्यक्ष के आकस्मिक निधन के बाद अध्यक्ष के कार्य का आयोग के उपाध्यक्ष, श्री फकीरभाई वाघेला द्वारा निर्वहन किया गया । अध्यक्ष को केन्द्रीय केबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को केन्द्रीय राज्य मंत्री का दर्जा व्यक्तिगत आधार पर दिया गया ।

श्रृंखला में दूसरे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 25-5-2007 को किया गया जिसके श्री बूटा सिंह, अध्यक्ष, प्रो. नरेन्द्र एम. काम्बले, उपाध्यक्ष तथा श्रीमती सत्या बहन, श्री मृत्युंजय नायक और श्री महेन्द्र बौद्ध सदस्य थे ।

वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्रृंखला में तीसरा है, जिसके अध्यक्ष, डॉ. पी.एल. पुनिया, उपाध्यक्ष, डॉ. राजकुमार वेरका तथा सदस्य, श्री राजू परमार, श्री एम. शिवाना और श्रीमती लता प्रियाकुमार हैं । जबकि संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष को केन्द्रीय केबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को केन्द्रीय राज्य मंत्री का दर्जा व्यक्तिगत आधार पर प्रदत्त है, सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है ।

विषयों का आबंटन

1.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विकास कार्यक्रमों और विनियामक ढांचे की समीक्षा, मूल्यांकन, समन्वय, सम्पूर्ण नीतिगत योजना के संबंध में कार्य एवं जिम्मेदारियों का एक व्यापक चार्टर है ।

विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वयन एवं संचालन

1.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित अधिनियमों के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार है:-

(i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(ii) नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977
(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
(iv) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

स्थान

1.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पांचवां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में अवस्थित है । तथापि, जगह की कमी के कारण आयोग नई दिल्ली या उसी भवन जिसमें यह इस समय मौजूद है, वैकल्पिक स्थान के लिए प्रयास कर रहा है ।

सचिवालय

1.5 सचिव, संयुक्त सचिव को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है । आयोग की स्वीकृत पद-संख्या, भरे हुए पदों और रिक्त पदों को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुबंध–I** पर है । आयोग मुख्यालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–II** और III पर है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालय इसकी आंख और कान हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र एवं पते निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	पता एवं दूरभाष संख्या	मुख्यालय तथा अधिकार-क्षेत्र
1.	प्रगति रोड, लेक चौमुहनी, अगरतला-799001 (त्रिपुरा पश्चिम) **0381-2223140, 2315967**	**अगरतला** *(त्रिपुरा)*
2.	दूसरा तल, मावलंकर हवेली, वसंत चौक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद -380001 **079-25509762, 25510717**	**अहमदाबाद** *(गुजरात, राजस्थान, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली)*
3.	तीसरा तल, "डी" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूर 560034 **080-25537155, 25527767**	**बेंगलूर** *(कर्नाटक)*
4.	छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9-ए, चंडीगढ़-160017 **0172-2742561, 2743784**	**चंडीगढ़** *(हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंडीगढ़)*
5.	दूसरा तल, ब्लाक-5 शास्त्री भवन, चेन्नै-600006 **044-28276430, 28312651**	**चेन्नै** *(तमिलनाडु तथा पांडिचेरी)*
6.	24, नीलमणि फुकन पथ, क्रिश्चयन बस्ती, दिसपुर, गुवाहाटी-781005 **0361-2347040, 2346885**	**गुवाहाटी** *(असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर)*
7.	ब्लॉक 204, मैत्री विहार, अमीरपीठ, हैदराबाद -500038 **040-23734907(फैक्स), 23754908**	**हैदराबाद** *(आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़)*
8.	मयुख भवन (भू-तल), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091 **033-23370977, 23213259**	**कोलकाता** *(पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह)*
9.	पांचवा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 **0522-2330288(फैक्स), 2323860**	**लखनऊ** *(उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड)*
10.	189-बी, श्रीकृष्णापुरी, पटना-800001 **0612-2540285**	**पटना** *(बिहार तथा झारखण्ड)*
11.	केन्द्रीय सदन, "ए" विंग, प्रथम तल, अकुर्डी रेलवे स्टेशन के सामने, निगड़ी प्राधिकरण, पुणे-411044 **020-27658033, 27658973, 27655580(फैक्स)**	**पुणे** *(महाराष्ट्र एवं गोवा)*
12.	टीसी 24/547(11 शास्ता गार्डन, रेजीडेन्सी रोड, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के नजदीक, थायकॉड, तिरुवनन्तपुरम-695014 **0471-2327530**	**तिरुवनन्तपुरम** *(केरल तथा लक्षद्वीप)*

टोल फ्री नं0 1800 1800 345 (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी राज्य कार्यालयों के लिए)

इन कार्यालयों के प्रमुख, निदेशक/उप निदेशक हैं । तथापि, मुख्यालय एवं राज्य कार्यालयों में ऐसे पद जिनमें निम्नतर पदाधिकारी आते हैं, बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (समूह "क" स्तर के पद के लिए) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अत्यावश्यकता आधार पर खाली पड़े पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

1.6 आयोग ने भुवनेश्वर (उड़ीसा राज्य), भोपाल (मध्य प्रदेश राज्य), जयपुर (राजस्थान राज्य), गुड़गांव (हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए), रांची (झारखंड राज्य के लिए) देहरादून (उत्तराखंड राज्य के लिए), रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य के लिए) तथा नई दिल्ली (दिल्ली राज्य के लिए) में नए राज्य कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव किया है । आयोग ने निम्नलिखित (04) राज्य कार्यालयों का, उप निदेशक से निदेशक स्तर पर उन्नयन करने का प्रस्ताव भी किया है । पश्चिम बंगाल- राज्य कार्यालय, कोलकाता का उन्नयन करके उसे निदेशक स्तर का किए जाने का प्रस्ताव, गुजरात- राज्य कार्यालय, अहमदाबाद का उन्नयन करके उसे निदेशक स्तर का किए जाने का प्रस्ताव, त्रिपुरा- राज्य कार्यालय, अगरतला का उन्नयन करके उसे निदेशक स्तर का किए जाने का प्रस्ताव तथा केरल- राज्य कार्यालय तिरुवनन्तपुरम का उन्नयन करके उसे निदेशक स्तर का किए जाने का प्रस्ताव किया है ।

आयोग के विभाजन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के न होने तथा अभ्यावेदनों/शिकायत याचिकाओं में कई गुणा वृद्धि को देखते हुए आयोग को इन कार्यालयों की आवश्यकता है । मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे अपराध संभावित राज्यों में आयोग का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है । आयोग ने यह भी महसूस किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति से प्राप्त अनेक संख्या में अभ्यावेदनों के कारण तथा साथ ही आयोग मुख्यालय को नीतिगत मामलों, अनुसंधान और विश्लेषण इत्यादि सहित बड़े मुद्दों पर संकेन्द्रित करने में समर्थ करने के लिए दिल्ली में एक राज्य कार्यालय की आवश्यकता है । संबंधित प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में विचारण के लिए लम्बित है ।

1.7 अन्य कार्यकलापों का जहां तक संबंध है, आयोग में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद का उन्नयन करके उसे पुलिस महानिरीक्षक का पद कर दिया गया है । संयुक्त संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने के प्रस्ताव को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाया गया है ।

1.8 आयोग के मुख्यालय के चार स्कंध हैं अर्थात **अत्याचार एवं नागरिक अधिकार संरक्षण स्कंध, आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्कंध, सेवा सुरक्षण स्कंध तथा प्रशासन/समन्वय स्कंध (प्रशासन एवं समन्वय प्रकोष्ठ)** आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्कंध मे एक उप सचिव/निदेशक तथा एक अवर सचिव/उप निदेशक (शाखा अधिकारी) की तैनाती की जानी चाहिए । आयोग में केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत एक डीआईजी/आईजी तथा एक उप सचिव (सीएसएस काडर), एक निदेशक(संयुक्त काडर) की स्वीकृत पद-संख्या है । इस प्रकार, एक उप सचिव/निदेशक स्तर का अधिकारी स्कंध में तैनाती के लिए अपेक्षित है ।

हिन्दी का प्रयोग

1.9 आयोग में सभी महत्वपूर्ण आदेशों/अधिसूचनाओं को द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है तथा सितम्बर, 2010 और 2011 के दौरान "हिन्दी माह" मनाया गया । हिन्दी माह के दौरान अनेक प्रतियोगिताओं

का आयोजन किया गया और पुरस्कार भी बांटे गए ।

सतर्कता एकक

1.10 श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । उनकी सहायता के लिए एक अनुभाग अधिकारी है जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त इन कार्यों का निर्वहन करता है । आयोग ने 12 से 16 नवम्बर, 2011 तक सतर्कता सप्ताह मनाया ।

राष्ट्रीय सद्भाव सप्ताह

1.11 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने देशभक्ति की भावना, सामुदायिक सहिष्णुआ तथा राष्ट्रीय सदभाव को बढ़ावा देने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2011 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय सद्भाव सप्ताह) मनाया ।

ई–शासन

1.12 आयोग की वेबसाइट का प्रचालन हो रहा है । तथापि, इसे उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और बृहत्त समाधानों के लिए अपग्रेडेशन और रिडिजाइनिंग का कार्य एनआईसी, भारत सरकार द्वारा आरंभ कर दिया गया है । अब आयोग के कार्यकलापों के बारे में बुनियादी जानकारी तथा इसके कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट, हस्त-पुस्तिका, बड़े निर्णय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । इसके अलावा, शिकायत मॉनीटरिंग सूचना प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव भी है और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में लम्बित है । एक बार सीएमआईएस आरंभ हो जाने से आयोग मुख्यालय एवं राज्य कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों को दायर करना तथा उनकी मॉनीटरिंग करना सरल हो जाएगा । सीएमआईएस के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन जोड़ने का प्रावधान तथा एसएमएस के माध्यम से उनके मामले की प्रगति के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करना भी सीएमआईएस प्रचालन में शामिल है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.13 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के प्रावधानो के अनुसार आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संबंधी सभी मामलों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव को पदनामित किया है । श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित हैं ।

जून, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 1338 आवेदन तथा 45 अपीलें प्राप्त हुई । सभी आवेदनों और अपीलों का निस्तारण समय-सीमा के भीतर किया गया सिवाय कुछ मामलों के जिनमें मांगी गई सूचना व्यापक थी और उसमें भारी भरकम कार्य शामिल था ।

बजट

1.14 आयोग का वर्ष 2011-12 के लिए 1164.00 लाख रुपए का योजना बजट है । विवरण **अनुबंध–IV** पर है । तथापि, इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए अनुदान मांग में बजट शीर्ष ही है । योजना आयोग ने यद्यपि अलग अनुदान मांग का सुझाव दिया है जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सम्पूर्ण बजट से जोड़ा जा सकता है परन्तु अभी ऐसा नहीं किया गया है ।

नुबंध–I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय के कार्मिक पद–संख्या

(मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	पद का नाम	समूह	स्वीकृत पद–संख्या	भरे हुए पद	रिक्तियां
1	सचिव	क	1	1	-
2	संयुक्त सचिव	क	1	1	-
3	उपमहानिरीक्षक (पुलिस)	क	1	-	1
4	निदेशक (संयुक्त सवर्ग में)	क	1	-	1
5.	उप सचिव (सीएसएस)	क	1	1	-
6.	वरि.प्रधान निजी सचिव (सीएसएसएस)	क	1	1	-
7	अवर सचिव (सीएसएस)	क	2	2	-
8.	विधि अधिकारी	क	1	–	1
9.	प्रधान निजी सचिव	क	1	–	1
10.	उप निदेशक (संयुक्त संवर्ग में)	क	1	1	-
11.	सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग में)	क	1	1	-
12.	सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग)	क	1	–	1
13.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	क	1	-	1
14.	सहायक निदेशक (के.स.रा.स.)	क	1	1	-
15.	अनुभाग अधिकारी (सीएसएस)	ख	4	3	1
16.	निजी सचिव (सीएसएसएस)	ख	5	2	2^
17.	अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त सवर्ग में)	ख	3	3	-
18.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	ख	1	–	1
19.	वरिष्ठ अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग में)	ख	4	1	3

20	वरि.हिन्दी अनुवादक (के.रा.रा.रा.)	ख	1	1	-
21.	लेखाकार	ख	1	-	1
22.	अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग में)	ख	2	1	1
23.	सहायक (सीएसएस)	ख	5	3	2
24	निजी सहायक (सीएसएसएस)	ख	3	4	-
25.	आशुलिपिक वर्ग "घ" (सीएसएसएस)	ग	4	2	2
26.	प्रवर श्रेणी लिपिक (सीएसएसएस)	ग	3	3	-
27.	अवर श्रेणी लिपिक (सीएसएसएस)	ग	3	3	-
28.	रिसेप्शनिस्ट	ग	1	-	1
29	स्टाफ कार चालक	ग	7	7*	-
30.	डिस्पैच राईडर	ग	1	1	-
31.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	घ	1	1	-
32.	वरिष्ठ चपरासी	घ	2	2	
33.	दफ्तरी	घ	2	2	-
34.	चपरासी	घ	#16	#17	-
35.	चौकीदार–कम–फराश	घ	1	1	-
36.	सफाई कर्मचारी	घ	1	1	-
	जोड़		86	67	20

^ एक निजी सहायक निजी सचिव के रिक्त पद पर समायोजित ।

* राज्य कार्यालय अगरतला से पदाधिकारी सहित पद स्थानांतरित ।

\# राज्य कार्यालय, अहमदाबाद से अंतरित दो पदों को शामिल किया गया ।

अनुबंध–II

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संगठनात्मक ढांचा
(दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार)

डॉ. पी.एल. पुनिया
अध्यक्ष

डॉ. राज कुमार वेरका
उपाध्यक्ष

श्री राजू परमार
सदस्य

श्री एम. शिवाना
सदस्य

श्रीमती लता प्रिया कुमार
सदस्य

अनुबंध-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा
(दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार)

डॉ. श्याम अग्रवाल
सचिव

श्री टी. तीथन
संयुक्त सचिव

श्री एन.आर. वाली
निदेशक (प्रशा./सी.सैल, ईएसडीडब्ल्यू एवं एपीसीआर)

श्रीमती वीना भगत
वरि. प्रधान निजी सचिव
(एसएसडब्ल्यू)

श्री लॉखन मरली अवर सचिव (एपीसीआर)

श्री कौशल कुमार
उप निदेशक
(ईएसडीडब्ल्यू)

श्री ए.के. सिंह
अनुभाग अधिकारी
(प्रशासन/सी.सैल)

श्री एस.पी. सिंह
अनुभाग अधिकारी
(सामान्य प्रशासन)

श्री एस.एन. मीणा
अवर सचिव
(एसएसडब्ल्यू)

अनुबंध–IV

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में बजट प्रावधान
वित्त वर्ष 2011–12

	गैर योजना					(रूपए लाख में)
अनुदान शीर्ष	सचिवालय	व्यय 2010-11	बजट अनुमान 2011-12	व्यय 31 दिसम्बर, 2011 तक	संशोधित अनुमान 2011-12	बजट अनुमान 2012–13
2225	एनसीएससी					
	वेतन	757.76	800.00	680.00	860.00	940.00
	मजदूरी	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00
	समयोपरि भत्ता	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00
	घरेलू यात्रा भत्ता	72.00	80.00	50.00	80.00	90.00
	विदेश यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कार्यालय व्यय	165.00	180.00	130.00	180.00	200.00
	भाड़ा, दरें एवं कर	13.00	16.00	9.00	14.00	16.00
	चिकित्सा उपचार	15.00	20.00	12.00	20.00	20.00
	जोड़	1031.76	1106.00	888.00	1164.00	1276.00

अध्याय– II

संवैधानिक सुरक्षण:

भारत के संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय एवं स्थिति तथा अवसर की समानता की व्यवस्था की गई है । संविधान के अनुच्छेद 46 में यथा निहित निर्देशक सिद्धान्तों में प्रावधान किया गया है कि "राज्य कमजोर वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा ।" अनुच्छेद 366(24) के अन्तर्गत संविधान ने अनुसूचित जाति शब्द को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया है । उनके सर्वतोमुखी विकास तथा शोषण तथा सामाजिक अन्याय से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुरक्षण तथा रक्षात्मक उपाय किए गए हैं ताकि वे समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें ।

इन सुरक्षणों को निम्नवत् व्यापक रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:-

अनुसूचित जातियों के लिए सेवा सुरक्षण

2.1 **अनुच्छेद** 366(24) "अनुसूचित जातियां" का अर्थ ऐसी जातियां, प्रजातियां या जनजातियां या ऐसी जातियों प्रजातियों या जनजातियों के समूह या समूहों के भाग जिन्हें अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत इस संविधान के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियां होना माना गया है ।

2.2 **अनुच्छेद** 341(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र तथा जहां उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद, लोक अधिसूचना द्वारा, जातियों, प्रजातियों या जनजातियों या जातियों प्रजातियों या जनजातियों के भीतर समूहों या समूहों के भाग जो इस संविधान के प्रयोजनार्थ होंगे, विशेष उल्लेख करे, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जैसी स्थिति हो, अनुसूचित जाति समझी जाएंगी ।

2.3 **अनुच्छेद** 341(2) संसद विधि द्वारा किसी जाति, प्रजाति या जनजाति या किसी जाति, प्रजाति या जनजाति के भीतर समूह या समूह के भाग को खंड के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर सकती है या सूची से निकाल सकती है परन्तु उपर्युक्त को छोड़कर खंड के अन्तर्गत जारी अधिसूचना किसी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं होगी ।

2.4 अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए सुरक्षण निम्नलिखित व्यापक शीर्षों में समूहित किए गए हैं:

- सामाजिक सुरक्षण
- आर्थिक सुरक्षण
- शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षण
- राजनैतिक सुरक्षण
- सेवा सुरक्षण

सामाजिक सुरक्षण

2.5 संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25(2) (ख) में राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षणों की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। **अनुच्छेद 17** का संबंध समाज में चल रही छुआछूत की प्रथा के उन्मूलन से है। संसद ने अनुसूचित जातियों के साथ बरती जा रही छुआछूत की समस्या के समाधान के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किए।

2.6 **अनुच्छेद 23** मानव का दुर्व्यापार और"बेगार" तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम प्रतिाद्धि करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यद्यपि इस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु बहुसंख्यक बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के होते हैं इसलिए, इस अनुच्छेद का अनुसूचित जाति के लिए विशेा महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा बंधक मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया गया है। इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए संसद द्वारा बंधक मजूदर प्रथा (उन्मूलन अधिनियम), 1976 अधिनियमित किया गया है।

2.7 **अनुच्छेद 24** में उपबंध है कि चौदह वर्ा से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इस अनुच्छेद में भी अनुसूचित जातियों के बारे में कोई विशेा उल्लेख नहीं है परन्तु खतरनाक नियोजन में लगे हुए बाल श्रमिक का अधिकांश भाग अनुसूचित जातियों से संबंधित है।

2.8 **अनुच्छेद 25(2) (ख)** में उपबंध है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिन्दु धार्मिक संस्थाएं, हिन्दुओं के सभी वर्गों और भागों के लिए खुली रहेंगी। इस उपबंध के लिए हिंदू शब्द में सिक्ख, जैन तथा बौद्ध धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों का समावेश किया गया है।

आर्थिक सुरक्षण

2.9 **अनुच्छेद 23,24 और 46** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आर्थिक सुरक्षणों का भाग बनाते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 के उपबंधों पर पूर्व के पैराग्राफों में पहले ही विचार किया जा चुका है।

2.10 **अनुच्छेद** 46 का ब्योरा अध्याय के आरंभ में दिया गया है।

शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षण

2.11 अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृटि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए विशेा उपबंध बनाने की शक्ति देता है। यह उपबंध सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं में और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए राज्य को

अधिकार देता है ।

राजनीतिक सुरक्षण

2.12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय निकायों, राज्य की विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण भारत के संविधान में निम्नानुसार दिया गया हैः-

2.13 **अनुच्छेद 243** (घ) **सीटों का आरक्षण** - (1) प्रत्येक पंचायत में - (क) अनुसूचित जातियों; और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) अनुच्छेद 40 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओ के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

2.14 **243** (टी) **सीटों का आरक्षण** - (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ के लिए, आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओ के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन - क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओ के

लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करें ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो महिलाओ के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

2.15. **अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण:-**

(1) लोक सभा में सीटें आरक्षित रहेंगी -

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगी जो, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, स्थानों की कुल संख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोकसभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण:- इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, "जनसंख्या" से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पटीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित

नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

2.16 **अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण** - (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे ।

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

2.17 अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेा प्रतिनिधित्व का 60 वाे के पश्चात न रहना - इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, :-

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारंभ से 60 वाे की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

सेवा संबंधी सुरक्षण

2.18 सेवा संबंधी सुरक्षणों की व्यवस्था अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 335 में की गई है ।

2.19 **अनुच्छेद** 16(4) इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को किसी पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के पक्ष में पदों या नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान बनाने से निवारित नहीं करेगी जिनका राज्य की राय में राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ।

2.20 **अनुच्छेद** 16(4**क**) इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगी जिनका राज्य की राय में राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है ।

2.21 **<u>अनुच्छेद 335:</u>** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं से संबंधित दावे"संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखे जाने के अनुरूप ध्यान रखा जायेगा।"

वर्ष 2001 में, संसद ने संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के माध्यम से अनुच्छेद 16(4क)में निहित प्रावधानों में संशोधन किया । अनुच्छेद 16(4क)में शब्दों के लिए:- किसी वर्ग को पदोन्नति के मामलों में" प्रतिस्थापित किए गए हैं । इस संशोधन का प्रभाव यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जो अपने सामान्य श्रेणी के प्रतिपक्ष से पहले पदोन्नत हुए थे वे आरक्षण नीति के आधार पर पदोन्नत वेतनमान/पद में सामान्य श्रेणी से वरिष्ठ रहेंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 338 में एक महत्वपूर्ण अधिदेशाधीन प्रावधान धारा (9) है जो अनुबंध करती है कि "संघ और प्रत्येक राज्य सरकारें अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेंगे ।

क़ानून तथा विधान

केन्द्र और राज्य दोनों के अनेक क़ानून हैं जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं। दृष्टांत के रूप में ऐसे क़ानूनों की सूची नीचे दी गई है-

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- मैला ढोने के कार्य में लगे व्यक्तियों को रोज़गार तथा सूखे शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993
- विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण को प्रतिषिद्ध करने के लिए लागू अधिनियम और विनियम । कुछ राज्यों में ऐसे प्रावधान भू-राजस्व संहिता में विद्यमान हैं।
- विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अपवर्तित भूमि की बहाली के लिए कानून ।

अध्याय –III

3.1 आयोग के कार्य एवं कर्त्तव्य

संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 9 निम्नानुसार पठित होगा:

"संघ और प्रत्येक राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी" ।

संविधान ने अनुसूचित जाति के सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना अनिवार्य किया है । आयोग का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा की गई वैधानिक या कार्यकारी कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी ।

अनुच्छेद 338 के खंड 5(ग) के प्रावधानों के अनुसार, आयोग से अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर सलाह और प्रतिभागिता तथा केन्द्र तथा किसी राज्य के अन्तर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाती है । इन क्षेत्रों में आयोग की भूमिका में विभिन्न स्तरों अर्थात् योजना आयोग के साथ, केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ तथा राज्य सरकारों के साथ चर्चा करना शामिल है । आयोग और मुख्यालय और राज्य कार्यालयों दोनों के अधिकारी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना सहित अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्यक्रमों और नीतियों के प्रतिपादन में सहभागिता करेंगे ।

जांच की क्रियाविधि

3.2.1. आयोग को मॉनीटर करने की शक्ति है:-

(i) पीड़ितों को समय पर उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाती है;

(ii) ऐसी घटनाओं में पुलिस दल भेजकर, पुलिस गस्त इत्यादि द्वारा पीड़ितों के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है;

(iii) यह देखना कि पीड़ितों को कानून के अनुसार उपयुक्त क्षतिपूर्ति की जाती है ।

3.2.2. जब भी अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार की किसी घटना के बारे में आयोग में सूचना प्राप्त होती है, तो आयोग राज्य और जिला की विधि प्रवर्तन तथा प्रशासनिक तंत्र से घटना का ब्योरा मांगने तथा जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाने के लिए तत्काल सम्पर्क स्थापित करता है ।

3.2.3. आयोग संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने तथा मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:-

(i) क्या कलेक्टर और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक ने सूचना प्राप्त होते ही अपराध स्थल का तत्काल दौरा किया ।

(ii) क्या स्थानीय पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की ।

(iii) क्या शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए अपराध में संलिप्त सभी व्यक्तियों के नाम प्राथमिकी में शामिल किए गए ।

(iv) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जांच का काम हाथ में लिया ।

(v) क्या अपराधी को बिना समय की बर्बादी के गिरफ्तार कर लिया या उसका गिरफ्तार करना तय कर लिया गया ।

(vi) क्या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के साथ-साथ भारतीय दंड संहित की संबद्ध धाराओं का उल्लेख करते हुए न्यायालय में उपयुक्त आरोप-पत्र दाखिल किया है ।

(vii) क्या मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही है ।

(viii) क्या इन मामलों को चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं ।

(xi) क्या गवाहों को आगे लाने में पुलिस न्यायालयों की सहायता करती है और देखती है कि अपराधियों को न्यायालयों द्वारा उपयुक्त दंड दिया जाता है ।

3.2.4. आयोग, जहां संभव हो, मामले की स्थिति और गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों में विश्वास पैदा करने तथा सांत्वना देने के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल का दौरा करेगा ।

3.2.5. आयोग ने सभी स्तरों पर ऐसी जांच करने तथा मॉनीटरिंग करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है । इस प्रकार की जांच आयोग के सदस्यों या मुख्यालय से अन्वेषकों के दल या आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा की जा सकती है ।

3.2.6 दीवानी अदालत के रूप में कार्य करने की आयोग की शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (5) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत निर्दिट किसी विशिष्ट शिकायतों का अन्वेषण करने या उपखंड (क) में निर्दिट किसी भी मामले में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे किसी मुक़दमे को चलाने के लिए प्राप्त होती हैं, विशेाकर निम्नलिखित मामलों में-

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना, आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ii) किसी दस्तावेज़ के प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण के लिए आदेश देना;

(iii) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मंगाना ;

(v) गवाहों और दस्तावेज़ों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;

(vi) कोई अन्य विाय जिसे राट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें।

3.3. आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तथा पद्धति

स्वाधीनता की लगभग अर्ध शताब्दी के बाद, अपने संवैधानिक दायित्वों तथा मुद्दों को जो निर्णायक हैं, ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों के समग्र विकास तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए मार्च, 2010 में गठित वर्तमान आयोग ने अपने कार्यों में अत्यधिक प्रभावशाली दृष्टिकोण अपनाया है। आयोग की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन का गहन मानीटर किया जाता है ।

आयोग ने, अपने मुख्यालय तथा राज्य कार्यालयों के माध्यम से, क्षेत्रीय स्तर की जांच-पड़ताल तथा अध्ययन भी किए हैं। इस प्रक्रिया को, शीघ्र राहत, विशेषकर अनुसूचित जातियों पर हुए अपराधों और अत्याचारों से संबंधित मामलों में विकास लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिक प्रभावशाली बनाया गया है।

सेवा सुरक्षणों के उल्लंघन के संदर्भ में मामलों का शीघ्र निपटान तथा प्रामाणिक मामलों में तत्काल राहत देना सुनिश्चित करने के लिए, शिकायतों की जांच करने की प्रक्रिया को विशा रूप से सरल और कारगर भी बनाया गया है। अधिकारियों तथा सम्बधित सम्पर्क अधिकारियों को समस्त संगत अभिलेखो के साथ आयोग में बुलाकर काफी समय से लम्बित अनेक मामलों पर एक या दो बैठकों में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। आयोग ने जांच पड़तालों के आयोजन में दस्तावेजों को मंगवाकर तथा उपस्थिति बाध्य करते हुए अपनी दीवानी न्यायालय की शक्तियों का भी प्रयोग किया है। जबकि संबंधित अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करनेके लिए आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसे वारंट भी जारी करने तथा शीघ्र उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की शक्ति है ।

3.4 आयोग की रिपोर्ट

इन खंडों के उपबंध के अनुसार आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यकरण तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा किए गए उपायों पर प्रति वा रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस श्रृखला में, पूर्व राट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने, 12 मार्च, 1992 से 19 फरवरी, 2004 तक की अवधि के दौरान, सात वार्षिक रिपोर्टे तथा चार विशेष रिपोर्टें, अनेक सिफारिशें करते हुए, प्रस्तुत की हैं । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 2004 में इसके सृजित होने के बाद निम्नानुसार वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं:

वार्षिक रिपोर्ट	भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने की तारीख	लोक सभा में प्रस्तुत	राज्य सभा में प्रस्तुत
2004-05	13.7.2006	7.3.10	13.3.10
1.4.06 – 30.9.06	21.2.07	अभी प्रस्तुत की जानी है	अभी प्रस्तुत की जानी है
2005-06	19.5.10	- वही -	- वही -
2006-07	19.5.10	- वही -	- वही -
मई,07 – नवम्बर,07	30.3.10	- वही -	- वही -
दिसम्बर,09 - मई,10	19.5.10	- वही -	- वही -
विशेष रिपोर्ट	19.5.10	- वही -	- वही -

अनुच्छेद 338 के खंड 6 में व्यवस्था है, "राट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को और किन्ही ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।"

3.5 **आयोग द्वारा अनुच्छेद 338 खंड 5(ख) के तहत शिकायत की जांच ।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति द्वारा अनुच्छेद 338 खंड 5(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की सूची निम्नानुसार है:

सेवा सुरक्षण स्कंध

यह स्कंध केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सेवा सुरक्षणों का कार्यान्वयन करता है ।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सेवा मामलों के बारे में उनके सभी अभ्यावेदनों/शिकायतों का निपटान इस स्कंध में किया जाता है । इसके अतिरिक्त, सेवा मामलों के संबंध में विभिन्न संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन/सर्वेक्षण, सेवा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी अनुदेशों तथा अधिनियमन/सरकारी आदेशों के संबंध में नीतिगत मामले इस स्कंध में सुलझाए जाते हैं । झूठे जाति प्रमाण-पत्रों तथा अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को जोड़ने या हटाने से संबंधित मामले इस स्कंध में निपटाए जाते हैं ।

अत्याचार तथा नागरिक अधिकार संरक्षण स्कंध

यह स्कंध अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से संबंधित मामलों तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान करता है । यह स्कंध व्यक्तियों से शिकायत मिलने पर या समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर मामलों का निपटान करता है । इन विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन एवं सर्वेक्षण भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है ।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्कंध

यह स्कंध अनुसूचित जातियों के विकास विशेषकर केन्द्रीय/राज्य सरकारों की आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग से संबंधित मामलों का निपटान करता है । इस स्कंध द्वारा किए गए कार्य की कुछ विशिष्ट मदें हैं:

(i) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना;

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम;

(iii) अत्याचार, छुआछूत की प्रथाओं तथा सेवा मामलों को छोड़कर अन्य मामलों से संबंधित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतें/अभ्यावेदन;

(iv) सामाजिक अनुसंधान संस्थान एवं अन्य अनुसंधान निकाय;

(v) भूमि सुधार अधिनियम तथा उनका कार्यान्वयन;

(vi) अनुसूचित जाति इत्यादि के लिए शैक्षिक योजनाएं ।

आयोग के अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा की अहम भूमिका सौंपी गई है और इसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार इसके कार्य का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान की गई है । अनुच्छेद 338 खंड 5(क) और (ख) की इन शक्तियों के अन्तर्गत आयोग भारत सरकार अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के आलोक में व्यक्तिगत मामलों में जांच की शक्तियों का प्रयोग करता है । आयोग उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है । आरक्षण नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर आयोग सरकार के विद्यमान नियमों अर्थात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/संबंधित राज्य सरकार/लोक उद्यम विभाग (डीपीई) इत्यादि द्वारा जारी नियमों जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार उन्हें ठीक करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को सुझाव और सलाह देता है तथा सिफारिश करता है । जांच करते समय आयोग शपथ पर साक्ष्य लेता है या शपथ-पत्र प्राप्त करता है । विचार करने के बाद आयोग जांच में साक्ष्य लेने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा करता है या समन जारी करता है आयोग के समक्ष पेश होने के लिए जिस व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है उसे समन की प्राप्ति की तारीख से आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन में कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है ।

जहां अनुसूचित जाति की सम्पत्ति, सेवा/रोज़गार और अन्य संबंधित मामले संकट में हों और आयोग का तत्पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है । मामले को संबंधित प्राधिकारियों को टेलेक्स/फैक्स जारी करके उन्हें अवगत कराया जाता है कि आयोग ने मुद्दे को पकड़ लिया है । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पास विषयों के अधिकार क्षेत्र जहां भारत में कहीं भी बैठकें आयोजित करके आयोग के राज्य कार्यालयों के माध्यम से जांच की जाती है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/संबंधित राज्य सरकार/लोक उद्यम विभाग (डीपीई) इत्यादि द्वारा निर्धारित आरक्षण नीतियों के आलोक में आयोग द्वारा जांच किए जाने के बाद जारी आयोग के परिणाम/टिप्पणी पर विचार करने की सलाह दी जाती है और आयोग के सलाह, परिणाम तथा सिफारिशों के आधार पर सभी न्याय संगतताओं में सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा विचार करने की सलाह दी जाती है ।

अध्याय-IV

अध्याय की बैठकों में लिए गए बड़े निर्णय

जून, 2010 से मार्च, 2010 तक संख्या 17014/12/99-टीडीआर दिनांक 19 फरवरी, 2004 द्वारा अधिसूचित क्रियाविधि के नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित बैठकों का आयोजन डा. पी.एल. पुनिया की अध्यक्षता में तीसरे आयोग द्वारा निम्नलिखित तारीखों को किया गया:

बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
पहली	29/11/2010
दूसरी	06/12/2010
तीसरी	13/12/2010
चौथी	27/12/2010
पांचवीं	03/01/2011
छठी	10/01/2011
सातवीं	24/01/2011
आठवीं	31/01/2011
नौवीं	14/02/2011
दसवीं	28/02/2011
ग्यारहवीं	14/03/2011
बारहवीं	28/03/2011
तेरहवीं	18/04/2011
चौदहवीं	09/05/2011
पन्द्रहवीं	30/05/2011
सोलहवीं	13/06/2011
सत्रहवीं	20/06/2011
अठारहवीं	18/07/2011
उन्नीसवीं	18/08/2011
बीसवीं	29/08/2011
इक्कीसवीं	12/09/2011
बाईसवीं	03/10/2011
तेईसवीं	17/10/2011
चौबीसवीं	02/01/2012
पच्चीसवीं	12/03/2012

बैठकों में पारित किए गए निर्णय तथा विचार–विमर्श का साराश:

विचार–विमर्श के लिए कार्यसूची की मदे	विचार–विमर्श का सारांश	उन पर की गई कार्रवाई
i. आर.के. सब्बरवाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बनाए रखने के संबंध में संशोधित अनुदेशों के मुद्दे पर प्रारूप कैबिनेट नोट । (बैठक तिथि 29-11-2010)	मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया जाना चाहिए ।	मामले को पत्र सं. 2/2/2008-एसएसडब्ल्यू-III दिनांक 12-11-2010 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ पहले ही उठाया गया ।
ii. "सुभाष चन्द्र एवं अन्य बनाम डीएसएसएसबी एवं अन्य" नामक एसएलपी सं. 24327/2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सिविल पदों में प्रवासी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण । (बैठक तिथि 29-11-2010)	मुद्दे पर जांच-पड़ताल करने के लिए श्री राजू परमार, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।	तदनुसार समिति का गठन किया गया । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सिविल पदों में प्रवासी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई है और एसएलपी सं. 24327/2005 में पिछले निर्णय पर पुनः विचारण के लिए मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया है ।

iii. राष्ट्रीय अ-अधिसूचित, अर्ध-घुमन्तु तथा घुमन्तु जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर टिप्पणी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भेजना । (बैठक तिथि 29-11-2010)	आयोग ने चाहा कि समुदाय सूची को छोड़ दिया जाए या शामिल कर लिया जाए ।	मामले की जांच की गई आयोग ने कहा कि यथा स्थिति बनाए रखनी चाहिए ।
iv. सामान्य श्रेणी के रूप में आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में स्पष्टीकरण । (बैठक तिथि 29-11-2010)	* अनुसूचित जाति उम्मीदवार सामान्य रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है । * यदि अनुसूचित जाति उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन करता है और बाद में अनुसूचित जाति उम्मीदवार के रूप में रहना चाहता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी कार्यालय ज्ञापनों में इस पहलू को पहले ही शामिल कर लिया गया है ।
v. आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की उप-श्रेणीकरण के संबंध में न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा समिति की सिफारिशें । (बैठक तिथि 29-11-2010)	आयोग ने पाया कि अनुसूचित जाति जनसंख्या का "क", "ख", "ग" और "घ" श्रेणी में उप-श्रेणीकरण की सिफारिशों के स्वीकार नहीं किया जा सकता ।	आयोग ने सिफारिश की कि आन्ध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति को समूहों में विभाजित करने के बजाय राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में बेहतर छात्रावास सुविधाओं इत्यादि सहित आवासीय विद्यालय, नि:शुल्क शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब अनुसूचित जाति की दशा में सुधार करने के लिए तंत्र अपनाना चाहिए ।
vi. निजी क्षेत्र और न्यायिक सेवाओं में आरक्षण । (बैठक तिथि 06-12-2010)	मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए सीआईआई, एफआईसीसीआई और एसोचेम को आमंत्रित किया जाना चाहिए ।	आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु मामले को निजी क्षेत्रों के साथ उठाया गया है ।
vii. विचाराधीन मामलों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति	आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जाति	मामला लम्बित है क्योंकि विधि विशेषज्ञों से विधिक राय प्राप्त

आयोग का हस्तक्षेप नहीं होने पर अर्थ निर्णय । (बैठक तिथि 27-12-2010)	के हितों का नुकसान हो रहा है, आयोग हस्तक्षेप कर सकता है । तथापि, आयोग ने चाहा कि इस मामले में विधिक राय लेनी चाहिए ।	नहीं हुई है ।
viii. उड़ीसा राज्य में खटिया समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करना । (बैठक तिथि 03-01-2011)	आयोग ने निर्णय लिया कि उड़ीसा राज्य सूची में खटिया को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने के लिए आर.जी. आई. की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए ।	तदनुसार, मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/उड़ीसा सरकार को भेज दिया गया है ।
ix. आयोग के राज्य कार्यालयों में निदेशक का पद भरा जाना । (बैठक तिथि 03-01-2011)	आयोग चाहता है कि मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए ।	तदनुसार मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया है और रिक्त पदों को भरने का काम चल रहा है ।
x. आयोग मुख्यालय के लिए नई दिल्ली में नए परिसर का पता लगाना । (बैठक तिथि 03-01-2011)	आयोग ने पाया कि वर्तमान परिसर पर्याप्त नहीं है और यहां पर पहुंचना आसान नहीं है । अत: यह इच्छा की गई है कि आयोग के कार्यालय के लिए नया परिसर खोजा जाए ।.	मामले को शहरी विकास मंत्रालय, एनडीएमसी, एनबीसीसी जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है ।
xi. पूरे देश में अनुसूचित जाति की एकल सूची । (बैठक तिथि 10-01-2011)	आयोग ने मामले की जांच की और इच्छा की कि मुद्दे पर राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों को बैठक में विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाना चाहिए।	श्री राजू परमार, सदस्य की अध्यक्षता में समिति से अनुरोध किया गया है कि आयोग के निर्णय की जांच करें और यदि उपर्युक्त निर्णय व्यवहार्य हो तो तदनुसार सुझाव दें ।
xii. आरक्षण आदेशों के अनुसार रोस्टर के आधार पर वरिष्ठता सूची का निर्धारण । (बैठक तिथि 10-01-2011)	यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न मंत्रालयों की राय ली जाएगी और विशेषज्ञों की टिप्पणी भी प्राप्त की जानी चाहिए ।	दिनांक 2-2-2011 का पत्र सं 2/4/2010/एसएसडब्ल्यू विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को विषय पर उनकी टिप्पणी के

		लिए भेजा गया है । प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।
xiii उन अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करना जो बुद्ध धर्म में सम्मिलित हो गए हैं । (बैठक तिथि 24-01-2011)	आयोग ने इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से राय मांगने का निर्णय लिया ।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 तथा इस आशय के अन्य आदेशों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल अनुसूचित जाति और जिन्होंने बुद्ध धर्म में धर्म-परिवर्तन कर लिया है उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य माना जाएगा ।
xiv. अन्य पिछड़ा वर्ग से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेना । (बैठक तिथि 24-01-2011)	आयोग ने निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकारित करने तक अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों पर विचार करेगा।	पत्र सं. 12/2/एनसीएससी/2010-सी.सैल दिनांक 9-2-2011 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया था । तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अब अन्य पिछड़ा वर्ग के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों पर भी कार्रवाई कर रहा है ।
xv. राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के आलोक में दलित ईसाइयों/दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना। (बैठक तिथि 24-01-2011)	आयोग ने सिफारिश की कि "उन्हें (दलित ईसाइयों/दलित मुस्लिमों) को आरक्षण देना चाहिए परन्तु 15% का शेयर में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए । इन समुदायों को आरक्षण का अंश उनके अनुपात को देखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए ।"	आयोग की राय पत्र सं. आर-16/एस.जे.एवं ई./02/07/ एसएएसडब्ल्यू-I दिनांक 3-2-2011 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया था कि विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की जाए । तथापि, मामला इस समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है ।

xvi. आय सीमा लगाना क्योंकि अनुसूचित जाति में क्रीमीलेयर को छोड़ दिया जाए । (बैठक तिथि 31-01-2011)	2 लाख रुपए की आय सीमा को छोड़ दिया जाना चाहिए । सभी अनुसूचित जाति को उनके माता-पिता की आय की स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाना चाहिए।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं. 8/1/11/स्कोलरशिप/ईएसडीडब्ल्यू दिनांक 10-2-2011 द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच की जाए ।
xvii. स्कूलों/कॉलेजों/संस्थाओं में नि:शुल्क प्रवेश । (बैठक तिथि 31-01-2011)	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्थाओं में बिना कोई प्रवेश शुल्क के प्रवेश दिया जाना चाहिए । देय शुल्क को सरकार द्वारा सीधे ही अपने राजकोष से शैक्षिक संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा ।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पत्र सं. 8/1/2011/छात्रवृत्ति/ईएसडीडब्ल्यू दिनांक 10-2-2011 द्वारा अनुरोध किया गया है । फिर भी, आयोग ने राज्य समीक्षा बैठक के माध्यम से इस पहलू को राज्य सरकारों को भी संसूचित किया गया ।
xviii. अनुसूचित जाति के लिए कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए एनजीओ को सहायता अनुदान का निरीक्षण । (बैठक तिथि 28-02-2011)	आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा इसकी 30वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों का स्मरण कराया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या पिछले 3 वर्षों के दौरान एनजीओ को दी गई निधियां वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए ली गई हैं जिसके लिए यह दी गई थी और क्या इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में सुधार हुआ ।" आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति द्वारा की	आयोग ने इस आशय का निर्णय संसूचित करते हुए पत्र सं. 15/1/एनसीएससी/2011-सी.सैल दिनांक 15-3-2011 द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्यरत एनजीओ को जारी सहायता अनुदान के संबंध में स्वीकृति आदेश की प्रति के लिए अनुरोध किया है ।

	गई सिफारिशों से सैद्धान्तिक रूप से सहमत है परन्तु आयोग को ऐसी अनुसूचित जाति कल्याण योजना चला रहे एनजीओं को सहायता अनुदान के जारी करने या कोई स्वीकृति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।	
xix. केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्तर के अनुसंधान एवं लेक्चररशिप के पदों के लिए पात्रता शर्तों में छूट । (बैठक तिथि 28-02-2011)	आयोग ने कहा कि मामले पर विचार करने के लिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाना चाहिए ।	पत्र सं. 2/2/11/एसएसडब्ल्यू-II दिनांक 23-3-2011 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया है ।
xx. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन । (बैठक तिथि 14-03-2011)	आयोग ने निर्णय लिया कि मंत्रालय द्वारा अग्रेषित संशोधन के प्रस्ताव की जांच करेगा ।	मंत्रालय से संदर्भ प्राप्त होने पर पत्र सं. 11012/2/2002-पीसीआर (डेस्क) दिनांक 10-1-2011 द्वारा आयोग की सिफारिशें मंत्रालय को भेज दी गई हैं ।
xxi. आयोग के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटराइजेशन । (बैठक तिथि 14-03-2011)	आयोग की इच्छा थी कि आयोग का पूर्णतः कम्प्यूटराइजेशन और आधुनिकीकरण का काम प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया जाना चाहिए ।	तदनुसार, एनआईसी से सम्पर्क करके आयोग की वेबसाईट, सीएमआईएस/फाइल ट्रेकिंग सिस्टम का कार्य चल रहा है ।
xxii. लोकपाल विधेयक, 2011 (बैठक तिथि 29-08-2011)	लोकपाल विधेयक, 2011 का जहां तक संबंध है, आयोग की राय निम्नानुसार है:- 1. लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी और सलेक्शन कमेटी में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व ।	लोकपाल विधेयक, 2011 के प्रारूप बनाते समय आयोग की राय पर विचार करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष को आयोग के अध्यक्ष का एक अ.शा. पत्र दिनांक 29-8-2011 भेजा गया है ।

	2. भ्रष्टाचार की परिभाषा में विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति इत्यादि को उनके अधिकारों से वंचित करने, निधियों को किसी अन्य काम में लगाने, निधियों का उपयोग न करने तथा एससीपी/एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों को चिह्नित न करना शामिल किया जाए। 3. इसी प्रकार का प्रावधान विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त का गठन करते समय किया जाना चाहिए। 4. लोकपाल/ लोकायुक्त/ सदस्यों को जातीय पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा।	
xxiii. गरीबी रेखा से नीचे की सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जाति। (बैठक तिथि 03-10-2011)	आयोग ने पाया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के तालुकदार समिति की सिफारिश, यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, के आधार पर योजना आयोग द्वारा नियत 26/32 रुपए के नए मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा।	अनुसूचित जाति की नई योजनाओं संबंधी समिति से कहा गया है कि मामले की जांच करें और गरीबी रेखा से नीचे की सूची में योग्य अनुसूचित जाति परिवारों को शामिल करने के लिए उपाय सुझाएं।
xxiv. सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों/सदस्यों, एनजीओ और सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का आयोजन। (बैठक तिथि 17-10-2011)	आयोग की इच्छा थी कि राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जानी चाहिए जिनमें अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए व्यक्तिगत तौर पर या कार्य करने वाले सभी पणधारियों को शामिल किया जाना चाहिए।	दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें देशभर के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

xxv. अनुसूचित जाति विकास विधेयक, 2011 के लिए एससीपी संबंधी टिप्पणी । (बैठक तिथि 12-03-2012)	आयोग ने बैठक में मुद्दे पर विचार-विमर्श किया ।	प्रस्तावित विधेयक के अनुरूप आयोग की राय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को संसूचित कर दी गई ।

अध्याय – V

राज्य समीक्षा बैठकें

रिपोर्ट की अवधि के दौरान अर्थात् मार्च, 2012 तक, अनुच्छेद, 338 के अन्तर्गत इसकी अनिवार्य बाध्यता के भाग के रूप में आयोग ने चार राज्य समीक्षाएं की अर्थात् कर्नाटक में 29 जुलाई, 2011, पंजाब में 22 जुलाई, 2011 तथा उत्तराखंड में 4 नवम्बर, 2011 तथा पश्चिम बंगाल में 20 जनवरी, 2012.

बैठक का परिणाम सारांश निम्नानुसार है:

कर्नाटक:

डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष, श्री राजू परमार, सदस्य, श्री एम. शिवाना, सदस्य और श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 29 जून, 2011 को कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधान सौधा, बेंगलूर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । आयोग के सामने अनुसूचित जाति कल्याण के मामले में राज्य के कार्य की समीक्षा करते समय निम्नलिखित तथ्य सामने आए:-

(i) झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के मामले बड़ी संख्या में लम्बित हैं । आयोग ने चाहा कि ऐसे मामलों को एक समय-सीमा के भीतर निपटान कर देना चाहिए तथा राज्य को झूठे जाति प्रमाण-पत्र धारकों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जानी हो जिसे कि राज्य भर में एक मजबूत संदेश जाए ।

(ii) अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों की संख्या यद्यपि बहुत उच्च है परन्तु दोषसिद्धी की दर अत्यधिक कम है । आयोग की इच्छा थी कि राज्य पुलिस को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए तथा संवेदनशील बनाया जाना चाहिए जो मुख्य रूप से अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं ।

(iii) आयोग ने चाहा कि कोई भी राशि, व्यय के अन्य शीर्ष के काम में नहीं लगाना सुनिश्चित करने के लिए एससीएसपी निधि के वितरण के लिए एकल विंडो प्रणाली होनी चाहिए ।

(iv) खाद्य प्रभार के संबंध में, आयोग की राय थी कि चिह्नित राशि बढ़ाई जानी चाहिए जो जीवन के प्रचलित मूल्यों के अनुरूप हो ।

(v) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटें बड़ी संख्या में रिक्त रहती हैं । आयोग ने चाहा कि + 2 स्तर पर उपयुक्त कोचिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा अनुसूचित जाति समुदाय के विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से प्रेरित करना चाहिए ताकि वे आरक्षण का लाभ उठा सके ।

(vi) शहरी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, जो कुल शहरी जनसंख्या का 50.6% है, के संबंध में आयोग ने चाहा कि इस मामले में गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस शहरी गरीबी रेखा के एक मुख्य खंड के रूप में स्तर को न्यूनतम करने के उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

(vii) इसके अतिरिक्त आयोग ने चाहा कि मैला ढोने की प्रथा को राज्य से समाप्त किया जाना चाहिए। मैला ढोने वालों के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए तथा उनके लिए नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क छात्रावास की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पंजाब

अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित मामलों पर पंजाब राज्य सरकार के कार्य की समीक्षा 22 जुलाई, 2011 को यू.टी. गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में पूर्ण आयोग द्वारा की गई। विचार-विमर्श का सारांश निम्नानुसार है:

(i) आयोग ने पाया कि यद्यपि एससीएसपी निधियों को केवल अनुसूचित जाति के लिए खर्च नहीं किया गया बल्कि अन्य समुदायों पर भी खर्च नहीं किया गया। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार निधि के बिखराव से एससीएसपी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आयोग ने चाहा कि राज्य सरकार मामले में पुन: जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि एससीएसपी के खर्च पर और बिखराव नहीं होगा।

(ii) इसी प्रकार एसीसीए के अन्तर्गत व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता निधि के रूप में उत्साहवर्धक नहीं था जो केन्द्रीय राजकोष से आता है यह पाया गया कि उसे वित्त विभाग द्वारा रोक दिया गया। रोक लगाने के कारण आयोग की जानकारी में नहीं लाए गए। आयोग ने चाहा कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों को तत्काल जारी किया जाना चाहिए।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में, आयोग ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए गए ब्योरे के अनुसार राज्य सरकार का कार्य-निष्पादन अधिकांश क्षेत्रों अर्थात् साक्षरता स्तर, स्कूल छोड़ना, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात, अनुसूचित जाति स्नातकों की संख्या, चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में स्थितियों के सिवाय स्कूलों/कालेजों में अनुसूचित जाति अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के अधिकांश क्षेत्रों में उत्साहवर्धक नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार को आश्रम स्कूल खोलने का सुझाव दिया जहां अनुसूचित जाति के बच्चों को व्यापक शिक्षा मुहैया करवाई जा सकती है।

(iv) आयोग ने यह नोट किया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए विशिष्ट छात्रावासों का निर्माण नहीं कराया है। चूंकि राज्य सरकार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट छात्रावास बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन एससीएसपी के अन्तर्गत पहले ही उपलब्ध है। आयोग ने राज्य सरकार

से कहा कि बाबू जगजीवन राम छात्र निवारण इत्यादि जैसे विशिष्ट छात्रावास का प्रस्ताव तैयार करें और केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें ।

(v) आयोग ने यह भी पाया कि सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति के बच्चों की मृत्युदर उच्च है । आयोग ने सुझाव दिया चूंकि राज्यों की अनुसूचित जाति जनसंख्या व्यापक है (29%), अत: राज्य सरकार विशेष योजनाएं लाए जिनमें अनुसूचित जाति में बच्चों की मृत्युदर को कम से कम करने के लिए अनुसूचित जाति जनसंख्या का लक्ष्य रखा जाए।

(vi) अत्याचार के मामलों के संबंध में आयोग ने पाया कि दोषसिद्धी की दर बहुत नीचे है तथा न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है । तथापि, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों के त्वरित निपटान हेतु कोई विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की है । आयोग ने सलाह दी कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर विशेष न्यायालयों की स्थापना करे और यदि संभव न हो तो 2-3 जिलों को मिलाकर विशेष न्यायालयों की स्थापना करें ।.

(vii) आयोग को यह नोट करते हुए आश्चर्य हुआ कि 2006 से माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की मॉनीटरिंग कमेटी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई यद्यपि राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुत उच्च है और अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामले दर्ज करने वाला अग्रणी राज्य भी है ।

(viii) आयोग ने नोट किया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है जो भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है। आयोग ने चाहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि सभी श्रेणी के पदों में पिछली बकाया रिक्तियों सहित रिक्तियों की पहचान करे और इन पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरु करें । इन रिक्तियों में सफाई कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए जो समूह "क"श्रेणी के अन्तर्गत भिन्न समूह के रूप में दर्शाए जाने चाहिए।

(ix) झूठे जाति प्रमाण-पत्र धारकों की पहचान करने और अभियोजन के संबंध में आयोग का मत था कि राज्य सरकार ने कोई खास नहीं किया। आयोग चाहता था कि ऐसे मामलों की पहचान करनी चाहिए तथा झूठे जाति प्रमाण-पत्र धारण करने वाले व्यक्तियों को ऐसे घृणित कार्य को रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(x) आयोग ने राज्य में मैला ढोने की प्रथा यदि प्रचलित हो तथा राज्य द्वारा प्रस्तावित उनके व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ।

उत्तराखण्ड

आयोग ने 4 नवम्बर, 2011 को राज्य सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य की तीसरी समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में विचार-विमर्श का सारांश निम्नलिखित है:

(i) उत्तराखंड में अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता का स्तर बहुत नीचे पाया गया। आयोग ने राज्य सरकार से महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए कहा है।

(ii) आयोग ने पाया कि व्यावसायिक संस्थान कोचिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले अनुसूचित जाति से शुल्क प्राप्त करते हैं और उस शुल्क का राज्य द्वारा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति की जाती है। आयोग ने चाहा है कि प्रवेश की वर्तमान प्रणाली की बजाय संस्थान से अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को नि:शुल्क आधार पर प्रवेश देने के लिए कहा जाए। राज्य ऐसे संस्थान को बाद में सीधे ही भुगतान कर सकता है।

(iii) आयोग ने पाया कि राज्य सरकार के पास अन्य राज्यों के विपरीत अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना नहीं है और केवल केन्द्रीय योजनाओं को ही कार्यान्वित करता है। आयोग ने राज्य से कहा कि विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अनुसूचित जाति के लिए कुछ विशिष्ट कल्याण योजनाएं कार्यान्वित करें।

(iv) आयोग ने इस तथ्य को नोट किया कि जहां अनुसूचित जाति के कर्मचारी बहुतायत संख्या में थे राज्य में बड़ी संख्या में नौकरियों को समाप्त करके उन्हें प्राईवेट पार्टियों को आउटसोर्स पर दिया जा रहा है तथा ऐसी सामुहिक नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आयोग इस तथ्य के बारे में चिंतित है और राज्य सरकार से कहा कि वह मामले में जांच-पड़ताल करें।

(v) आयोग ने इस तथ्य को भी नोट किया कि राज्य में लगभग ग्यारह हजार रिक्तियां है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा कि ऐसी रिक्तियों को कम समय में भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाएं।

(vi) आयोग ने पाया कि झूठे जाति प्रमाण-पत्रों के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं। यह चाहा गया कि ऐसे मामलों का निपटान एक समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए तथा राज्य को झूठे जाति प्रमाण-पत्र धारकों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करनी चाहिए राज्य भर में एक पुरजोर संदेश जाए।

(vii) आयोग ने स्कूल छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की स्थिति के बारे में जानने की इच्छा की। आयोग ने चाहा कि ब्लाक स्तर पर आश्रम स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित हों।

(viii) आयोग ने राज्य समीक्षा बैठक के दौरान 29 जनवरी, 2010 को आयोजित विचार-विमर्श पर आधारित की गई कार्रवाई रिपोर्ट जो राज्य से अभी तक प्रतीक्षित है, के लिए कहा गया ।

पश्चिम बंगाल

आयोग ने 20 जनवरी, 2012 को राइटर बिल्डिंग, कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य की चौथी समीक्षा बैठक आयोजित की । बैठक् में विचार-विमर्श का सारांश इस प्रकार है:

<u>सामाजिक-आर्थिक विकास पर:</u>

(i) आयोग ने पाया कि एससीएसपी का उद्देश्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विशेष में उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के सम्पूर्ण विकास के लिए विशेष निधि आबंटित करके आर्थिक असमानता को कम करना है जो सामाजिक असमानता का कारण है । योजना आयोग ने हाल ही में एससीएसपी योजना को संशोधित किया है और इस सलाह के साथ उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया है कि ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं की पहचान करें जिससे केवल अनुसूचित जाति के लाभ हो । राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि एससीएसपी शीर्ष के अन्तर्गत आबंटन और व्यय पर कार्रवाई करने के संबंध में अलग से बैंक खाते खोले जाएं ताकि इसका सख्ती से मॉनीटर किया जा सके ।

(ii) विशेषकर महिला साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से काफी नीचे है । आयोग ने पाया कि इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । आयोग ने लड़कियों की साक्षरता विशेषकर बांकुरा (27.11%) तथा पुरुलिया (26.35%) जिलों में राष्ट्रीय महिला साक्षरता स्तर जो जनगणना 2001 के अनुसार 53.7% है की तुलना में बहुत कम है जो कि चिन्ताजनक है । आयोग ने विशेष रूप से लड़कियों का साक्षरता स्तर बढ़ाने के विशेष उपाय करने तथा ब्लॉक स्तर पर छात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावासों के निर्माण तथा प्रत्येक बालिका विद्यालय में उपयुक्त शोचालयों, जिनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, के निर्माण करने के लिए कहा है । इसके अतिरिक्त यह सलाह दी गई कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की अधिक तादात है उनमें स्कूल खोले जाएं ।

(iii) आयोग ने पाया कि स्कूल छोड़ने की दर माध्यमिक स्तर पर फिर से उच्चतर हो गई है । यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की दरों को रोकने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावासों की उपयुक्त संख्या में निर्माण एक उपाय हो सकता है ।

(iv) यह पाया गया कि अनुसूचित जाति छात्रों की स्वास्थ्य जांच की ही नहीं जाती है या बहुत नितलीय स्थिति में । अत: अनुसूचित जाति छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए । अनुसूचित जाति छात्रों को यह एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य होगा और उससे अध्याय जारी करने में उन्हें प्रेरणा मिलेगी ।

(v) आयोग ने पिछले तीन वर्षों के लिए कोचिंग सेंटर तथा प्रशिक्षण का कार्य तथा सरकारी सहायता के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भा.प्र.से., भा.पु.से, की तरह चिकित्सा/इंजीनियरिंग/अन्य व्यावसायिका करिअर उन्मुख पाठ्यक्रमों में चुने गए या सरकारी/निजी संस्थाओं में व्यावसायिक रूप से संलग्न अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या जानना चाहा । राज्य सरकार ने यद्यपि आयोग को उपर्युक्त जानकारी देने का वादा किया परन्तु अब तक राज्य से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ ।

(vi) सामान्य छात्र की तुलना में अनुसूचित जाति छात्र का शैक्षिक स्तर पर स्थानिक मानचित्रण बनाया जाए और तदनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का शैक्षिक स्तर बढ़ाने, विशेषकर जहां कहीं अनुसूचित जाति जनसंख्या शैक्षिक स्तर के अनुसार पीछे हो, के लिए स्कूल/कॉलेज खोलने जैसे उपयुक्त कार्रवाई की जाए ।

(vii) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि प्राथमिकता पर आवश्यकता आधारित मूल्यांकन किया जाए, यदि किसी क्षेत्र की पहचान कर ली गई है जहां अनुसूचित जाति बुनियादीसंरचनावार पिछड़े हैं तो राज्य सरकार अपने विवेक से संतुलित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से बजट अनुदान के रूप में अधिकतम राशि आबंटित कर सकती है । क्योंकि शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है जहां राज्य का कार्य अभी अपेक्षित है राज्य को सलाह दी गई है कि शिक्षा में विशेष जोर दिया जाए और अनुसूचित जाति की शिक्षा, विशेषकर बांकुरा, पुरुलिया इत्यादि जहां महिला साक्षरता उल्लेखनीय रूप से नीचे हैं, की मात्रात्मकता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ।

(viii) मैला ढोने के कार्य से जुड़े कामगारों के बारे में कतिपय नवीकरण आय सृजन अभिमुख योजनाएं अनुसूचित जाति जनसंख्या में उन लोगों के लिए लाई जानी चाहिए जो पारम्परिक रूप से मैला ढोने के काम से जुड़े हैं । उन्हें मैला ढोने के काम से हतोत्साहित करना है ।

(ix) पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम के कार्य का मूल्यांकन करते समय पाया गया कि कार्य संतोषजनक स्तर पर नहीं किया गया । वित्त पोषण पर्याप्त नहीं था तथा पिछले तीन वर्षों में शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या अपर्याप्त है । मध्यावधि लैंडिंग कार्यक्रम (एससीपी) के अन्तर्गत वर्ष 2010-।। के दौरान 21,780 के कुल लक्ष्य में से पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम ने 16,076 (74%) मामले अनुमोदित किए और वास्तव में बैंक ने केवल 5,399 (34%) मामलों में ही ऋण वितरित किया । अत: बैंक और पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम के कार्य में सुधार की आवश्यकता है । इस संबंध में आयोग को सूचित किया गया कि बैंक अनुसूचित जाति उद्यमियों को ऋण की राशि जारी नहीं कर रहे हैं जिससे वे योजना को जोखिम में डाल रहे हैं । अत: आयोग ने कहा कि उच्च स्तर पर बैंकों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो आयोग को भी उस विचार-विमर्श/वार्तालाप में सम्मिलित किया जाए । तब भी यदि बैंक इच्छुक नहीं हो तो कुछ कठोर उपाय जैसे कि बैंक में जमा सरकारी

धन वापस लेने के बारे में राज्य द्वारा सोचा जा सकता है । जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए जाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 80% लक्ष्य हासिल कर लिया है । सभी उद्यमशील योजनाओं में अनुसूचित जाति महिलाओं को प्रतिभागिता के लिए प्रेरित करना चाहिए और योजना को भी उसी अनुरूप युक्ति-युक्त होना चाहिए । यदि ऐसे दृष्टांत पाए जाते हैं कि बैंकों में आवेदन अनुमोदन की प्रतीक्षा में लम्बित पड़े है । बीसीडब्ल्यू विभाग को व्यक्तिगत अनुसूचित जाति उद्यमियां, जो इधर से उधर शीघ्र सफर करते हैं, की बजाय मामले का अनुवर्तन किया जाना चाहिए । आयोग ने यह भी कहा कि यदि बैंक ऋण के विरुद्ध समान्तर ग्रारन्टर के लिए कहते हैं तो राज्य सरकार को ऐसे मामलों में गारन्टर के रूप में होने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए । इस पर बैंकर्स कमेटी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए जहां आयोग के कोलकाता स्थित राज्य कार्यालय सहित सभी पणधारियों की प्रतिभागिता अपेक्षित है ।

(x) अनुसूचित जाति छात्रों द्वारा उच्च/व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक विभागों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के मामले में यह कहा गया है कि इन संस्थाओं को अनुसूचित जाति छात्रों से भुगतान (जो लाखों रुपए में हुआ है) पहले करने और बाद में नाम लिखने के लिए नहीं कहना चाहिए । इसकी बजाय राज्य सरकार को अनुसूचित जाति छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश देने के लिए इन व्यावसायिक संस्थाओं के साथ एक करार कर लेना चाहिए तथा राज्य सरकार के संस्थान को सीधे ही भुगतान करना चाहिए ।

<u>अत्याचार पर:</u>

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में दलील केवल उस समय होगी जब अनुसूचित जाति पीड़ित अपना जाति प्रमाण-पत्र दिखाता है जो डीजीपी, पश्चिम बंगाल द्वारा बनाया गया है और उसे आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस बात पर बल दिया कि जब भी एक फोजदारी शिकायत अनुसूचित जाति पीड़ित से प्राप्त होती है तो पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए । तथापि, जांच के समय यदि पीड़ित अनुसूचित जाति स्थिति की पुष्टि करने को पर्याप्त साक्ष्य दर्शाने में असफल रहता है तो अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत धारा (धाराएं) हटा दी जाए । तथापि, पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों का दुरुपयोग न हो ।

(xii) एफआईआर दर्ज करने का जहां तक संबंध है, आयोग की इच्छा है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जातीय आधार से पीड़ित व्यक्ति को चिह्नित क्षतिपूर्ति की 75% राशि उपलब्ध करा दी जानी चाहिए तथा शेष 25% राशि न्यायिक अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद अर्थात् पुलिस जांच के बाद जिससे अपराध होना सिद्ध होता है । इस संदर्भ में राज्य को सूचित किया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन अतिरिक्त वित्तीय क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराता है जो राज्य

द्वारा जातीय अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली राशि से अधिक होती है ।

(xiii) गवाह के लिए यात्रा खर्च के अलावा कुछ भत्तों का भुगतान करने का प्रावधान है । यह वांछित है कि भत्ता राशि को बढ़ाकर मनरेगा मजदूरी/वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी स्तर का 150% कर देना चाहिए । इससे साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित होगी और दोषसिद्धी दर में बढ़ोतरी होगी।.

(xiv) बंधुआ मजदूर के मुद्दे पर यह पाया गया है कि 2005-06 से 2010-11 तक पहचान किए गए 470 कुल बंधुआ मजदूरों में से केवल 278 (59%) मजदूरों को ही उस अवधि के दौरान राहत प्रदान की गई । आयोग की इच्छा थी कि जिन्हें न तो राहत प्रदान की गई और न ही उनका पुनर्वास किया गया उनके बारे में पूरी सूचना दी जाए । पश्चिम बंगाल में बंधुआ मजदूर की स्थिति तथा पुनर्वास के बाद पुनरावर्ती की घटनाओं, यदि कोई हो, का अध्ययन किया जाए और आयोग को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ।

<u>सेवा सुरक्षण पर:</u>

(xv) आयोग ने पाया कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समितियों में शामिल नहीं किया गया । आयोग चाहता है कि विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य शामिल किए जाएं ।

(xvi) आयोग ने पाया कि समूह क, ख, ग और घ (सफाई कर्मचारी) में बड़ी संख्या में पिछली बकाया रिक्तियां हैं । आयोग चाहता है कि पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ।

(xvii) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों में आरक्षण एवं रिक्तियां) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है । अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रावधान सहित, जिसमें सजा के खंड का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया है कि *"यदि नियुक्ति प्राधिकारी धारा 4 या धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति करता है या रिकार्ड का रखरखाव करने या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से चूका है, जो धारा 12 की उपधारा (1) में संदर्भित है, तो उसे पांच वर्ष या दो हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है" ।* तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा निवारक खंड लाये जाने की सराहना करते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि वास्तविकता यह है कि अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया । यद्यपि पश्चिम बंगाल में सेवा नियमों का उल्लंघन कम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सेवा में सभी समूहों की बड़ी संख्या में पिछली बकाया रिक्तियां ले रही हैं ।

(xviii) सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पर विचार-विमर्श करते हुए आयोग ने पाया कि उनकी संख्या का अलग डेटा नहीं दिया गया है । पश्चिम बंगाल में सफाई कार्य में अनुसूचित

जाति की मौजूदगी अन्य राज्यों के विपरीत बहुत कम है जहां सफाई कार्य में अनुसूचित जाति की भागीदारी 40-60% है । इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की भागीदारी 23% है और वह पिछली बकाया रिक्तियां भी 5.15% है ।

(xix) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पाया क इस समय आवास मंत्रालय अब शहरी विकास मंत्रालय ने 2003-04 में नई योजना शुरु की थी जिसके तहत सूखे शोचालयों को गीला शोचालय में अपवर्तित किया जा सकता है । आयोग यह जानना चाहता था कि पश्चिम बंगाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने सूखे शोचालयों को गीले शोचालयों में अपवर्तित किया गया है ।

(xx) राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है यद्यपि राज्य सरकार को प्रश्नावली पहले ही भेज दी गई थी । यह चाहा गया कि प्रासंगिक सूचना संकलित की जाए और उसे शीघ्र आयोग को भेजा जाए ।

<u>अन्य सुझाव :</u>

(xxi) आयोग ने सुझाव दिया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए "अनुसूचित जाति कल्याण विभाग" तथा "अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" से प्रथक किया जा सकता है । पश्चिम बंगाल राज्य ने अनुसूचित जाति जनसंख्या की अच्छी-खासी संख्या (23%) तथा पंजाब (28.85%) के बाद दूसरे रैंक पर और उत्तर प्रदेश की तीसरी स्थिति (21.15%) के बाद अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है ।

(xxii) राज्य सरकार को अनुसूचित जाति जनसंख्या को प्रचार अभियान के माध्यम से भारत सरकार में निहित विभिन्न सुरक्षण प्रावधनों के बारे में शिक्षित करना चाहिए । इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम योजनाओं का ब्योरा देशभर में गरीब अनुसूचित जाति जनसंख्या के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए ।

(xxiii) यह प्रस्तावित है कि सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार का नाम बदलकर उसे डॉ. अम्बेडकर सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान कर दिया जाए ।

(xxiv) अम्बेडकर उत्कृष्टता केन्द्र राज्य एवं जिला स्तरों पर खोले जाएं ।

(xxv) गुजरात राज्य की तरह पश्चिम बंगाल में प्रत्येक जिले में अम्बेडकर भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर भी ध्यान देना चाहिए ।

(xxvi) डॉ. अम्बेडकर के नाम से एक मेट्रो स्टेशन होना चाहिए ।

सेवा एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों/सदस्यों, एनजीओ और सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए कार्यरत सिविल सोसायटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों/एनजीओ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेवा एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों और सरकार इन जातियों की बेहतरी के लिए और क्या कर सकती है इस बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना था। बैठक का शुभारंभ श्री मुकुल वासनिक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने की। डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुख्य संबोधन किया। डॉ. राज कुमार वेरका, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री राजू परमार, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री एम. शिवाना, माननीय सदस्य, और श्रीमती लता प्रिया कुमार, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी बैठक की शोभा बढ़ाई।

2. माननीय केन्द्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित किए जाने के उपरान्त बैठक का प्रारंभ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्वागत भाषण से हुआ। डॉ. वेरका ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास का कोई मायना नहीं रह जाता है जब समाज का एक विशेष वर्ग जैसे कि पददलित सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा से विमुख है। स्थिति चिन्तनीय हो जाती है जब हम पददलितों के लिए समान अवसरों के अभाव में अपने देश के सम्पूर्ण विकास को मापते हैं। आजादी के 64 वर्षों के बाद भी देश में अनुसूचित जाति के लोगों को कई जगह मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। छुआछूत की सामाजिक बुराई को समाप्त करने में संकल्पवाद सहित विभिन्न उपायों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

3. अपने उद्घाटन संबोधन में, माननीय केन्द्रीय मंत्री ने अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए पहलात्मक कदमों के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जहां अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में प्रि-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों ही स्तरों पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संशोधन की तरह बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

4. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने मुख्य भाषा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया:

4.1 उन्होंने अनुसूचित जाति के पूर्ण विकास की आवश्यकता पर बल दिया और आग्रह किया कि आरक्षण इत्यादि पर अंतर सामुदायिक प्रतिद्वंद्विता के तत्काल समाधान का पता लगाया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध विभिन्न सरकारी विभागों में एक-दूसरे के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमेबाजी चल रही हैं जिनमें सार्वजनिक धन खर्च हो रहा है। इस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

4.2 संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत प्रावधान, सिविल अधिकार संरक्षा अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैला ढोने के काम में लगे व्यक्तियों को रोज़गार एवं सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के बावजूद छुआछूत आज भी वास्तविकता बनी हुई है । इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए । कई राज्यों में मैला ढोने की परम्परा खुल्लम-खुल्ला या गुप्त रूप से आज भी कायम है । इसे तत्काल समाप्त किया जाए ।

4.3 प्रवासी अनुसूचित जाति को उस राज्य में लाभ नहीं दिया जाता है जहां उन्होंने प्रवास किया है, कारण यह है कि जाति विशेष का नाम उस राज्य विशेष में वैध "अनुसूची" में सूचीबद्ध नहीं है । मूल राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों को ऐसे राज्यों में वैध प्रमाण-पत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए जहां अनुसूचित जाति प्रवासित हुई है ।

4.4 **प्रमुख सिफारिशें:**

- विशेष घटक उप-योजना का नाम विशेष घटक योजना के मूल नाम के रूप में बहाल किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

- एससीपी के लिए संसदीय अधिनियम के माध्यम से मिशन मोड पर मग्रेगा के अनुरूप संसद की स्वीकृति वर्तमान प्रणाली का विकल्प हो सकती है ।

- कार्यान्वयन या प्रवर्तन के सभी प्रभारी कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति की ओर ध्यान दिए बिना) को असफलता और दोषों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए । सरकारी आदेश का पालन न करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

- सांविधिक राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों का एक वर्ष के भीतर गठन। आवश्यकता आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एससीपी निधियों की एकल विंडो प्रणाली सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होना चाहिए । एससीपी निधियों को योजना अभिमुख लाभार्थियों, अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण हेतु भूमि की खरीद, शिक्षा, आवास एवं स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, कोचिंग केन्द्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एनएससीडीए के माध्यम से तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा सेवा सुरक्षण कौशल विकास पर खर्च की जानी चाहिए ।

4.5 आवासीय छात्रावास और विद्यालय खोले जाने चाहिए जिनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो । 14-18 वर्षों तथा 18-20 वर्ष की आयु वर्गों में सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में समग्र नामांकन अनुपात निम्नतर था । उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर में सम्पूर्ण दर की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है ।

4.6 अनुच्छेद 330, लोक सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है ।

4.7 मैला ढोने, मृत जानवरों को हटाने, चमड़े का काम, ढोल बजाने के रूप में ऐसे गंदे व्यवसाय की प्रथा प्रचलित है ।

4.8 अनुसूचित जाति महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से सोचनीय है । अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता निम्नतर है । वे कठिन मजदूरी करती हैं तथा कृषि कार्य में लगी रहती हैं जिससे वे प्रमुख कार्य बल हैं । बाह्य कार्य के लिए घर से बाहर जाना तथा नियोक्ता के साथ बात-चीत करने से उनके साथ यौन शोषण से सुरक्षित नहीं रह पाती हैं । उदाहरणार्थ, 15 अनुसूचित जाति समुदाय जिनमें मुशर, भूईया, डोम, धांगद, चमार, मोची इत्यादि जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 1 लाख है उनकी महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में 20 प्रतिशत या उससे कम है ।

4.9 कृषि संबंधी जनगणना, 2007 के अनुसार, अनुसूचित जाति द्वारा जोत भूमि का हिस्सा उनके 20 प्रतिशत का कुल जोत भूमि 12.7 प्रतिशत का था । अनुसूचित जाति द्वारा प्रति जोतभूमि औसत क्षेत्र सभी सामाजिक वर्गों के लिए 1.4 हेक्टेयर की तुलना में केवल 0.91 हेक्टेयर ही था । अनुसूचित जाति अधिकांशतः कृषि मजदूर हैं । कृषि मजदूरी के लिए ऊंची जाति के जमींदारों पर उनकी निर्भरता तथा चिरकाल तक अधीनता उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन जीने को बाध्य करती है । शौचालय और बिजली सुविधाएं निम्नतर हैं क्योंकि 36.80 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो ग्रामों में रहती है वह गरीबी रेखा से नीचे रह रही है (अन्य 28.30 प्रतिशत) ।

4.10 सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति के परिवारों में एनेमिक महिलाओं और बच्चों की उच्चतर प्रतिशतता तथा उच्च पोषकता का अभाव तथा अनुसूचित जाति की निम्नतर स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है ।

4.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आय की अधिकतम सीमा नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं है । इसलिए अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय मानदंड/सीमाओं को हटाये जाने की आवश्यकता है ।

5.1.1 **सेवा सुरक्षणों पर:**

(i) निजी क्षेत्रों में आरक्षण को सरकार द्वारा आरंभ करना चाहिए ।

(ii) कम्पनी बोर्डों में अनुसूचित जाति सदस्यों को शामिल किया जाना ।

(iii) राज्य और केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्रों इत्यादि में

अनुसूचित जाति एसोसिएशनों को सामान्य यूनियनों के समकक्ष मान्यता ।

(iv) पद आधारित रोस्टर पद्धति को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए तथा रिक्ति आधारित रोस्टर को पुनः लागू किया जाना चाहिए ।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों के स्थान पर एकल अखिल भारतीय जाति प्रमाण-पत्र प्रणाली लागू की जानी चाहिए ।

(vi) झूठे जाति प्रमाण-पत्र धारकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5.1.2 **आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर:**

(i) राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए पृथक बजट तैयार करना चाहिए । राज्यों में अनुसूचित जाति निधि का दुरुपयोग या अनुसूचित जाति निधि को अन्य कार्यों पर खर्च करने पर रोक लगानी होगी ।

(ii) सरकारी भूमि की पहचान करके उसे सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता से खेती के लिए अनुसूचित जाति में वितरित किया जाना चाहिए । अनुसूचित जाति को भूमि हकदारी का कार्य त्वरित गति से किया जाना चाहिए ।

(iii) सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श अनुसूचित जाति गांव होने चाहिए ।

(iv) निजी स्कूलों में आरक्षण होना चाहिए । स्कूलों को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए । अनुसूचित जाति को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए । विद्यालयों/महाविद्यालयों और अस्पतालों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र में जाति का नाम का उल्लेख करने वाले कॉलम को हटा देना चाहिए।

(v) बेरोज़गार अनुसूचित जाति को प्रति माह कम से कम 3000.00 रुपए बेरोज़गार भत्ते के रूप में दिए जाने चाहिए ।

(vi) सभी सहायता अनुदान योजनाओं का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए ।

5.1.3 **सिविल अधिकारों के संरक्षण तथा अत्याचार पर:**

(i) अधिकारी को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही करने पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधान के अन्तर्गत पदच्यूत किया जाना चाहिए ।

(ii) चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है अतः उसे हटाने पर विचार करना चाहिए।

(iii) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने चाहिए और ऐसे न्यायालयों में अन्य मामलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

5.1.4 अन्य सुझावः

(i) आयोग को दी गई न्यायिक शक्ति सहित इसे विधिक दर्जा दिया जाना चाहिए। आयोग को केन्द्रीय सूचना आयोग की तरह उच्च न्यायालय का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्टें नियमित रूप से संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए।

अध्याय– VI
आर्थिक और शैक्षिक विकास

आर्थिक विकास

अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 16.2% है । समाज के अन्य वर्गों द्वारा छुआछूत किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बहिष्कार तथा भेदभाव किया जाता है । उनके साथ शिक्षा प्रदान नहीं होने, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वंचना के परिणामस्वरूप हुआ है । अनुसूचित जाति के विरुद्ध छुआछूत की वंशागत परम्परा के कारण हुए इस अन्तराल को पार करने के क्रम में संविधान के संस्थापक जनक ने महसूस किया कि देश की कुल आबादी के लगभग 1/4 जनसंख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आदेश सूचक आवश्यकता महसूस की । इसके मद्देनज़र संविधान का अनुच्छेद प्रतिष्ठापित किया गया ।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार "राज्य कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा ।"

<u>अनुसूचित जाति उप–योजना</u>

अनुसूचित जातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रतिपादन के समय योजना आयोग द्वारा इस अन्तर को समाप्त करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना की संकल्पना की गई थी । इस रणनीति में भौतिक और वित्तीय लाभ के लिए कम से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में विकास के सभी क्षेत्रों से लाभ एवं परिव्यय का प्रवाहित होना शामिल है । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है । भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया है । राज्यों और मंत्रालयों में परिमापन आमतौर पर प्रभागीय घटकों/योजनावार ही बनाए जाते हैं । अतएव कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को एससीएसपी के अन्तर्गत कमतर आबंटन है । कुछ मंत्रालय और विभाग कथित रूप से विनियामक हैं तथा स्वरूप में भाज्य नहीं हैं और इसलिए एससीएसपी चिह्नित नहीं हैं । मंत्रालय और विभाग परिमाप बताने में अपनी अयोग्यता व्यक्त करते हैं ।

वर्ष 2006 में एससीपी का नाम बदलकर उसे एससीएसपी कर दिया गया था । अनुस्मरण हो कि समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि में एससीएसपी के लिए 571 करोड़ रुपए की निधि अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में लगा दी गई । जब इसका स्पष्टीकरण मांगा गया तो दिल्ली के विश्वव्यापी स्वरूप के बारे में बताया गया जहां अनुसूचित जाति सामान्य जनसंख्या के साथ निवास करती है और इसलिए अनुसूचित जाति के लिए निधियों का अलग उपयोग का क्षेत्र सीमित है । तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कहना था कि प्रवासी अनुसूचित जाति जो जे.जे. बस्तियों में रहती हैं, निधियों का उपयोग भाज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

भारत के संविधान में विशेष प्रावधान और सुरक्षण हैं तथा विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप की अपेक्षा करते हुए अनुसूचित जाति के कल्याण एवं लाभ के लिए ही विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विशेष योजनाओं के प्रतिपादन सहित सामाजिक-आर्थिक एवं सम्पूर्ण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा कुछ पहल के रूप में कार्य किए हैं परन्तु रूपरेखित उद्देश्यों को हासिल करने में लगभग असफल रहे हैं । अनुसूचित जाति के योजनाबद्ध विकास को मूर्त्त रूप देने के क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश करता है:-

- एससीपी के लिए एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से मिशन मोड पर मनरेगा के समानान्तर संसद की स्वीकृति होनी चाहिए न कि योजना आयोग द्वारा कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र के माध्यम से मौजूदा प्रणाली ।

- एससीपी को विनियमित करने के लिए उसके अतिक्रामकों के लिए अपराध की गंभीरता पर निर्भर दंड, कारावास और जुर्माना दोनों के प्रावधान के साथ कानून अधिनियमित हो । कार्यान्वयन या प्रवर्तन के सभी प्रभारियों (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति की ओर ध्यान दिए बिना) को असफलता या चूकों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए । सरकारी आदेश का अनुपालन न करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 आकृष्ट किया जाना चाहिए ।

- अनुसूचित जाति के विकास के लिए एक वर्ष के भीतर सांविधिक राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों का गठन किया जाना चाहिए । आवश्यकता आधार पर विशेष कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए प्रभावी उपयोगिता के लिए एससीपी निधियों की सिंगल विंडो प्रणाली सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होना चाहिए।

- वर्ष 1979 से उपार्जित एससीपी निधि (क्योंकि यह दूसरे काम में लगाने योग्य तथा व्ययगत योग्य नहीं है) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अलग से बचा कर रखना चाहिए और उसके बाद उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को अंतरित करना चाहिए ।

- केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति को बहाल किया जाना चाहिए (एनसीएससी, योजना आयोग और मंत्रालय)

- सीएजी द्वारा 1979 से एससीपी की पुनरीक्षा लेखा-परीक्षा की जाती है तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत होती है क्योंकि यह अनुसूचित जाति के योजनाबद्ध तथा बजटीय आर्थिक विकास का हिस्सा था ।

- एससीपी निधि को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सुरक्षा तथा कोचिंग सेंटरों तथा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों के माध्यम से कौशल विकास सेवा सुरक्षणों, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास तथा स्वच्छता अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण हेतु भूमि की खरीद, योजना उन्मुख लाभार्थियों के लिए खर्च की जानी चाहिए ।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आय सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर इसे स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं है । इसलिए अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय के मानदंड/सीमाओं को हटाया जाना आवश्यक है ।

- ऋण पर 35% सब्सिडी होनी चाहिए जिसका आय सीमाओं के बिना 4% डीआरआई वहन की जानी होती है क्योंकि उपर्युक्त सब्सिडी किसानों के ऋण पर उपलब्ध है ।

- एससीएसपी का सभी मानव इंडेक्स विकास पर तथा सरकार की समिति की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक भूमिहीन अनुसूचित जाति परिवार को वितरण एवं भूमि खरीद, सीए/आईसीडब्ल्यूए, विधि चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों, पीएचसी, पायलट पाठ्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण शुल्क का वित्त पोषण, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, कामकाजी महिला छात्रावास के लिए कोचिंग केन्द्रों, पाठ्यक्रम तथा कॉलेज शुल्क का स्वयं वित्त पोषण की प्रतिपूर्ति, प्रत्येक जिला में छात्रों और छात्राओं के कालेजों के लिए छात्रावास, प्रत्येक जिला में आवासीय स्कूलों की तरह अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु लाभकर उपयोग किया जा सकता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं उपर्युक्त उपायों के अनुक्रम में बिना किसी के लाभ को नुकसान पहुंचाएं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों को अधिकतम संख्या में लाभ होगा और साथ ही राज्य/केन्द्रीय सरकार योजना कार्यकलापों के आधार पर बजटीय एससीपी को खर्च करने में समर्थ होंगे ।

अनुसूचित जाति उप योजना का व्यापक उद्देश्य हैं:-

(i) अनुसूचित जाति जनसंख्या के कम से कम अनुपात में कुल योजना में एससीएसपी के लिए निधियों को चिह्नित करना ।

(ii) चिह्नित निधियों की पृथक बजट शीर्ष के अन्तर्गत रखना ।

(iii) राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित विभाग को एससीएसपी के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाना ।

(iv) एससीएसपी निधियों को दूसरे काम में न लगाने योग्य तथा गैर-व्ययगत योग्य बनाना ।

(v) उन समुदायों के लिए लाभार्थी योजना उन्मुख पर जोर देना जो केवल अनुसूचित जातियों के विकास के लिए है।

अनेक राज्यों में एससीपी आबंटन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है जिसे **अनुबंध–2** में देखा जा सकता है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एससीएसपी के अन्तर्गत कुछ आबंटन से स्पष्ट है । वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक योजना निधि का 15% है । परन्तु इसे वर्ष 2009-2010 के दौरान देखा जा सकता है । गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,

उत्तराखंड राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति से अभिप्रेत आबंटित निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया है । तथापि, राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों को किसी और काम में लगाए जाने की कोई ठोस सूचना नहीं है ।

उपर्युक्त से यह समझा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एससीएसपी आबंटन का पूरा लाभ उठाने के योग्य नहीं है । निधियों का दूसरे काम में उपयोग करने से लाभ में और कमी हो जाती है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के सम्पूर्ण विकास के लिए नोडल मंत्रालय है जो अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करता है ।

आयोग का मत है कि एससीपी की निधि जो समाज के अति वंचित वर्गों के लिए अभिप्रेत है जिसका उपयोग कभी-कभी राज्यों द्वारा दूसरे काम के लिए किया जाता है इस प्रकार वह उद्देश्य निष्फल हो जाता है जिसके लिए इन निधियों का अभिप्राय था । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 5(ग) के अनुसार "आयोग से अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर सलाह देना और प्रतिभागिता की अपेक्षा की जाती है" तथा केन्द्र और इसकी प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए किसी राज्य के अन्तर्गत उनके विकास की प्रगति के मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है ।

अनुसूचित जाति के हितों को प्रभावित करने वाले या उनसे संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने से पहले संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 9 के अनुसार आयोग से परामर्श करना चाहिए ।

यह महसूस किया गया कि योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और संबद्ध संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का बड़ा कर्त्तव्य है कि वे इन दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करें जो अधिकांश मामलों में नहीं किया जाता है ।

अत: आयोग सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों में इन सभी सुझावों/प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश करता है ।

इन सिफारिशों को आयोग द्वारा अ.शा.सं. 5/2/2010/ईएसडीडब्ल्यू दिनांक 9-11-2011 (**अनुबंध–1**) द्वारा योजना आयोग को भेजा गया है ।

<u>केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं</u>

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान देता है । स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के विकास के लिए परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि गरीब अनुसूचित जाति लाभकारी रोज़गार प्राप्त कर सके या उनके स्वयं के ऐसे कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें जिससे आय हो सके ।

इस योजना के अन्तर्गत पात्र स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए कुल अनुमोदित व्यय के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालयों के निर्माण सहित, 10 बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि के 40 कार्यात्मक क्षेत्रों में परियोजनाएं हैं । मानदेय छात्रवृत्ति, पुस्तकें खरीदने, यूनिफार्म, फर्नीचर, परिसर के लिए किराया इत्यादि मार्किंग भुगतान के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है । एनजीओ भी लाभार्थियों के लिए राज्यों को 2007-08 से 2011-12 तक जारी की गई राशि का ब्योरा **अनुबंध-2** पर है ।

एससीएसपी (विशेष केन्द्रीय सहायता) में विशेष केन्द्रीय सहायता

अनुसूचित जाति उप-योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता एक केन्द्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत उसकी अनुसूचित जाति उप-योजना के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% अनुदान दिया जाता है । मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण अन्तरालों को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हुए गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के योजना उन्मुख परिवारों को अनुदान दिया जाता है । विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को अनुसूचित जाति जनसंख्या, राज्य का सापेक्ष पिछड़ापन और अन्य संबद्ध मानदंडों के आधार पर दी जाती है ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- एससीएसपी का कार्यान्वयन करते हुए योजना के अन्तर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योगात्मक रूप में प्रदान की जाती है ।

- स्वयं रोज़गार या प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के क्रम में उनकी जनसंख्या के आर्थिक विकास पर मुख्य जोर दिया जाता है ।

- योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य सब्सिडी की राशि परियोजना लागू की 50% है जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 10,000/- रुपए के अध्याधीन है ।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जारी राशि के 10% तक को उन ग्रामों में बुनियादी विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिनकी अनुसूचित जाति जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो ।

- विशेष केन्द्रीय सहायता राशि की 15% राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए खर्च की जा सकती है ।

एससीएसपी में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां ।

वर्ष	बजट-निहीत आबंटन (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)	एकीकृत आय सृजित योजनाओं के अन्तर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
2008-09	480.0	601.59	24.31 (20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित)
2009-10	480.0	458.96	26.38 (20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित)
2010-11	600.00	587.28	8.07 (3 राज्यों से प्राप्त सूचना पर आधारित)

ाोत: वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राज्यवार वित्तीय और की गई प्रत्यक्ष प्रगति **अनुबंध–3** पर है ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता के लिए विशेष निगम गठित किए हैं । ये निगम अनुसूचित जाति के सतत विकास के लिए उन्हें व्यक्तिगत उद्यम में प्रशिक्षण देंगे । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रचालित दो जाने-माने संगठन हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में की गई थी । इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ऐसे लक्ष्य समूह के युवकों को उनके आर्थिक विकास के लिए कौशल-सह-उधमशीलता प्रशिक्षण देना है जो दोहरी गरीबी रेखा (वर्तमान में 40,000 रुपए प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 55,000 रुपए वार्षिक शहरी क्षेत्र के लिए है) से नीचे हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है जिसमें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त राज्य वितरण एजेन्सी के माध्यम से लाभार्थियों को रियायती ऋण दिया जाता है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी माननीय सदस्य श्री राजू परमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की थी । समीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–4** पर है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा योजना में महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना माईक्रो क्रेडिट वित्त, महिला समृद्धि योजना, शिक्षा ऋण योजना इत्यादि को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम यूनिट का 90% तक ऋण देता है और शेष राशि विशेष केन्द्रीय सहायता तथा/या प्रोत्साहकों द्वारा दिया जाता है । कुल मिलाकर स्वयं रोज़गार ऋण योजना, सब्सिडी यूनिट लागत का 10,000 रुपए या 50% इनमें जो भी हो, अनुसूचित जाति निधि में विशेष केन्द्रीय सहायता से विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को प्रदान की जाती है ।

वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां (2010-11) (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)

चालू वित्त वर्ष के दौरान 155.00 करोड़ रुपए के संवितरण के लिए लक्ष्य के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 180.03 करोड़ रुपए संवितरित किए जिसमें 47,728 लाभार्थियों को शामिल किया गया ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

कोई व्यक्ति जो मानव मल-मूत्र ढोने या सफाई कार्य से जुड़े या नियोजित हैं, को सफाई कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को एक कम्पनी के रूप में 24 जनवरी, 1997 को गठित किया गया था । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत यह एक शीर्ष निगम है ।

निगम के लक्ष्य समूह हैं "स्वच्छकार" जिसका अर्थ है व्यक्ति जो स्वच्छता कार्य में पूर्णतया या आंशिक रूप से नियोजित हैं ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा नामांकित राज्य वितरण एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं । लाभार्थियों द्वारा संबंधित जिला कार्यालयों के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं । जिला अधिकारी बुनियादी वास्तविकताओं और तकनीकी, आर्थिक तथा वित्तीय क्षमता पर विचार करके प्रस्ताव का विश्लेषण करता है और उसे विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए भेज देता है । विशेष केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है तथा उसे अपनी सिफारिश के साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को भेजता है । विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का निगम की परियोजना मूल्यांकन समिति मूल्यांकन करती है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है ।

निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी फरवरी, 2009 में 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई थी । वर्ष 2010-11 के दौरान निगम को 40.00 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में जारी किए गए थे । दिनांक 31-3-2011 के अनुसार निगम की भुगतान पूंजी 299.99 करोड़ रुपए है । निगम रियायती वित्त तथा कौशल विकास योजना के माध्यम से विकल्प व्यवसायों में स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है । इसके प्रारम्भ से ही निगम ने 629.09 करोड़ रुपए का संवितरण किया है । इससे 2,12,283 लाख लाभार्थी शामिल किए गए जिसमें से 73.48 करोड़ रुपए की राशि 2010-11 (28-2-11 तक) में शामिल थी । इससे 0.15 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया ।

आयोग ने 15-12-2011 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की समीक्षा भी की । समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति **अनुबंध-5** पर संलग्न है ।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग भी देश में अनुसूचित जातियों के सम्पूर्ण विकास की विभिन्न कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं ।

अनसूचित जातियों के विकास की प्रमुख योजनाएं: अन्य मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

भारत निर्माण

भारत निर्माण का उद्देश्य अनुसूचित जाति अधिकारिता संबंधी XIIवीं योजना कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित को हासिल किया जाना है:-

1. **प्रत्येक आवासी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल**

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी आवासीय स्थानों को शामिल करने के लिए 2012 तक लागू किया गया है । यह योजना भारत सरकार द्वारा 50% आधार पर वित्त पोषित है और वित्तीय वर्ष 2010-11 में 4,050 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है । वास्तविक मांग राज्यों द्वारा आपूर्ति किए गए आवासीय स्थानों के नामों के आधार पर तैयार और वित्तपोषित की जाएगी ।

2. **प्रत्येक आवासीय स्थान जिसकी जनसंख्या 1,000 से ऊ पर है(पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500) बारह-मासी सड़क**

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 1,000 जनसंख्या से अधिक के सभी आवासीय स्थानों को शामिल करने के लिए 2012 तक इस योजना को लागू किया गया है । बाजार और सेवाओं में उत्पादन का संयोजन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

3. **प्रत्येक गांव में बिजली (2.3 करोड़ परिवारों को भी बिजली मुहैया करवाना)**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सभी ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिए तथा 1.75 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए इस योजना को 2012 तक लागू किया गया है । प्राथमिकता उन गांवों को दी जाएगी जहां बिजली है । बिजलीकरण के लिए प्राथमिकता कमजोर वर्गों, दलित बस्तियों, जनजातीय पुनर्वास तथा आवासीय स्थानों को दी जाएगी ।

4. **प्रत्येक गांव में टेलीफोन संबद्धता**

चूंकि यह योजना 2014 तक 40% ग्रामीण टेलीफोन संबद्धता हासिल करने के लिए दिसम्बर, 2008 तक लागू की गई थी । सभी 2.5 लाख पंचायतों के लिए ब्रोडबैंड कवरेज सुनिश्चित करना तथा 2012 तक पंचायत स्तर पर भारत निर्माण सेवा केन्द्र स्थापित किया जाएगा ताकि मूल्य एवं लेन-देन की सूचना तक ग्रामीण उपयोगकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित होगी । इसमें नागरिकों, पंचायतों, सिविल सोसायटी संगठनों, निजी क्षेत्र और सरकार की भागीदारी के माध्यम से क्योस्क सूचना का प्रचालन करने तथा अन्तिम माइल कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, फाइबर आप्टिक नेटवर्क के साथ ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ना शामिल होगा ।

5. **ग्रामीण आवास**

वर्ष 2014 तक लागू इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1.2 करोड़ आवासों के लिए 2009 तक ग्रामीण गरीब के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण । वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत 33.47 लाख मकानों में से 12.4 लाख मकान (37.13%) अनुसूचित जातियों के लिए स्वीकृत किए गए थे ।

आईएवाई एक सीएसएस है जहां लागू को 75 :25 आधार पर केन्द्र तथा राज्य के बीच शेयर किया जाता है । योजना का विशिष्ट लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार हैं । संबंधित ग्राम सभा बीपीएल सूची से लाभार्थियों का चयन करती है तथा कोई उच्च अनुमोदन की अपेक्षा नहीं की जाती । दिशा-निर्देशों में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवास आबंटन प्रथम प्राथमिकता के रूप में परिवार के महिला सदस्य के नाम से होगा । ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह योजना शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान करती है । यह अनुबंधित है कि कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के होने चाहिएं । आईएवाई योजना आवासीय ईकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए लाभार्थी को सेनीटरी शौचालय और धुंआ रहित चूल्हा की लागत से प्रति यूनिट अनुदान प्रदान करना शामिल करते हुए स्वच्छता तथा स्वास्थ्य पर भी जोर देती है ।

6. सिंचाई

देश के लिए संभावित अन्तिम चरण की सिंचाई का अनुमान 139.88 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) है जिसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (58.46 एमएचए), लघु सिंचाई योजना (17.42 एमएचए) आधारित भूतल जल तथा भूमिगत जल विकास (64.00 एमएचए) की क्षमता शामिल हैं । अब तक 99.36 एमएचए की संभावित सिंचाई को पहले ही सृजित कर लिया गया है । तथापि, सृजित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है और सृजित तथा उपयोग की गई क्षमता के बीच अंतराल का अनुमान 14 एमएचए है ।

आश्वासित सिंचाई के अन्तर्गत अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टयर भूमि के लिए 2012 तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के 10 लाख हेक्टेयर के सृजन की आवश्यकता है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी ग्रामीण गारन्टी योजना अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय है । भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण गरीब के जीवन से सरोकार रखता है और विकास को बढ़ावा देता है । इसका उद्देश्य रोज़गार मजदूरी को बढ़ाना है । इसका अतिरिक्त उद्देश्य सूखा, वन कटाई तथा भूरक्षण की तरह पुरानी गरीबी के कारणों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना तथा सतत विकास के लिए उत्साह बढ़ाना है । प्रक्रिया निष्कर्षों में लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रियाओं तथा शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी शामिल है । अधिनियम पहले चरण में 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था जो 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ । उसके बाद वित्त वर्ष 2007-08 में 130 अतिरिक्त जिलों में इसका दायरा बढ़ा दिया गया । 1 अप्रैल, 2005 से यह अधिनियम देशभर में अधिसूचित है ।

i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना जो देश के 625 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत लगभग 36% लाभार्थी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं । योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को स्थायी जीविका सहायता तथा सौदेबाजी की दृढ़ शक्ति प्रदान की जा रही है, जिसका उनकी पौषकता और शैक्षिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि का विकास तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में किया जा रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय का प्रयास सभी पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 100 दिन का अनुबंधित काम प्रदान किया जाएगा तथा योजना के अन्तर्गत सभी अनुसूचित जाति जमींदारों की भूमि का विकास किया जाएगा।

ii) इस समय ग्रामीण बैंकिंग ढांचा अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए अभिप्रेत लाभ मुहैया नहीं करवा रहा है । उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए उसमें सुव्यवस्थित सुधार किया जाना होगा ।

iii) पंचायती राज संस्था प्रणाली में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के अन्य व्यक्तियों को लक्षित करके सुदृढ़ किया जा रहा है ।

iv) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की जनगणना एक पुख्ता तरीके से की जाएगी ताकि सम्मिलित करने तथा नाम हटाने की त्रुटियों की संभावना समाप्त की जा सके । इस कार्य को करते समय भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण के साथ संबद्धता को जीववित्तीय पहचान का उपयोग सहित आरंभ किया जाएगा ।

v) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अधिकतम संख्या में पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को शामिल किए जाने के प्रयास किए जाएंगे ।

vi) राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन को अनुसूचित जाति सहित समाज के कमज़ोर वर्गों को इसके अधिकतम लाभ देने की दृष्टि से एक मजबूत ढांचा पहले ही प्रदान किया गया है । चूंकि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं हद से ज्यादा ब्याज दर ले रही हैं । "जीविका" नामक एक नया मॉडल, एक यूएनडीपी परियोजना बिहार में शुरु की गई है, ने स्वयं सहायता समूहों को धन उधार देने के लिए एक अच्छा विकल्प मुहैया करवाया है ।

वर्ष 2010-11 में मनरेगा के लिए ओपनिंग बैलेंस सहित कुल 43111.27 करोड़ रुपए उपलब्ध थे । दिसम्बर, 2010 तक राज्यों को 28163.11 करोड़ रुपए जारी किए तथा 20854.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए । उसी अवधि में 145 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोज़गार देशभर में सृजित किए गए हैं जिसमें से 72.93 करोड़ महिलाएं (50%), 32.65 करोड़ (23%) अनुसूचित जाति की थी तथा 24.83 (17%) अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित थी जिन्हें लाभ मिला ।

आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का राज्यवार उपलब्ध ब्योरा:-

1. **आन्ध्र प्रदेश:**

I. **आर्थिक विकास**

(i) **एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन**

2001 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता 16.20% है । निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान तथा एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन और कुल योजना परिव्यय एवं व्यय को दर्शाती है । यह देखा जा सकता है कि एससीएसपी के अन्तर्गत व्यय नीचे दी गई अवधियों के दौरान आबंटन की तुलना में बहुत ही कम हैं:-

रुपए करोड़ में

क्र. सं.	वर्ष	कुल योजनागत परिव्यय	एससीएसपी	कुल योजनागत परिव्यय पर एससीएसपी का %	एससीएसपी व्यय	राज्य योजना मे एससीएसपी व्यय का %	राज्य योजना में एससीएसपी व्यय का %
1.	2007-08	30500.00	4355.90	14.28	3830.16	14.10	87.93
2.	2008-09	44000.00	7630.42	17.34	3611.44	11.63	47.32
3.	2009-10	36635.58	5609.30	15.31	2764.80	9.75	49.28
4.	2010-11	36727.97	6132.55	16.70	2521.83 दिसम्बर, 2010 तक	12.26	41.12
जोड़		147863.55	23728.17	16.05	10206.40	11.94	43.01

(- स्रोत: आन्ध्र प्रदेश सरकार, समाज कल्याण विभाग)

(ii) **कमज़ोर वर्गों के लिए आवास स्थल:**

निजी भूमि की मांग के माध्यम से कमजोर वर्गों को आवास स्थल मुहैया करवाने की योजना आन्ध्र प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों में से एक है ।

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक और लोगों के आर्थिक रूप से अन्य गरीब समूहों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराती है । आवास स्थलों के आबंटन के लिए निजी भूमि की मांग हेतु समाज कल्याण विभाग धन उपलब्ध करवाता है । विभिन्न वर्गों में आवास स्थल के आबंटन अनुसूचित जाति-40%, अनुसूचित जनजाति-10%, पिछड़ा वर्ग-30%, अल्पसंख्यक-10% और गरीब से भी गरीब अन्य वर्गों को 10% किया जाता है ।

(iii) **इन्दिराम्मा कार्यक्रम:**

सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ग्रामीण एवं मॉडल नगर पालिका क्षेत्र में एकीकृत नवीन विकास कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके अंतर्गत आवास स्थल/आवास मुहैया करवाने का प्रावधान है । सभी मंडलों के गांवों को तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा ।

(iv) **समुदाय भवन**

सरकार ने जिलों में समुदाय भवनों के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया है । प्रत्येक पर 3.00 लाख रुपए की लागत आएगी जिसका राज्य निधि (85%) तथा शेष 15% राशि को स्थानीय निकायों या स्थानीय लोगों से अंशदान के रूप से पूरा किया जाएगा ।

(v) **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर/बाबू जगजीवन राम की मूर्तियों की स्थापनाः**

जीवनभर पददलितों के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता के सम्मान में जनता विभिन्न एसोसिएशनों तथा संगठनों द्वारा जिलों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग की जा रही है । डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए 50,000/- रुपए से 1,00,000/- रुपए तक स्वीकृत किए हैं । स्थानीय लोग इतनी ही राशि देंगे ।

जनता और अनुसूचित जाति संगठनों से बाबू जगजीवन राम की मूर्ति स्थापित करने की मांग भी उठ रही है । इसलिए सरकार ने बाबू जगजीवन राम की मूर्ति की स्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं ।

II. **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम**

(i) **विक्टोरिया मेमोरियल होम– अनाथ बच्चों के लिए आवासीय स्कूलः**

विक्टोरिया मेमोरियल होम अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए स्थापित एक संस्था है । समाज कल्याण विभाग सम्पूर्ण अनुदान मुहैया करवा रहा है । सरूर नगर में अनाथ बच्चों के लिए मौजूदा वी.एम. होम – सह - औद्योगिक स्कूल का परिवर्तन करके उसे आवासीय स्कूल करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस स्कूल में 500 विद्यार्थियों की 1 से 5वीं कक्षा तक प्राथमिक सेक्शन तथा 400 विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या के लिए 6ठी से 10वीं कक्षा तक उच्च विद्यालय सेक्शन होंगे । आवासीय स्कूल नवम्बर, 1994 से चल रहा है ।

(ii) **भिखारी बाल गृहः**

आन्ध्र प्रदेश भिक्षा निवारण अधिनियम, 1977 की धारा II(i) के अंतर्गत सरकार ने भिखारियों के बच्चों के लिए बाल गृहों का रखरखाव करने तथा कार्य केन्द्र खोलकर विभिन्न श्रेणियों के भिखारियों के पुनर्वास का प्रस्ताव किया है ।

राज्य में 14 भिखारी बाल गृह हैं । प्रत्येक में 50 की स्वीकृत संख्या है । इनका नाम बाल गृह है । बजट को बुजुर्गों, अशक्तों और निराश्रितों के लिए अभिप्रेत बजट में शामिल किया गया है । सरकार का ग्यारह बाल गृहों को किशोर गृह विभाग के बच्चों के गृह में तथा तीन बालिका गृहों को महिला एवं बाल कल्याण विभाग में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ।

III. **आनन्दा निलायम्सः**

आनन्दा निलायम्स अन्य छात्रावासों की तरह विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और साथ ही अनाथालयों के कर्मचारियों का पुनर्नियोजन भी । आनन्दा निलायम 1-11-1997 से शुरु किए गए थे । प्रत्येक आनन्दा निलायम में अनाथ बच्चों तथा गन्दे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए 50-50 सीटें होंगी । आनन्दा निलायम के बच्चे सरकारी छात्रावास में रहने वाले बच्चों के बराबर की सुविधाओं के पात्र हैं । राज्य में 79 आनन्दा निलायन संचालित हैं जिनमें से 46 लड़कों के तथा 33 लड़कियों के लिए हैं ।

IV. बुजुर्गों, निशक्तों तथा अनाश्रितों के लिए घर:

सरकार हैदराबाद में बुजुर्गों के लिए एक घर का रखरखाव कर रही है । घर की वर्तमान स्वीकृत संख्या 75 है । यह घर बुजुर्गों तथा अनाश्रितों क लिए चलाया जा रहा है जो अपनी जीविका कमाने में असमर्थ है । इनमें रहने वालों को निःशुल्क भोजन, कपड़े, आश्रम तथा चिकित्सा सुविधा इत्यादि मुहैया करवाई जाती है ।

V. जोगिन महिलाओं का पुनर्वास:

जोगिनों/बासविस की परम्परा का प्रभाव कुछ नहीं है परन्तु वंचित वर्ग की लड़कियों और महिलाओं का निर्दयतापूर्वक शोषण किया जाता है । आन्ध्र प्रदेश देवदासी (निषेध एवं समर्पण) अधिनियम, 1988 एक विशेष विधान है जो इस जोगिन प्रकार की प्रणाली के उन्मूलन के लिए पारित किया गया है । पुनर्वास का बुनियादी उद्देश्य जोगिन/बासविस महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की संरक्षा करना है ताकि उनका सामाजिक शोषण न हो और साथ-साथ उनका सामाजिक परिवर्तन करना है ।

जोगिनों और बासविस के पुनर्वास का विशेष कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारिता वित्त निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । प्रत्येक जोगिन महिला को पुनर्वास के लिए 20,000/- रुपए मिलते हैं जिसमें 10,000/- रुपए सब्सिडी के रूप में तथा 10,000/- रुपए ऋण के रूप में दिए जाते हैं ।

VI. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास:

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (केन्द्रीय अधिनियम, 1976 का 19) के अधिनियमित होने के बाद बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त कर दी गई है । यह अधिनियम एक अध्यादेश को लागू करके 25 अक्तूबर, 1976 को प्रभावी हुआ था । इसके लागू होने पर प्रत्येक बंधुआ मजदूर ऋण का भुगतान करने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने की बाध्यता से मुक्त हो गए । उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले शेष रहे बोंडिड ऋण का पुनः भुगतान करने के लिए बुधुआ मजदूर के रूप में बाध्यता को समाप्त् कर दिया गया है ।

जिला कलेक्टर, राजस्व कार्मिकों को बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुक्त करवाने तथा उनके पुनर्वास का कार्य सौंपा गया है । जिला कलेक्टर, राजस्व प्रभगीय अधिकारी तथा मंडल राजस्व अधिकारियों को भी बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने पर तत्काल राहत के रूप में 1,000/- रुपए की दर से वित्तीय राहत स्वीकृत करने तथा संवितरण करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, मुक्त करने तथा उनके पुनर्वास करने में एनजीओ को भी शामिल किया गया है । आन्ध्र प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से पहचाने गए, मुक्त कराए गए तथा पुनर्वास किए गए सभी बंधुआ मजदूरों के विवरण का गांववार तथा मंडलवार कम्प्यूटरीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

यह सुझाव है कि अन्य राज्य भी इसी प्रकार के कार्य करें जिससे कि नेट से डेटा उपलब्ध हो सके ।

दिलकुशा गेस्ट हाऊस, हैदराबाद में नगर पालिका क्षेत्र में गरीबी निवारण मिशन के साथ बैठक

माननीय सदस्या श्रीमती लता प्रियाकुमार ने दिलकुशा गेस्ट हाऊस, हैदराबाद में गरीबी निवारण मिशन के साथ दिसम्बर, 2010 में एमईपीए की एक बैठक का आयोजन किया।

<u>एमईपीएमए का उद्देश्य</u>

एमईपीएमए संबद्ध सेवाओं के लिए शहरी गरीबी के निवारण संबंधी कार्यकलापों में एपी(टीए) लोक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं जिसका नम्बर 1120/2007 दिनांक 10-7-2007 है।

एमईपीएमए का एक शाससकीय निकाय है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष माननीय मंत्री, नगर पालिका प्रशासन एवं शहरी विकास हैं। इसके सदस्य गरीबी निवारण विभाग के प्रधान सचिव हैं जो गरीबी निवारण रणनीति के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन में सम्पूर्ण मार्गदर्शन करता है।

मिशन संचालक के अनुसार इसकी 75% निधियां भारत सरकार से तथा 20% राज्य सरकार के अंशदान से प्राप्त होती हैं। एमईपीएमई की कार्य योजना 2009-10 तथा 2010-11 हैं:-

क) एमईपीएमए द्वारा 2008 में कार्य शुरु करने के समय से 125 नगर पालिकाओं में 7000 गंदी बस्तियों में कार्य कर रहे 2.2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों का निर्माण जिनमें 22 लाख व्यक्तियों को शामिल किया गया।

ख) "स्टेप-अप कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण एक स्थानन संबद्ध कौशल विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह दो स्तरों में परिचालित होता है – जिला सैल जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। दूसरा नगर पालिकाओं के माध्यम से। स्थापन निजी कम्पनियों के साथ जैसे कि टीसीएल, एल एंड टी कन्सट्रक्शन कम्पनियां इत्यादि। अब तक 47,639 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें से 10,293 अनुसूचित जाति हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि एक लगातार ट्रेकिंग मैकेनिज्म जिसे स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अगले 10 वर्षों में ट्रेक व्यक्तियों के स्थान पर रखा जाए।

ग) **<u>शहरी स्वयं रोज़गार कार्यक्रम</u>** जिसमें सब्सिडी का प्रावधान है और उसे बैंक ऋणों से संबद्ध किया गया है तथा इसमें समुदाय आधारित वसूली तंत्र (अर्थात् स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से) है। 97% आश्चर्यजनक वसूल दर है समय पर वसूली से स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन के रूप में 3% का लाभ हुआ है जो पावलवड्डी योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। 148 करोड़ रुपए की अपेक्षित राशि में से यह सुझाव दिया गया है कि कार्यक्रम मध्यावधि मूल्यांकन को निमित शामिल किया जाए।

घ) **<u>वाईएसआर अभाव हस्थाम नामक बीमा योजना</u>** यह योजना एसईआरपी के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के लिए ही थी। इस योजना में 18-59 वर्ष की आयु वाले स्वयं सहायता समूह प्रतिदिन 1/- रुपया अंशदान देते हैं तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार अनुदान के अनुरूप समान राशि देती है। एलआईसी एक निधि प्रबंधक है। इस योजना के लाभ हैं:-

i) 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक सदस्य को 500/- रुपए की न्यूनतम पेंशन;
ii) मृत्यु/दुर्घटना के लिए 75,000/- रुपए प्रति सदस्य हों;

iii) कक्षा IX से XII तक के विद्यार्थियों के लिए 2 बच्चों वाले परिवार को 1,200/- रुपए प्रति बच्चा छात्रवृत्ति देना ।

यह एक लोकप्रिय योजना थी परन्तु राज्य सरकार के पास निधि के अभाव के कारण इसे 2010 के बाद बंद कर दिया ।

ङ) **<u>जनश्री भीमा बीमा योजना</u>** यह योजना उनके लिए है जो क्रम.संख्या (घ) पर दी गई बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं । यह योजना नवम्बर, 2010-11 से कार्यान्वित है । प्रत्येक सदस्य 100/- रुपए प्रतिवर्ष देता है तथा भारत सरकार उसके अनुरूप अनुदान देती है । निधि प्रबंधक एलआईसी है । इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रदान किया जाता है:-

i) कक्षा IX-XII में पढ़ने वाले बच्चों को 1,200/- रुपए प्रति बच्चा प्रतिवर्ष के हिसाब से छात्रवृत्ति ।

ii) प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000/- रुपए

iii) दुर्घटना के कारकण मृत्यु पर 75,000/- रुपए

च) समुदाय स्वास्थ्य एवं पोषण की एक नई योजना हाल ही में शुरु की गई है ।

छ) दुर्बलता अनुदेश – 30 लाख रुपए हेतु हाल ही में प्रतिपादित:-

i) पीडब्ल्यूडी स्वयं सहायता समूह

ii) प्रमाणीकरण कैम्प, "स्वधर्मन" 15,000/- रुपए प्रति कैम्प की दर से पीडब्ल्यूडी स्वयं सहायता समूह के लिए ।

iii) फेरी लगाकर बेचने वालों की परिच्छेविका – 180000 फेरी लगाकर बेचने वालों में से 9000 पहले ही परिच्छेदिक हैं ।

iv) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं के अधिकारों की पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के समानान्तर सुरक्षा पर प्रारूप विधान ।

ज) भारत को 2014 तक गंदी बस्ती मुक्त बनाने के लिए राजीव आवास योजना । एमईपीएमए आन्ध्र प्रदेश में 25 यूएलबी के लिए नोडल एजेंसी हैं ।

<u>मलीन बस्तियों में रहने वालों के लिए परिसम्पत्ति के अधिकारों का प्रारूप विधान का प्रतिपादन ।</u>

झ) वरिष्ठ नागरिकों को आई.डी. कार्ड तथा सहायता के लिए दिसम्बर, 2010 में शुरु की गई असारा ।

ट) रिक्शा वाले - परिच्छेदिकरण के लिए पहल, स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना तथा एमएसीएस एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करना ।

ठ) वित्तीय समावेशन

माननीय सदस्य ने पाया कि एमईपीएमए का प्रयोग लाभदायक है और इच्छा व्यक्त की कि इसे अन्य राज्यों में लागू करने की सिफारिश की जाए ।

2. उत्तराखंड

उत्तराखंड, देश का सत्ताईसवां राज्य है जो 9 नवम्बर, 2000 को वजूद में आया । यह दो पर्वतीय मंडलों तथा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार जिले को मिलाकर बना है ।

राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15,17,186 (17.87%) है जिसमें 780772 पुरुष तथा 736414 महिलाएं हैं ।

भूमि का स्वामित्व

व्यावसायिक पैटर्न से पता चलता है कि अनुसूचित जाति मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध कार्यों से जुड़ी हैं । जैसा कि कृषि जनसंख्या, 1995-96 में यथा परिलक्षित अनुसूचित जाति की भूमिजोत के अनुसार, अन्य जाति के स्वामित्व में भूमि जोत की संख्या 13.93% है । तथापि, अनुसूचित जाति द्वारा भूमि जोत का क्षेत्र 7.76% है जो 2001 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में बहुत कम अर्थात् 17.87% है ।

विशेष घटक योजना वर्षवार योजना परिव्यय, बजट, रिलीज तथा एससीएसपी के अन्तर्गत व्यय का ब्योरा

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कुल योजनागत परिव्यय	एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटित परिव्यय	कुल परिव्यय के विरुद्ध एससीएसपी की प्रतिशतता	बजट प्रावधान	बजट रिलीज़	व्यय	परिव्यय के विरुद्ध व्यय की प्रतिशतता
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
2001-02	1050.00	74.42	7.08%	परिमापण लागू		67.90	91.24
2002-03	1534.13	262.42	17.11%	- वही -		130.62	49.78
2003-04	1607.00	291.30	18.12%	- वही -		184.71	63.41%
2004-05	1865.00	300.00	16.09%	253.30	206.34	175.83	58.61%
2005-06	2700.00	330.00	12.22%	306.64	274.14	264.03	80.01%
2006-07	4000.00	720.00	18.00%	825.47	434.63	368.70	51.21%
2007-08	4378.63	749.82	17.12%	660.61	421.65	350.19	46.70%
2008-09	4775.00	854.73	17.90%	499.63	357.49	300.67	35.18%
2009-10	4502.20	810.40	18%	601.93	412.50	332.52	41.03%
2010-11	6801.47	1182.99	17.39%	621.58			

एससीएसपी मे विशेष केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

वर्ष	ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान आबंटन	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	शेष
2002-03	564.60	174.57	739.17	521.10	218.07
2003-04	218.07	402.74	625.81	538.34	87.47
2004-05	87.47	476.08	563.55	512.74	50.81
2005-06	50.81	742.94	793.75	608.48	185.27
2006-07	185.27	650.00	835.27	432.05	403.22
2007-08	403.22	594.24	797.46	123.06	874.40
2008-09	874.40	0.00	874.40	415.68	458.72
2009-10	458.72	0.00	458.72	200.60	258.12

3. उत्तर प्रदेश

2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21% है । राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार राज्य ने वर्ष 2006-07 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2010-11 तक एससीएसपी के अन्तर्गत 21% आबंटन किया है । उपर्युक्त उल्लिखित वर्षों के दौरान राज्य योजना व्यय की तुलना में एससीएसपी के अन्तर्गत व्यय की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण निश्चित रूप से अच्छा है । यह भी देखा जाए कि कुछ वर्षों में एससीएसपी के अन्तर्गत व्यय वांछित सीमा तक नहीं किया गया है । राज्य योजना परिव्यय का ब्योरा एससीएसपी परिव्यय सहित व्यय तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय निम्नानुसार है:-

गरीबी का स्तर:-

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	13,21,361
2.	उपर्युक्त (i) में से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या	6,23,790
3	उपर्युक्त (ii) में से अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या	1,69,890 (27.23%)

विशेष घटक योजना (एससीएसपी)

(रुपए करोड़ में)

योजना अवधि	राज्य योजना		एससीएसपी		प्रतिशत	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	कॉलम (4-2)	कॉलम (5-3)
1	2	3	4	5	6	7
1.छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	6200.00	6594.29	570.00	525.35	9.19	7.97
2.सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	11000.00	11948.72	1458.11	1239.98	13.26	10.38
3 वार्षिक योजना (1990-91)	3200.00	3208.22	449.00	362.15	14.03	11.29
4.वार्षिक योजना (1991-92)	3710.00	3695.54	466.45	339.51	12.57	9.19
5.आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	22005.00	21679.81	1923.94	2975.31	8.74	13.72
6. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	46340.00	—	8725.25	—	18.83	—
i)- 1997-98	7163.34	5667.12	1448.84	1064.07	20.23	18.78
ii)- 1998-99	10260.96	6363.94	2156.15	1356.99	21.01	21.32
iii)-1999-2000	11400.00	6572.21	2369.49	1016.36	20.79	15.46
iv)-2000-2001	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जोड़	9025.00	8188.24	1692.27	952.92	18.75	11.64
योजनाएं	8122.00	7344.40	1521.39	892.98	18.73	12.16
v- 2001-2002	8400.00	5884.25	1764.00	713.62	21.00	12.00

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)						
i- 2002-2003	7250.00	6617.84	1540.00	753.06	21.24	11.38
ii- 2003-2004	7728.00	6141.73	1640.00	851.50	21.24	13.86
iii- 2004-2005	9661.51	8456.04	2026.00	997.77	20.97	10.80
iv- 2005-2006	13500.00	13522.85	2830.00	1479.45	20.96	10.93
v- 2006-2007	19000.00	20341.68	3990.00	3219.13	21.00	15.83
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) प्रस्तावित	181094.00		38301.00		21.15	
i- 2007-2008	25000.00	24296.53	5287.00	4340.78	21.15	17.86
ii- 2008-2009	35000.0-0	34287.62	7403.00	6789.41	21.15	19.80
iii-2009-2010	39000.00	38716.65	8246.55	8057.54	21.15	20.81
iv- 2010-2011 प्रस्तावित	42000.00	—	8881.00	—	21.15	—

विशेष केन्द्रीय सहायता:

राज्य योजना परिव्यय के अतिरिक्त अनुसूचित जाति विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है । विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य अनुसूचित जाति परिवारों का सम्पूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आय सृजन के अनेक कार्यक्रमों में किया जाता है जिनमें स्व-रोज़गार, दुकानों का आबंटन नि:शुल्क बोरिंग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना इत्यादि को शामिल किया है । विशेष केन्द्रीय सहायता की उपयोगिता की वर्षवार स्थिति तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 और वार्षिक योजना 2010-11 नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

उत्तर प्रदेश के एससीएसपी के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की उपयोगिता

योजना अवधि	विशेष केन्द्रीय सहायता			
	स्वीकृत राशि	उपयोगित राशि	प्रतिशत	लाभार्थियों की संख्या
1.छठी पंचवर्षीय योजना(1980-85)	140.32	137.52	98.00	3,56,718
2.सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	189.01	176.50	93.38	3,10,574
3.वार्षिक योजना(1990-91)	44.26	49.49	111.82	79,053
4.वार्षिक योजना(1991-92)	048.44	51.78	106.90	97,7666
5.आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	309.27	311.88	100.84	4,79,433
6.नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	707.19	-	-	-
i.1997-98	76.47	60.04	78.51	1,01,139
ii.1998-99	75.18	71.59	95.22	1,13,497
iii.1999-2000	97.29	56.82	58.40	99,164
iv.2000-2001	93.98	68.21	72.58	1,05,450
v.2001-2002	118.16	101.81	86.16	93370
7.दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07				
i.2002-2003	101.73	134.17	131.89	91077
ii.2003-2004	78.18	123.72	158.25	101800
iii.2004-2005	112.48	116.42	103.50	111749
iv.2005-06	99.84	78.22	78.34	77431
v.2006-07	97.48	80.30*	82.38	87812
8.ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12	889.33			985341
2007-08	110.23	122.46	111.00	119499
2008-09	81.58	50.51	61.91	59034
2009-10	88.98	69.88*	78.53	63386*
2010-11 (प्रस्तावित)	70.00			

* दिसम्बर, 2009 तक.

4. **मणिपुर**

मणिपुर का संघ राज्य क्षेत्र से उन्नयन होने के बाद यह 21 जनवरी, 1972 को भारत का पूर्ण राज्य बना । इसमें 7 अनुसूचित जाति तथा 29 अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र हैं जो राज्य की जनसंख्या का 2.8 तथा 34.2 प्रतिशत हैं ।

मणिपुर में कृषि का राज्य घरेलू उत्पादन में प्रमुख योगदान है तथा यह कुल जनसंख्या का 57.38% रोज़गार प्रदान करता है । राज्य में विशाल वन क्षेत्र है जो 17.418 स्कवायर किलोमीटर तक फैला हुआ है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 78% है । वर्ष 2004-05 में राज्य का कुल प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पादन 16299 रुपए था । वर्ष 1999-2000 में राज्य का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन 11370 रुपए थी । वर्ष 1995 और 2004-05 के बीच औसतन वार्षिक विकास दर 4.97% रही है । मानव विकास रिपोर्ट, 2006 (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2006: तालिका 4.3 और 4.8 का संकलन) के अनुसार मणिपुर का मानव विकास इंडेक्स में 7वां स्थान है तथा भारत में गरीबी इंडेक्स में यह 21वें स्थान पर है ।

कृषि का मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है । कृषि क्षेत्र राज्य के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अंशदाता है और कुल कामगारों को 52.19 प्रतिशत के लगभग रोज़गार मुहैया कराता है । चावल मुख्य अनिवार्य भोजन है और पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है ।

जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता तथा उपयोगिता का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	पिछले वर्ष खर्च न की गई शेष राशि	भारत सरकार द्वारा जारी विशेष केन्द्रीय सहायता	उपयोगित विशेष केन्द्रीय सहायता	खर्च न की गई शेष
2009-10	66.97	0.00	66.66	0.31
2010-11	0.31	0.00	0.31	0.00

5. **असम**

असम सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए व्यय उपगत किया है जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विशेष केन्द्रीय सहायता (विशेष केन्द्रीय सहायता):

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (परिवारों की संख्या)	टिप्पणी
2008-09	2000.00	690.55	10,323	1. पान की दुकान = 160 2. डकरी = 540 3. बकरी पालन = 540 4. किराने की दुकान = 540 5. डेयरी = 419 6. मत्स्यन = 540 7. हथकरघा= 480 8. अनुदान = 3,219 9. अनुदान(बीटीएडी) = 498
2009-10	2000.00	895.09	17,954	1. ट्रैक्टर = 5 एसएचजी 2. पावर टिलर =64 एसएचजी 3. स्प्रे मशीन = 3,978 4. कॉटन यार्न =5,287 5. अनुदान (रोकड़) = 600
2010-11	2000.00	243.00	4,350	1. अनुदान (रोकड़)=1991 2. पान की दुकान=500 3. डकरी=500 4. बकरी पालन=500 5. किराने की दुकान =191 6. अनुदान(बीटीएडी) =368

ख) बुनियादी ढांचा विकास योजना

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (संस्थाओं की संख्या)	टिप्पणी
2008-09	500.00	61.00	18	1. कम्यूनिटी हॉल =2 2. स्कूल बिल्डिंग =1
2009-10	200.00	65.25	16	1. कम्यूनिटी हॉल =12 2. स्कूल बिल्डिंग =1
2010-11	200.00	22.00	3	1. कम्यूनिटी हॉल =2 2. स्कूल बिल्डिंग =1

ग) एससी लिमिटेड हेतु एएसडीसी को शेयर पूंजी योगदान

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि	टिप्पणी
2009-10	49.02	25.00	एससी लिमिटेड के लिए एएसडीसी को जारी	
2010-11	49.02	शून्य	शून्य	

6. महाराष्ट्र

पशुपालन

इस शीर्ष के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान पशु एवं भैंस विकास, मुर्गी पालन विकास तथा भेड़ विकास के लिए उपभवन एवं प्रशिक्षण पर व्यय किया गया। यह व्यय अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ट बजट संबंधी नीतिगत व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के अलावा किया गया।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दुधारू पशु 3 क्रास नस्ल के जानवरों की पूर्ति के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है और शेष लाभार्थियों के शेयर सहित बैंक ऋण दिया जाता है। जिला योजना समितियां नोडल एजेंसियां हैं और उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। पशुओं के पोषण के लिए उनके दो परिणामी ड्राई पीरियर्डस तथा एडवांस प्रेगनेन्सी पीरियर्डस में उन्हें 100% सब्सिडी पर संतुलित आहार देने की योजना है।

मुर्गीपालन विकास:

मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए पॉलटरी ब्रीडिंग के लिए 10 मुर्गियों और एक पालतू मुर्गे को प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है ।

भेड़ एवं बकरी विकास

बीमा कवर की आगत तथा भोजन सहित मादा की 10 यूनिटें और 1 बक की पूर्ति की जाती है । इसमें लागत का 50% धन सब्सिडी के रूप में तथा शेष संस्थागत वित्त की फर्म में व्यक्ति द्वारा दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, उन्हें 35 जिलों में नवीन कृषि तकनीक सहित रखने के क्रम में उपर्युक्त किसानों को उपभवन तथा प्रशिक्षण दिया जाता है ।

मत्स्यन

योजना के अन्तर्गत फिश फार्मिंग तथा फिशिंग ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हैं, अवरुद्ध पानी में मछलियों में विकास के लिए मछलियों की विभागीय स्टाक, मछली सहकारिता सोसायटियों का सृजन जिसमें सरकार प्रबंधकीय सब्सिडी और शेयर पूंजी अंशदान देने का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, सरकार फिशिंग उपकरणों की खरीद के लिए 50% से 100% तक सब्सिडी के रूप में भी सहायता प्रदान करती है । इसमें नेट एवं अन्य संबद्ध उपकरण शामिल हैं ।

एनएससीडीसी तंत्रयुक्त किस्तियों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है । एनसीडीसी 55% तथा 30% विशेष निष्कर्य पूंजी प्रदान करता है । राज्य और एनसीडीसी शेयर पूंजी का 5% देता है । अंशदान का 10% व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, परम्परागत तथा छोटे फिशर मैन को मोटर बोट्स के लिए 7 एच.पी. इंजन की खरीद के लिए 12,000/- रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है । व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी तालाबों के निर्माण तथा पेसी कल्चर लेने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

ग्रामीण विकास:

1. **स्वर्ण जयन्ती स्वरोज़गार योजना:–**

इस योजना का संभावित उद्देश्य परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । इसमें ग्रामीण गरीबों के लिए लघु उद्यमों के माध्यम से स्वयं रोज़गार को प्रोत्साहित करके ग्रामीण गरीबों के लिए अधिक संख्या में ऐसे उधम स्थापित करना शामिल है । स्वयं सहायता समूह आर्थिक विकास के लिए बनाए जाते हैं । योजना उधमशीलता कौशल और बाजार मांग के आधार पर समूह दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है । यह अपने कौशल और बाजार की उपलब्धता के आधार पर सामुहिक दृष्टिकोण का भी उपयोग करता है । यह एसएचसी में महिलाओं को भी शामिल करके क्षेत्र में विशिष्ट कार्य से संबद्ध है । यह ग्रामीण विकास पर संकेद्रित है तथा 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जिम्मेदार होगा । इसे डीआरडीए के

माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा ।

सब्सिडी 50% अधिकतम 10,000 होगी तथा स्वयं उधमशीलता समूह के लिए 50% अधिकतम सब्सिडियों की संख्या सहित अधिकतम राशि 1.25 लाख की होगी ।

2. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजनाः–**

यह योजना महाराष्ट्र के बारह जिलों में एकीकृत कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है । अन्य जिलों सहित ये जिले अब मनरेगा के दायरे में लाए गए हैं । इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा, वाटरशैडों का निर्माण करके जल संरक्षा सड़के बनाने तथा अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण करके तथा रोज़गार के सृजन एवं खाद्य अनाजों की पैदावार करके छोटे बुनियादी ढांचे का विकास करना है । केन्द्र और राज्य के बीच 758.25:22.75 की दर से लागत शेयर का प्रावधान है । जिला पंचायत समिति गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजना पर खर्च करती है । इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों को आर्थिक सम्पत्तियां प्रदान करना है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत आबंटन (अनाज आबंटन सहित) आवश्यकता आधारित गांव आधारित बुनियादी ढांचा का 50% का प्रावधान किया गया है ।

3. **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

योजना के अन्तर्गत सरकार का लक्ष्य अनुसूचित जाति को निम्नानुसार सब्सिडी देना है:-

डीप की स्थापना:	सेट की लागत का 25% अधिकतम 11.250 प्रति एचए 4 एचए के अधिकतम तक ।
फुहारा:	सेट की लागत का 25% अधिकतम 6000 प्रति एचए 2 एचए तक ।
विसारक:	11,250/- रुपए प्रति एचए के अध्यधीन लागत का 25%
ग्रीन हाऊस:	150 प्रति स्कवेयर मीटर की दर से लागत का 25% अधिकतम 500 स्कवेयर मीटर, 75,000/- रुपए तक की अधिकतम आर्थिक सीमा तक ।
पतवार:	अधिकतम 3,500/- रुपए प्रति एचए की लागत का 25% एक एचए तक ।
शेडिंग नेट:	अधिकतम 18,000/- रुपए तक की लागत का 25% तक तथा 4000 स्कवेयर मीटर तक सीमित ।
शेडिंग नेट हाऊस:	30 प्रति स्कवेयर मीटर की दर से लागत का 25% अधिकतम 16000 तथा 800 स्कवेयर मीटर तक सीमित ।

4. **बीज धन योजनाः–**

शिक्षित बेरोज़गार युवक जिन्होंने VIIवीं से महाराष्ट्र का आईटीआई डोमिसाइल तक पास किया है उन्हें 1.5 लाख की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 22.5% की सीमा तक बीज धन सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त 1 से 3 सप्ताह का उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम की एमईसीडी द्वारा व्यवस्था की जाती है जिससे कि लाभार्थियों को कार्य से संबद्ध उपयुक्त उधमशीलता प्रशिक्षण दिया जा सके ।

5. <u>जिला उद्योग केन्द्र ऋण</u>

उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भूखंड एव मशीनरी पर निवेश 2.00 लाख से कम होना चाहिए । यह उन क्षेत्रों में स्वीकार्य है जहां 1981 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम है । उन्हें 60,000/- रुपए की ऊपरी सीमा के अध्यधीन प्लॉट एवं मशीनरी में निवेश का 30% दिया जाएगा।

6. **औद्योगिक ऊ र्जा एवं श्रम:**

इस योजना के अन्तर्गत बेरोज़गार व्यक्तियों को उद्योग व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के माध्यम से स्वयं रोज़गार उद्यम शुरु करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से मार्जिन राशि के भाग के अनुसार ऋण सुलभ करवाने का प्रावधान है ।

व्यक्ति VIIवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और उनकी आयु 50 वर्ष से कम हो तथा उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो । इस क्षेत्र में 10.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना को शामिल किया गया है । वित्तीय संस्था द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के 15% का बीज धन सहायता प्रदान की जाती है ।

यदि 1.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना को शामिल किया जाता है तो बीज धन सहायता बदल कर 15 से 22% के बीच रहती है । वर्ष 2003 से आगे महाराष्ट्र सरकार की गारन्टी है कि यदि मूलधन और ब्याज नियमित दिया जाता है तो पेनल ब्याज से छूट दे दी जाती है । शेष में से यदि कर्जदार मूलधन और पेनल ब्याज का 50% का भुगतान कर देता है तो शेष पेनल ब्याज की छूट दी जाती है । कर्जदार को 3% ब्याज की छूट मिलती है और आमतौर पर पुनर्भुगतान 3 वर्षों के बाद तथा चार वर्षवार किस्तों में आरंभ होता है ।

7. **समाज सेवा:**

इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार शिक्षा, खेल, युवा विकास तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य सेवा, जल एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास में निवेश करती है । योजना का ब्योरा नीचे पुन: संलग्न है

7.1 **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना:**

योजना एमएचएडीए के क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है । इस योजना में 1.00 लाख की लागत वाली आवासीय ईकाइयाँ/विकसित भूखंड उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनकी आय 5,000/- रुपए प्रति माह से अधिक न हो । इसमें 13% मकान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं ।

(क) **निम्न आय समूह आवास योजना:-**

यह योजना उनके लिए है जिनकी आय 5,000/- रुपए से 10,000/- रुपए प्रतिमाह तक है उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षित 13% के साथ पोस्ट एवं आवासीय ईकाई जिसकी 2,00,000/- रुपए की लागत हो, प्रदान की जाती है । 2014 योजना का लक्ष्य 4290 मकान हैं ।

(ख) मध्यम आय समूह आवास

यह योजना उनके लिए है जिनकी आय 10,000/- रुपए से 15,000/- रुपए है । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ दिया जाता है ।

(ग) मलीन बस्तियों का सुधार कार्यक्रम

जहां 50,000 से ज्यादा जनसंख्या हो वहां शोचालय, पानी के नल, पथ प्रकाश, पगडंडियों तथा क्षेत्र में नालियों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है । यह कार्य 61 शहरों में किया गया है, अतिरिक्त 19 शहर 2009 में लक्षित 6.5 लाख के विरुद्ध इसमें 19 शहर शामिल किए गए हैं । 80% को पहले ही शामिल किया गया है । उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार ने जेएनयूआरएम और एकीकृत आवास तथा गंदी बस्तियों का विकास का कार्य भारत सरकार के साथ आरंभ किया है । संजय गांधी स्वाभिमान योजना के अन्तर्गत 2,500/- रुपए तक ऋण बेरोजगार व्यक्तियों तथा रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों को कम ब्याज पर दिया जाता है ।

(घ) शहरी विकास

विशेष घटक योजना के लिए सरकार ने शहरी दलित बस्ती सुधार योजना शुरु की थी । जिसके अन्तर्गत मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । इसमें स्वच्छता तथा पेयजल को प्राथमिकता दी जाएगी । नगर पालिका के लिए 1.00 करोड़ की अधिकतम वित्तीय सीमा रखी गई है । उपर्युक्त कार्य को हाथ में लेने के लिए "क" श्रेणी की नगर पालिका परिषद को 50.00 लाख तथा "ग" श्रेणी को 25.00 लाख रुपए दिए जाते हैं

(ङ) मार्जिन राशिः

इस योजना के अन्तर्गत कोई व्यावसायिक योजना जिसकी लागत 40,000/- रुपए तक है, पर विचार किया जाता है । निगम द्वारा 10,000/- रुपए की सब्सिडी सहित 25% अतिरिक्त धन का भुगतान किया जाता है । यदि परियोजना की लागत 40,000 से 1.00 लाख रुपए है तो 20% अतिरिक्त धन निगम द्वारा और 5% आवेदनकर्ता के अंशदान द्वारा भुगतान किया जाएगा । इस पर 4% ब्याज लिया जाएगा । शेष राशि की बैंक द्वारा ऋण के रूप में व्यवस्था की जाएगी ।

(च) मजदूर कल्याण

मजदूर कल्याण क्राफ्टमेन प्रशिक्षण योजनाओं को पात्र व्यक्तियों के लिए लागू किया जाता है । इसे महानिदेशक, रोज़गार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और मॉनीटर किया जाता है । प्रशिक्षुओं को अधिकतम लाभ देने के क्रम में समाज कल्याण तथा न्याय विभाग जिला योजना समिति बोर्डों के माध्यम से विशेष सहायता देता है । ऐसी कुछ योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

क) 212 तालुकों में नई आईटीआई की स्थापना ।

ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कवर करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के आईटीआई मुम्बई, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, अमरावती, नागपुर में शुरु किए गए ।

ग)	पुस्तक बैंक खोलना ।

घ)	टूल किट्स मंगवाना ।

ङ)	टूल किट्स सहित प्रशिक्षण के साथ स्वयं रोज़गार कार्यक्रम ।

**(छ)	आर्थिक उत्थानः–**

आर्थिक सूचीकरण तथा सतत विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरु की हैं-

**(i)	टेलरिंग कक्षाएंः**

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 1 वर्ष का टेलरिंग प्रशिक्षण दिया जाता है । न्यूनतम योग्यता कक्षा 4 तथा वे गरीबी रेखा से नीचे हों ।

**(ii)	टाइपिंग कक्षा**

एक समूह जिसमें एक बार के प्रशिक्षण में पांच व्यक्ति होंगे । प्रत्येक वर्ष सात समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

**(iii)	मोटरकार ड्राइविंग**

प्रत्येक जिले में अधिकतम 20 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है । प्रत्येक उम्मीदवार को 1300 रुपए का शुल्क दिया जाता है । प्रशिक्षण के बाद आरटीओ हल्के एवं भारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है ।

**(iv)	टिन की स्टालों का प्रावधान ।**

लैदर फुटवियर कार्य में लगी अनुसूचित जातियों को 500/- रुपए सहित 10,000/- रुपए के मूल्य का एक टीन स्टाल निःशुल्क दिया जाता है ।

**(v)	अनुसूचित जाति को को–आपरेटिव स्पिनिंग मिल के लिए लम्बी अवधि के ऋण**

योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत के 95% तक वित्तीय सहायता पात्र स्पिनिंग मिलों को दी जाती है । पात्रता के लिए स्पिनिंग मिल को अधिकतम 80 लाख रुपए प्राप्त करने होंगे या परियोजना के न्यूनतम 5% सदस्यों से शेयर के रूप में प्राप्त करने होंगे । हैंडलूम निदेशक सरकारी शेयर पूंजी के रूप में सदस्य

शेयर के 9 गुणा राशि स्वीकृत करेगा तथा निदेशक समाज कल्याण परियोजना लागत का 1:1 (50%) की स्वीकृति देगा । इस योजना के 9 स्पिनिंग मिल लाभकारी हैं और पहले ही उत्पादन शुरु कर दिया है ।

(च) आवासीय सोसाइटियों को ऋण

सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत उन अनुसूचित जाति को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटियों को ऋण दिया जाता है जिसके 10% सदस्य अनुसूचित जाति के हों । आयु समूहों में विभाजित की जाती है (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अर्थात्) जिनकी आय 25,000/- रुपए तक है ।

(i)	एलआईजी	25,001/- रुपए से 50,000/- रुपए तक की आय
(ii)	एमआईजी	50,001/- रुपए से 75,000/- रुपए तक की आय
(iii)	एम एचआईजी	75,001/- रुपए से 95,001/- रुपए तक की आय

यदि भूमि उपलब्ध हो तो जिला उसे निःशुल्क देगा और यदि सोसायटी भूमि की खरीद करती है तो टाऊन प्लानिंग विभाग लागत पर निर्णय लेगा ।

निर्माण लागत सरकारी अनुदान 30% के साथ जो व्यक्तिगत शेयर के साथ 20% और बैंकों से 50% ऋण उपलब्ध है । सरकार गारन्टी के रूप रहेगी यदि ऋण एमएचएसएफसी से लिया है । विभिन्न समूहों में निर्माण की लागत 60,000/- रुपए से 1.50 लाख रुपए तक निर्धारित की जाती है ।

(छ) लोक आवाज योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने 61 शहरों में 50,000/- मकान बनाने का निर्णय लिया है जिनकी जनसंख्या मुंबई को छोड़कर 50,000 से अधिक हो । लागत 30,000/- रुपए है । एनएसडीपी 16000 वहन करेगी तथा समाज कल्याण विभाग 9000 वहन करेगा तथा लाभकारी व्यक्ति 5,000 वहन करेगा ।

(ज) ग्रामीण निवास योजनाः–

सरकार ने प्रत्येक वर्ष 51,000 मकान बनाने का निर्णय लिया है जिनमें से 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बंधुआ मजदूर के लिए होंगे । आवास की लागत निर्मित क्षेत्र 150 फिट के लिए 20,000/- रुपए तथा 180 से 225 और उससे ऊपर के लिए क्रमशः 30,000/- रुपए तथा 50,000/- रुपए है ।

(झ) दलित बस्तियों का सुधारः–

इन बस्तियों के लिए सफाई स्थिति, पेयजल आपूर्ति, पहुंच मार्ग, क्षेत्र की बिजली में सुधार करना है । इस समय अनुदान राशि 5.0 लाख रुपए है ।

8. **अन्य योजनाएं–**

इनमें शामिल हैं

			योगदान		प्रतिशत	
			एनएसकेएफडीसी	एमपीबीसीडीसी	आवेदक	ब्याज
(क)	5 लाख रुपए तक	...	75%	20%	5%	7%
(ख)	5 लाख रुपए से अधिक	...	75%	20%	5%	9%

(ii) <u>मार्जिन धन का ऋण:-</u> यदि आवेदन स्वीकृत है तो किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा 75% टर्म लोन स्वीकृत है । एनएसएफडीसी 2% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 25% तक अतिरिक्त धन देगा । यहां भी परियोजना की अधिकतम लागत पर विचार किया गया जो 10 लाख है ।

(iii) सेतु ऋण:- सेतु ऋण आवेदनकर्ता को मंजूर किया जाता है । यदि उसे सब्सिडी या अतिरिक्त धन या सरकार या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से प्रोत्साहन स्वीकार किया गया है परन्तु वास्तविक भुगतान बाद की अवधि में प्राप्त किए जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली:

महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के संबंध में ऋण प्रस्ताव/वित्तीय सहायता के लिए वितरण एजेंसी के रूप में महात्मा फुले पिछड़ा विग् विकास निगम लिमिटेड नियुक्त किया है । योजना के कार्यान्वयन की शर्तें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की शर्तों के समान है ।

लोकशायर अन्नाबाहु साठे विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई

लोकशायर अन्नाबाहु साठे विकास निगम लिमिटेड ने 11 जुलाई, 1985 को मार्जिन राशि के 2.50 करोड़ रुपए सहित "मतंग समुदाय" के आर्थिक और सामाजिक विकास को समाविष्ट किया । निगम के प्राधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ रुपए है । यह 49.51 के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य सरकार से प्राप्त होती है । फरवरी, 2003 के अन्त में कुल भुगतानशुदा पूंजी 12.75 करोड़ थी जिसमें 33.95 लाख रुपए का केन्द्रीय सरकार का शेयर शामिल है ।

निगम निम्नलिखित योजना कार्यान्वित करता है:

(i) **विशेष केन्द्रीय सहायता:–** सब्सिडी – योजना परियोजना लागत के रूप में 24,000/- रुपए तक की परियोजना के लिए है । निगम 10,000/- रुप्ए तथा शेष राशि की व्यवस्था ऋण के रूप में बैंक राशि द्वारा प्रदान करने के अध्यधीन 50% सब्सिडी की व्यवस्था करता है ।

(ii) **प्रशिक्षण योजनाः–** इस योजना के अन्तर्गत मतंग समुदाय के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 4 और एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है अर्थात् शार्टहैंड, टाइपिंग, ड्राईविंग, कम्प्यूटर, सौंदर्यकरण और मेकेनिकल पाठ्यक्रम इत्यादि । विद्यार्थी का पाठ्यक्रम शुल्क तथा वजीफा निगम द्वारा भुगतान किया जाता है । वजीफा की राशि 150/- रुपए प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 250/- रुपए शहरी क्षेत्र के लिए है । यदि प्रशिक्षण अन्य गांवों में संचालित किया जाता है तो वजीफा की राशि प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी 300/- रुपए होती है । विभिन्न पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने की होती है परन्तु कुछ पाठ्यक्रमों की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है । प्रशिक्षण कार्यक्रम से उम्मीदवारों को नौकरी मिल जाती है तथा वे वित्तीय संस्थाओं से सुरक्षित ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं ।

सहकारिता संस्था की शेयर खरीदः

(1) निगम 4% प्रति वर्ष की दर से ऋण के रूप में किसी सहकारिता सोसायटी के शेयर खरीदने के लिए शेयरधारकों के लिए 200/- रुपए तक उपलब्ध कराता है ।

(2) सहकारिता चीनी फैक्टरी के मामले में 2700/- रुपए की राशि निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है तथा लाभार्थी का शेयर 300/- रुपए है ।

(3) सहकारिता स्पिनिंग मिल निगम शेयर की खरीद से 1,800/- रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करता है तथा लाभार्थी का शेयर 200/- रुपए है ।

(iii) ***छात्रवृत्ति योजनाः–*** माननीय मुख्य मंत्री ने मतंग समुदाय के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लिए मुख्य मंत्री निधि से 20 लाख रुपए प्रदान किए हैं जिन्होंने 10 कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा प्रथम श्रेणी (60% अंकों से अधिक) उत्तीण की हो । इस निगम ने राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी जमा के रूप में राशि नियम की है । छात्रवृत्ति आगे की शिक्षा के लिए विद्यार्थी को उपार्जित हित के लिए भुगतान किया जाता है ।

कम्प्यूटर अध्ययन एवं अनुसंधान में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमः

महाराष्ट्र में कम्प्यूटर साइंस एवं अनुसंधान का सिमबोसिस संस्थान, पुणे में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनफोसिस प्राद्योगिकी एवं सिमबोसिस द्वारा यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी और व्यवहार्य कौशल प्रशिक्षण देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को रोजगार में उद्योगों के अनुकूल बनाया जा सकें। प्रत्येक बैच में 100 विद्यार्थी हैं और छः महीने की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों को 6000/- रू. प्रतिमाह वजीफे का भुगतान किया जा रहा है। इन छः महीनों में चार महीनों का तकनीकी प्रशिक्षण, एक महीने का अंग्रेजी एवं अंग्रेजी प्रवाह बोलना और एक महीने का सॉफ्ट स्कील दिया जाता है।

सामान्य परीक्षा और एक अभिवृत्ति परीक्षा के माध्यम से 60% और उससे ऊपर अंक वाले एम.सी.ए./बी.ई. पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। विद्यार्थियों को आईटी और सॉफ्ट स्कील प्रौद्योगिकी में उद्योगोन्मुखी प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें औजारों का प्रयोग करते हुए लैब सत्र

संबंधी हैन्डस और सॉफ्ट स्कील संबंधी गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और उन औजारों का प्रयोग आईटी उद्योगों में गहन रूप से किया जाता है। इस छः माह प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उन्हें एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है और उन्हें जॉब मेले में कम्पनी में नौकरी का अवसर प्राप्त करने के लिए भाग लेने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। इसमें एसटीपी एवं ज्ञान प्रदान करने वाले के रूप में उद्योग भागीदार, राज्य सरकार का संरक्षक तथा निश्चय ही शिक्षा भागीदार स्थापन अवसर प्रदान करने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठित एक शैक्षिक संस्थान है जो निश्चय ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

प्रशिक्षण में ऐसे मोड्यूल शामिल हैं जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उससे संबद्ध अनुप्रयोगों से संबंधित ज्ञान क्षेत्र की समझ विकसित कराते है। इसमें शामिल हैं:-

- समस्या समाधान कौशल
- कम्प्यूटर आरकीटेक्चर
- प्रचालन प्रणाली के मूल सिद्धांत
- नेटवर्किंग
- प्रोग्रामिंग फण्डामेंटल
- वेब टेक्नोलोजी
- जावा और जे2ईई में प्रोग्रामिंग
- पारस्परिक सम्प्रेषण

अंग्रेजी भाषा प्रवाह

2008 में 38 विद्यार्थियों का चयन किया गया था उनमें से 37 ने पाठ्यक्रम पूरा किया। उनमें से 15 ने विभिन्न आईटी कम्पनियों में नौकरी प्राप्त की। इस संबंध में प्रथम बैच में वजीफा प्राप्त किया और बाकी खर्चा इनफोसिस द्वारा उठाया गया था। इसमें फैकल्टी अवसंरचना लागत में लैपटॉप भुगतान शामिल है। बाद के बैचों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही 45 लाख वजीफों की स्वीकृति कर दी थी। लेकिन अन्य व्ययों के लिए 30-35 लाख रूपए की शेष राशि दोनों शैक्षणिक भागीदारों और न ही प्रायोजककर्ता अर्थात् उद्योगों ने पूरी की। इस लघु निधि की कमी शेष के रूप में आईटी क्षेत्र में लगभग 100 भिन्न होशियार विद्यार्थियों का रोजगार अवसर रूक गया।

(क) जबकि एसोचेम और फिक्की उद्योग जगत की जिम्मेदारी की बातें करती हैं, और निजी क्षेत्र में आरक्षण से बच रही है।आयोग उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के सामने लाकर कुछ हद तक उन पर दबाव बना सकता है।

(ख) सम्पूर्ण महाराष्ट्र के बहुत से कालेजों में ऐसे और अधिक पाठ्क्रमों की तत्काल आवश्यकता है। आज तक केवल पुणे में ऐसा सिमबोसिस ने किया है। विभिन्न चरणों में इसे प्रतिवर्ष और भी 2-3 कालेजोंमें विस्तारित किया जाना चाहिए। विभिन्न जिलों में विप्रो, आईबीएम और टीसीएस जैसी बड़ी कम्पनियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह विद्यार्थियों की पहचान के लिए एक समिति गठित करे और परीक्षा की तारीख नियत करने के लिए आईटी सेक्रेटरी के अन्तर्गत भी एक समिति होनी चाहिए। यह भी नहीं किया गया है। इसे राज्यों के साथ अलग से उठाते

समय, आयोग यूजीसी या एआईसीटीई द्वारा प्रायोजित यूपीएससी जैसे एक सामान्य टेस्ट के नियतीकरण की व्यावहारिकता की जांच कर सकता है ताकि सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जाति विद्यार्थी किसी के दया पर नहीं रहे और राज्य सरकार की इच्छा पर न रहे जबकि पड़ोसी राज्य के विद्यार्थी आईटी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं

(घ) आयोग योजना आयोग पर वृत्तिका बढ़ाने के लिए दबाव भी बना सकता है जिससे उनकी तकनीकी किताबों की मुख्य जरूरते कवर हो सकें और एक लैपटॉप खरीदने के लिए आसान ऋण/सहायता मुहैया हो सके।

विकास योजना का तिमाही सांख्यिकीय अनुपूरक कार्यान्वयन				
	वार्षिक परिव्यय 2010-11	मार्च 11 को समाप्त तिमाही का व्यय	मार्च 11, को समाप्त तिमाही तक संचयी व्यय	प्रतिशत (कॉ. 5 से 3)
कुल	2273.29	579.44	1389.50	61.12

7. तमिलनाडु

2001 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 6.24 करोड़ है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1.1 करोड़ है अर्थात् कुल जनसंख्या का 19 प्रतिशत । राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 35.33 लाख है । राज्य में गरीबी रेखा से नीचे कुल अनुसूचित जाति परिवार 11.76 लाख हैं । ग्रामीण क्षेत्र में मानदंड के अनुसार वर्तमान गरीबी रेखा 441.60 रुपए प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 555.70 प्रति माह है ।

(i) आवास–

(i) भारतीय आवास योजना के तहत 60% आबंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है । वर्ष 2010-11 के लिए 61,762 अनुसूचित जाति ने योजना का लाभ उठाया ।

(ii) <u>कलैगनार वीधु वाझंगम तित्तम (कलैगनार आवास योजना):</u> यह राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत 2010-11 से 2015-16 तक 6 वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी झोपड़ियों को पक्की छत वाले स्थायी मकान में बदला जाएगा । तमिलनाडु पहला "झोपड़ी मुक्त राज्य" होने का विशिष्टता का अर्जन करेगा यदि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है । 2010-11 के दौरान 3 लाख स्थायी मकान का लक्ष्य था तथा इकाई लागत 75,000/- रुपए होते हुए 1.56 लाख अनुसूचित जाति ने 2010-11 के दौरान इस योजना का लाभ उठाया । **राज्य सरकार का यह बहुत अच्छा पहल के रूप में किया जाने वाला नया कार्य है ।**

(ii) आवास स्थल

अनुसूचित जाति को मुफ्त आवास स्थल पट्टा दिया जाता है । वर्ष 2010-11 के दौरान 6126 अनुसूचित जाति महिलाओं को आवास का पट्टा दिया गया ।

(iii) **पेयजल**

1-4-2010 की स्थिति के अनुसार अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार पेयजल संसाधन के लिए 2010-11 तक तमिलनाडु में 93,699 ग्रामीण आवासीय स्थान हैं जिनमें से 25913 अनुसूचित जाति आवासीय स्थान हैं।

(iv) **अनुसूचित जाति आवासीय स्थानों में जल आपूर्ति की स्थिति**

विवरण	अनुसूचित जाति प्रमुख स्थान
सेवा लेवल 40 आईपीसीडी और उससे ऊपर (एफसी) सहित आवासीय स्थान	23,909
सेवा लेवल 40 आईपीसीडी (पीसी) और उससे कम के साथ आवासीय स्थान	2004
आवासीय स्थानों की कुल संख्या	25,913

–स्रोत: टीडब्ल्यूए बोर्ड, चेन्नै

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि सभी अनुसूचित जाति आवासीय स्थान पेयजल सुविधाओं से कवर किए गए हैं ।

(V) **भूमि**

सरकार के स्वामित्व में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया जाता है और दो एकड़ प्रति परिवार की दर से गरीब भूमिहीन कृषक परिवारों में वितरित की जाती है । योजना 31-5-2009 तक एक चरणबद्ध तरीके से 2006-07 से लागू की गई है । 41064 अनुसूचित जाति के लोगों ने 44522.03 एकड़ भूमि प्राप्त की ।

(vi) **टीएएचडीसीओ द्वारा भूमि खरीद योजना**

यह योजना एक परिसम्पति के रूप में भूमि उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति महिला भूमिहीन श्रमिकों तथा छोटे किसानों के लिए बनायी गयी थी और यह योजना कृषि में उत्पादकता को सुधारने के लिए अन्य सहायता भी मुहैया कराती है। 2.00 लाख रू0 की अधिकतम लागत से भूमि विकास, लघ सिंचाई सुविधाएं तथा पशुपालन गतिविधियाँ, खरीदी जाने वाली भूमि की यूनिट लागत का 50% आवधिक ऋण तथा 50% सहायता से है। 2006-07 से अब तक 4939 अनुसूचित जाति महिलाओं को 32.12 करोड़ रू. का लाभ पहुंचाया गया है।

(vii) **<u>रोजगार (कौशल विकास कार्यक्रम)</u>**

टीएएचडीसीओ प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से विभिन्न कार्यकलापों में लगभग 20,000 अनुसूचित जाति युवाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। राज्य सरकार 2006-07 से इस उद्देश्य के लिए 25.00 करोड़ रूपए वार्षिक स्वीकृत कर रही है।

(viii) **अनुसूचित जाति उप योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता**

तमिलनाडु राज्य में एससीएसपी में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आर्थिक विकास योजना तथा अनुसूचित जाति निवासों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन का कार्य किया गया। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधि और तमिलनाडु सरकार द्वारा उसके उपयोग का विवरण निम्नवत है:-

(रू. करोड़ में)

		विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी में प्रवाह		
वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी निधियाँ	उपयोगित	गैर-उपयोगित निधियाँ	अन्य शीर्षों में अपवर्तित निधियाँ
2005-06	44.61	44.61	पूर्णत: उपयोगित	किसी अन्य योजना में अपवर्तित न की गयी निधियाँ
2006-07	46.56	46.56		
2007-08	48.98	48.98		
2008-09	60.03	60.03		
2009-10	46.05	46.05		
2010-11	67.87**	37.38		

** केवल मार्च, 2011 के अंत तक प्राप्त निधियाँ

राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी निधियाँ और तमिलनाडु सरकार द्वारा 2005-06 से 2010-2011 तक विशेष केन्द्रीय सहायता की उपयोगिता भेज दी है। विशेष केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग किया गया है और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अपवर्तन की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान, भारत सरकार द्वारा जारी 67.87 करोड़ रू. में से केवल 37.38 करोड़ रूपए के उपयोग की सूचना है। इस उपयोगिता के कारण निधि का केवल मार्च, 2011 के अन्त में प्राप्त होना बताया गया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीएमपी सहित टीएएचडीसीओ द्वारा कार्यान्वित भूमि खरीद योजना तथा सामाजिक-आर्थिक विकास योजना संबंधी एक अध्ययन नेबार्ड को सौंपा गया है ।

(ix) **अनुसूचित जाति उप योजना**

9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत आबंटन का विवरण निम्नवत है:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक योजनागत परिव्यय	एससीएसपी में प्रवाह	व्यय	वार्षिक योजनागत परिव्यय में प्रतिशत
2002-03	5751.53	1103.74	1192.79	20.74
2003-04	7000.13	1353.71	1615.14	23.07
2004-05	8001.10	1543.44	1587.22	19.84
2005-06	9100.00	2104.55	1736.85	19.09
वर्ष	वार्षिक योजनागत परिव्यय	राज्य योजनागत व्यय	एससीएसपी में प्रवाह	एससीएसपी व्यय
2006-07	12500.00	12,677 (101.42%)	3117.86 (24.94%)	2463.03 (79.00%)
2007-08	14000.00	14224 (101.60%)	3356.89 (23.98%)	2903.63 (86.50%)
2008-09	16000.00	16,275 (101.72%)	4178.31 (26.11%)	3453.35 (82.65%)
2009-10	17500.00	17,834 (101.91%)	4602.68 (26.30%)	2959.78 (78.31%)
2010-11	20068.00	20,465 (101.98%)	4240.73 (21.14%)	4098.67 (99.28%)

विवरण राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता अर्थात् 19% से अधिक एससीएसपी की ओर कुल राज्य योजना परिव्यय के प्रवाह का प्रतिशत दर्शाती है।

एससीएसपी परिव्यय से व्यय के विवरण की उपलब्ध सूचना संतोषजनक है।

राज्य में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शाखाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों/स्नातकों की समाजार्थिक स्थिति तथा रोजगार अवसर संबंधी मूल्यांकन एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान के निदेशक द्वारा एक अध्ययन किया गया था।

प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

(क) अंग्रेजी माध्यम और प्रयोगशाला सुविधाओं की अनुपलब्धता, अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ

आदि के रिक्त पदों को न भरने के कारण आदि द्रविड़ कल्याण स्कूलों के विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है। (कार्रवाई: प्रत्येक वर्ष नई प्रयोगशालाएं बनाई जा रही है और अध्यापन पद भर लिए गए हैं)

(ख) अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे स्कूल भवन, खेल का मैदान आदि की कमी (कार्रवाई: आवधिक रूप से स्कूल भवन बनाए गए हैं)

(ग) भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार की कमी (कार्रवाई: सर्व शिक्षा अभियान ने आवधिक रूप से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया है)

(घ) छात्रावासों में पोषणीय खाद्य सामग्री की कमी (कार्रवाई: छात्रावास मीनू में संशोधन कर दिया गया है। स्कूल विद्यार्थियों के लिए भोजन प्रभार 350 रू. से बढ़ा कर 450 रू. तथा कालिज विद्यार्थियों के लिए 450 रू. से बढ़ाकर 550 रू. कर दिया गया है।)

(ड.) परिवार की गरीब पृष्ठभूमि के कारण अलग से टयूशन शुल्क देने में अक्षम (कार्रवाई: पेरेन्ट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गयी है। 10वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान के लिए 2000 रू0 तक 12वीं कक्षा के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के लिए 2500 रू0 दिए जा रहे हैं)

(x) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

तमिलनाडु सरकार गैर-सरकारी संगठनों के लिए कोई वित सहायता नहीं दे रही है। फिर भी, वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के असली एनजीओ की सिफारिश की जाती है।

तथापि, 36 एनजीओ अनुसूचित जातियों के लिए स्कूल तथा छात्रावास चला रहे हैं। निधि आदि द्रविड और जनजातीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(xi) कृषि

रिपोर्ट विशेष केन्द्रीय सहायतास और सभी (सभी वर्गों) की प्रचालनीय जोतों का विवरण देती है।

प्रचालनीय जोत की संख्या एवं क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र.सं.	आकार समूह	अनुसूचित जाति		कुल (सभी वर्ग)	
		जोत	क्षेत्र	जोत	क्षेत्र
1	हाशिये पर (0.99 तक)	751327	263037.00	6227705	2286370.49
2	लघु (1.0-1.99)	99982	135941.80	1234054	1720819.43
3	अर्ध-मध्यम (2.00-3.99)	27645	72422.16	542025	1467696.73
4	मध्यम (4.0-9.99)	4935	26733.10	169599	957721.46
5	बृहत (10.0 और ऊपर)	352	5209.37	19590	391339.00
	सभी आकार	884241	503343.43	8192973	6823947.11

(स्रोत: 8वीं कृषि जनगणना (2005-06) के अनुसार/स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, चेन्नई-6)

(xii) **पशुपालन**

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में पशुधन एवं मुर्गी फार्म को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए पशु चिकित्सालय तथा मोबाईल यूनिटस कार्य कर रही है।

मत्स्यन

राज्य में समुद्री मछुआरों के लिए, तमिलनाडु सरकार सक्रिय मछुआरों के लिए निशुल्क मकानों के निर्माण के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। मकानों के आबंटन के सदस्य मछुआरा सहकारी समितियों के माध्यम से चुने जाते हैं। सरकार भारत सरकार की वित्तीय सहायता से प्रतिवर्ष 4000 मकानों के निर्माण का आदेश देती है। वर्ष 2001 से अनुसूचित जातियों के 395 सदस्यों को लाभ पहुंचा है।

(xiii) **स्वास्थ्य**

महिला चिकित्सा अधिकारियों का एक समूह स्कूल स्वास्थ्य दिवस पर किशोर लड़कियों को परामर्श एवं सलाह देता है। नवजात मृत्यु दर और प्रसव मृत्युदर को कम करने के लिए विशेष सेवा तथा विशेष मध्यस्थता देते हुए गांवों के स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में 384 मोबाईल स्वास्थ्य किलीनिक तथा विशेषज्ञ कैम्प चलाये जाते हैं। लगभग 29000 आदि द्रविड लड़कियों को स्वास्थ्य एवं प्रथम चिकित्सा के प्राथमिक तथ्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है और वे आदि द्रविड़ कोलोनियों में समुदाय एवं एचएससी के बीच एक मध्यस्थ व्यक्ति का कार्य करती है। पीएचसी स्तर पर क्षेत्र स्वास्थ्य नर्स एवं ब्लाक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा मॉनीटरन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। क्षेत्र कार्य के मार्ग-निदेशन के लिए स्वास्थ्य यूनिट जिले स्तर पर जिला मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिला मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, कम्यूनिटी स्वास्थ्य नर्स, सेक्टर स्वास्थ्य नर्स तथा ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सों को आवधिक रूप से पुनः दिग्विन्यास और कुशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने आप को अद्यतन रख सके।

पीएचसी में बाह्य रोगी सेवाएं प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक तथा सांय 4.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है। महिला चिकित्सा अधिकारी पीएचसी में उपलब्ध है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चरणबद्ध तरीके से 30 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में तीन या चार अस्पतालों की चौबीसों घंटे व्यापक, आपातकालीन ओबस्टेट्रिक और नवजात सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए पहचान की गयी है। ये केन्द्र चौबीसों घंटे सीजेरियन एवं बल्ड ट्रांसफ्यूजन सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 3 जिलों में 3 मोबाईल चिकित्सा यूनिट कार्य कर रही है । [(i) अंबासमुन्द्रम, तिरूनेवली जिला (ii) कोडिकनाल, डिंडिगुल जिला और (iii) उठगमंडलम, नीलगिरीज जिला]

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मामले में तमिलनाडु का उदाहरण बहुत अच्छा है। इसका अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण किया जा सकता है। अन्य राज्यों से भी इसका अनुकरण करने के लिए कहा जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान जैसे उन राज्यों में जहाँ बारंबार जन्म के कारण

अधिक मातृ एवं बाल मृत्यु दर के मामले बहुत उच्च हैं वहाँ भी इसका अनुकरण किया जाना चाहिए।

(xiv) **छात्रावासों की कार्य–प्रणाली**

तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावासों की कार्य-प्रणाली का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। उनकी स्थितियों को जानने के लिए राज्य सरकार इन छात्रावासों की कार्य प्रणाली संबंधी सर्वेक्षण कर सकती है।

(xv) **भूमि**

7999 ऐसे मामले हैं जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भूमि पर अन्य समुदायों ने कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर भूमि के दावे के प्रयास करने चाहिए और इसे अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए ।

भूमि हस्तान्तरण

आर.ओ. नं. 363, राजस्व विभाग, दिनांक 28.04.1995 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अन्य समुदाय के व्यक्तियों के सदस्यों को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। तथापि, इस प्रकार के मामले राज्य सरकार की जानकारी में आये हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गयी भूमि पर कुछ कारणों से अन्य समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है। जिला प्राधिकारियों द्वारा ऐसी भूमि को अनुसूचित जाति को वापस दिलाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। 01.04.2009 की स्थिति के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-

(क्षेत्र एकड़ में

अ.जा. को आबंटित कुल दलित वर्ग की भूमि		अन्य समुदायों द्वारा कब्जा किया गया		की गयी कार्रवाई		अ.जा. को बहाल की गयी		शेष	
मामले की सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	क्षेत्र	मामलों की सं.	क्षेत्र
77289	108207.84	9015	12537.27	2330	3453	814	980	7999	10913.09

8. **गुजरात**

5.6 करोड़ की कुल जनसंख्या में से 2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 35.93 लाख है जो 7.09% है। गुजरात राज्य में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे कुल व्यक्ति 19.77% और गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति 2.17% है।

(i) **विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग**

राज्य सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 (1111-40 लाख रू.), 2008-09 (959.20 लाख रू.) तथा 2010-11 (1070.41 लाख रू.) में आबंटितनिधि का उपयोग किया। तथापि, वर्ष 2009-10 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटित932.86 लाख रू. में से 927.00 लाख रूप का उपयोग किया गया। उपयोगिता का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

(ii) **एससीपी में विशेष केन्द्रीय सहायता**

(रू. लाख में

		विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी में प्रवाह		
	आबंटित निधि	व्ययित राशि	गैर-उपयोगित निधि	अन्य शीर्ष में अपवर्तित निधि
कुल 11वीं योजना				
2007-08	1111.40	1111.40	-	-
2008-09	959.20	959.20	-	-
2009-10	932.86	927.00	*5.86	-
2010-11	1070.41	1070.41	-	-

विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग संबंधी अध्ययन के बारे में, यह सूचित किया गया कि विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के ढंग पर, 50 लाख रू. के बजट का प्रावधान है और गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम शीघ्र ही निधि आबंटन और व्यय पर अध्ययन करेगा ।

(iii) **एससीएसपी के अन्तर्गत निधि का प्रवाह**

गुजरात राज्य में एससीएसपी के अन्तर्गत निधि का आबंटन राज्य में अनुसूचित जाति के जनसंख्या से कम है अर्थात् 7.1% ।

(रू. करोड़ में)

योजना अवधि	राज्य योजनागत परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी की प्रतिशतता
9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	28000.00	1050.90	3.75
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)	47000.00	2261.27	4.81
11वीं पंचवर्षीय योजना			
2007-08	16000.00	798.87	5.15
2008-09	21000.00	1134.08	5.40
2009-10	23275.00	1294.94	5.56
2010-11	30,000.00	1331.80	4.44

10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य योजना निधि में से एससीपी का वर्षवार आबंटन/व्यय निम्नानुसार है:

(रू. करोड़ में)

वर्ष	कुल योजनागत परिव्यय		एससीपी की ओर प्रवाह		
		परिव्यय	व्यय	एससीपी प्रवाह %	व्यय का %
कुल 10वीं योजना					
2002-2003	7600.00	252.17	184.98	3.32	73.35
2003-2004	7680.00	427.78	311.75	5.57	72.88
2004-2005	8300.00	402.71	383.51	4.85	95.23
2005-2006	11000.00	486.90	485.85	4.43	99.78
2006-2007	12503.50	894.55	671.59	7.15	75.07
11वीं योजना					
2007-2008	16000.00	798.87	551.88	5.15	69.08
2008-2009	21000.00	1134.08	870.43	5.40	76.75
2009-2010	23275.00	1294.94	1077.29	5.56	83.19

10वीं योजना अवधि 2002-03 से 2006-07 के दौरान वर्ष 2005-06 के अपवाद को छोड़कर जहाँ यह 99.78% था आबंटन से उपयोगिता बहुत कम थी । तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन केवल 4.43% था जबकि राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या 7.09% है।

एससीएसपी के अन्तर्गत कम आबंटन और आबंटन से कम उपयोग को दर्शाया गया है। सरकार को एससीएसपी के अन्तर्गत किए गए आबंटन का पूर्णत: उपयोग करना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जातियाँ समाज के हासिए पर आया हुआ वर्ग है।

(iv) **योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन**

केवल 2002-03 से 2010-11 तक (जून, 2011 तक) तीन योजनाओं का विवरण ही उपलब्ध है। 2010-11 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत, कुल 44206 लाभार्थियों में से 5797 अनुसूचित जाति के है जो कुल लाभार्थियों का 13.11% है। तथापि, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अन्तर्गत कुल 167313 लाभार्थियों में से 9247 अर्थात् 5.53% अनुसूचित जाति लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत अर्थात् 7.09% का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही। 2010-11 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कुल 491.84 लाख सृजित लाभार्थियों में से 71.53 अर्थात् 14.54% अनुसूचित जाति के है। कवरेज अच्छा

रहा।

2010-11 के दौरान प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएसईजीपी) में 14.49% अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुंचा।

स्वास्थ्य

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृवन्दना योजना से राज्य में मातृ मृत्यु दर को प्रति 10,000 पर 389 जीवित जन्म से वर्ष 2010 तक 100 तक कम करना है। नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 60 जीवित जन्म से 2010 तक 30 तक कम करना है और राज्य में कुल जन्म दर 3.00 से 2.1 तक है।

जहाँ तक मातृ और नवजात मृत्यु दर का संबंध है अनुसूचित जातियों में इस मृत्यु दर के कारणों को पहचानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के उत्पन्न बच्चों की संख्या और उन बच्चों के बीच अन्तराल कि क्या परिवार नियोजन और दिए गए प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम 5 वर्ष का अन्तर रखने के लिए छोटे परिवार के लिए कोई परामर्श दिया गया ताकि नवजात मृत्यु दर निम्नतर हो सके। गुजरात सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त पहल करनी चाहिए।

9. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 60.67 लाख है। 2001 की जनगणना के अनुसार 15.02 लाख अनुसूचित जातियाँ हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 24.72% है।

विकास

अनुसूचित जातियों की समस्याएं राज्य सरकार द्वारा दर्शायी गयी है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियाँ 24.72% है। उनके पास बहुत कम परिसम्पतियाँ हैं और पूर्णत: कृषि व्यवसायों और अन्य निम्न आय सृजन व्यवसायों जैसे जूता बनाना, बांस से टोकरी बनाना, लौहारी, बुनकरी, मुर्गीपालन, सुअर पालन आदि पर निर्भर करते हैं। राज्य में कुल गरीब 2,82,370 है और अनुसूचित जाति गरीब 95, 772 है। संशोधित मानदंड के अनुसार वर्तमान गरीब 33.92% है।

ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला समूहों में अत्यधिक शैक्षणिक पिछड़ापन है और अधिकतर वे अपने घरों तक सीमित हैं और अधिकतर कार्य अपने खेतों या घरों में करती हैं।

अपने पारंपरिक उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना एक प्राथमिक आवश्यकता है। भारत के संविधान की भूमिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसरण में असमानता को कम करने के लिए अनुपाती न्याय के साथ वृद्धि को अधिकतम करने के लिए योजना प्रक्रिया के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>एससीएसपी में विशेष केन्द्रीय सहायता</u>

10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी विशेष केन्द्रीय सहायता के विवरण निम्नवत है:-

एससीएसपी में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रवाह
<u>विशेष केन्द्रीय सहायता</u>

(रू. लाख में)

	कुल योजनागत परिव्यय	राज्य परिव्यय	परिव्यय	अन्य शीर्षों में अपवर्तित राशि	जहां व्यय किया गया उसका कारणों का ब्योरा
कुल 10वीं योजना	भारत सरकार से प्राप्त कुल जारी	पिछले वर्ष का अव्ययित शेष			i) उन्नत बीज, टैंक सिंचाई तथा ऑरगेनिक फार्मिंग के वितरण संबंधी कृषीय क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्ययित राशि ii) बागवानी क्षेत्र में राशि बागवानी पौधारोपण के विकास एवं रख-रखाव में खर्च की गयी। iii) पशुपालन क्षेत्र में राशि मुर्गीपालन के विकास पर खर्च की गयी। iv) सहकारिता क्षेत्र में अनुसूचित जाति सदस्यों के नामांकन के लिए उपलब्ध सहायता के लिए खर्च की गयी। v) औद्योगिक क्षेत्र में राशि हथकरघा उद्योग का विकास, रेशम अवसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण शहतूत पेड़ पौधारोपण तथा सिल्क वार्म रियरिंग मड हाउस के निर्माण के लिए सहायता पर खर्च की गयी। vi) राशि राज्य विकास विभाग बैंक और लाभार्थियों के बीच सहयोग
2002-03	447.986	10.97	458.956	-	
2003-04	248.66	30.00	278.66	-	
2004-05	587.47	-	587.47		
2006-07	566.62	4.31	570.93		
कुल 11वीं योजना					
2007-08	10.35.64	-	1035.64	-	
2008-09	510.03	125.15	635.18	-	
2009-10	498.23	10.16	508.39	-	
					करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम को उपलब्ध कराई गयी।

विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के ढंग को जानने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया।

राज्य सरकार को उस राज्य में योजना की उपयोगिता एवं उसकी व्यावहारिकता को जानने के लिए स्वतंत्र अभिकरण से अध्ययन कराना चाहिए जिसमें यह चल रही है।

एससीएसपी परिव्यय और व्यय

राज्य सरकार ने 10वीं और 11वीं योजना अवधि में एससीएसपी परिव्यय और व्यय संबंधी सूचना भेज दी है। विवरण निम्नवत है:-

(रू. लाख में)

कुल योजनागत परिव्यय	राज्य परिव्यय	परिव्यय	व्यय	% प्रवाह
2002-03	184000.00	17600.00	15292.80	9.57
2003-04	133500.00	11089.00	10833.83	8.31
2004-05	140038.00	11597.00	11830.88	8.28
2005-06	140000.00	17312.00	15858..31	11.00
2006-07	180000.00	19536.00	18406.38	10.85
				कुल 11वीं योजना
2007-08	210000.00	23100.00	17036.25	11.00
2008-09	240000.00	59400.00	59136.67	24.75
2009-10	270000.00	66800.00	66456.45	24.74
2010-11	300000.00	74200.00	73765.30	24.73
2011-2012	330000.00	81600.00	81600.00	24.73

10वीं योजना अवधि 2002-03 से 2006-07 के दौरान एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या अर्थात 24.72% की तुलना में बहुत कम है।

2007-08 के दौरान 11वीं योजना के अंतर्गत एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन केवल 11% था जो राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या से बहुत कम है। तथापि, योजना अवधि 2008-09 से एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है लेकिन इन सभी वर्षों में व्यय आबंटन में कम था। राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन के पूर्ण उपयोग के लिए प्रयास करने चाहिए।

10. पश्चिम बंगाल

2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1.84 करोड़ है जो राज्य में कुल जनसंख्या का 23.02% है। अनुसूचित जाति साक्षरता पुरूषों में 70.54% और महिलाओं में 46.9% है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत (अद्यतन)

अ.जा. ग्रामीण	अन्य ग्रामीण	अ.जा. शहरी	अन्य शहरी
29.5%	27.5%	28.5%	13%

(स्रोत: योजना आयोग, 2004)

शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों के गरीबी स्तर में एक बड़ा अन्तराल है।

अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक पिछड़ेपन की विशिष्ट समस्या है। इसलिए, राज्य कल्याण विभाग इस समुदायों की शिक्षा एवं एचआरडी पर अपना अधिकतम निधि आबंटित करता है।

यह सूचना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटित निधि निम्न वर्षों में पूर्णत: उपयोग किया गया है।

(रू. करोड़ में)

वर्ष	जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता उपयोगिता
10वीं योजना			
2002-03	66.41	66.41	66.41
2003-04	39.95	39.95	39.95
2004-05	46.72	46.72	46.72
2005-06	32.94	32.94	32.94
2006-07	31.85	31.85	31.85
11वीं योजना			
2007-08	51.58	51.58	51.58
2008-09	45.04	45.04	45.04
2009-10	45.04	45.04	45.04
20010-11	30.56	30.56	कार्यान्वयन के लिए निधि वितरण एजेन्सी को दी गयी

निधि आय सृजन और अवसंरचनात्मक विकास योजनाओं के लिए प्रयोग किया गया। निधि को अन्य शीर्षों में अपवर्तित नहीं किया गया है। आबंटन को पूर्णतः उपयोग किया गया है।

पश्चिम बंगाल में विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी के उपयोग के तरीके को जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, राज्य इसकी योजना बना रहा है। अध्ययन उन मुख्य गतिविधियों पर केन्द्रित हो सकता है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटितहै और अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या। विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के तरीके पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवधिक अध्ययन किया जाना चाहिए।

<u>अनुसूचित जाति उप योजना</u>

10वी योजना 2002-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 से 2009-10 की वार्षिक योजना के दौरान एससीएसपी के अन्तर्गत उपयोगिता स्थिति का विवरण निम्नवत है:-

(रू. करोड़ मे)

एससीएसपी मे प्रवाह				
वर्ष	राज्य परिव्यय	एससीपी परिव्यय	व्यय	% प्रवाह
10वीं योजना				
2002-03	6307.00	534.12	216.09	8.46
2003-04	3633.63	334.90	182.68	9.42
2004-05	4183.70	295.56	227.79	7.06
2005-06	6762.60	576.19	424.46	8.52
2006-07	7669.82	1764.54	1315.62	23.01
11वीं योजना				
2007-08	9683.19	2225.58	1713.71	22.98
2008-09	10745.23	2373.79	1929.97	22.09
2009-10	14069.57	3186.00	2611.31	18.56

योजना अवधि 2006-07, 2007-08 और 2008-09 को छोड़कर एससीएसपी के अन्तर्गत निधि का प्रवाह पश्चिम बंगाल राज्य अर्थात् 23% में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार एससीएसपी के अन्तर्गत निधि के आबंटन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है।

इसके अतिरिक्त तालिका से यह भी प्रेक्षित किया गया है कि एससीएसपी परिव्यय से एससीएसपी का उपयोग बहुत कम है।

गैर–सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली

एनजीओ द्वारा पूरी की गयी गतिविधियों को संक्षेप में बताया गया है और वे केन्द्र एवं राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करते हैं।

चूंकि अनुसूचित जातियाँ अपने आर्थिक व्यवसायों के लिए विविध प्रकार के व्यवसाय करती है। एनजीओ को इस पारंपरिक तकनीक के सुरक्षित करने में लगाया जा सकता है और इस क्षेत्र में आईटीआई धारकों को प्रोत्साहित करके आधुनिक मशीनों के साथ संश्लेषित किया जा सकता है।

जल

पीने के पानी के स्रोत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पीने के पानी का स्रोत नहीं है।

स्वास्थ्य

राज्य में जन स्वास्थ्य अवसंरचना बहुत बढ़िया है और जाति स्तर का ध्यान रखे बिना सभी नागरिकों को उपलब्ध है। प्रणाली का निम्नलिखित सिंहावलोकन है: ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों (नगर के अलावा) में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण अस्पताल, बीपीएससी, पीएचसी और उप-केन्द्र है। ग्रामीण चिकित्सा सुविधाओं संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

सुविधा का प्रकार	सुविधा की सं.	बिस्तरों की सं.	सेवा प्रदत्त जनसंख्या (वर्षवार)
उप-केन्द्र	10356	-	6128
पीएचसी	909	6592	69815
सीएचसी (बीपीएचसी+एचआर)	348	9956	182362

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कार्मिक और अन्य तकनीकी कर्मचारी अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने में अच्छी तरह प्रशिक्षित है। अधिकारी समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अभिमुख होते हैं और अपना ज्ञान अद्यतन करते हैं । सभी 15 बिस्तर वाले बीपीएचसी के 30 बिस्तर वाले आरजी/बीसीजीसी में उन्नत किया गया है। चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग कार्मिकों को भी उसी अनुपात में बढ़ाया गया है। बहुत से 60 बिस्तर वाले आरएच हाल ही में राज्य में स्थापित किए गए हैं। इन अस्पतालों में प्रयोगशाला जांच सुविधाओं को उन्नत किया गया है। नियमित स्टाफ की कमी के कारण, संविदात्मक स्टाफ तैनात किया गया है।

भूमि

पिछले पांच वर्षों के दौरान भूमिहीन कृषि श्रमिकों को आबंटित भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)
2004-05	1712
2005-6	3944
2006-07	5466
2007-08	2774
2008-09	1020
2009-10	118

स्रोत. भूमि और भूमि सुधार विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 11,17,451 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 3,89,657 एकड़ अधिशेष भूमि उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त, 3,68,414 एकड़ भूमि अब तक 4,70,021 अनुसूचित जाति बरगादार के पक्ष में अभिलिखित की गयी है।

आवास

5 वर्षों के दौरान आईएवाई (इंदिरा आवास योजना) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए निर्मित भवनों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रकार	निर्मित भवनों की सं.		अ.जा. कवरेज %
		कुल	अ.जा. के लिए	
2004-05	नव निर्माण	101358	499963	49.29
	उन्नयन	54244	26660	49.14
2005-06	नव निर्माण	65684	31288	47.63
	उन्नयन	33575	15989	47.62
2006-07	नव निर्माण	85200	41118	48.26
	उन्नयन	43638	20828	47.72
2007-08	नव निर्माण	87831	38874	44.25
	उन्नयन	19744	8984	45.50
2008-09	नव निर्माण	193753	84298	43.50
	उन्नयन	3231	1694	52.42
2009-10	नव निर्माण	230127	93520	40.64
	उन्नयन	119	48	40.34
योग	नव निर्माण	763953	339061	44.38
	उन्नयन	154432	74155	48.02

स्रोत: आवास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए आज तक 588785 भवन बनाए गए हैं।

इसके अलावा, एक अद्वितीय परियोजना ''गीताजंली'' आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को उपयुक्त संख्या में 2009-2010 और 2011-2012 के दौरान भी अपना निजी घर मुहैया कराया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए ''गीताजंली'' के अन्तर्गत निर्मित किए जा रहे भवनों की संख्या 10,299 है।

<u>खराब बिन्दु</u>

1) राज्य सरकार राज्य की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार बजट तैयार करने में अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए आनुपातिक निधि का पालन नहीं कर रही है।

2) पश्चिम बंगाल एससी/एसटी विकास और वित्त निगम द्वारा चलाए जा रहे एससीपी के अन्तर्गत स्वःरोजगार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि बैंक लाभार्थियों की परियोजना लागत के ऋण का हिस्सा जारी नहीं कर रहे हैं। केवल सहायता अनुदान जारी कर रहे हैं।

<u>अच्छे बिन्दु</u>

1) भूमि सुधार के बारे में, राज्य सरकार ने बरगादारों और छोटे किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए पट्टों के वितरण में सकारात्मक कदम उठाए हैं। उनमें से अधिकतम अनुसूचित जाति समुदायों से है।

2) राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंचायती राज संस्थानों से अधिक फायदा अनुसूचित जाति के लोगों को पहुंचा है।

11.गोवा

गोवा राज्य में एससीएसपी 2006 से आरंभ हुआ।

अनुसूचित जातियों के लिए आवास कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य भवन निर्माण के लिए भू-खण्ड की खरीद तथा अपने निजी मकान की मरम्मत के लिए अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता का तरीका निम्नवत है:-

अनुसूचित जातियों के लिए मकान स्थल की खरीद:- मकान स्थल की लागत के लिए 25000/-रू. की वित्तीय सहायता एक किस्त में अनुसूचित जाति परिवार को स्वीकृत की जाती है, वित्तीय सहायता की 75% होगी और शेष 25% ऋण के रूप में होगी जो 10 वार्षिक किस्तों में बिना ब्याज वसूली जाएगी।

(क) अनुसूचित जाति के लिए भवन निर्माण:–

25000/-रू. की पूर्ण सहायता राशि के रूप में वित्तीय सहायता मकान के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के अनुसार मंजूर की जाती है।

(ख) अनुसूचित जाति के आवासों की मरम्मत:–

12500/-रू. की वित्तीय सहायता राशि संपूर्ण राशि मदद के रूप में प्रत्येक पात्र आवेदक को मंजूर की जाती है।

पात्रता:- योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है:

- आवेदक को 15 वर्षों से गोवा राज्य का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय 1.20 लाख रू. वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के सदस्य के नाम कोई मकान या मकान स्थल या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भूमि सम्पति में कोई दावा या अधिकार नहीं होना चाहिए।
- वह भूमि आवेदक के स्वत्व हक में होनी चाहिए जिस पर मकान बनाया जाना है।
- आवेदक ने मकान के निर्माण के लिए किसी अन्य अभिकरण/संगठन से कोई वित्तीय सहायता न प्राप्त की है।
- केवल अनुसूचित जाति व्यक्ति जिनके पास मालिकाना अधिकार है या पंजीकृत मुण्डकार मकान है या वे व्यक्ति जिन्होंने भाटकर से एनओसी प्राप्त कर ली है, इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को सेना प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

यह योजना भोनसाल प्रशिक्षण केन्द्र नासिक में अनुसूचित जाति समुदायों के युवाओं में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना तथा सेना नेतृत्व के गुणों को मन में बैठाने के लिए बनायी गयी है ताकि उन्हें भारत का आदर्श नागरिक बनाया जा सके। 5 लड़कियाँ और 5 लड़के ग्रीष्म एवं शीत छुट्टियों के दौरान प्रशिक्षण के लिए पात्र होते हैं। 4000/-रू. और 4500/-रू. की वित्तीय सहायता क्रमश: लड़कियों और लड़कों को मंजूर की जाती है।

कन्या धन

योजना ''कन्या धन'' से अनुसूचित जाति समुदायों के बालिकाओं में शिक्षा का उन्नयन करना और समाज के कमजोर वर्गों को आगे सहायता पहुंचाना है। लक्ष्य समूह:संवैधानिक आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित परिवारों की सभी बालिकाएं और जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/-रू. से अधिक नहीं है।

पात्रता:

बालिका जिसने 10वीं कक्षा पास कर ली है और 11वीं कक्षा की किसी भी शाखा (विज्ञान/कला/वाणिज्य/व्यवसायिक/आईटीआई) में प्रवेश ले लिया हो इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

वित्तीय सहायता:

सरकार द्वारा नामित अधिकारी और बालिका के नाम में फिक्स डिपोजिट के माध्यम से 25,000/-रू. की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। यह राशि केवल तब लाभार्थी को दी जाएगी जब 12वीं बोर्ड की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी। यदि वह असफल या बीच में छोड़कर चली जाती है तो राशि गोवा सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। तथापि, वह यह सूचित करती है कि वह दुबारा परीक्षा दे रही है तो राशि को दो शैक्षणिक सत्रों या 12वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण होने तक, जो भी पहले हो, फिक्स डिपोजिट में रखा जाएगा।

आवेदन का तरीका: सहायता के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन उस संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से समाज कल्याण निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें बालिका 11वीं कक्षा में अध्ययन कर रही है।

अनुसूचित जाति छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ और संस्थान को पुस्तक बैंक

इस योजना का उद्देश्य पोस्ट मैट्रीकुलेशन या पोस्ट सेकेन्डरी चरण पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम हो सके। व्यवसायिक संस्थानों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के एक सामर्थ्य आधार के रूप में पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है जो मंहगी शिक्षा के बोझ नहीं उठा सकते और स्कूल छोड़ने से बच सके या असफलता से बच सके। रख-रखाव भत्ते की दर पोस्ट मैट्रीकुलेशन स्तर पाठ्यक्रम से डिग्री और पोस्ट ग्रेजवेशन स्तर पाठ्यक्रमों को भिन्न-भिन्न 140 रू. से 740 रू. तक है। छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए माता-पिता की कुल आय 1.00 लाख रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दयानन्द सामाजिक सुरक्षा योजना

दयानन्द सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता समाज के सबसे नाजुक वर्ग को मुहैया करायी जाती है जिसके वरिष्ठ नागरिक, एकल महिला और अशक्त व्यक्ति शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक लाभार्थी अप्रैल, 2007 से लागू 1000/-रू. प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। वित्तीय

सहायता सदस्य की मृत्यु हो जाने पर पति/पत्नी और बच्चों को चली जाती है।

स्वास्थ्य

गांव मूल के अनुसूचित जाति व्यक्तियों को विशेषज्ञ/सुपर विशेषज्ञ इलाज के लिए सहायता

यह योजना गोवा के उन स्थाई निवासियों को 1.50 लाख रू. की सीमा तक प्रति बीमारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करती है जिनकी वार्षिक आय, सुपर विशेषज्ञ सुविधाओं को लेने के लिए 1,50,000/-रू. से कम है और जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने सुपर विशेषज्ञ श्रेणी की राशि को 3.00 लाख रू. की सीमा तक बढ़ा दिया है।

पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएं

(क) दूधारू पशुओं की खरीद के लिए सहायता

योजना का उद्देश्य डेयरी के अन्तर्गत गतिविधियों में वृद्धि करना है ताकि दुग्ध उत्पादन एवं किसानों की आय बढ़ सके और बेरोजगार युवकों को स्व:रोजगार उपलब्ध हो सके। इस योजना के अन्तर्गत पशु की खरीद के लिए 10,000/-रू. प्रति पशु मदद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल

यह योजना राज्य में पशुधन एवं मुर्गी उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए उनकी जनसंख्या एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विविध पशुधन बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान देती है।

(ग) बेकयार्ड पोलट्री प्रोडक्सन यूनिट की स्थापना के लिए सहायता

यह योजना पोलट्री यूनिट की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के विशेष प्रावधान पर ध्यान देती है। सहायता बेकयार्ड पोलट्री प्रोडक्सन यूनिट की स्थापना के लिए दी जाती है जो चारे की लागत सहित 5000/-रू. प्रति यूनिट तक सीमित है।

(घ) विशेष बछड़ा पालन योजना

इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और तीन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद परिपक्वता होने तक कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न शंकर नसल को पालने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है।

(ड.) दुग्ध उत्पादनकर्त्ताओं को प्रोत्साहन

इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए अच्छे पशु पालना, दुग्ध के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता घटाना और किसानों के

चारा लागत भार को कम करना है।

कृषि

(क) कृषि आगत की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

अनुमान है कि लगभग 1.30% अनुसूचित जाति परिवार खेतीहर हैं। तथापि, इसके अतिरिक्त, कुछ परिवार अनौपचारिक समझौते के अन्तर्गत अन्यों की भूमि पर मौसमी फसल की खेती करते हैं। इन सभी खेतीहरों को निर्धारित मात्रा में अपेक्षित आगत प्रयोग करने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगत जैसे बीज, पौध सामग्री, कीटनाशक, खाद, मिट्टी अनुकूलनों की लागत में वृद्धि पर विचार करते हुए, खरीदी गई लागत पर 70% मदद के रूप में सहायता अनुसूचित जाति के किसानों को मुहैया करायी जाएगी। इमदाद 8000/- रू. प्रति हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक प्रतिबंधित होगी।

(ख) फसल उत्पादन और आगत प्रबंधन

लाल तेल के अतिरिक्त राज्य में मुख्य बागवानी फसल काजू, नारियल, आम, मसाला जैसे मिर्च और जायफल हैं। कुछ परिवार औपचारिक समझौते के अन्तर्गत अन्य लोगों की भूमि पर मौसमी फसल पैदा करते हैं। खेतीहर किसानों को क्षेत्र कवर करने के लिए अपेक्षित भूमि के प्रयोग और खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) कृषि विस्तार का विकास

योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण देना और उन्हें नई तकनीकी के प्रसार और विकास योजना के साथ उनकी पहचान करवाने तथा जागृति पैदा करने के लिए राज्य से बाहर अध्ययन दौरे और गांवों में प्रदर्शनी, शो, क्षेत्र कैम्प के आयोजन द्वारा कृषि के क्षेत्र में नई उन्नति के बारे में बताना है।

(घ) बागवानी का विकास

- राज्य में किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए गुणवत्ता पौध सामग्री और वनस्पति बीज उपलब्ध कराना।
- गुणवत्ता पौध सामग्री का बड़े पैमाने पर बहुविधिकरण करने के लिए परिणाम बगीचे स्थापित करना।
- किसानों की भूमि पर अपनाने के लिए उन्नत तकनीकी संबंधी परीक्षण आयोजित करना।
- नए जीनों टाईप्स पर किसानों की भूमि में प्रदर्शनी लगाना।

- वनस्पति और मसरूम को बढ़ावा देना।

- क्षेत्र विस्तार और फसल जैसे काजू-नट, नारियल और फल जैसे केला, आम, चीकू आदि फसलों के नवीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

- मसाले, सुगंधित और चिकित्सीय फसल जैसे काली मार्च, जायफल, बिक्सा, पचौली और फलीय फसल जैसे अनानास, केला आदि सहित पौधारोपण फसल में अन्तर-फसलीकरण के लिए प्रोत्साहन देना।

- पौधा रोपन सामग्री और आगत के लिए सहायता उपलब्ध करा कर गलेडीलो, टयूबरोज, एनथूरियम एवं ओरचिड के पुष्प पालन को बढ़ावा देना।

- वाणिज्य के लिए बागवानी फसलों के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

- वनस्पति, फूल और फलों की बिक्री के लिए विपणन नेटवर्क केन्द्रों की स्थापना करना।

- पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देना।

- सुपारी के संवर्धन के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

- बागवानी उत्पादन में मूल्य वर्धन करना।

निविदा नारियल और गरी सृजन करने वाले रोजगार की बिक्री के लिए नारियल खेती को बढ़ावा देना। काजू-नट, नारियल, आम, चीकू, ताड़ का तेल तथा मसाले जैसी फसलों के लिए विकास कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं।

(ड.) समर्थन मूल्य और फसल मुआवजा

कभी-कभी कृषि उत्पादों के मूल्य वाणिज्यक स्तर से नीचे गिर जाते हैं और किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति विशेष रूप से बाजार में अतिरिक्त उत्पाद आने और उनके उपयोग/खपत के लिए बाजार के अन्य सम्पर्कों के प्रभाव के कारण होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य है:-

- भारत सरकार द्वारा उपलब्ध बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के माध्यम से इस प्रकार के उत्पादों को सहायता उपलब्ध कराना जिसमें राज्य नुकसान में 50% हिस्सा या 100% भार वहन करता है। समर्थन मूल्य केवल संगठित क्षेत्रों में उत्पादों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिनमें उत्पाद जरूरत के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी, लाईसेंसी व्यापारी या ऐसे अन्य अभिकरणों को बेचा जाता है।

- उन छोटे और छोटे किसानों की सहायता के लिए जो आग/बाढ़ आदि के कारण भारी फसल नुकसान उठाते हैं और जो प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है क्योंकि ऐसे नुकसान जिले के सीमित क्षेत्रों में होते हैं।

(च) मिट्टी और जल संरक्षण

योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिसूचित तटों को टूटने से बचाना है ताकि धान के खेतों को जलमग्न होने से रोका जा सके। योजना इन बांधों पर छोटे बांध और नाली के द्वारों की मरम्मत और रख-रखाव का प्रावधान करती है।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर गांव अवसंरचना का पूर्ण उपयोग करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा की गयी मरम्मत और भराई के माध्यम से तालाबों और अन्य जल भराव के स्थानों को पुनर्जीवन देना है।

(छ) जलाशयों की रिवाईटलाइजेशन तालाबों/गड्ढों की सफाई:

योजना का उद्देश्य तालाबों की सफाई के सहायता देना है और गड्ढे व्यक्तिगत किसानों और स्वयं सहायता समूह या गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपलब्ध कराये गये हैं।

(ज) प्रशिक्षण के लिए मिनी बसें

इस योजना का उद्देश्य निवास स्थान से प्रशिक्षण क्षेत्रों तक किसानों के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराना है। जब किसानों को उनके कैम्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें प्रोजेक्टर, ऑवरहैड प्रोजेक्टेर, हैंडीकैम की आवश्यकता होती है ताकि वे खेती के वास्तविक प्रचलन को देख सके।

शिल्पी प्रशिक्षण निदेशालय

जूट और पावरलूम सहित वंशानुगत कलाकारों/शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण

इस राज्य में वंशानुगत कलाकारों द्वारा तैयार की गयी बहुत सी वस्तुएं पुरातन और आकर्षक नहीं पायी गयी है। उन कलाकारों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं तैयार करने के लिए उनके कौशल एवं आधुनिक तकनीक में न केवल उनके वंशानुगत व्यापार बल्कि अन्य व्यापार में भी सुधार के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। इस दृष्टि से, वर्तमान केन्द्रों में अनुसूचित जाति के कलाकारों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रोत्साहन के रूप में एक प्रशिक्षार्थी को 250/-रू. प्रति माह वृत्तिका दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अच्छे एवं बुरे बिन्दु

1. बैंकों के माध्यम से भुगतान की प्रस्तावनाः–

विविध योजनाओं में जो अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए आरंभ की जाती है उनमें व्यय कालेज विद्यार्थियों एवं स्कूल विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पर खर्च किया जाता है। राज्य स्तर बैंकों की समिति की बैठक के दौरान आयोग द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि सभी कालेजों के आरंभ में दाखिले की तारीख से विद्यार्थी या संरक्षक के नाम में स्वयं एक बैंक खाता खुलवाया जाए और सभी संव्यवहार कालेज को पृष्ठांकित करते हुए एक ईसीएस के माध्यम से इन खातों में समाज कल्याण विभाग से भेजा जाए। इससे नकद लेन-देन और अंतरिम कमियों से बचा जा सकेगा। पत्र को एक समयबद्ध ढंग से चरणबद्ध तरीके से हायर सेकेन्डरी स्कूल और हाई स्कूल दोनों में भेजने की आवश्यकता है। इससे लाभार्थियों को न केवल 100% भुगतान सुनिश्चित होगा बल्कि पात्र प्रवासी जनसंख्या और भुगतान के लेन-देन में चूक को भी न्यूनतम किया जा सकेगा।

2. असमानुपातिक व्ययः–

क्षेत्र दौरे के दौरान राज्य अधिकारियों का एक सामान्य अवलोकन का तथ्य यह है कि अधिकतर व्यय अंतिम तिमाही में या पिछले 5 महीनों में किया जाता है जिसके कारण खर्च करने के नाम पर गलत व्यय होता है और एक बहुत घटिया गुणवत्ता का कार्य किया जाता है। जिसको स्थानीय स्तर पर इंजीनियरों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। वास्तव में एससीपी व्यय चार्ट से बातें स्पष्ट हो जायेंगी। वास्तव में भारत सरकार के वितीय मंत्रालय ने सभी संबंधितों को पहले ही सीमा में खर्च करने के अनुदेश दे रखे हैं और आंतरिक वितीय सलाहकारों से भी निगरानी करने और बिना खर्च की राशि को भी वापस लौटाने के लिए भी कह रखा है। इन अनुदेशों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ अपवादों को छोड़कर, इसके लिए उत्तरदायी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष की एसीआर में प्रविष्टि की धमकी से सख्त अनुपालन हो सकेगा और स्थिति में सुधार आएगा।

12. पंजाब

पंजाब की कुल जनसंख्या 243.59 लाख है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 70.28 लाख है जो राज्य में कुल जनसंख्या का 28.85% है।

आर्थिक विकास

पंजाब में कुल गरीबी रेखा से नीचे के परिवार 5.23 लाख हैं जिनमें अनुसूचित जाति 3.21 लाख है। बीपीएल कैटेगरी में अनुसूचित जाति परिवारों का प्रतिशत 61.38% है। यह 2002 में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब और 2004 में राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा), पंजाब द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार है। बीपीएल के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कैटेगरी से संबंधित व्यक्यिों की संख्या बहुत अधिक है।

बाल मृत्यु दर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जातियों में बाल मृत्यु दर कुल जनसंख्या में 6.80 के मुकाबले 16.00 है। राज्य सरकार को अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित बच्चों में ऐसे उच्च मृत्यु दर के कारणों का पता लगाना चाहिए और इस समस्या का हल करना चाहिए।

प्रचालनीय भूमि जोत

रिपोर्ट विशेष रूप से बताती है कि कुल 9.97 लाख प्रचालन भूमि जोतों में केवल 3757 (3.78%) अनुसूचित जाति से संबंधित है। उनमें से अधिकतर जोत बेकार और अव्यवहार्य हैं। राज्य सरकार को अधिक अनुसूचित जाति किसानों को भूमि जोत श्रेणी के अन्तर्गत लाने के लिए पहल करनी चाहिए।

शिक्षा ऋण

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को 4% की सब्सिडाइज्ड ब्याज से शिक्षा ऋण भी मुहैया कराया जाता है।

एससीएसपी

सूचना एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन और व्यय से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा योजना अवधि या वार्षिक योजनाओं में किये गये कुल आबंटन के अनुसार कोई विवरण नहीं है। इस दृष्टि से यह संभव नहीं है कि एक योजना अवधि में कुल राज्य आबंटन से एससीपी आबंटन की एक तुलनात्मक तस्वीर दी जाए। एससीपी के अन्तर्गत आबंटन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार होना चाहिए। पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 28.85 है।

9वीं योजना (1997-02) के दौरान एससीएसपी के अन्तर्गत परिव्यय 1518 करोड़ था और व्यय केवल 759.41 करोड़ था जो 50.03% होता है। इसलिए एससीपी के अन्तर्गत आबंटितराशि का केवल 50% उपयोग किया गया। उसी प्रकार 10वीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान 4186.90 करोड़ रूपए में से केवल 1636.44 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया था। उपयोगिता का प्रतिशत केवल 39.08% है। 9वीं और 10वीं योजना के कुल योजना परिव्यय से एससीएसपी में किए गए आबंटन पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है इसलिए ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता कि क्या इन योजना अवधियों के दौरान आबंटन पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत के अनुसार अर्थात् 28.85% था।

10वीं योजना (2002-07) और 11वीं योजना अवधि (2007-2012) और प्रतिवर्षवार एससीएसपी परिव्यय और व्यय का विवरण निम्नवत है:-

(रू.करोड़ में)

एससीएसपी में प्रवाह				
वर्ष	कुल योजनागत परिव्यय	परिव्यय	व्यय	% प्रवाह
2002-03	2793.00	392.33	172.39	14.04
2003-04	2822.00	819.95	132.30	29.05
2004-05	3479.80	886.00	155.21	25.46
2005-06	3550.00	934.62	444.52	26.32
2006-07	4000.00	1154.00	732.02	28.85
11वीं योजना (2007-12)				
2007-08	5111.00	1330.00	749.73	26.02
2008-09	6210.00	1792.00	1235.87	28.85
2009-10	8625.00	2488.31	1316.08	28.85
2010-11	9150.00	2640.00	1764.15 (Tentative)	28.85
2011-12	1152.00	3323.52	-	28.85

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आबंटित राशि से व्यय बहुत कम है।

एससीपी में विशेष केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार द्वारा पंजाब राज्य को जारी की गयी राशि का विवरण और व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि	व्यय	व्यय में कमी के कारण
9वीं योजना (1997-02)	4184.03	3533.98	राज्य वित्त विभाग द्वारा कम निधि जारी किया जाना
10वीं योजना 2002-07			
2002-03	-	402.90	पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई शेष राशि में से किया गया व्यय
2003-04	680.03	40.41	राज्य वित्त विभाग द्वारा कम निधि जारी किया जाना
2004-05	-	33.45	पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई शेष राशि में से किया गया व्यय
2005-06		1026.70	पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई शेष राशि में से किया गया व्यय
2006-07	655.54	1005.31	पिछले वर्ष खर्च नहीं की गई शेष राशि में से किया गया व्यय

13.उड़ीसा

2001 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा की कुल जनसंख्या 3,68,04,660 है जिसमें से 60,82,063 (16.53%) अनुसूचित जातियों से संबंधित है। उड़ीसा राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का पालन नहीं कर रही है।

वर्तमान प्रणाली जिसका राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पालन किया जा रहा है, नीचे दी गयी है:-

क. 3 सरकारी मेडिकल कालेजों (प्रत्येक में 150) में कुल सीटों का 8%, इंजीनियरिंग प्रवेश लेने के समय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।

ख. आईटीआई और पोलेटेकनिक कालेजों में प्रवेश के लिए 15% सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं।

ग. अन्य व्यवसायिक और सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए 8% सीट रखी जाती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त 8% सीटे अनुसूचित जातियों के लिए जारी की जाएंगी।

10वीं और 11वीं योजना के दौरान एससीएसपी में उड़ीसा राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के जारी करने का विवरण और उसका उपयोग निम्नवत है:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	ओपनिंग शेष	भारत सरकार द्वारा जारी विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता	जारी विशेष केन्द्रीय सहायता	अव्ययित शेष
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)					
2002-2003	1742.47	1820.82	3663.29	2070.84	1592.45
2003-2004	1592.45	779.30	2371.75	2015.75	356.00
2004-2005	356.00	345.70	701.70	701.70	
2005-2006		1576.33	1576.33	1472.52	103.81
2006-2007	103.81	1629.26	1733.07	1733.07	
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)					
2007-2008		2453.49	2453.49	2453.49	
2008-2009		2832.14	2832.14	2003.35	828.79
2009-2010	828.79	2209.99	3038.78	2504.60	834.18
2010-2011	534.18		534.18	534.18	

एससीएसपी के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 के अन्तर्गत वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के लिए एससीएसपी में प्रवाह और वास्तविक/प्रत्याशित व्यय, वितीय परिव्यय संबंधी विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	शीर्ष	11वीं योजना 2007-12 प्रक्षेपित परिव्यय (At 2006-07)		वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10		वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावित बजट परिव्यय	
		परिव्यय	एससीएसपी के लिए कौन सा प्रवाह	कुल परिव्यय	एससीएसपी के अन्तर्गत वास्तविक व्यय	कुल परिव्यय	एससीएसपी के अन्तर्गत प्रत्याशित व्यय	कुल परिव्यय	एससीएसपी के लिए कौन सा प्रवाह
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10
	कुल योग	3222500.00	532679.50 (16.53%)	485000.00	78779.32 (16.24%)	750000.00	123975.00 (16.53%)	950000.00	157035 (16.53%)

अच्छे बिन्दु

1) विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में 100 अनुसूचित जाति छात्रावास स्थापित करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार का प्रयास।
2) राज्य सरकार द्वारा हाई स्कूल विद्यार्थियों अर्थात् लड़कियों और लड़कों दोनों को साईकिलों का वितरण
3) राज्य सरकार ने भुगतान में देरी से बचने के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई-आवेदन और ई-भुगतान शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

खराब बिन्दु

1) कालेज और स्कूलों में प्रवेश के मामले में निर्धारित प्रतिशत अर्थात 16% अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को आबंटित नहीं किया गया है केवल 8% आरक्षण अनुसूचित जातियों को आबंटित किया गया है।
2) अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में पेयजल, विद्युत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

14. सिक्किम

2001 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य अनुसूचित जातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.02% है।

एससीएसपी के अन्तर्गत सिक्किम राज्य द्वारा जारी किया गया विवरण निम्नवत है:-

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	11वीं योजना 2007-2012 प्रोजेक्ट परिव्यय (2006-2007 के मूल्य पर)		वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10	
		परिव्यय	जिसमें से एससीएसपी के लिए प्रवाह	कुल परिव्यय	एससीएसपी के अन्तर्गत वास्तविक परिव्यय	कुल परिव्यय	एससीएसपी के अन्तर्गत वास्तविक परिव्यय	कुल परिव्यय	जिसमें से एससीएसपी के लिए प्रवाह
01	कृषि और सहायक	383.73	9.94	1.54	1.54	1.85	1.85	2.00	2.00
02	ग्रामीण विकास	776.86	27.41	4.71	4.71	3.97	3.97	4.05	4.05
03	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	84.76	1.02	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06
04	ऊर्जा	500.00	25.00	2.00	2.00	2.35	2.35	1.50	1.50
05	उद्योग और खनिज	216.50	6.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
06	परिवहन	363.87	शून्य	शून्य	शून्य	1.75	1.75	1.20	1.20
07	विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	19.40	1.02	0.17	0.47	0.72	0.72	0.08	0.08
08	सामान्य आर्थिक सेवाएं	124.38	4.62	0.68	0.68	0.73	0.73	0.48	0.48
09	सामाजिक सेवाएं	1605.46	71.63	4.98	4.98	8.43	8.36	7.73	7.73
10	सामान्य सेवाएं	170.00	5.00	0.69	0.69	1.80	1.44	0.90	0.90
11	योग	4244.96	152.14	15.33	15.33	22.16	21.73	18.40	18.40

2. 10वीं और 11वीं योजना के दौरान एससीएसपी और सिक्किम राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के जारी करने का विवरण और उसका उपयोग निम्नवत है:-

				रू. लाख में
वर्ष	**ओपनिंग शेष**	**भारत सरकार द्वारा जारी विशेष केन्द्रीय सहायता**	**कुल उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता**	**अव्ययित शेष**
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)				
2002-2003	0.42	42.21	42.63	0.43
2003-2004	0.43	1.12	1.55	शून्य
2004-2005	शून्य	15.44	15.44	शून्य
2005-2006	शून्य	17.73	17.73	-वही-
2006-2007	शून्य	49.23	49.23	शून्य
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)				
2007-2008	शून्य	52.40	52.40	शून्य
2008-2009	शून्य	40.06	40.06	शून्य
2009-2010	शून्य	22.60	22.60	1.60
2010-2011	1.60	* 25.73	27.33	उपयोग की जा रही है

पहली किस्त केवल

15.पुदुचेरी

2001 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9.74 लाख है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1.57 लाख अर्थात् (16.19%) है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति (म./पु.) की साक्षरता दर 69.1% है।

गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जातियों की कुल संख्या और प्रतिशत निम्नवत है:-

पुदुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे 1.44 लाख परिवार हैं। अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या 39845 अर्थात 27.64% है।

समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति लोगों की आय सीमा 24000/-रू. से 200 लाख रू. तक निर्धारित की है। जहाँ तक शैक्षणिक योजना का संबंध है, कालेज स्तर तक लाभ प्राप्त करने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।

विकास

आर्थिक और सामाजिक पहलू

लगभग 80% अनुसूचित जाति गांवों में रह रही है और कृषि श्रमिक हैं। कृषि भूमि को औद्योगिक एवं सम्पदा उद्देश्यों में बदलने के कारण, वे बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। वे अन्य व्यवसायों जैसे कलाकारी, बढ़ई गिरी, राजमिस्त्री आदि व्यवसायों से भी परिचित नहीं हैं। उनमें से बहुतों के पास मकान या अपना मकान स्थल भी नहीं है। वे सामान्यत: परिसम्पति रहित हैं।

संघ राज्य क्षेत्र को बदलते हुए आर्थिक परिवेश में विशिष्ट आर्थिक विकास योजना चलानी चाहिए।

सीएसपी निधि

एससीएसपी राज्य योजना परिव्यय का विवरण और 10वीं एवं 11वीं योजना अवधि के लिए एससीपी एवं व्यय का प्रवाह निम्नानुसार है:-

(रू. करोड़ में)

		एससीपी में प्रवाह		
	राज्य परिव्यय	परिव्यय	व्यय	% प्रवाह
कुल 10वीं योजना				
2002-03	412.05	43.47	42.95	10.55
2003-04	468.63	73.03	67.65	15.58

2004-05	615.00	99.47	99.06	16.17
2005-06	750.00	137.62	110.57	14.88
2006-07	873.45	130.07	122.12	14.89
कुल 11वीं योजना				
2007-08	1087.26*	150.14	149.73	13.81
2008-09	1060.76*	153.45	152.73	14.46
2009-10	1450.36*	176.83	176.62	12.19
2010-11	1568.63*	176.83	175.00	11.27

* एससीएसपी परिव्यय बिना ऋण घटक का संकेत देता है।
स्रोत: राज्य सरकार

* एससीएसपी परिव्यय बिना ऋण घटक का संकेत देता है।
स्रोत: राज्य सरकार

यह बताया गया है कि एससीएसपी निधि का अन्य उद्देश्यों के लिए अपवर्तित नहीं किया है।

वर्ष 2002-03 और 2003-04 और 2005-06 से 2010-2011 तक एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से कम है।

एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन को व्यय के अनुरूप नहीं बनाया गया है। बहुत कम उपयोग किया गया है। संघ क्षेत्र से जोर देकर कहा गया है कि एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन राज्य में अनुसूचित जातियों के संख्या के अनुपात में होना चाहिए जो 16% है। व्यय भी इससे मेल खाना चाहिए।

एससीए से एससीपी तक

राज्य को आबंटित निधि का विवरण विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी तक प्रवाह और 2008-09 तक 10वीं योजना एवं 11वीं योजना प्रत्येक के दौरान उसका उपयोग निम्नवत है:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	ओपनिंग शेष	विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटन	विशेष केन्द्रीय सहायता उपयोगिता	विशेष केन्द्रीय सहायता अव्ययित (प्रगतिशील योग)
कुल 9वीं योजना	0	202.58	152.58	50.00
10वीं योजना				
2002-03	50.00	5.81	46.86	8.95
2003-04	8.95	3.13	12.08	0.00
2004-05	0.00	7.35	0.00	7.35
2005-06	7.35	20.49	12.14	15.70
2006-07	15.70	71.73	21.80	65.63
11वीं योजना				
2007-08	65.63	125.00	45.47	145.16
2008-09	145.16	0.00	145.16	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00

यह देखा जा सकता है कि विशेष केन्द्रीय सहायता 10वीं योजना अवधि 2002-03 से 2006-07 में उपयोग की गयी। खर्च न किए गए शेष को आगे ले जाने का प्रावधान है जिसे आगे ले जाये विशेष वर्ष में आबंटितविशेष केन्द्रीय सहायता के साथ उपयोग किया जाता है। सम्पूर्ण राशि 11वीं योजना अवधि में वर्ष 2008-09 में उपयोग की गयी है। तथापि, 2008-09 के बाद से जारी विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध कोई आबंटन विवरण उपलब्ध नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के ढंग पर अब तक कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, यह सूचना है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय संभवत: यह अध्ययन करता है।

आवास योजना

24.02.2009 से 'भारत रत्न राजीव आवास योजना' के अन्तर्गत पक्का मकान की एक आवास योजना है। यह अच्छी योजना है और अन्य आवास योजना भी हैं।

कल्याण मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए संघ राज्य क्षेत्र में अन्य कार्यक्रम/योजना भी हैं। जैसे,

- अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए पात्र अनुसूचित जाति परिवार को 20,000/- रू0 की सब्सिडी दी जा रही है।

- उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 500/-रू. प्रतिमाह दिए जा रहे हैं जो अपनी लम्बी बीमारी के कारण कमाने की स्थिति में नहीं हैं।
- माता और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छः महीनों तक 1000/-रू. प्रतिमाह की दर से गर्भवती-स्तनपान वाली महिला को 6000/-रू. दिए जा रहे हैं।
- उन सभी अनुसूचित जाति व्यक्यिों को निःशुल्क कपड़े उपलब्ध कराये गये हैं जिन्होंने दो अवसरों अर्थात् दीपावली एवं पोंगल त्यौहार के दौरान 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
- अपनी पुत्री के विवाह के मौके पर अनुसूचित जाति दुल्हन के पिता को 25000/-रू. की राशि मंजूर की जाती है।
- अंतर्जातीय विवाहित दम्पति जिसका उद्देश्य छूआछूत समाप्त करना है (अनुसूचित जाति का हिन्दु गैर-अनुसूचित जाति से) को 50,000/-रू. दिए जाते हैं।
- बीमार गरीब अनुसूचित जाति व्यक्ति के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए 5000/-रू. दिए जाते हैं।
- आदि द्रविड़ कल्याण विभाग उन अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को वितीय सहायता मंजूर करता है जो व्यवसायिक पाठ्क्रम जैसे एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, अध्यापक प्रशिक्षण, पैरा मेडिकल में अध्ययन करते हैं।
- दो आवासीय स्कूल एक पुदुचेरी और दूसरा कराईकल में विशेष रूप से अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए आरंभ करने का प्रस्ताव है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के उनके स्तर को सुधारने के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की सहायता हेतु सांयकालीन कोचिंग कक्षाएं चलायी जा रही हैं।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों के लाभ के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 4 केन्द्रों (पुदुचेरी में दो, कराईकल और यमन क्षेत्र में एक-एक) पर कटिंग एवं टेलरिंग के लिए चलाये जा रहे हैं। कुल 98 अनुसूचित जाति महिलाओं को प्रत्येक वर्ष लाभ दिया जा रहा है और 750/-रू. प्रतिमाह वजीफा एक वर्ष प्रशिक्षण अवधि के दौरान लाभार्थियों को दिया जाता है। प्रशिक्षण के अन्त में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सिलाई मशीन दी जाती है।

ओएपी/निराश्रय व्यक्ति/अशक्त व्यक्ति के भुगतान की निधि एससीएसपी के अन्तर्गत पूरी की जाती है।

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत 92.00 करोड़ रू. की परियोजना लागत पर सीडीपी क्षेत्र में प्रस्तावित 1660 मकानों में से अरियूर में 142 मकान, और पिटचेविरनपेट में 120 मकान बनाए गए और लाभार्थियों को वितरित किए गए।

विभाग ने 158.09 करोड़ रू. की परियोजना लागत से हुडको ऋण योजना के अंतर्गत पुदुचेरी और कराईकल के 17 गैर-सीडीपी स्थानों में 1250 तैयार निर्मित मकान बनाने के लिए भी कार्रवाई आरंभ की थी।

निःशुल्क मकान स्थल उपलब्ध कराने के लिए 45 स्थानों की पहचान की गयी है। प्रगति के चरण नीचे दिए गए हैंः-

क. भूमि ले ली गयी है और चिन्हित की जा रही है - 6 स्थल
ख. अधिग्रहण का आरंभिक चरण - 23 स्थल
ग. अधिग्रहण की 6(1) अधिसूचना चरण - 16 स्थल

2005-06 से 2009-10 तक अनुसूचित जाति/अन्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए निःशुल्क मकान स्थल पट्टों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	वितरण का वर्ष	आर.एस.सं.	वितरित पट्टों की सं.
1.	गुशियंलपेट	2005	63/3,63/4	117
2.	सेदरपेट	2007	56	41
3.	वल्लूवनपेट	2007	12	46
4.	किरूममपक्कम	2008	65/2,69/2A/1C, 70/9B, 70/12B	94

<u>शहरी और ग्राम योजना</u>

शहर और ग्राम योजना विभाग से सुसंगत वर्ष 2005-10 (10वीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान अनुसूचित जाति को आबंटित मकानों/मकान स्थलों का विवरण नीचे दिया गया हैः-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	अ.जा.को आबंटितभूखंडो/फ्लेटों/मकानों की संख्या			
		पुदुचेरी आवास बोर्ड		पुदुचेरी मलीन बस्ती निकासी बोर्ड	
		आबंटित भूखंडों/ फ्लेटों/ मकानों की संख्या	अ.जा.को आबंटित भूखंडों/फ्लेटों/ मकानों की संख्या	कुल आबंटित मकान	अ.जा. को आबंटित मकानों की सं.
1	2005-06	48 भूखंड	25 भूखंड	48	10
2	2006-07	शून्य	शून्य	64	24
3	2007-08	46 भूखंड	3 भूखंड	—	—
		77 भूखंड	7 फ्लेट		
4	2008-09	—	3 भूखंड	—	—
5	2009-10	—	1 भूखंड	110	14
	कुल	278	39	222	48
	अ.जा. के आबंटन का %		14.03%		21.62
	कमी/कारण		कमी 1.97% है। पीएचबी द्वारा उल्लिखित कमी के कारण अ.जा. वर्ग में अपर्याप्त अभ्यर्थी हैं।		आबंटन का प्रतिशत 16% के मुकाबले 21.62% है और इसलिए कोई कमी नहीं है।

कार्यान्वयन अभिकरण	विवरण	योग	अ.जा. आबंटी
पुदुचेरी स्लम क्लीयरेंस	मलीन बस्ती के लोगों के लिए किरायेदारी (7/-रू. प्रतिमाह किराये की दर पर)	222	48
पुदुचेरी स्लम क्लीयरेंस बोर्ड	झोपड़ियों को पक्के मकानों में बदलने के लिए बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता	32,500	5598
पुदुचेरी आवास बोर्ड	विकास आवास भूखण्ड विक्रय (सीधी खरीद के आधार पर)	278	39
पुदुचेरी आवास बोर्ड	एमआईजी फ्लैट विक्रय (सीधी खरीद के आधार पर)	49	2

आदि द्रविड़ विकास निगम

निगम द्वारा बहुत सी आर्थिक विकास योजनाएं हैं जहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मार्जिन राशि-व-इमदाद उपलब्ध करायी जाती है।

प्रशिक्षण योजना

संघ राज्य क्षेत्र द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजना चलायी जाती है।

शिक्षा ऋण

4% के इमदादी ब्याज पर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।

एससीएसपी

एससीएसपी के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए सीएम के अन्तर्गत एक राज्य स्तर समिति है।

16. हरियाणा

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी)

2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 19.35% है। वर्ष 2008-09 से एक अलग बजट उप-शीर्ष-789 खोला गया है। अनुसूचित जाति उप-योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन और गठन के लिए एक नॉडल विभाग के रूप में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में एक संयुक्त निदेशक (एससीएसपी) की अध्यक्षता में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया है। एससीएसपी निधि को गैरअपवर्तनीय बनाया गया है फिर भी यह गैर-व्यपगतीय नहीं है। निम्नलिखित तालिका अनुसूचित जाति उप-योजना के प्रवाह की बढ़ती प्रवृति दर्शाती है:-

(रू. लाख में)

वर्ष	वार्षिक योजनागत परिव्यय	एससीएसपी आबंटन	%	वार्षिक योजना व्यय	एससीएसपी व्यय	एससीएसपी व्यय का %
2005-06	300000.00	64213.37	21.40	299676.98	53013.33	17.69
2006-07	330000.00	67076.43	20.33	423264.16	72104.17	17.03
2007-08	530000.00	104844.00	19.78	575118.48	93922.69	16.33
2008-09	713000.00	134486.08	18.86	710828.09	120580.79	16.96
2009-10	1040000.00	209806.85	20.17	962443.93	200409.09	20.82
2010-11	1110000.00	230964.67	20.80	957466.69	190461.15	19.90
2011-12	1320000.00	255409.67	19.35	--	—	—

रोजगारोन्मुखी संस्थानों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थापित करके रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना:–

यह योजना उन अनुसूचित जातियों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 02.03.2009 को आरंभ की गयी थी जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। विभिन्न शाखाओं जैसे ड्राईविंग, पैरा मेडिकल, ऑटो मोबाइल्स, खाद संवर्धन, एयर होस्टेस आदि के लिए वजीफा सहित अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 2009 से अब तक 1236 प्रशिक्षणार्थियों पर 500.00 लाख रू. की राशि खर्च की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कवर किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा वर्षवार बजट व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	संस्थानों/समितियों की सं0
2008-09	400.00	—
2009-10	500.00	—
2010-11	100.00	1236
2011-12	(आबंटन 50.00) —	—
योग	1000.00	1236

निजी संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए वितीय सहायता:–

असंगठित क्षेत्रों में उन अनुसूचित जातियों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना 01.03.2009 में आरंभ की गयी थी जिनकी आय 2.50 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। कम्प्यूटर, खाद्य संवर्धन, बढ़ई, ड्रेस मेकिंग, हेयर स्टाईल एण्ड ब्यूटिशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल मरम्मत, इलेक्ट्रिशयन, प्लम्बिंग आदि में लघु अवधि प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कवर किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा वर्षवार बजट व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	संस्थाओं/सोसायटियों की सं0
2009-10	41.86	1040
2010-11	(आबंटन 50.00) —	—
2011-12	(आबंटन 50.00) —	—
Total	41.86	1040

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमः–

विभिन्न आय सृजन योजनाओं के लिए जिसमें 88454 लाभार्थियों को अनुदान के रूप में 72.87 करोड़ रूपए की राशि शामिल है दिनांक 05.03.2005 से 30.06.2011 तक निगम ने 307.17 करोड़ रू. की वितीय सहायता उपलब्ध करायी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा योजना आरंभ की गयी और संशोधित की गयी। 05.03.2005 के बाद 30.06.2011 तक प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

यह केन्द्रीकृत प्रयोजित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे का हरियाणा का मूल निवासी परिवार को परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर 10,000/-रू. की वितीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से नीचे हो। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 700.00 लाख रू. का प्रावधान है।

वर्ष	लाभार्थी	राज्य सरकार द्वारा संवितरित की गयी राशि (रू. लाख में)
2005-06	4,408	4,44,07,980
2006-07	4,277	4,27,70,175
2007-08	4,316	4,31,65,040
2008-09	4,481	4,48,11,000
2009-10	4,500	4.50 करोड़
2010-11	6,802	6.80 करोड़

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

राज्य सरकार 1.4.2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18-60 वर्ष आयु वर्ग के उन सभी दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी अशक्तता की स्थिति में मुआवजा दिया जाता है जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड रखता है और सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं है। मुआवजा निम्नानुसार दिया जाता है:-

(क)	मृत्यु	:	1.00 लाख रू.
(ख)	स्थायी अशक्तता	:	1.00 लाख रू.
(ग)	दो अंग, दो आंख, एक अंग, एक आंख की हानि पर	:	50,000 हजार रू.
(घ)	एक आंख या एक अंग की हानि पर	:	25,000 हजार रू.

वर्ष	व्यय (रू. लाख में)	लाभार्थी
2006-07	27.25	3000
2007-08	12.47 12.53	1261 रिलाएंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को भुगतान किया
2008-09	30.01	4598
2009-10	36.97	3735
2010-11	29.73	2973

इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना

यह योजना 14.12.2005 में आरंभ की गयी थी (पहले इसे कन्यादान के रूप में जाना जाता था) अनुसूचित जाति के सदस्यों, अअधिसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे के समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को 15000/-रू. की राशि और समाज के अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों को 5100/-रू. उनकी पुत्रियों के विवाह के अवसर पर दी जाती है । अब इस राशि को 26.01.2010 से क्रमशः 31000/-रू. और 11000/-रू. तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विपरीत लिंग अनुपात की बढ़ती हुई प्रवृति की जांच करना है और सापेक्ष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति परिवारों की लड़कियों की शादी को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और वर्षवार बजट व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2005-06	1678.44	18024
2006-07	2226.03	19523
2007-08	2216.91	19239
2008-09	1968.97	16907
2009-10	3131.79	26499
2010-11	3318.38	17258
2011-12	आबंटन 3375.00) 1840.19	7598
कुल	16380.71	1,25,048

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के लिए आवास योजनाः-

यह योजना 01.05.2006 से संशोधित रूप में आरंभ की गयी। वित्तीय सहायता को 10,000/-रू. से 50000/-रू. बढ़ा दिया गया था। योजना में मकान की मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों के लिए 10000/-रू. की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और वर्षवार बजट व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2005-06	153.40	1534
2006-07	556.41	1798
2007-08	271.00	3870
2008-09	810.00	2428
2009-10	3036.80	7876
2010-11	1997.20	4654
2011-12	(आबंटन 2500) 351.30	736
कुल	7176.11	22,896

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पंचायतों को प्रोत्साहनः-

वर्ष 2006-07 में प्रोत्साहन राशि को 5000/-रू. से बढ़ाकर 50000/-रू. कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कवर पंचायतों की वर्षवार बजट संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	37.60	93
2006-07	15.84	84
2007-08	29.50	59
2008-09	8.75	18
2009-10	25.50	51
2010-11	48.00	96
2011-12	(आबंटन 84.00)	—
कुल	165.19	401

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना

यह राज्य योजना है जिसके अन्तर्गत हरियाणा मूल के वृद्ध व्यक्ति, 60 वर्ष की आयु वर्ग और उससे ऊपर के व्यक्ति के लिए योजना के नियमों में उल्लिखित पात्रता मापदण्ड के अनुसार 01.03.2009 में संशोधित दरों पर प्रतिमाह 550/-रू. और 700/-रू. (10वर्ष बाद) की दर से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	374.20	9,40,368
2006-07	366.71	10,62,807
2007-08	366.68	9,95,028
2008-09	408.22	11,25,372
2009-10	902.79	12,50,349
2010-11	899.15	13,73,672
2011-12	198.75 (आबंटन 817.70)	13,55,729 (10,57,521@ Rs. 550/- & 2,98,208 @ 700/- P.M.
कुल	3516.50	81,03,325

विधवा पेंशन

यह राज्य योजना है जिसके अन्तर्गत निराश्रित या परित्यक्त और 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की विधवा को योजना के नियमों में उल्लिखित पात्रता मापदण्ड के अनुसार 01.08.2010 से संशोधित दरों पर प्रतिमाह 750 रू. की दर से पेंशन दी जाती है।

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	142.38	3,75,029
2006-07	160.20	4,02,212
2007-08	173.97	4,23,122
2008-09	183.35	4,44,874
2009-10	403.49	4,71,856
2010-11	435.73	5,01,704
2011-12	97.02 (आबंटन 494.08)	5,15,129
कुल	1596.14	31,33,926

अशक्तता पेंशन

यह एक राज्य योजना है जिसके अन्तर्गत हरियाणा मूल के विकलांग व्यक्ति जो न्यूनतम 70% अशक्त है और 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, को योजना के नियमों में उल्लिखित पात्रता मापदण्ड के अनुसार 01.03.2009 से संशोधित दरों पर 500/-रू. प्रतिमाह की दर से तथा 100% अशक्त को 750/-रू. प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	35.90	98,461
2006-07	48.33	1,11,490
2007-08	54.25	1,18,789
2008-09	58.21	1,26,257
2009-10	95.76	1,31,687
2010-11	92.10	1,33,747
2011-12	19.09 (आबंटन 99.00)	13,55,729 (88,917 @ Rs. 550/- & 46,342@ Rs. 750/- P.M
कुल	403.64	8,55,690

लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को 01.01.2006 से आरंभ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष की आयु के माता या पिता जिनके पास केवल लड़की (बच्ची) है, प्रति परिवार 300/-रू. प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब सरकार ने भत्ते की दर 300/-रू. से प्रति माह से 500/-रू. कर दी है और 01.04.2007 से पात्रता आयु को 55 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	0.16	2673
2006-07	1.15	4621
2007-08	4.92	14688
2008-09	10.22	21247
2009-10	13.30	24174
2010-11	14.25	23564
2011-12	2.85 (आबंटन 18.50)	24943
कुल	46.85	115910

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

यह राज्य योजना है जिसके अन्तर्गत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो मृत्यु या माता-पिता को लम्बी अवधि के कारावास, लम्बी बीमारी या मानसिक रोग के कारण समुचित देखभाल से वंचित हो जाते हैं, योजना में उल्लिखित पात्रता मापदण्डों के अनुसार एवं परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रति बच्चा 200/-रू. प्रति माह भुगतान किया जाता है।

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	1.07	35,545
2006-07	3.98	50,184
2007-08	6.77	65,811
2008-09	7.98	75,425
2009-10	19.48	89,069
2010-11	22.90	94,757
2011-12	4.45 (आबंटन 28.00)	66750
कुल	66.63	4,77,541

अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग विधवा/निराश्रित महिला/लड़कियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण:-

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विधवा/निराश्रित महिला/लड़की जिसके माता-पिता डीआरआई योजना के अन्तर्गत कवर होते हैं, को वजीफा के रूप में 100/- रुपए प्रतिमाह दिया जाता है और एक वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान कच्ची सामग्री के लिए 150/-रू. प्रति माह उपलब्ध कराये जाते हैं। पाठ्क्रम पूरा करने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को एक नई सिलाई मशीन भी नि:शुल्क दी जाती है। प्रशिक्षण में पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को 2009 में शामिल किया गया। सभी महिला सामाजिक कार्यकताओं को ऊषा कम्पनी प्रा0लि0 के माध्यम से आधुनिक सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत कवर प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार बजट व्यय संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख मे)	लाभार्थियों की सं0
2005-06	28.39	1740
2006-07	29.50	1740
2007-08	30.60	1740
2008-09	5.71	1720
2009-10	102.98	2100
2010-11	67.78	2075
2011 12	(आबंटन 194.00)	2075
कुल	264.96	13,190

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों से संबंधित संस्थाओं एवं समितियाँ के लिए वित्तीय सहायता:-

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के संस्थाओं एवं समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना 06.04.2010 में आरंभ की गयी ताकि वे भवन का निर्माण पूरा करना, मरम्मत या नवीकरण कर सके जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामुदायिक समाज या शैक्षणिक उद्देश्य आदि के लिए प्रयोग किया सके और इन भवनों में बुनियादी सुविधाएं एवं साजो-सामान उपलब्ध कराये जा सके। 32 समितियों एवं संस्थानों में 30 लाख रू. की राशि वितरीत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कवर की जाने वाली संस्थाओं/समितियों की संख्या और वर्षवार बजट व्यय निम्नवत है:-

वर्ष	बजट व्यय (रू. लाख में)	संस्थानो/समितियों की सं0
2010-11	30.00	32
2011-12	(आबंटन 50.00)--	--
कुल	30.00	32

17. कर्नाटक

2001 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या का 6.20% है। वर्ष 2007-08 के दौरान व्यय एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटन का प्रतिशत राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। विवरण निम्नवत है:-

राज्य का कुल बजट परिव्यय/राज्य योजना व्यय/एससीएसपी आबंटन और एससीएसपी व्यय नीचे दिया गया है:-

रू. लाख में

वर्ष	कुल बजटीय परिव्यय	कुल बजटीय परिव्यय के लिए % सहित राज्य योजना व्यय		कुल बजटीय परिव्यय के लिए % सहित एससीएसपी आबंटन		एससीएसपी आबंटन के लिए % सहित एससीएसपी व्यय	
		व्यय	%	आबंटन	%	व्यय	%
2006-07	16166.00	18308.69	100.00	145783.21	9.02	140087.25	96.09
2007-08	17782.75	17227.00	96.87	291467.79	16.39	198261.90	68.02
2008-09	25952.83	22576.74	86.99	323243.77	12.46	257568.21	79.68
2009-10	29500.00	26944.10	91.34	291659.22	9.89	245746.55	84.26
2010-11	31050.00	31566.85	100.00	314228.72	10.53	292601.00	89.53

18. मध्य प्रदेश

2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 6.04 करोड़ है। अनुसूचित जाति की जनंसख्या 0.92 करोड़ है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.20% है। राज्य ने एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटित योजना परिव्यय तद्नुसार है। एससीएसपी के अन्तर्गत व्यय समानुपातिक रूप से उपभोग कर लिया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	वर्ष	कुल योजना परिव्यय	एससीएसपी	कुल योजना परिव्यय पर एससीएसपी का %	एससीएसपी व्यय	राज्य योजना को एससीएसपी व्यय का %	राज्य योजना व्यय का %
1.	2007-08	11552.21	1717.76	14.86	1977.77	95.07	-
2.	2008-09	13448.94	2142.68	15.93	1832.58	89.27	-
3.	2009-10	16114.17	2462.12	15.27	2031.12	92.07	-
4.	2010-11	18014.67	2714.17	15.06	471.88 (जून 2010 तक)	37.36	-

(स्रोत: मध्य प्रदेश सरकार)

शैक्षणिक विकास

संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को नोट किया कि देश में कुछ जातियां छुआछूत और सामाजिक अलग-थलग होने की सदियों पुरानी प्रथा के कारण शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं । इन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने और इनका उत्थान करने के क्रम में उनके सम्पूर्ण सशक्तिकरण का एकमात्र उपाय साक्षरता को ही महसूस किया गया है जिससे उनके आर्थिक उत्थान में सहायता मिलेगी ।

आजादी के बाद से सतत शैक्षिक विकास के लिए कई रणनीतियां बनाई गई हैं और पिछली 10 पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान अन्य जातियों और अनुसूचित जातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के अन्तराल को पाटने की दृष्टि से कई कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ।

<u>अनुसूचित जातियों की साक्षरता स्थिति</u>

अनुसूचित जातियों एवं सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए अलग-अलग पिछली पांच जनगणना के अनुसार स्त्री-पुरुष की साक्षरता दरें नीचे दी गयी हैं:-

जनगणना	साक्षरता दर						
	संपूर्ण जनसंख्या			अनुसूचित जाति			
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	अन्तर
1961	34.4	13	24	17	3.3	10.3	13.70
1971	39.5	18.7	29.5	22.4	6.4	14.7	14.80
1981	46.9	24.8	36.2	31.1	10.9	21.4	14.80
1991	64.1	39.3	52.2	49.9	23.8	37.4	14.80
2001	75.3	53.7	64.8	66.6	41.9	54.7	10.10

(जनगणना, 2001)

इसलिए, साक्षरता दर के मामले में अनुसूचित जाति एवं संपूर्ण जनसंख्या के बीच अन्तराल जो 1961 में 14% बिन्दु था, वह 2001 में 10.1% बिन्दु तक नीचे आ गया। अनुसूचित जातियों के लिए सम्पूर्ण और स्त्री साक्षरता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जो 1961 में सभी अनुसूचित जातियों के लिए 10.3% और स्त्री अनुसूचित जातियों के लिए 3.3% से 2001 में सभी अनुसूचित जातियों के लिए 54.7% तथा अनुसूचित जाति स्त्रियों के लिए 41.9% तक बढ़ गया। अनुसूचित जाति स्त्रियों और सभी अन्य सामान्य महिलाओं की साक्षरता दर के बीच अंतराल 1991 में 15.5% बिन्दु से 2001 में 11.8% बिन्दु तक घट गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति और गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के बीच तुलना से अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता स्थिति में असमानता की बेहतर तस्वीर दी गयी है।

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए राज्यवार साक्षरता दर निम्नवत है:-

<u>अनुसूचित जातियों के लिए साक्षरता दर</u>

भारत में अनुसूचित जातियों की राज्य/ स्त्री–पुरुष साक्षरता दर (जनगणना, 2001)									
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
आंध्र प्रदेश	50.32	60.63	39.79	68.66	77.25	60.05	53.52	63.51	43.35
अरूणाचल प्रदेश	65.87	73.83	54.37	69.28	78.59	55.57	67.64	76.31	54.99
असम	64.92	74.21	54.94	76.86	84.08	69.08	66.78	75.74	57.14
बिहार	26.93	38.66	14.13	49.11	60.63	35.70	28.47	40.23	15.58
छत्तीसगढ़	62.47	77.81	47.27	69.28	81.81	56.31	63.96	78.70	49.22
गोवा	70.77	81.27	60.34	72.88	81.79	63.53	71.92	81.56	62.05
गुजरात	65.59	79.16	51.17	77.90	87.62	67.33	70.50	82.56	57.58
हरियाणा	54.13	65.88	40.64	60.19	70.67	48.11	55.45	66.93	42.26
हिमाचल प्रदेश	69.54	79.45	59.44	81.06	87.28	73.83	70.31	80.01	60.35
जम्मू और कश्मीर	57.10	68.02	45.26	67.90	76.52	57.96	59.03	69.57	47.46
झारखण्ड	32.52	46.57	17.73	58.14	71.24	43.11	37.56	51.59	22.55
कर्नाटक	47.25	58.71	35.56	69.27	78.32	59.88	52.87	63.75	41.72
केरल	81.65	87.22	76.39	87.12	91.83	82.70	82.66	88.07	77.56
मध्य प्रदेश	55.39	69.73	39.44	68.02	80.06	54.69	58.57	72.33	43.28
महाराष्ट्र	67.88	80.56	54.71	78.27	87.58	68.41	71.90	83.29	59.98
मणिपुर	70.76	79.79	61.38	73.14	82.86	63.77	72.32	81.78	62.97
मेघालय	51.91	61.75	40.55	63.57	72.72	52.99	56.27	65.86	45.21
मिजोरम	88.89	88.33	100.00	89.30	88.49	91.67	89.20	88.44	92.16
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उडीसा	54.23	69.51	38.76	65.31	77.56	52.38	55.53	70.47	40.33
पंजाब	54.35	61.63	46.27	61.93	68.72	54.33	56.22	63.38	48.25
राजस्थान	49.86	66.93	31.18	61.35	76.83	44.22	52.24	68.99	33.87
सिक्किम	0.23	67.56	52.63	81.99	87.92	76.05	63.04	70.15	55.71
तमिलनाडु	59.61	70.48	48.79	71.45	80.17	62.77	63.19	73.41	53.01
त्रिपुरा	73.59	80.98	65.88	79.51	85.78	73.15	74.68	81.85	67.24
उत्तर प्रदेश	44.52	59.03	28.33	58.17	69.08	45.51	46.27	60.34	30.50
उत्तरांचल	61.53	76.34	46.11	72.01	81.29	61.42	63.40	77.26	48.74
पश्चिम बंगाल	57.09	69.10	44.46	68.99	77.76	59.51	59.04	70.54	46.90

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ	65.82	73.63	55.25	67.85	76.47	57.41	67.66	76.20	57.22
दादरा और नगर हवेली	75.75	86.68	63.80	83.90	92.06	74.55	78.25	88.37	67.05
दमन और दीव	86.11	94.26	77.28	83.65	93.66	73.70	85.13	94.03	75.82
दिल्ली	70.82	82.40	57.18	70.85	80.63	59.24	70.85	80.77	59.07
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	64.29	74.11	54.61	75.20	83.87	66.82	69.12	78.41	60.05
भारत	51.16	63.66	37.84	68.12	77.93	57.49	54.69	66.64	41.90

नोट: मणिपुर के सेनापति जिले के मात–मारम, पावमाता और पुरूल उप-प्रभाग को छोडकर

स्रोत: माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। भारत के लोगों के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इस दिन शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क द्वारा उपलब्ध जीने के अधिकार के समान कानूनी दर्जा दिया गया। 6-14 वर्ष के आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को उसके पास के क्षेत्र में आयु उपयुक्त कक्षा में 8 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी।

कोई भी स्थिति जो बच्चे को स्कूल जाने से रोकती है राज्य द्वारा पूरी की जाएगी। बच्चे को नामित करने और स्कूल के 8 वर्ष पूरा कराने एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। किसी बच्चे को दस्तावेजों की कमी के कारण दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा; स्कूल में दाखिला प्रक्रिया समाप्त होने पर भी बच्चे को वापस नहीं भेजा जाएगा और किसी भी बच्चे की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। अशक्त बच्चों को भी स्कूल की मुख्य धारा में शिक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने बच्चों और युवा लोगों का सही शिक्षा से पालन-पोषण करेंगे तो भारत का भविष्य उतना ही मजबूत और समृद्धशाली होगा।

सभी निजी स्कूल से यह अपेक्षा है कि वे सामान्य रेंडम चयन द्वारा 25% नामांकन की सीमा तक अपने आने वाली कक्षाओं में कमजोर वर्गों और दलित समुदायों के बच्चों को प्रवेश दें । इस कोटे में कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती है। इन बच्चों को स्कूल में अन्य बच्चों के समान ही समझा जाएगा और राज्य सरकारी स्कूलों में औसत बच्चे की लागत की दर पर सहायता उपलब्ध कराएगा। (जब तक कि निजी स्कूलों में प्रति छात्र लागत निम्नतर न हो)

सभी स्कूलों को अधिनियम में उल्लिखित मानक एवं मानदण्डों को निर्धारित करना होगा। यदि कोई स्कूल तीन वर्षो में इन मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसे कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सभी निजी स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदन करना होगा जिसके न करने पर 1 लाख रूपए का दण्ड होगा और यदि वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 10000/-रू0 जुर्माने के रूप में अदा करने होंगे। अध्यापक योग्यता एवं प्रशिक्षण के मानदण्ड एवं मानक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों में अध्यापकों को 5 वर्षों के भीतर इन नियमों को निर्धारित करना होगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस ऐतिहासिक अधिकार के कार्यान्वय एवं निगरानी का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक विशेष प्रभाग इस बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व निभाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए एक विशेष टोलफ्री हेल्प लाइन इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्थापित की जानी प्रस्तावित है ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लाभ

शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य के नीति- निर्देशक तत्वों का एक भाग है जो संविधान के अध्याय 4 का भाग है और उपर्युक्त अभी तक प्रवर्तनीय नहीं हैं। भारत के इतिहास में पहली बार इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के रूप में रख कर एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया है। यह बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रवर्तित शिक्षा के अधिकार का हकदार बनाता है ।

संसद ने शिक्षा का अधिकार विधेयक पास कर दिया है और शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। यह स्कूलों की मात्रा और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देता है। लेकिन अनुसूचित जाति के बच्चों से संबंधित मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के बच्चों में शिक्षा कम हो जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान व्यवधान (एसएसए)

सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को लक्ष्य बनाते हुए परिवर्तन की कार्य प्रणाली को प्रौन्नत करता है। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों की शिक्षा के समस्याओं का समाधान के लिए संदर्भ विशिष्ट हस्तक्षेप के विकास की खोज करता है। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं।

अनुसूचित जाति बच्चों के लिए कार्य प्रणाली

- अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य 61 जिलों में प्राथमिक स्कूल के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
- दूरस्थ, कम जनसंख्या क्षेत्र, अन्यथा स्कूलों के लिए अपात्र हेतु शिक्षा गारंटी योजना।
- स्कूल कैम्प के लिए वापसी, बच्चों या प्रवासी परिवारों, स्कूल छोड़ कर जाने वाले बच्चों, वयस्क और कभी नाम न दर्ज करने वाले बच्चों और कामकाजी बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स एवं अन्य वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं।
- कक्षा 1 से 8 तक अनुसूचित जाति बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
- अनुसूचित जाति बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष नवीन गतिविधियों हेतु प्रावधान । नवीन गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए उपलब्ध कराए गए हैं ।
- सीखने के समान अवसरों को प्रोन्नत करने और वर्ग विभेद को मिटाने के लिए अध्यापकों के संवेदना कार्यक्रम
- ग्रामीण शिक्षा समिति (वीईएस)/एसएमसी आदि में संविधिक प्रतिनिधित्व।

स्कूल शिक्षा में नामांकन

प्राथमिक (I-V), अपर प्राथमिक (VI-VIII) और माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक (XI-XII) चरणों पर

स्कूली शिक्षा में अनुसूचित जाति का नामांकन क्रमश: 2.4, 4.7 और 5.7 गुणा बढ़ गया है। 1980-81 से 2008-09 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति बालिकाओं का नामांकन क्रमश: 3.4, 8.1 और 11.7 गुणा बढ़ गया है।

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	स्कूल शिक्षा में नामांकन					
	अन्य विद्यार्थी*			अ.जा. विद्यार्थी		
	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
2004-05	867	737	1604	221	166	387
2005-06	876	743	1619	227	173	400
2006-07	886	762	1648	236	182	418
2007-08	928	879	1807	227	199	426
2008-09	897	793	1690	232	204	436

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को छोड़कर

स्रोत: वर्ष 2004-05, 2005-06 के लिए चयनित शैक्षणिक आंकड़े और वर्ष 2006-07, 2007-08 के लिए स्कूल शिक्षा के आंकड़े और शिक्षा के स्कूलों के आंकड़ों का सार 2008-09, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वर्ष 2004-05 से 2008-09 के बीच स्कूली शिक्षा में अनसूचित जातियों और अन्यों का नामांकन क्रमश: 5.36% और 12.66% बढ़ गया है। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति बालकों का नामांकन 4.98% और अनुसूचित जाति बालिकाओं का नामांकन 22.89% तक बढ़ गया है।

<u>स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर की तुलना</u>

विवरण निम्नवत है:-

वर्ष		प्राथमिक			प्रारंभिक			माध्यमिक		
	श्रेणी विद्यार्थी	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
2004-05	अ.जा.	32.70	36.10	34.20	55.20	60.00	57.30	69.10	74.20	71.30
	सभी वर्ग	31.81	25.42	29.00	50.49	51.28	50.84	60.41	63.88	61.92
2005-06	अ.जा.	32.11	33.81	32.86	53.68	57.12	55.17	68.16	73.76	70.57
	सभी वर्ग	28.71	21.77	25.67	48.67	48.98	50.10	63.56	72.17	69.01
2006-07	अ.जा.	32.33	39.89	33.91	51.56	54.98	53.05	66.58	72.17	69.01
	सभी वर्ग	24.57	26.75	25.60	46.44	45.22	45.90	58.61	61.50	59.88
2007-08	सभी वर्ग	25.70	24.41	25.09	43.72	41.34	42.68	56.55	57.33	56.71
	अ.जा.	30.03	22.69	26.71	50.83	43.94	47.89	66.33	66.60	66.56
2008-09	सभी वर्ग	26.68	22.9	24.93	44.89	38.86	42.25	55.82	55.95	55.88

स्रोत: वर्ष 2004-05, 2005-06 के लिए चयनित शैक्षणिक आंकड़े और वर्ष 2006-07, 2007-08 के लिए स्कूल शिक्षा के आंकड़े और शिक्षा स्कूलों के आंकड़ों का सार 2008-09

2008-09 में अनुसूचित जाति बालिकों एवं बालिकाओं में स्कूल शिक्षा के माध्यमिक चरण में स्कूल छोड़ने की दर 2004-05 में 71.30% से घटकर 2008-09 में 66.56% रह गयी है।

उच्चतर शिक्षा में नामांकन

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में नामांकन वर्ष 2004-05 से 2007-08 में उच्चतर शिक्षा में बढ़ गया है। जैसा कि तालिका में नीचे दिखाया गया है:-

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	उच्चतर शिक्षा में नामांकन					
	अन्य विद्यार्थी*			अ.जा. विद्यार्थी		
	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
2004-05	60.67	40.16	100.83	7.92	4.69	12.61
2005-06	74.13	46.9	121.03	10.29	5.82	16.11
2006-07	79.7	50.47	130.17	11.85	6.5	18.35
2007-08	84.12	53.65	137.77	14.55	8.69	23.24

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को छोड़कर

स्रोत: वर्ष 2004-05, 2005-06 के लिए चयनित शैक्षणिक आंकड़े और वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, सार आंकड़े उच्चतर तकनीक शिक्षा, 2007-08, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा में, वर्ष 2004-05 से 2007-08 के बीच अन्यों और अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का नामांकन क्रमशः 36.34% और 84.30% तक बढ़ गया है। 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति बालकों का नामांकन 83.71% तक बढ़ गया है और बालिकाओं का नामांकन लगभग 2% अर्थात् 85.29% अधिक बढ़ गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए जीईआर वर्ष भर में दुगुने से भी अधिक हो गया है इसलिए, जीआर अन्तराल नीचे आ गया है।

जीईआर–जेंडर में अन्तराल

वर्ष	सभी वर्ग	अ.जा.
2004-05	8.17	5.2
2005-06	9.35	6.4
2006-07	10.02	6.96
2007-08	11.05	9.08

स्रोत: वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के लिए चयनित शैक्षणिक आंकड़े और उच्च एवं तकनीक शिक्षा के आंकड़े वर्ष 2007-08

अनुसूचित जाति की उच्चतर शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए यूजीसी ने निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये हैं:-

- विश्व विद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश/निर्देश/अनुदेश जारी करता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता अंक में छूट है।
- यूजीसी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करते हुए सभी के लिए लाभदायक रोजगार हेतु स्नातकों के लिए कैरियरोन्मुखी कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।
- यूजीसी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की गतिविधियों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- यूजीसी पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों का एक केन्द्रीय पूल डेटाबेस बनाता है और विश्व विद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापन के लिए उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश करता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति

विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने के लिए एससी/एसटी संबंधी एक स्थायी समिति 1997 में यूजीसी द्वारा बनायी गयी थी। समिति को 2007 में यूजीसी द्वारा पुनर्गठित किया गया था। समिति में शिक्षाविद्, पूर्व उपकुलपति और उच्च शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी एक स्थायी समिति की प्रथम बैठक यूजीसी कार्यालय में 24 जून, 2008 को हुई थी और दूसरी बैठक योजना भवन, योजना आयोग में 20 जनवरी, 2009 को हुई थी।

अध्यापन, गैर-अध्यापन, प्रवेश, छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टरस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए स्थायी समिति की उप-समिति ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जामिया मिलिया, नई दिल्ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और उससे संबद्ध कालेज और बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर, विश्वविद्यालय, लखनऊ (यूजीसी से रख-रखाव अनुदान प्राप्त करते हुए) का दौरा किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलायी जा रही योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के यूजी/पीजी स्तर पर उपचारात्मक कोचिंग

यूजीसी विशेष योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग की समाजिक समानता और सामाजिक-आर्थिक मोबिलिटी में अंशदान दे रही है। आयोग ने 1994 में एक विशेष योजना अर्थात् ''अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारात्मक कोचिंग'' आरंभ की। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- विभिन्न विषयों मे छात्रों के शैक्षणिक कौशल एवं भाषा प्रवाह में सुधार करना।
- मूल विषयों की समझ के स्तर को बढ़ाना ताकि आगे शैक्षणिक कार्यों के लिए आधार

मजबूत हो सके।

- ऐसे विषयों में उनके ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना जहाँ मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक तकनीक एवं प्रयोगशाला संबंधी कार्य शामिल है ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले आवश्यक मार्ग निर्देशन एवं प्रशिक्षण से विद्यार्थी उच्च अध्ययन दक्षता के आवश्यक स्तर तक आ सके।
- परीक्षा में इन विद्यार्थियों की सम्पूर्ण कार्य निष्पादन में सुधार लाना।

विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता की कार्य अवधि 5 वर्ष है लेकिन आरंभ में सहायता पहले चरण में अर्थात् 3 वर्षों के लिए दी जाती है। उच्चतर शिक्षा में एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग हेतु योजना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए विद्यमान योजना की 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं केन्द्रीय वित्त पोषित डिम्ड विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों सहित यूजीसी द्वारा समीक्षा की गयी। 4 विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द और डा0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय को सहायता देने के लिए पहचान की गयी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द और डा0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय ने उक्त उपचारात्मक कोचिंग सेन्टर आरंभ कर दिए हैं। 5 करोड़ रूपए की राशि उपरोक्त 4 प्रत्येक विश्वविद्यालयों को स्वीकृत कर दी गयी है।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कोचिंग कक्षाएं

वर्ष 2004-05 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में प्रवक्ताओं के रूप में भर्ती के लिए पात्र एससी/एसटी उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए उन्हें तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना आरंभ की है जो विश्वविद्यालयों या कालेजों में प्राध्यापक बनने के लिए एक आवश्यक पात्रता शर्त है।

इस योजना के अन्तर्गत कोचिंग कक्षाएं चयनित विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं जिसके लिए 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्र के अनुमोदन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो नेट कोचिंग के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार कर सके और कोचिंग देने के लिए इच्छुक फैक्लटी सदस्य पर्याप्त संख्या में हों। कोचिंग केन्द्र में कक्षाओं की व्यवस्था मानदेय आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करके की जाती है।

सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग कक्षाएं

सभी भारतीय और राज्य प्रदेश सेवाओं को शामिल करते हुए समूह 'क', 'ख' और 'ग' में लाभदायक रोजगार प्राप्त करने के बारे में सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग कक्षाओं की योजना 2004-05 से यूजीसी द्वारा चयनित विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में आरंभ की गयी है। कोचिंग केन्द्र में कक्षाओं की व्यवस्था मानदेय आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करके की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

यह योजना समाज के वंचित वर्गों से उम्मीदवारों की समाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गयी है और यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्नातक स्तर पर अध्ययन करने का अवसर भी उपलब्ध कराती है। एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए 5000/-रू. प्रतिमाह और मास्टर ऑफ फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए 3000/-रू. प्रतिमाह की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। उपर्युक्त योजना की आकस्मिकता क्रमश: 15000/- एवं 10500/-रू. वार्षिक है।

''कालेजों एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना'' के लिए आरक्षित वर्गों/कमजोर वर्गों/अल्संख्यकों से संबंधित विद्यार्थियों को केन्द्रीय आरक्षण नीति एवं आंतरिक चिन्हीकरण के अधीन योग्यता के आधार पर पात्रता दी जाती है। गैर-क्रीमीलेयर से संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। वर्तमान में विविध वर्गों के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% तथा सभी वर्गों में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए क्षैतिजिक रूप से 3% है।

<u>विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भारतीय समाज के अत्यधिक वंचित समूहों के सुरक्षण के लिए, संविधान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए केवल नौकरी प्रदान करना ही नहीं है बल्कि उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना भी है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना अधिकारिक स्थान बना सके। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है और राज्यों में आरक्षण संबंधित राज्य में उनकी जनसंख्या पर निर्भर करते हुए प्रदान किया जाता है। यूजीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया है और उच्चतर शिक्षा में उनके लिए आरक्षण नीति के प्रबोधन एवं लागू करने के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी समिति भी बनायी गयी है।

11वीं योजना में वर्ष 1983 से आरंभ योजना ''विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना'' का उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- विश्वविद्यालयों और कालेजों में यूजीसी एवं भारत सरकार के कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबोधन सुनिश्चित करना।
- प्रवेश, अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों में नियुक्तियों के संबंध में नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्रित करना।
- ऐसे अनुवर्ती मापदण्ड अपनाना जो इस उद्देश्य के लिए उल्लिखित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके।

इस योजना के अन्तर्गत उस योजनावधि के अन्त तक के दौरान जब प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के स्थापना के प्रथम 5 वर्षों के दौरान स्टाफ वेतन पर वास्तविक व्यय के लिए शतप्रतिशत आधार पर स्टाफ को सहायता देना।

केन्द्रीय विद्यालय और डिम्ड विश्वविद्यालय जो यूजीसी द्वारा गैर-योजना निधि से व्यय पूरा कर

सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय इन्होंने अनुदान लेने की आजादी का दायित्व लेने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है वे योजनावधि के पूरा होने के बाद राज्य सहायता जारी रख सकते हैं। तथापि, वे गैर-रिकरिंग व्यय के लिए यूजीसी निधि प्राप्त करेंगे। यदि आवर्ती अनुदान का दायित्व राज्य सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए यूजीसी से उन्हें उपलब्ध विकासात्मक अनुदान का उपयोग करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली को जारी रख सकते हैं।

31 मार्च, 2010 तक विश्वविद्यालयों में 128 से भी अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके थे।

उन सभी विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ सृजित करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्णय लिया गया है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12-बी के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए ठीक घोषित किए गए हैं। 3 लाख रूपए की राशि प्रति विश्वविद्यालय को प्रत्येक 167 पात्र विश्वविद्यालय को स्वीकृत की गयी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल

अनुसूचित जातियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

यह 2005-06 में एक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आरंभ की गयी थी। यह योजना विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम-फिल, पी.एच.डी. तथा समकक्ष अनुसंधान डिग्री में अनुसंधान अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यदि अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, और वर्ष के दौरान फेलोशिपनहीं प्राप्त की जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र के लिए बढ़ा दिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या फेलोशिपकी संख्या से अधिक हो जाती है तो यूजीसी उनके स्नातकोत्तर परीक्षा के उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव करती है। इस योजना के अन्तर्गत आय की कोई सीमा नहीं है। जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिपकी दरें यूजीसी फेलोशिपकी दरों के बराबर होती है। वर्ष 2009-10 तक प्रतिवर्ष 1333 नई फेलोशिप देने का प्रावधान था। वर्ष 2010-2011 में यह संख्या बढ़कर 2000 तक हो गयी थी। इन अध्येयतावृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, को शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार से प्रेक्षित की गयी है। XIIवीं योजना कार्य समूह रिपोर्ट ने अध्येयतावृत्तियों में वर्तमान 2000/-रू. से प्रतिवर्ष 5000/-रू. करने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना (एनएमएसएस):

सभी वर्गों के कक्षा IX से X तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बुद्धिमान एवं होशियार विद्यार्थियों के लिए भी अलग से तथा राज्यवार गुणवत्ता के आधार पर पोस्ट मेट्रिक स्तर पर वित्तीय सहायता एवं मान्यता देकर उन्हें अध्ययन में शैक्षणिक रूप से उत्कर्षता बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहित करने और बुद्धिमान विद्यार्थियों को सहायता देने के उद्देश्य से एक नई योजना ''राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना'' है। छात्रवृत्ति की संशोधित दरें 250/-रू. से 750/-रू. तक भिन्न-भिन्न है जो शिक्षा के स्तर एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती

है। योजना को अप्रैल, 2007 से बन्द कर दिया गया है। कालेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक नई केन्द्रीय योजना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए):

यह अध्ययन, सम्मेलन, सिम्पोजियम आदि आयोजित करते हैं और सतत् कार्यक्रम/विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कार्यक्रम और योजना कवर करती है। यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए सामग्री भी तैयार करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में तैयारी के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षणिक कौशलता और भाषायी दक्षता में सुधार के दृष्टिकोण से उपचारात्मक कोचिंग योजना चलाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रवेश, अध्यापन और गैर अध्यापन पदों में भर्ती, स्टाफ क्वाटर्स/होस्टल, फेलोशिपआदि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष एससी/एसटी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है। अब तक विश्वविद्यालयों/डिम्ड विश्वविद्यालयों में 123 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं।

इंजीनियरिंग कालेज : केन्द्र सरकार द्वारा प्रराज्य उच्च शिक्षा संस्थानों अर्थात् आईआईटी, आईआईएम, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज आदि में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण प्रवेश में उपलब्ध कराया जाता है। आरक्षण के अलावा, प्रवेश में न्यूनतम योग्यता में छूट है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में सीटों के लिए भी आरक्षण है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में आरक्षण प्रतिशत भिन्न है।

सामुदायिक पॉलीटेकनीक : सामुदायिक पॉलीटेकनीक की योजना 1978-79 से प्रचलन में है जो ग्रामीण लोगों/स्थानीय समुदायाओं के लिए उपयुक्त तकनीकी के हस्तान्तरण के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। ग्रामीण युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, स्कूल छोड़ देने वाले और अन्य गरीब समूहों को प्रशिक्षण में अधिमानता दी जाती है और आवश्यकता आधारित लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाती है। यह कौशलोन्मुखी अनौपचारिक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और तकनीकी सहायता सेवाओं के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर लागू होता है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन

उद्देश्य

आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से उनके संपूर्ण विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा कर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की मेरिट को बढ़ाना है। ऐसा (i) उनकी शैक्षणिक कमियों को दूर कर के

(ii) उनकी मेरिट बढ़ाकर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बना कर और (iii) उनको आत्मविश्वास एवं आत्म भरोसा पैदा करके किए जाने का प्रस्ताव है।

लक्ष्य समूह

कक्षा IX से कक्षा XII के अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी।

प्रमुख विशेषताएँ

प्रतिवर्ष एक पैकेज अनुदान या 15000/-रू. प्रति विद्यार्थी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करान। विशेष भत्ता जैसे पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता, सुरक्षा भत्ता आदि अशक्त विद्यार्थियों को दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नवत है:

वर्ष	बजट आबंटन (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थी
2008-09	2.00	1.75	1,297
2009-10	2.00	2.00	1,512
2010-11	4.00	2.89	2,893

अनुसूचित जातियों के लिए मेरिट योजना के उन्नयन के अन्तर्गत 2008-09 से 2010-11 के दौरान कवर लाभार्थियों एवं जारी की गयी राज्यवार केन्द्रीय सहायता। **अनुबंध–I**

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना
उच्च शिक्षा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

उद्देश्य

योजना विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में एम-फिल, पी.एच.डी. और समकक्ष अनुसंधान डिग्री में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

मुख्य विशेषताएँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल अभिकरण है। वर्ष 2010-11 से प्रतिवर्ष 200 अनुसंधान फेलोशिप (जेआरएफ) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को दी जाएगी। पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष के दौरान न दी गयी फेलोशिपको अगले शैक्षणिक सत्र के लिए रखा जाएगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध फेलोशिप की संख्या से अधिक हो जाती है तो यूजीसी उनके स्नातकोत्तर परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों को चयनित करेगी। इस योजना के अन्तर्गत आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन

2010-11 से योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

फेलोशिप की संख्या

अधिक से अधिक अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को लाभ पहुचाने के लिए प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली नयी फेलोशिप की संख्या 1333 से 2000 तक बढ़ा दी गयी है।

फेलोशिप की दरें

जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होगी। योजना के अन्तर्गत फेलोशिप की दर 01.04.2010 से ऊपर की और संशोधित होगी ताकि फेलोशिप और अधिक लाभकारी हो सके।

योजना के अन्तर्गत फेलोशिप की संशोधित दरें निम्नवत है:-

क्र. सं.	विषय	फेलोशिप की मासिक दर (राशि रूपयों में)			
		जे.आर.एफ.		एस.आर.एफ.	
		संशोधित पूर्ण	संशोधित	संशोधित पूर्ण	संशोधित
1	विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान	12,000	16,000	14,000	18,000
2.	अभियांत्रिकी और प्रोद्यौगिकी	14,000	18,000	15,000	19,000

अन्य भत्तों की दरें

फेलोशिप के अन्तर्गत स्वीकार्य अन्य भत्तों की वर्तमान दरे निम्नवत है:-

(राशि रूपयों में)

छात्रवृत्ति का प्रकार	सहायता की मद	साहित्य और सामाजिक विज्ञान	अभियांत्रिकी और प्रोद्यौगिकी	विभागीय सहायता	स्कोट/रीडर सहायता
कनिष्ठ अनुसंधान अध्येयतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों का आकस्मिकता	10,000	12,000	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को प्रति विद्यार्थी 3000रू. वार्षिक	विकलांग और अशक्त उम्मीदवारों के मामले में 2000 रू. प्रतिमाह
वरिष्ठ अनुसंधान अध्येयतावृत्ति	शेष तीन वर्षों की आकस्मिकता	20,500	25,000		

आवास किराया भत्ता (एचआरए) यूजीसी के ढंग पर होगा और उन विद्यालयों को देय होगा जिन्हें छात्रावास सुविधा नहीं दी गयी है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिया गया छात्रावास अस्वीकृत कर दिया जाता है तो विद्यार्थी को एचआरए का दावा जब्त कर लिया जाएगा। उनके फेलोशिपकार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, छुट्टियां, प्रसूति अवकाश सहित यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य होगी।

वास्तविक और वित्तीय प्रगति

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटी आबंटन एवं केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नवत है:-

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	जारी की गयी निधि	दी गयी नयी फेलोशिप		
			पुरूष	महिला	कुल
2008-09	87.94	87.94	716	617	1333
2009-10	80.00	105.00	732	643	1375*
2010-11	160.00(बीई/145.00(आरई (31.3.2011 के अनुसार)	144.00	2000 फेलोशिप के लिए चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।		

नोट: *का अर्थ है चयन वर्ष 2009-10 के लिए 42 अतिरिक्त फेलोशिप दी गयी।

उद्देश्य

एससी होम का उद्देश्य 12वीं कक्षा से ऊपर अध्ययन करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा देना है।

मुख्य विशेषताएँ

i) पहचाने गए संस्थानों की सूची में पूरे देश में फैल 181 उत्कृष्ट संस्थान है। नए संस्थानों के नाम i) आईआईटी-मण्डी, आईआईटी-इंदौर, आईआईएम-रायपुर, आईआईएम-रोहतक तथा आईआईएम-रांची चालू वर्ष 2010-11 के दौरान सूची में शामिल किए गए हैं।

ii) अधिसूचित संस्थानों में सभी आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी (पूर्व में आरईसी के रूप में जाने जाते थे) कॉमर्सियल पायलेट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान और प्रतिष्ठित चिकित्सा/विधि और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है।

iii) सभी सरकारी अधिसूचित संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम की) प्रत्येक को 12 पुरस्कार/छात्रवृत्तियाँ आबंटित की गयी है जबकि कॉमर्सियल पायलेट लाइसेंस प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक को 2 पुरस्कार/सीट आबंटित की गयी है।

iv) अध्ययन के पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग, मेडिसिन/डेन्टिस्ट्री, विधि, प्रबन्धन होटल प्रबंधन, फैशन टेक्नॉलोजी और अन्य शाखाएं हैं।

v) अनुसूचित जाति विद्यार्थी जिसकी कुल परिवार आय 2 लाख रू. प्रतिवर्ष तक है, छात्रवृत्ति के पात्र है।

छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है

i) पूर्ण टयूशन शुल्क और अन्य वापस न लौटाने वाले प्रभार (निजी संस्थानों में शुल्क में प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 2 लाख रूपए की सीमा है और निजी कॉमर्सियल पायलेट प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष 3.72 लाख की सीमा है)

ii) प्रति विद्यार्थी 2220/-रू. प्रतिमाह की दर से रहने का खर्चा।

iii) प्रतिविद्यार्थी 3000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से किताबें एवं लेखन सामग्री, और

iv) एकमुस्त सहायता के रूप में 45,000 रू. प्रति विद्यार्थी को पूर्ण साजोसम्मान सहित एक अद्यतन कम्प्यूटर। किताब लेखन सामग्री तथा कम्प्यूटर की लागत के वास्तविक व्यय तक।

पिछले तीन वर्ष के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन	व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थी
2008-09	20.00	4.97	378
2009-10	20.00	8.26	541
2010-11	25.00	14.15	1036

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

उद्‌देश्य

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति का अर्थ अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में विदेश में मास्टर स्तर पाठ्यक्रम और पीएचडी कार्यक्रम के उच्चतर अध्ययन के लिए चयनित अनुसूचित जाति, अ-अधिसूचित घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु, भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा पारंपरिक कलाकार, विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध करान है।

मुख्य विशेषताएं

योजना मासिक रख-रखाव भत्ता, पैसेज बीजा शुल्क और बीमा किस्त, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता आदि का प्रावधान वास्तविक के अनुसार संस्थान द्वारा भारित शुल्क से करने का प्रावधान करती है। उसी माता-पिता/संरक्षक का एक मात्र बच्चा योजना के अन्तर्गत लाभ लेने का पात्र है। संभावित बच्चे की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रतिवर्ष कुल 30 पुरस्कार दिए जाते हैं और 30% पुरस्कार महिला उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पीएचडी के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए देने का प्रावधान है। सभी स्रोतों से नियोजित उम्मीदवार या उसी/उसके माता-पिता/संरक्षक की आय 25000/-रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्वीकार्य भत्तों की दरें

योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य भत्तों की चालू दरों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:-

स्वीकार्य भत्तों की चालू दरें (9-7-2007 से प्रभावी)		
मद	यू.के. में स्वीकार्य राशि (ब्रिटिश पौंड में)	यू.एस और अन्य देशों में स्वीकार्य राशि (यू.एस. में)
वार्षिक रख-रखाव भत्ता	9000	14000
वार्षिक आकस्मिकता भत्ता	1000	1375
घटना यात्रा भत्ता	17 यू.एस. के बराबर	
साजोसमान भत्ता	रू. 1200	
पोल टैक्स	वास्तविक राशि	
वीजा शुल्क	भारतीय रूपये में वास्तविक वीजा शुल्क	
शुल्क और चिकित्सा बीमा किस्त	वास्तव में ली गयी राशि	
स्थानीय भत्ता	द्वितीय या कोच श्रेणी किराया	

महत्वपूर्ण परिवर्तन

योजना के अन्तर्गत अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र चयन वर्ष 2010-11 के लिए अधिक विद्यार्थियों को उसका लाभ देने के लिए संशोधित किया गया है और निम्नलिखित शाखाएं इस योजना के अन्तर्गत कवर की गयी है:-

i) मेडिसीन
ii) शुद्ध विज्ञान
iii) अभियांत्रिकी
iv) कृषि विज्ञान
v) प्रबन्धन

वास्तविक और वित्तीय प्रगति

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी बजट आबंटन और निधि का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	पुरस्कारों की सं0	अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सं0		
				स्नातकोत्तर	पी.एच.डी	कुल
2008-09	5.00	4.99	30	10	19	29
2009-10	5.00	1.37	30	8	22	30
2010-11	6.00	4.39 (as on 31.3.2011)	30	आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन दिया गया		

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' और 'ख' परीक्षा, बैंक, बीमा कम्पनी तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयोजित अधिकारी ग्रेड परीक्षा और; आईटी, बायो टेक्नोलॉजी आदि और सॉफ्ट स्कीन जैसे निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए फिनिसिंग कोर्स/रोजगारोन्मुखी कोर्स आदि के गुणवत्तापरक कोचिंग उपलब्ध कराना है।

राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन, विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र संगठनों द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत है:

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)	लाभार्थी
2008-09	8.00	3.99	3403
2009-10	8.00	2.79	3013
2010-11	10.00	9.43	8400

<u>शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजना</u>

क. केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित योजना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एकल बृहत दखल योजना है। योजना 1944 से प्रचलन में है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। उनके पूर्ण रूप से

सम्भावित वचनबद्ध दायित्व के अनुसार, योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को 100% केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वचनबद्ध जिम्मेदारी पिछली योजना अवधि के टर्मिनल वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत उस द्वारा खर्च किए गए कुल व्यय की है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य पोस्ट मेट्रिकुलेशन या पोस्ट-सेकेन्ड्री स्टेज पर अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

वित्तीय सहायता में रख-रखाव भत्ता, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली गैर-वापसी योग्य आवश्यक शुल्क की प्रतिपूर्ति, बुक बैंक सुविधा और अन्य भत्ते शामिल है। भारत में अध्ययन करने वाले के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी जाती है जो वास्तव में इसके हकदार है।

संशोधन

योजना दिसम्बर, 2010 में संशोधित की गयी थी। संशोधित जो 01.07.2010 से प्रभावी है उसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) विद्यमान 1 लाख रू. से 2 लाख रू. प्रति वर्ष की आय सीमा (ii) रख-रखाव और अन्य भत्ते तथा (iii) पाठ्क्रमों का पुनःसमूहीकरण शामिल है।

आयोग सिफारिश करता है कि मूल्य वृद्धि के कारण आय सीमा 2 लाख रू. से 3 लाख रू. की जाए।

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी बजटरी आबंटन और केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	बजट आबंटन (रू. करोड में)	जारी की गयी राशि (रू. करोड में)	लाभार्थी (लाख में)
2008-09	750	645.49	34.36
2009-10	750	1015.96	40.24
2010-11	7500 (बीई)/2000 (आरई)	2097.21 (as on 31.3.2011)	46.00 (प्रत्याशित)

2008-09 से 2010-11 के दौरान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत की गयी राज्यवार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति **अनुबंध–II** पर है।

उन परिवारों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति जो गंदे व्यवसायों में लगे हैं।

प्रस्तावना

यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो उनकी संबंधित वचनबद्ध दायित्व के अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत व्यय का भारत सरकार से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करती है। एक वर्ष के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की वचनबद्ध दायित्व का स्तर पिछले पांच वर्ष की अवधि के अन्त के दौरान योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के लिए स्तर के बराबर है।

उद्देश्य

योजना 1977-78 में आरंभ की गयी थी। आरंभ में केवल छात्रावासी कवर किए गए थे, बाद में वर्ष 1991 में दिवा-स्कोलर के भी योजना के कार्य क्षेत्र में लाया गया। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अर्थात् (i) शुष्क शोचालयों के सफाई कर्मी (ii) सफाई कर्मियों को मैला ढोने वाले के साथ संपर्क (iii) टेनर्स, और (iv) फ्लेयर (v) मेनहोल एवं खुली नाली क्लीनर्स।

मुख्य विशेषताएँ

दो घटकों से बनी योजना के अन्तर्गत सहायता, अर्थात्

(i) मासिक छात्रवृत्ति (10 महीनों के लिए)

(ii) वार्षिक तदर्थ अनुदान (आकस्मिक व्ययों जैसे लेखन सामग्री, वर्दी आदि)

(iii) पात्रता के लिए कोई आय सीमा या जातीय प्रतिबंध नहीं।

(iv) अशक्तता सहित लक्ष्य समूह में विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

(v) योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

योजना अन्तिम बार दिसम्बर, 2008 में संशोधित की की थी। संशोधन जो 01-04-2008 से प्रभावी हुआ में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता के ढंग परिवर्तन और छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि शामिल है। किए गए मुख्य परिवर्तनों को नीचे संक्षिप्त में दिया गया है:-

(राशि रू. में)

क्र. सं.	योजना घटक	पूर्व-संशोधित			1.4.2008 से संशोधित		
1.	मासिक छात्रवृत्ति	कक्षा	दीवा-छात्र	छात्रावासी	कक्षा	दीवा-छात्र	छात्रावासी
		I-V	40	-	I-II	110	-
		VI	-	-	III-X	110	700
		VIII	60	-			
		III	-				
		VIII	-	300			
		IX-X	75	375			
2	वार्षिक तदर्थ अनुदान (रू. प्रतिवर्ष)	दीवा-छात्र – रू. 550 छात्रावासी रू. 600			दीवा-छात्र – रू. 750 छात्रावासी रू. 1000		
3.	वचनबद्ध दायित्व के अलावा केन्द्रीय सहायता का पैटर्न	राज्य व्यय का 50% (संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%)			राज्य व्यय का 100%		

वास्तविक एवं वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी बजट आबंटन और केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	बजट आबंटन (रू. करोड़ में)	जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (रू. करोड़ में)	लाभार्थियों की सं० (लाख में)
2008-09	54.00	59.27	6.2
2009-10	80.00	79.74	7.0
2010-11	80.00 (बीई)/70.00 (आरई)	58.48	7.0 (प्रत्याशित)

2008-09 से 2010-11 के दौरान गंदे व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत की गयी राज्यवार वित्तीय और वास्तविक प्रगति **अनुबंध III** पर है।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य मीडिल स्कूलों, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की लड़कियों एवं लड़कों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएं

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय दोनों छात्रावास भवन के नव निर्माण तथा विद्यमान छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं जबकि गैर-सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद विश्वविद्यालय केवल अपने विद्यमान छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है।

अनुसूचित जातियों के छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता

लड़के और लड़कियों के लिए निधि का निम्नलिखित ढंग उपलब्ध है-

क्र.सं.	संस्थान/संगठन	लड़के छात्रावास	लड़कियाँ छात्रावास	सहायता उपलब्ध
1.	राज्य सरकार	50 (रा.स.) : 50 (के.स.)	100% (के.स.)	विद्यमान छात्रावासों का नव निर्माण और विस्तार
2.	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	100% (के.स.)	100%(के.स.)	तदैव
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	90 (के.स.): 10 (विश्वविद्यालय)	100%(के.स.)	तदैव
4.	विश्वविद्यालय/संस्थान	45 (रा.स.):45 (के.स.):10 (राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान	100%(के.स.)	तदैव
5.	गै.स.सं./मानद विश्वविद्यालय	45 (रा.स.):45 (के.स.):10 (गै.स.सं./मानद विश्वविद्यालय)	90 ((के.स.)10 (गै.स.सं./मानद विश्वविद्यालय)	केवल छात्रावासों का विस्तार

रा.स.-राज्य सरकार; के.रा.= केन्द्र सरकार; गै.रा.सं. = गैर -सरकारी संगठन

योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, प्रति विद्यार्थी 2500/-रू. की एकमुस्त अनुदान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक कोट, एक मेज, एक कुर्सी का प्रावधान है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत है:

योजना	वर्ष	बजट व्यय (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)	छात्रावास	लाभार्थी
अ.जा. बालिका छात्रावास	2008-09	55.00	58.62	64	4,938
	2009-10	60.00	25.36	20	1421
	2010-11	80.00	43.91	33	2,506
अ.जा. बालक छात्रावास	2008-09	40.00	25.73	45	3,138
	2009-10	40.00	6.20	20	735
	2010-11	50.00	34.28	41	3,244

2008-09 से 2010-11 के दौरान योजना के अन्तर्गत की गयी राज्यवार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति **अनुबंध- IV और V** पर है।

<u>नया उच्चतर शिक्षा विधेयक</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संसद में प्रस्तुत किए गए नए उच्चतर शिक्षा विधेयक पर अनुरोध प्राप्त हुआ है जो संविधान विरोधी तथा संविधान में समाविष्ट राज्य अधिकारों का अतिक्रमणकारी और संविधान में समाविष्ट देश के संघीय ढांचों के विरूद्ध है- भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय।

विश्वविद्यालयों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए संसद में प्रस्तुत उच्चतर शिक्षा के लिए विधेयक जिनके नाम है-शैक्षणिक न्यायाधिकरण विधेयक, 2010; तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनैतिक प्रथा का निषेध विधेयक, 2010, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010, उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग विधेयक, 2011; और देश मे उनके परिसरों की स्थापना करने में विदेशी संस्थानों को अनुमति देने के लिए ''विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं प्रचालन के विनियमन) विधेयक, 2010 इन सभी विधेयकों से संबंधित कुछ कठिन मुद्दे है जो निम्नवत है:-

1. **ये सभी विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अन्तर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 44 और राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के दृष्टि से संविधान में समाविष्ट राज्य अधिकारों का अतिक्रमणकारी, संविधान विरोधी तथा देश के संघीय ढांचे के विरूद्ध है:**

   संघ सूची की प्रविष्टि 44: ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमीकरण, विनियमन और निगमों का समापन, परन्तु विश्वविद्यालय शामिल नहीं ।

   राज्य सूची की प्रविष्टि 32:- सूची-I में विनिर्दिष्ट निगमों और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियाँ और संगम; सहकारी सोसायटी को छोड़कर निगमों का निगमीकरण, विनियम तथा समापन ।

   भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश अर्थात् माननीय न्यायाधीश ए.एस.आनन्द, माननीय न्यायाधीश मदन मोहन पंछी, माननीय न्यायाधीश के.एन.सिंह और माननीय न्यायाधीश आर.सी.लाहोटी ने समान रूप से यह राय दी कि संसद के पास संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत संघ सूची-प्रथम सूची की प्रविष्टि 55 में विश्वविद्यालयों की स्पष्ट समावेशन और राज्य सूची-दूसरी सूची की प्रविष्टि 32 में अभिव्यक्त समावेशन की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के मामले में कोई विधायन नहीं है। इसलिए, विश्वविद्यालयों के मामलों में संसद कोई कानून नहीं बना सकती और केवल राज्य विधानसभाएं संबंधित राज्यों में विश्वविद्यालयों के लिए कानून बना सकती है।

इन विधेयकों द्वारा; केन्द्र देश में सभी विश्वविद्यालयों के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। इससे पूर्णतः संविधान का उल्लंघन होता है और यह संविधान में समाविष्ट देश के संघीय ढांचे के विरूद्ध है। इसलिए इस विधेयक को संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है तो यह कानून संविधान के

अधिकार से परे होगा और शक्तियों के पृथक्कीकरण की अवधारणा के विरूद्ध होगा।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस मामले में संसदीय स्थायी समिति को अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें यह स्वीकार किया कि प्रविष्टि स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालयों को शामिल नहीं करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी मामले को माननीय प्रधानमंत्री के साथ उठाया जिसमें उन्हें इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण बताया। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र 2012 के दौरान, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिली और विरोधाभास के संदर्भ में उत्पन्न संसद की विधिक क्षमता के कारण सदन तीन बार स्थगित होने के बाद उसे राज्य सभा में निलम्बित कर दिया गया।

2. **संविधान में शैक्षणिक अधिकरण की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं है।** तथापि, अधिकरण स्थापित करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि के अभिव्यक्त अपवर्जन की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के मामले में संसद में विधायन सामर्थ्य नहीं है। संसद विश्वविद्यालयों के मामलों में निर्णय के लिए शैक्षणिक अधिकरण की स्थापना के लिए सक्षम नहीं है। राज्य विधान सभाओं को विश्वविद्यालयों के लिए कानून बनाने विशेष रूप से सामर्थ्य है इसलिए केवल राज्य विधानसभाएं ही शैक्षणिक अधिकरणों की स्थापना के लिए कानून बना सकती है।

3. **राज्यपाल एवं कुलाधिपति के विरूद्ध सिविल एवं आपराधिक कार्यवाहियाँ चलाने के लिए विधेयक के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन करने वाले हैं (राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण)**

4. **शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010 द्वारा स्थानीय न्यायालय और उच्च न्यायालय को उन कुछ शैक्षणिक विवादों के लिए अपवर्जित कर दिया जाएगा जो विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा संस्थानों आदि के हितों के विरूद्ध है।** निषेधाज्ञा या अन्तरिम आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध भी निषेध है। विधेयक में प्रस्तावित शैक्षणिक अधिकरणों का गठन भी संविधान के प्रावधानों का विरोध करता है जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए.एस.आनन्द ने कहा है।

5. **'विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं प्रचालन का नियमन) विधेयक 2012 द्वारा' भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश देना भारतीय संस्थानों की हत्या की अनुमति देना होगा।** केन्द्र सरकार की सभी विद्यमान एवं नये भारतीय कानूनों की प्रायोज्यता के संदर्भ में छूट सहित इस विधेयक के किसी भी प्रावधानों के प्रचालन से किसी भी विदेशी संस्थानों को छूट देने के लिए भी सशक्त बनाया गया है ताकि विदेशी संस्थानों के लिए अनुकूल क्षेत्र तैयार हो सके।

विधि न्यायालय के माध्यम से विद्यमान शैक्षणिक विवादों के निपटान को प्रतिस्थापित करते हुए, देश में हजारों जगहों पर, लगभग 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकरण और एक राष्ट्रीय अधिकरण न्यायालयों के लिए, विद्यार्थियों, अध्यापकों की पहुंच को सीमित करते हुए विदेशी संस्थानों को भी सुविधा देना चाहते हैं।

6. **राज्यपाल, कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, संस्थान प्रमुख और अन्य शिक्षाविद्ों के विरूद्ध तीन वर्ष तक के कारावास का अपमानकारी प्रावधान प्रस्तावित नए विधेयक में किए गए हैं।** पचास लाख रू. का दण्ड भी विधेयक में सूचीबद्ध विभिन्न अपराधों के लिए लगाया गया है। दान लेने आदि के आरोपी संस्थानों पर एक करोड़ रू. के दण्ड का प्रावधान है जो संस्थान और कालिज के वार्षिक बजट से भी कई गुना अधिक है।

   भारत में शिक्षा में निवेश (जो लाभ के लिए नहीं है) शून्य हो जाएगा, जेल जाने के जोखिम से शिक्षा में कोई निवेश करने का साहस भी नहीं करेगा। ऐसे प्रावधानों से उच्चतर शिक्षा में लाइसेंसी प्रमिट राज और पुलिस राज को भी बढ़ाया मिलेगा और शिक्षाविद्ों की कम की स्थिति बदतर हो जाएगी जो उच्चतर शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए पूर्णतः विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा प्रकृति में सिविल सेवा जैसी होते हुए, विवादों को संबद्ध सिविल कानूनों के अन्तर्गत निपटाया जा सकता है और शलाखों के पीछे रखने के शारीरिक दण्ड को नहीं लगाया जा सकता है।

7. **केन्द्र सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अनुमति तोड़ने वाले प्रावधान तार्किक नहीं है।** तोड़ने/समाप्त करने का अधिकार केवल संस्थान के सृजनकर्ता को होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार संबंधित राज्य में एक विश्वविद्यालय के समावेशन के लिए अकेली सक्षम है। इसलिए केवल राज्य विश्वविद्यालयों को तोड़ने का अधिकार भी राज्य विधानसभा में निहित होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सृजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को तोड़ने का अधिकार भी संसद में निहित होना चाहिए।

8. **नामांकन अनुमति के लिए आवेदन करने से पहले सभी कार्यक्रमों का प्रत्यायन अनिवार्य होगा।** विश्व में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। प्रत्यायन निकाय जहाँ कहीं विद्यमान है, आकलन करते है और एक संस्थान की स्थापना के वाद केवल संस्थानों का प्रत्यायन होता है और जहां कुछ बैच पास हो गए हो। इसके अतिरिक्त, प्रत्यायन प्राप्त करना कहीं भी आवश्यक नहीं है।

9. **एचआरडी पर संयुक्त संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक पर परामर्श प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है।** और संपूर्ण प्रक्रिया जल्दबाजी में की गयी प्रतीत होती है। जहाँ महत्वपूर्ण अंशधारियों को नजरंदाज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालयों के समक्ष दर्ज संस्थानों के विरूद्ध अनैतिक प्रथाओं की शिकायतों के संदर्भ में सुसंगत आंकड़े, राज्य सरकार सांविधानिक निकायों, विधि न्यायालय, फोरम आदि ने इन विधेयकों के प्रस्तुत किए जाने को न्यायसंगत नहीं बताया है।

   उपर्युक्त के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह चाहता है कि सरकार सभी विधेयक पर पूर्णतः पुनर्विचार करें और इन संविधान विरोधी और संघीय संरचना विरोधी विधेयकों पर संसद में पास होने को रोकने पर भी विचार करें।

कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गयी कुछ शैक्षणिक पहल निम्नवत है:

1.आंध्र प्रदेश

छात्रावासः वर्तमान मे वर्ष 2010-11 के दौरान समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में 2358 छात्रावास तथा अन्य सामाजिक कल्याण संस्थान है (1640-लड़के छात्रावास और 718 लड़कियाँ छात्रावास)। राज्य में कुल 2,26,652 की स्वीकृत संख्या है। प्रत्येक छात्रावास में विद्यार्थियों का जाति आधारित समीकरण निम्नवत है:-

अनुसूचित जाति	70%
अनुसूचित जाति से	
अपवर्तित ईसाई	12%
पिछड़ा वर्ग	9%
अनुसूचित जनजाति	5%
अन्य	4%

इन विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन व आवास दिया जाता है। उन्हें किताबें, नोटबुक, अध्ययन सामग्री, बिस्तर सामग्री, ट्रंक बोक्स, प्लेट एवं ग्लास आदि की भी सुविधाएं दी जा रही है। छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 4 जोड़ी ड्रेस दी जाती है। सरकार ने जीओएमस सं. 59एसडब्ल्यू(ईडी-2) विभाग, दिनांक 01-04-2008 प्रति विद्यार्थी के लिए कक्षा VII मे 338 रू. प्रति माह से 475 रू. प्रति माह कक्षा VIII से X मे 412 रू. प्रति माह से 535 रू. तक 2008-09 से समाजिक कल्याण छात्रावासों में मेस की दरों में वृद्धि कर दी है। एस.डब्ल्यू छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए कोसमेटिक चार्ज लड़कों के लिए 20रू. प्रतिमाह से 50रू. प्रतिमाह लड़कियों के लिए 25 रू. प्रतिमाह से 50रू. प्रतिमाह 2008-09 में जी.ओ.एमएस सं. 41 एसडब्ल्यू(ईडी-2) विभाग, 11.03.2008 के तहत बढ़ा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा VIII से कक्षा X तक प्रत्येक लड़की को किशोर बालिका के रूप में सफाई नेपकिन्स खरीदने के लिए 25 रू. प्रति माह दिए जाते हैं। बाल कटिंग चार्ज प्रति विद्यार्थी 12रू. प्रति माह बढ़ा दिया गया है।

सरकारी छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए दवाईयाँ की खरीद के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पहचान पत्र बनाए गए हैं ताकि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए विद्यार्थी को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की प्रगति की निगरानी को सुविधाजनक बनाया जा सके। विद्या स्वयं सेवकों ने 2009-10 तक अपने अध्ययनों से विद्यार्थियों की सहायता की। 2009-10 के दौरान विद्यार्थियों को चिकित्सा बीमा कवरेज भी दिया गया।

जी.ओ.एमएस सं. 13 समाज कल्याण (एसएस 1,3) विभाग दिनांक 07.02.2002 के तहत वार्डन/मेटरोर्न्स का पदनाम बदलकर छात्रावास कल्याण अधिकारी कर दिया गया है।

विशेष छात्रावासः

समाज कल्याण छात्रावासों के परिणाम को सुधारने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि समाज कल्याण छात्रावासों में पर्यावेक्षणीय अध्ययन प्रणाली को आरंभ किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 1992-93 के दौरान, सरकार ने जी.ओ.एमएस सं.71 समाज कल्याण (क्यू-1) विभाग दिनांक 12.05.1992 बेहतर निष्पादन तथा सघन निगरानी के लिए प्रत्येक छात्रावास में 10 विद्यार्थियों की संख्या सहित अनुसूचित

जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए 30 से 50 तक प्रति जिला सभी जिलों में विशेष छात्रावास खोलने के लिए आदेश जारी किए। इन छात्रावासों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिन्दी विषयों में टयूटरों द्वारा कक्षा VIII, IX तथा X को कोचिंग दिया जाता है। टयूटरों को प्रति विषय 500/-रू. प्रति माह भुगतान किया जाता है। प्रति वर्ष 50/-रू. प्रति विद्यार्थी विशेष छात्रावासों में अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के लिए भुगतान किया जाता है।

छात्रावास में छात्रों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए सप्ताह में एक बार विशेष टयूटरों की मदद से विशेष छात्रावासों में यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं।

8वी, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रावास बनाए गए हैं। उनमें से वर्ष 2009-10 के दौरान 32,283 और वर्ष 2010-11 के दौरान 26,272 10वीं कक्षा के लिए 773 विशेष छात्रावास थे।

परिणामस्वरूप, मार्च 2010 के दौरान पिछले कुछ वर्षों में 10वीं के परिणामों में काफी सुधार हुआ, राज्य के औसत 81.63% के मुकाबले समाज कल्याण छात्रावासों द्वारा 85.37% पास हुए।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

सरकार ने जी.ओ.एमएस सं0 126 एसडब्ल्यू (क्यू-2) विभाग दिनांक 03.09.1997 में जिला क्रय समिति के पुनर्गठन के समय क्रय के विशिष्ट मदों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को छात्रावास कल्याण अधिकारी के रूप में घोषित करते हुए प्रशासन की शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया गया। ड्रेस, बिस्तर सामग्री, ट्रंक बोक्स, फर्नीचर की अदला-बदली के संबंध में 10% वार्षिक लागत वृद्धि प्रावधान सहित प्रत्येक के लिए व्यय का पैमाना निर्धारित कर दिया गया है। सरकार ने उस ड्रेस और बिस्तर सामग्री के बजाय जिला स्तर पर सभी मदों क व्यय पर खर्च करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों द्वारा राज्य स्तर समिति द्वारा अनुमोदित करना होगा।

कालेज छात्रावास

सरकार ने प्रत्येक छात्रावास में 100 विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या वाले अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों वाले कालेज छात्रावास स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में 32574 कालेज विद्यार्थी की स्कीकृत संख्या वाले 411 कालेज छात्रावास राज्य में कार्यरत हैं जिसमें से 214 कालेज लड़कों तथा 197 कालेज लड़कियों के लिए है। मकान, किराया, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और अवैतनिक निर्देश को मानदेय आदि का प्रावधान भी बजट में किया गया है। मेस चार्ज को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत संलग्न छात्रावास दर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति से पूरा किया जाता है। छात्र स्वयं मैस समिति बनाकर मैस चलाते हैं। प्रत्येक छात्रावास के लिए विद्यार्थियों की देखभाल के लिए एक अवैतनिक निदेशक है।

सरकार ने जी.ओ. एमएस सं. 11 समाज कल्याण (ईडीएन.1) विभाग दिनांक 28.01.2005 प्रत्येक जिले में प्रति छात्रावास 100 विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या सहित 46 कालेज छात्रावास (23 लड़को और 23 लड़कियों के लिए) खोलने के आदेश जारी किए हैं।

साथ ही सरकार ने जी.ओ.एमएस सं. 72 एमडब्लयू (ईडीएन-2) विभाग 22.09.2006 के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान 23 कालेज लड़कियाँ छात्रावास खोलने के आदेश जारी किए।

इसके अतिरिक्त्, सरकार ने जी.ओ.एमएस सं. 48 एसडब्ल्यू. (ईडीएन-1) विभाग 22-05-2009 के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान जिले में 400 कालेज छात्रावास (अर्थात् 200 लड़कों के लिए 200 लड़कियों के लिए) खोलने के आदेश जारी किए जिसमें से 30.09.2010 को 15227 की स्वीकृत संख्या वाले 259 कालेज छात्रावास खोले।

सरकारी छात्रावास भवनों का निर्माण

सरकार ने समाज कल्याण छात्रावासों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावासियों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए जोर देना चाहती है। अर्थात् किराये के भवन में अदा किए गए के अनुपात में सुविधाएं नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को असुविधा होती है। इसलिए, एक चरणबद्ध तरीके से छात्रावास भवन सरकारी भवनों में हो सके। प्रति कम्पलेक्स 400 विद्यार्थियों की दर से एकीकृत कल्याण छात्रावास परिसरों का कार्य भी किया जाना है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पात्र पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को आवासीय और गैर-आवासीय छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति की राशि में विद्यार्थियों के प्रभार तथा संस्थान को देय गैर-आवासीय शुल्क शामिल है। भारत सरकार वचनबद्ध दायित्व अर्थात् पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि के अलावा एक वर्ष में खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति करती है। सरकार ने जी.ओ.एमएस सं118 एसडब्ल्यू (ईडीएन.2) विभाग दिनांक 23.06.2008 के तहत 01.04.2008 से व्यवसायिक एवं गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.00लाख रू. प्रति वर्ष तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए आय सीमा निर्धारित कर दी है।

सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर जी.ओएमएस सं142 एसडब्ल्यू (ईडीएन.2) विभाग दिनांक 15.07.2008 के तहत संशोधित कर दी है जो निम्नवत है:-

समूह	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दर (रू. प्रतिमाह)		
	कालेज संबद्ध छात्रावास	विद्यार्थियों द्वारा प्रबंधित छात्रावास	दिवा विद्यार्थी
समूह I	रू. 962/-	रू.442/-	रू. 429/-
समूह II	रू. 682/-	रू. 442/-	रू. 429/-
समूह III	रू. 320/-	रू. 325/-	रू. 240/-
समूह IV	रू. 320/-	रू. 325/-	रू. 182/-

उपलब्ध उत्तम स्कूल योजना :

होशियार बच्चों की योजना का उद्देश्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा देना है। यह योजना कृषि श्रमिकों, जोगिनों, बंधुवा मजदूरों और अनाथों के परिवारों से संबंधित उन बच्चों के लिए है जो अच्छे स्कूलों में पहले से ही दाखिल हैं जिनके पास अच्छी शाखा में उच्ची शिक्षा है और जो मिशनरियों द्वारा चलाये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक विद्यार्थी को 20000/-रू. प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है और आय सीमा 18000/-रू. प्रतिवर्ष है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थी जो बेगमपेट और रामनाथपुर में हैदराबाद पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक दाखिल हैं, को संस्थान द्वारा भारित शुल्क की वित्तीय सहायता दी जाती है। आय सीमा 18000/-रू. प्रति वर्ष है।

गंदे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां:

उन बच्चों के माता-पिता जो गंदे व्यवसायों में लगे है अपने बच्चों को शिक्षा देने में पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें उनके बच्चों को सुविधाएं देकर मनाया जाता है। इसलिए राज्य सरकार उन बच्चों को शैक्षणिक सुविधाओं की योजना कार्यान्वित कर रही है जिनके बच्चे गंदे व्यवसायों, भारत सरकार के अनुदान से चमड़ा कमाने और खाल उतारने के कार्यों में लगे हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत उन बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को कवर करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता सहित छात्रावास एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। विमुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन बच्चों जिन्हें छात्रावास सुविधा की आवशकता है को आनन्द नीलायम में दाखिल कराया जाता है।

इन विमुक्ति छात्रावासों के छात्रों को निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

आवासीय (छात्रावासी):-

कक्षा III से X तक	700/**-रू. प्रति माह**

दिवा -छात्रवृत्ति:

कक्षा I से X तक	110/**-रू. प्रति माह**

प्रति विद्यार्थी 750रू. प्रतिवर्ष की राशि सभी कक्षाओं के लिए दिवा विद्यार्थियों को तदर्थ अनुदान के रूप में और सभी कक्षा के छात्रावासियों क लिए 1000रू. उपलब्ध कराये जाते हैं। भारत सरकार ने छात्रवृत्ति के पात्र बच्चों की संख्या एवं आय सीमा से प्रतिबंध हटाते हुए इस योजना को उदार बनाया है।

मेरिट उन्नयन योजना

यह 100% केन्द्रीय सहायता वाली अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की मेरिट के उन्नयन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । इसका उद्देश्य आवासीय जिलों में शिक्षा के माध्यम से चहुंमुखी विकास के लिए

सुविधाएं देकर मेरिट को ऊपर उठाना है। कक्षा IX से विद्यार्थियों के कक्षा XII उत्तीर्ण करने तक कोचिंग जारी रहता है।

15000/- रू. के पैकेज का अनुदान प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष दिया जाता है जिसका ब्योरा 800/- रू. प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की किताबें, लेखन सामग्री, शुल्क, आवास चार्ज, जेबखर्च आदि के लिए हैं और शेष 700/-रू. प्रतिवर्ष अध्यापकों, विशेषज्ञों के मानदेय के लिए और अन्य आकस्मिक प्रभार के लिए हैं।

पुस्तक बैंक

किताबों की योजना को भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बजट में विलय कर दिया गया है। भारत सरकार ने 1998-99 के दौरान कुछ नये पाठ्यक्रमों जैसे (1) चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (2) विधि पाठ्यक्रम (3) चार्टर्ड एकाउन्टेंसी (4) एमबीए (5)जैव विज्ञान तथा उसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रमों तक विस्तार किया गया है। प्रति सेट की लागत सीमा चिकित्सा/इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 7500/-रू., पशु चिकित्सा में डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 5000रू., कृषि में डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 4500/-रू., पोलीटेक्नीक के लिए 2400/-रू. तथा पीजी स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 5000/-रू. है।

अनुसूचित जाति अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत आठ अनुसूचित जाति विधि स्नातकों को प्रशिक्षण के बाद अन्यत्र रोजगार ढूंढने वाले प्रशिक्षकों के लिए प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष चयनित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को जिले के भीतर विधिक अधिकारियों जैसे जिले के सरकारी वकीलों, लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों के साथ संलग्न किया जाता है।

चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक 1000/-रू. प्रतिमाह की दर से वृत्तिका, प्रत्येक को 585/-रू. की दर से नामांकन की प्रतिपूति तथा विधि की किताबों और फर्नीचर की खरीद के लिए 6000/-रू. का भुगतान (एक बार) किया जाता है।

ए.पी. स्टडी सर्कल

ए.पी. स्टडी सर्कल आरंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षण को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बीसी उम्मीदवारों को कोचिंग मुहैया कराता है। ए.पी. स्टडी सर्कल की कुल क्षमता (280) अर्थात् यूपीएससी के सिविल सर्विस कोचिंग के लिए (230) उम्मीदवार हैदराबाद तथा विशाखापटनम शाखाओं में तथा (50) उम्मीदवार विजयवाड़ा में है। केवल वे उम्मीदवार जिनके माता-पिता की आय 1.00 लाख रू. वार्षिक से कम है दाखिले के पात्र हैं। वर्तमान में बजट की कमी के कारण विशाखापतनम और विजयवाड़ा के केन्द्र बंद हो गये हैं। ए.पी. स्टडी सर्कल में दाखिल उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है:-

सिविल सेवा के प्रति उम्मीदवारों को रख-रखाव प्रभार के रूप में 1100/-रू. प्रतिमाह की दर से वृत्तिका

1. हैदराबाद में सिविल सेवा के लिए निःशुल्क आवास
2. आरंभिक परीक्षा के लिए 1700/-रू. प्रति उम्मीदवार को निःशुल्क अध्ययन सामग्री की आपूर्ति तथा 2500/-रू. मुख्य परीक्षा के लिए दिए जाते हैं।
3. 200रू. तक प्रति उम्मीदवार प्रति सत्र चिकित्सा सहातया
4. भौतिक परीक्षा के लिए निःशुल्क दिशा-निर्देशन

1980 से 2009-10 तक चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या 389 है।
(भा.प्र.से.–43, भा.पु.से.–42, भा.व.से.–7, अन्य केन्द्रीय सेवा–297)

बंजारा हिल्स, हैदराबाद में ए.पी.स्टडी सर्कल के परिसर में बालिका छात्रावास भवन के निर्माण के लिए, प्रबंध निदेशक, ए.पी.ई.डब्ल्यू.आई.डी.सी., हैदराबाद से 128.00 लाख रू. का एक अनुमानित प्रस्ताव मांगा गया है।

2. असम

असम की साक्षरता दर 63.25% है और राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की साक्षरता दर 66.78% है जो थोड़ा उच्च है । प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत आबंटन, व्यय और उपलब्धि का व्यय का विवरण निम्नवत है:-

<u>राज्य क्षेत्र योजना</u>

<u>प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>

(रू. लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (विद्यार्थियों की सं0)	टिप्पणी
2008-09	200.00	200.00	1,05,382	
2009-10	200.00	200.00	45,208	
2010-11	300 00	300.00	67,407	
2011-12	300.00	54.22	12,499	1.9.2011 तक व्यय

<u>गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अनुसार :-</u>

(रू. लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (संस्थानों की सं0)	टिप्पणी
2008-09	100.00	शून्य	शून्य	
2009-10	100.00	100.00	108	1. हाई स्कूल =57 2. L.P., M.E. & M.V.=51
2010-11	100.00	40.00	54	

आईटीआई में शिल्पी प्रशिक्षण के लिए वृत्तिका:-

(रू. लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (प्रशिक्षणार्थियों की सं0)
2008-09	20.00	4.24	296
2009-10	5.00	4.55	325
2010-11	5.00	4.84	338

शैक्षणिक दौरों सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अनुदान :

(रू. लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (विद्यार्थियों/संगठनों की सं0)
2008-09	10.00	10.00	1,000 विद्यार्थी
2009-10	20.00	20.00	890 विद्यार्थी
2010-11	25.00	11.006	7 संगठन

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदान:

(रू. लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	उपलब्धि (संगठनों की सं0)
2008-09	10.00	10.00	25
2009-10	30.00	30.00	38
2010-11	50.00	22.90	43

उसी प्रकार असम सरकार कम्प्यूटर प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता, सामुदायिक भवन/स्कूल भवन का निर्माण, प्रमुख बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को अनुदान, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए गरीब उत्कृष्ट बालिका विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्तीय मदद करती है।

केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को अनुदान/छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। विवरण निम्नवत है:-

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:

(रू. लाख में)

वर्ष	निधि आवंटन			व्यय			उपलब्धि	टिप्पणी
	राज्य अंश	केन्द्र अंश	कुल	राज्य अंश	केन्द्र अंश	कुल		
2008-09	———	1020.00	1020.00	20.00	1014.90	1034.90	31,694	पीएमएस=31,072 बुक बैंक =622
2009-10	———	510.00	510.00	———	299.99	299.99	7074	
2010-11	30.00	1515.00	1545.00	———	204.99	204.99	6357	

गन्दे व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति:-

(रू. लाख में)

वर्ष	निधि आबंटन			व्यय			उपलब्धि	टिप्पणी
	अंश	अंश		अंश	अंश			
2008-09	40.00	40.00	80.00			79.62	7678	
2009-10	50.00	50.00	100.00	50.00	44.51	94.51	5146	
2010-11	50.00	50.00	100.00	50.00	49.99	99.99	6808	

बाबू जगजीवन राम छात्रावास का निर्माण (बालिका का छात्रावास) :-

(रू. लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय		उपलब्धि (छात्रावास की सं0)	
		राज्य अंश	केन्द्र अंश		
2008-09	100.00	46.20	---	3	1.बीबीके कालेज, बारपेटा 2 डीकेडी कालेज, गोलाघाट 3.मोरीगांव कालेज, मोरीगांव
2009-10	180.00	30.97	46.20	4 (3 चालू, 1 नया)	1. बीबीके कालेज, बारपेटा (90% कार्य पूरा) 2. डीकेडी कालेज, गोलाघाट (90% कार्य पूरा) 3. मोरीगांव कालेज, मोरीगांव (कार्य पूरा) 4. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, जालुकबरी (90% कार्य पूरा)
2010-11	200.00	75.00	200.00	75.00 (आरडी में रखा गया)	1. चन्द्रपुर कालेज, कामरूप (मेट्रो) (निर्माणाधीन) 2. गोसाईगांव कालेज, गोसाईगांव (निर्माणाधीन) 3. कामरूप कालेज, बगांव (निर्माणाधीन) 4. सर्वोदय जूनियर कालेज, जोरहाट (निर्माणाधीन)

बाबू जगजीवन राम छात्रावास का निर्माण (बालिका छात्रावास) :

(रू. लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	उपलब्धि (छात्रावास की सं0)	
2008-09	—	70.12	1	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, कोकराझाड कैम्पस (कार्य पूर्ण)
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	
2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	

5) अ.जा. की मेरिट का उन्नयन:

(रू. लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	उपलब्धि (छात्रावास की सं0)	टिप्पणी
2008-09	50.00	3.45	23	
2009-10	—	—	शून्य	
2010-11	50.00	13.80	02	

3. गुजरात

2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 35.93 लाख है जो कुल का 7.09% है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों के दौरान अनुसूचित जातियों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 1961 की जनगणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या में साक्षरता दर 30.45% के मुकाबले अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर 22.46% है। 2001 तक अनुसूचित जाति साक्षरता दर 70.50% तक ऊपर चली गयी है जो राज्य की सामान्य दर 69.14% की साक्षरता दर से थोड़ा अधिक है। अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर 57.58% जो सामान्य दर 57.80% के बराबर है। पुरूष की साक्षरता दर 79.66% में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

राज्य में साक्षरता सुधारने के लिए बहुत से उपाय उठाए गए हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, लड़कियों को निःशुल्क साईकल, निःशुल्क वर्दी, छात्रवृत्ति आवासीय स्कूल, आश्रम स्कूल और सरकारी/जीआईए छात्रावास

राज्य ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

- केन्द्र सरकार को योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए जो एसएसए के आरंभ होने से पहले राज्य द्वारा पहले से ही आरंभ की गयी थी।
- केन्द्र सरकार को आरएमएसए के अन्तर्गत निधियन के लिए अनुदान सहायता स्कूलों को भी कवर करना चाहिए।
- केन्द्र सरकार को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सम्पूर्ण व्यय वहन करना चाहिए।

<u>सरकार द्वारा किए गए अन्य मापदण्ड</u>

प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग साफ-सफाई सुविधाओं के लिए प्रावधान किया गया है-

- आसान लगाने योग्य प्री-फेब्रीकेटिड टेक्नोलोजी द्वारा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की जरूरत पूरी करना।
- प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन ताकि विद्यार्थियों को भी स्कूल में उच्चे दर्जे में अध्ययन करने का विकल्प हो।

<u>सफाई कर्मचारी</u>

- सरकारी और अनुदान सहायता पीटीसी कालेज में सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2 सीटों का आरक्षण है।
- सफाई कामगारों और उनके आश्रितों को उच्च शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मैडिकल, परा-मेडिकल, प्रशासन, प्रबन्धन और संबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय ऋण उपलब्ध है। 1,87,250/-रू. प्रति वर्ष भारत में और 4% की दर से 3,75,000/- रू. विदेश के लिए, 7,50,000 तक भारत में तथा 15.00 लाख रू. तक विदेश में जो पूरे कोर्स फीस का 90% तक हो सकता। यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम प्रायोजित योजना है और गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

<u>व्यावसायिक संस्थान</u>

व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में सूचना दी गयी है और जो वास्तव में पिछले पांच वर्षों में भरी गयी है।

व्यावसायिक संस्थानों के आरक्षित सीटों की संख्या और वर्षवार भरी गयी वास्तविक संख्या का विवरण (2006-07 से 2010-11)

शैक्षणिक वर्ष	संस्थानों की सं0	कुल प्रवेश	अ जा को प्रवेश	अ जा अभ्यार्थियों द्वारा भरी गयी सीटों की सं0
2006-07	101	31996	2270	1971
2007-08	103	35116	2508	2575
2008-09	118	47791	3510	3570
2009-10	441	86951	6087	4148
2010-11	463	108448	6246	4844

यह देखा गया है कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति का लिया जाना उन्हें आबंटितकी गयी सीटों से कम है।

राज्य सरकार के पास अनुसूचित जातियों के लिए कोई विशेष कोचिंग एक प्रशिक्षण नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह इस बारे में पहल करें।

शैक्षणिक अभिवृद्धि के लिए आरंभ की गयी अन्य नई योजना

निजी टयूशन द्वारा विज्ञान विषय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों के लिए कोचिंग शुल्क

- विज्ञान विषय में अध्ययनरत उन अनुसूचित जाति छात्रों की जिन्होंने Xवीं में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें निजी टयूशन के रूप में XIवी और XIIवीं में 1250/- रू. प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। 51.15 लाख रू. की प्रतिपूर्ति कर दी गयी हैं और वर्ष 2010-11 के दौरान इसमें 200 छात्रों को लाभ पहुंचा है।
- अनुसूचित जाति छात्र जो Xवीं में सामान्य विषयों में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें XIवीं में 8000/-रू. प्रतिवर्ष तथा XIIवीं में 4000/-रू. प्रतिवर्ष टयूशन शुल्क के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- वर्ष 2010-11 में 6.04लाख रू. वितरित किए गए और 26 छात्रों को लाभ पहुंचा।

सुझाव है कि इसी प्रकार यदि सफाई कर्मचारियों के बच्चे Xवीं और उससे आगे 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको भी ये विशेषाधिकार दिए जाए।

अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों तथा समूह क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अध्यापक-शिष्य अनुपात के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। राज्य के कुल अध्यापक-शिष्य के अनुसार सामान्य अध्यापक-शिष्य अनुपात निम्नवत है:-

प्राथमिक	1:32
माध्यमिक	1:33
उच्चतर माध्यमिक	1:39

शैक्षणिक वर्ष 2008-09

स्कूलों का प्रकार	कुल शिष्य	कुल अध्यापक	अध्यापक : शिष्य
प्राथमिक	84,36,545	1,74,442	48

स्कूलों का प्रकार	अ.जा. शिष्यों की कुल सं.	अ.जा. अध्यापकों की कुल सं.	अध्यापक / शिष्य
प्राथमिक	567351	17772	32

शैक्षणिक वर्ष 2009-10

स्कूलों का प्रकार	कुल शिष्य	कुल अध्यापक	अध्यापक : शिष्य
प्राथमिक	5832538	180568	32

स्कूलों का प्रकार	अ.जा. शिष्यों की कुल सं.	अ.जा. अध्यापकों की कुल सं.	अध्यापक / शिष्य
प्राथमिक	527126	18840	28

शैक्षणिक वर्ष 2008-09

स्कूलों का प्रकार	कुल शिष्य	कुल अध्यापक	अध्यापक : शिष्य
माध्यमिक	1145540	36714	31
उच्चतर माध्यमिक	1844743	47687	39
कुल	2990283	84401	35

स्कूलों का प्रकार	अ.जा. शिष्यों की कुल सं.	अ.जा. अध्यापकों की कुल सं.	अध्यापक / शिष्य
माध्यमिक	88171	2785	31
उच्चतर माध्यमिक	153208	3565	36
कुल		6350	34

शैक्षणिक वर्ष 2009-10

स्कूलों का प्रकार	कुल शिष्य	कुल अध्यापक	अध्यापक : शिष्य
माध्यमिक	1411058	43373	33
उच्चतर माध्यमिक	1749441	44130	39
कुल	3160499	87503	36

स्कूलों का प्रकार	अ.जा. शिष्यों की कुल सं.	अ.जा. अध्यापकों की कुल सं.	अध्यापक / शिष्य
माध्यमिक	1187954	4103	29
उच्चतर माध्यमिक	167989	3962	42
कुल	819730	24122	

प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेन्डरी स्तर पर स्कूल छोड़नेवालों की दर (बालक एवं बालिका बच्चे) निम्नवत है:-

वर्ष	प्राथमिक स्कूल			अपर प्राथमिक स्कूल			माध्यमिक
	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल	कुल
2005-06	4.53	5.79	5.13	9.97	14.02	11.82	27.74
2006-07	2.84	3.68	3.24	9.13	11.64	10.29	37.96
2007-08	2.77	3.25	2.98	8.81	11.08	9.87	37.28
2008-09	2.28	2.31	2.29	8.58	9.17	8.87	31.65
2009-10	2.14	2.17	2.20	8.33	8.97	8.65	30.65

प्राथमिक स्कूलों में अन्य बच्चों सहित अनुसूचित जाति बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ कर जाने को कम करने पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस पर समुचित ध्यान दिया गया है। अनुसूचित जाति बच्चों सहित सभी बच्चों में शिक्षा बढ़ाने के लिए, राज्य द्वारा निम्नलिखित योजना कार्यान्वित की गयी हैं:-

- **विद्या लक्ष्मी बोंड योजना:–** यह योजना कक्षा 1 में 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आरंभ की गयी है। विशेष रूप से उस गांव में जहां लड़की साक्षरता दर 35% से कम है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 में नामांकित प्रत्येक लड़की को 1000 रू. का बांड दिया जाता है। ब्याज सहित बॉड की राशि कक्षा VII पास करने के बाद लड़की को दे दी जाती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नगरीय परिवार की लड़की को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
- **विद्यादीप योजना**:- यह योजना राज्य के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को 24 घंटे बीमा कवर उपलब्ध कराती है। छात्र की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, अभिभावक को 25000/-रू. दिए जाते हैं। विद्यापीठ बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार बीमा किस्त की पूरी राशि का भुगतान करती है।
- **मुख्य मंत्री बालिका शिक्षा निधि योजना**:- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करके बालिका साक्षरता में सुधार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2003-04 में यह योजना आरंभ की है। राज्य सरकार ने इस निधि से आर्थिक रूप से जरूरतमंद लड़कियों की सहायता करने के लिए विशिष्ट मापदण्ड एवं दायरा, नियम एवं विनियम बनाए हैं।
- राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा I से VII तक के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य के सभी स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना कार्यान्वित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गठित स्कूल प्रबंध समिति स्कूलों में मध्याहन भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति स्नातकों की तुलना में वर्षवार तैयार किए गए व्यवसायिक स्नातकों की कुल संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	स्नातकों की कुल सं.	अ.जा. स्नातक	व्यावसायिक स्नातकों की कुल सं.	अ.जा. व्यावसायिक स्नातक
2008	425465	35525	11680	569
2009	503152	37302	12725	617
2010	524658	43729	14148	618

फॉरमेट में अन्य जातियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विवरण अलग-अलग दिया गया है।

व्यावसायिक संस्थानों

व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षित सीटों की संख्या और वर्षवार वास्तव में भरी गयी सीटों की संख्या का विवरण (पिछले पांच वित्तीय वर्ष)

शैक्षणिक वर्ष	संस्थानों की सं.	कुल प्रवेश	अ.जा. का प्रवेश	अ.जा. अभ्यार्थियों द्वारा भरी गयी सीटों की सं.
2006-07	101	31996	2270	1971
2007-08	103	35116	2508	2575
2008-09	118	47791	3510	3570
2009-10	441	86951	6087	4148
2010-11	463	108448	6246	4844

4.गोवा

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को वितीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन देना है। उपलब्ध सहायता का विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए वजीफा:- इस योजना के अन्तर्गत कक्षा I से X तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 175/-रू. से 275/-रू. तक 11 महीनों के लिए वृत्तिका उपलब्ध करायी जाती है। सहायता प्राप्त करने के लिए माता-पिताओं की निर्धारित आय सीमा 1.20 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ठ छात्रवृत्तियाँ:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उनकी उत्कृष्ठ कार्यशैली के लिए छात्रवृत्ति की स्वीकृति द्वारा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है। वे अनुसूचित जाति विद्यार्थी जो कक्षा 5 से 7 तक और कक्षा 8 से 10 तक क्रमशः न्यनतम 50% अंक और 60% प्राप्त करते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति की दर 11 महीनों के लिए 800/-रू. से 1500/-रू. वार्षिक की परिधि में है। इस योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए किताबें, लेखन सामग्री और वर्दी:- इस योजना के अन्तर्गत उन अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता किताबें, लेखन सामग्री और वर्दी नहीं खरीद सकते हैं, को किताबें, लेखन सामग्री और वर्दी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें सिलाई का प्रभार भी शामिल है।

छात्रावास चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

इस योजना का उद्देश्य उन स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को सहायता अनुदान देना है जो अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चलाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने आवास स्थल से दूर रह कर अपना अध्ययन करने में समर्थ हो सके।

कक्षा 5 से 10 तक अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए कोचिंग।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को कोचिंग देना है जिससे कि उनका शैक्षणिक स्तर सुधर सके और कक्षा 5 से 10 तक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में उन विद्यार्थियों में असफल होने की संभावना कम हो सके। कक्षा 5 से 8 तक को कोचिंग दिलाने के लिए 20 विद्यार्थियों के एक बैच के लिए 400/-रू. प्रति माह, प्रति अध्यापक/क्लास, प्रति विषय, एक दिन में एक घंटा, जून से मार्च तक एक सप्ताह में 3 बार की दर से अध्यापकों को मानदेय का भुगतान किया जाता है और कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों की कक्षा चलाने के लिए 500/-रू. की दर से मानदेय दिया जाता है। चपरासियों और विद्यालय को 50/-रू. प्रतिमाह की दर से प्रत्येक को मानदेय एवं विविध खर्च स्वीकृत किया जाता है।

पात्रताः-

- विद्यार्थी को गोवा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को संस्थान का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
- वह विद्यार्थी पात्र नहीं होगा जो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में अन्य स्रोत से कोचिंग ले रहा है और उसे नियम 4 के खण्ड (iii) के अन्तर्गत परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  विद्यार्थी उसी कक्षा में दो बार कोचिंग लेने का पात्र नहीं होगा।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

यह योजना बनसोल प्रशिक्षण केन्द्र, नासिक में अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं में सैन्य नेतृत्व की गुण और राष्ट्रीय अखण्डता की भावना पैदा करने के लिए है ताकि वे भारत के आदर्श नागरिक बन सके। ग्रीष्म और शीतकालीन छुट्टियों के दौरान 5 लड़कियाँ एवं 5 लड़के इस प्रशिक्षण के पात्र हैं। लड़की और लड़के प्रत्येक को क्रमशः 4000/-रू. एवं 4500/-रू. की वित्तीय सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और संस्था के लिए बुक बैंक

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट सेकेंड्री स्टेज पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके। व्यवसायिक संस्थानों को बुक बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए सहायता आधार है जो बहुत मंहगी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते ताकि वे बीच में स्कूल छोड़ने, फेल होने से बच सके। रख-रखाव भत्ते की दर पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर 140/-रू. से 700/-रू. तक भिन्न-भिन्न है। डिग्री और पोस्ट ग्रेजवेशन स्तर पाठ्यक्रम तक माता-पिताओं की कुल आय छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाने की दृष्टि से 1 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लड़कियों के विकास के लिए अनुदानः-

इस योजना का उद्देश्य स्कूल में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना है। वर्तमान में स्कूल छोड़ने वालों की दर बहुत उंची है। 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूषों और महिलाओं के बीच साक्षरता में लगभग 13% का अंतराल दिखाई देता है। योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य निम्नानुसार है।

- ❖ राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े तालुकों में प्राथमिक चरण पर विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक्स, वर्दी और रेनकोट उन लड़कियों के लिए 200/-रू. प्रति वर्ष प्रोत्साहन जिनकी वार्षिक आय 25000/-रू. से कम है।
- ❖ बच्चों एवं संस्थानों को विशेष आवश्यक प्रोत्साहन सहित बच्चों की शिक्षा के लिए योजना आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

मध्यांतर आहार (कक्षा I से IV)

मध्यांतर आहार योजना राज्य में सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों (I से IV) में वर्ष 2003 में और सरकारी एवं सहायता प्राप्त सकूल (V से X) में वर्ष 2008-09 में आरंभ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पोषण भोजन देना है। खाद्य सामग्री में शीरा, वनस्पति पुलाव, पावभाजी, मुगदाल और पोहे शामिल हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति दिन 100 ग्रा. पका हुआ भोजन दिया जाता है जिसमें 300 कैलोरी कार्बोहाईड्रेट और 1-12ग्राम प्रोटीन स्कूल में भोजन अवकाश के दौरान दिया जाता है।

नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, वर्दी, रेनकोट की आपूर्ति

गोवा सरकार 12वीं कक्षा तक स्कूल जाने वाले उन सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, वर्दी, रेनकोट की आपूर्ति की जाती है जो एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित हैं।
विशेष आवश्यकताओं सहित बच्चों के लिए अनुदान

यह योजना विशेष आवश्यकताओं सहित बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने से संबंधित है। यह योजना अशक्त बच्चों को आत्मनिर्भर और रोजगार -परक बनाने के लिए तैयार की गयी है ताकि वे परिवार की जिम्मेदारी न रहे इसलिए ऐसे बच्चों के माता-पिताओं और स्कूलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर विशेष आवश्यकताओं सहित बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार की आवश्यकता है जहाँ ऐसे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत बच्चे वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं:

प्रतिवर्ष किताबों एवं अन्य लेखन सामग्री के लिए अनुदान	500/- रूपए
वर्दी के लिए निर्धारित राशि प्रतिवर्ष	800/- रुपए
यात्रा-भत्ता प्रति माह	200/- रुपए

3 वर्षों में एक बार (प्रथम वर्ष में दिया जाना) बच्चे की शिक्षा पर अपेक्षित उपकरणों की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकतम 5,000/- रुपए का वास्तविक खर्च, अनुरक्षक भत्ता 5,000/- रुपए प्रति माह, 60% की उपस्थिति की शर्त पर 200/- रुपए प्रति माह ।

संस्था को 60% से अधिक उपस्थिति पर 300/- रुपए प्रोत्साहन के रूप में, लेकिन प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में 45% से अधिक उपस्थिति पर अधिकतम 10 महीनों के लिए शिक्षा दे रहे स्कूल को प्रति बच्चा प्रति माह दिया जाएगा । इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रावास सुविधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोग एवं सहायता भी सम्मिलित हैं।

छात्रों की साइबर ऐज योजना

स्कूलों में इस योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है और कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना । स्कूलों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को उपलब्ध कराने के अलावा यह योजना राज्यों के सभी घरों में विद्यार्थियों को उनके घरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराते हुए कम्प्यूटर शिक्षा का प्रवेश सुनिश्चित करना प्रस्तावित करती है । राज्य में सभी स्कूलों में पहले से ही कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं । चूंकि स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रायोगिक अभ्यास करने के कुछ ही घंटे मिल पाते हैं, इस योजना में ग्यारहवीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उनके घरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराना सम्मिलित है ।

निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् हैं:-

- हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा शिक्षण सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए सभी स्कूलों में कम्प्यूटर के बुनियादी ढांचे का विकास ।
- विद्यार्थियों के उनके घरों में कम्प्यूटरों को उपलब्ध कराना ।
- प्रस्तावित है कि कुछ चयनित विषयों को शैक्षिक सी.डी. उपलब्ध कराते हुए कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा को बढ़ावा देना ।

आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा स्कूल योजना (VIII–XII)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा स्कूल योजना (आईसीटी) के अन्तर्गत, राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ सहायता का उपयोग करते हुए आई.टी. जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को अब और मजबूती प्रदान करना प्रस्तावित करती है । विभाग ने कम्प्यूटर शिक्षा योजना 2005-09 प्रतिपादित की है जिसमें बल दिया गया है:-

- ✓ विद्यार्थियों, अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए निजी क्षेत्र संगठन में सभी उच्च् विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराते हुए कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं को विकसित करना ।
- ✓ तीव्र और आई.टी. साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा VIII से XII तक विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य स्कूल मूल्यांकन विषय बनाना । इस कार्य में निजी क्षेत्र संगठनों को जोड़ना । 4 वर्षों की अवधि की संविदा के लिए हार्डवेयर कन्जयूमबिल्स तथा शिक्षण सेवाओं का प्रावधान करने के लिए राज्य के तीन जोनों में प्रतिस्पर्धा बोली लगाकर चयन करना ।
- ✓ हार्डवेयर (पी-IV कम्प्यूटर, स्कैनरों, प्रिन्टरों) का प्रावधान करना और इनका रखरखाव एवं मरम्मत लीज़ अथवा बी.ओ.(बिल्ड-ऑपरेट) के आधार पर करवाना ।
- ✓ स्कूल की कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में चार वर्षों के लिए जरुरत के अनुसार प्रिन्टर रिबन्स, कार्टरेजों, फ्लोपीज़ इत्यादि जैसे कन्ज्यूमबिल्स का प्रावधान ।
- ✓ कक्षा VIII से XII तक गोवा बोर्ड के मानक पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के अनुसार योग्य अध्यापन सेवा का प्रावधान ।

अध्यापकों को लेपटॉप मुहैया करवाना

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में केवल विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को भी कम्प्यूटर ज्ञान से अभिमुख होने की आवश्यकता है । प्रौद्योगिकी में तेजी से होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रोजाना कम्प्यूटर चलाने के लिए अध्यापकों को भी व्यापक ज्ञान की आवश्यकता है । इसके अलावा, अध्यापकों को कम्प्यूटरों पर अधिक दृश्यों को दिखाकर और आधुनिक शिक्षण लर्निंग प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण कार्य करने की आवश्यकता है । गोवा राज्य में स्कूलों/कॉलेजों/पोलोटेक्निक/गोवा विश्वविद्यालय में अध्यापन प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना मल्टी मीडिया प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक्स आदि को दैनिक आधार पर प्रयोग करके ही संभव होगा ।

विद्यार्थियों के लिए सुअवसर व्यय

राज्यभर में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या विशेष रूप से कम विकसित तालुकाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में इधर-उधर बिखरी हुई है, क्योंकि परम्परागत व्यवसाय जिससे ये जुड़े होते हैं अधिक समय लेता है और कम पारिश्रमिक मिलता है । शिक्षा अथवा अन्य कोई तकनीकी योजना की कमी के कारण अनुसूचित जातियां हाथ से कार्य करने पर निर्भर करती हैं । अपने जीवन-यापन के लिए अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं तथा जो भी वे कमा पाते हैं वह उनके बेहतर जीवन के लिए अपर्याप्त है । इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय योजना प्रतिपादित की है "अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विकल्प लागत" । कक्षा I-IV और कक्षा V-VII के सभी विद्यार्थियों के माता-पिता सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित जो सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं । बच्चे के माता-पिता को राशि का भुगतान किया जाना । प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 500/- रुपए प्रति वर्ष तथा मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 750/- रुपए प्रति वर्ष ।

5. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24.72% है । अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 70.30% है जबकि कुल साक्षरता दर 76.50% है । विशेष रूप से महिलाओं में शैक्षिक पिछड़ापन अत्यधिक देखा गया और अधिकांश अपने घरों के कार्यों तक सीमित हैं और खेतों और घरों में मुख्य कार्य शक्ति के रूप में देखा जाता है ।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं और समस्याएं

1. अनुसूचित जाति के लड़कों को शुल्क रियायत लागू नहीं ।
2. आयकर सीमा आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं ।
3. अनुत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ।

शैक्षिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की योजनाएं

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक - योजना: राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ आईआरडीपी/ अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए शैक्षिक सत्र 1987-88 के दौरान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना लागू की गई ।

शुल्क रियायत: बालिका छात्राओं के लिए शुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बालिकाओं को शुल्क में रियायत दी जाती है ।

- उच्च शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति लड़कों के लिए शुल्क रियायत लागू नहीं है ।
- अनुसूचित जाति लड़कों के बीच गरीब बच्चों को आय सीमा निर्धारित करते हुए शुल्क रियायत दी जानी चाहिए ।
- अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और शुल्क रियायत को दिए जाने की प्रोत्साहन योजना ।

बीच में स्कूल छोड़ने की दर

उच्च शिक्षा विभाग ने सामान्य और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर के आंकड़े दिए हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:-

बीच में स्कूल छोड़ने का वर्षवार दर (सभी वर्ग)

	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
2005-06	1.02	0.68	0.9	1.65	0.99	1.33
2008-09	0	0	0	0.02	0.2	0.02
2009-10	0.29	0.37	0.33	0.26	0.38	0.32

विभाग से पूछा जाना चाहिए कि बीच में स्कूल छोड़ने की दर के अन्तर्गत किन्हें सम्मिलित किया गया (क्या इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एसईबीसी सम्मिलित हैं) या यह पूर्णत: सामान्य स्कूल छोड़ने की दर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एसईबीसी को छोड़कर) है । उच्च शिक्षा में बीच में स्कूल छोड़ने की दर का विवरण इस प्रकार है :-

उच्चतर शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश)

स्कूल छोड़ने की दर	माध्यमिक			
11वी योजना कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति		
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
2005-2006	18.91	17.98	21.16	21.61
2006-2007	17.81	17.42	22.31	22.69
2007-2008	16.55	16.15	21.19	21.50
2008-2009	15.45	15.56	20.18	20.31
2009-2010	15.23	15.26	19.60	19.18

यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एसईबीसी को छोड़कर पूर्णत: सामान्य बीच में छोड़ने की दर है, यदि एक तरफ अनुसूचित जातियों तथा दूसरी ओर सामान्य के बीच विचारणीय अन्तर है तो विश्लेषण किया जा सकता है । अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के बीच में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती हैं ।

मध्यांतर आहार योजना

प्राथमिक शिक्षा पोषणता सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्यांतर आहार योजना भी कहलाती है जिसे 15-8-1995 में प्रारंभ किया गया था । यह योजना कक्षा I-VII में पढ़ रहे बच्चों के लिए है । तदनन्तर, इस मध्यांतर आहार योजना के मॉनीटरन सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर स्टीरिंग-कम-मॉनीटरन समितियों का गठन किया गया । इसके अलावा स्कूल स्तर पर भी समितियों का गठन भी किया गया ।

मध्यांतर आहार योजना राज्य के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल/ईजीसी केन्द्रों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन किया गया और प्राथमिक के 426658 बच्चों तथा मिडिल स्तर के 314611 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया । भारत सरकार ने 4106.66 लाख रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता जारी की एवं राज्य ने अपने राज्य शेयर के रूप में 2229.50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया ।

(i) हिमाचल प्रदेश में 426658 बच्चों को सम्मिलित करते हुए राज्य के 10720 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों/ईजीसी केन्द्रों में तथा विभिन्न एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए 314611 विद्यार्थियों को 4384 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त मिडिल इकाइयों द्वारा मध्यांतर आहार योजना कार्यान्वित की गई है ।

(ii) भारत सरकार ने चालू वर्ष 2011-12 में मध्याह्न भोजन योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए 20837.86 मीट्रिक टन चावल खरीदा ।

(iii) भारत सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए 4106.66 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की है ।

(iv) अपने राज्य शेयर के लिए राज्य ने 2229.50 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया है ।

नि:शुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

विद्यार्थियों को शिक्षावृत्ति 750/- रुपए की दर से एवं 1,500/- रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी उपलब्ध कराना जिनके परिवार की कुल आय एक लाख रुपए प्रति माह हो ।

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने मेधावी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं + 1 परीक्षा में 72% और अधिक अंक प्राप्त करने के अन्तर्गत डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना पर विचार किया । छात्रवृत्ति 10,000/- रुपए प्रति वर्ष दी जाती है । वर्षवार लाभार्थियां निम्नवत् हैं:-

वर्ष	व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थी
2005-06	55.90	559
2006-07	74.20	742
2007-08	41.50	415
2008-09	125.00	1250
2009-10	138.50	1385

<u>महर्षि बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना :-</u> यह राज्य सरकार की योजना है । इस योजना के अन्तर्गत बाल्मीकि परिवारों जो घृणित व्यवसायों में लगे हैं, को मैट्रिक से कॉलेज स्तर तक अध्ययन के लिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्तर तक अध्ययन करने के लिए एवं कॉलेज स्तर तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश में स्थित, वे सरकारी या प्राईवेट मान्यता की ओर ध्यान न देते हुए 9,000/- रुपए प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है ।

वर्ष	व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थी
2005-06	7.20	80
2006-07	7.02	78
2007-08	8.55	95
2008-09	8.19	91
2009-10	8.01	89

<u>गंदे व्यवसाय में लगे परिवारों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) :-</u> इस योजना के अधीन किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक जो शुष्क शौचालय (ड्राई लैटरिन) और केवल चमड़ा बनाने और उतारने जैसे अन्य सफाई कार्यों में लगे, जिन्हें परम्परागत "गंदा व्यवसाय" माना गया है, के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखते हैं । यह छात्रवृत्ति केवल इस तरह की संस्थाओं के लिए तर्कसंगत और मैट्रिक स्तर तक इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए जो संबंधित राज्य सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त हों । शैक्षिक सत्र में 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई भी आय सीमा नहीं होगी । दिवा विद्यार्थी कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्रों को 110/- रुपए की दर से प्रति माह और दिवा विद्यार्थी 750/- रुपए प्रति वर्ष की तदर्थ अनुदान के अतिरिक्त छात्रावासियों को 700/- रुपए प्रतिमाह एवं छात्रवासी 1,000/- रुपए प्रति वर्ष की भी पात्रता रखते हैं ।

वर्ष	व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थी
2008-09	1,85,000	97
2009-10	1,12,850	62

<u>अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस) :–</u> यह राज्य दायित्व प्रतिबद्धता पर आधारित केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना है । राज्य दायित्व प्रतिबद्धता के अधीन किया गया जो भी खर्च भारत सरकार के नामे डाला जाएगा । अनुसूचित जाति वर्गों से संबंधित सभी विद्यार्थी और जो स्कूल स्तर + 1 एवं 2, स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों में अध्ययनरत हैं, उन्हें 100,000/- रुपए की आय सीमा के साथ लाभ प्राप्त है ।

वर्ष	व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थी
2005-06	106.70	4268
2006-07	146.12	8495
2007-08	141.02	7501
2008-09	165.74	9273
2009-10	169.83	9221

उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति लड़कियों को प्रोत्साहन:-

वर्ष	व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थी
2008-09	65.28	2176
2009-10	1.86.99000	6233
2010-11	वर्ष 2010-11 के लिए 7390 विद्यार्थियों हेतु 2.21.70.000/- रुपए की राशि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ।	

सर्व शिक्षा अभियान (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में किसी भी कमी का पता नहीं चला है ।

पिछले वर्षों के दौरान वार्षिक योजनाओं के समक्ष सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यय गति में समनुरूप सुधार हो रहा है ।

यह उल्लेख किया जाना भी प्रासंगिक होगा कि सर्व शिक्षा अभियान एक पावन सोच है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का व्यापक कार्यक्रम है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का जाति पंथ, क्षेत्र और लिंग का ध्यान दिए बिना उनकी देखभाल की जाती है तथा सर्व शिक्षा अभियान के आश्रय मात्र से समान अनुपात में लाभ प्राप्त किया जाता है ।

उच्चतर शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के प्राध्यापकों की संख्या

- कुल प्राध्यापक – 11806
- अनुसूचित जाति के कुल प्राध्यापक – 510

स्त्रोत: प्राथमिक शिक्षा विभाग

20 सितम्बर, 2010 को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के अनुसूचित जाति अध्यापक

प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
3294	1381	4675	1390	728	2118

वर्ष में विभिन्न कालेजों से कुल 32,693 स्नातक पास हुए और वर्ष 2009-10 की परीक्षा में 3159 उत्तीर्ण हुए जो अनुसूचित जाति वर्ग की क्षमता है । जबकि परीक्षा फार्मों में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, अत: इसलिए ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि चिह्नित नहीं हो सकीं ।

उच्चतर शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश)

वर्ष	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सीटों की संख्या
2005-06	113	110
2006-07	112	104
2007-08	135	133
2008-09	106	100
2009-10	109	108

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 15% सीट आरक्षित है और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक् योग्यता में, अधिकतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी । अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सूचना की विवरण पुस्तिका की खरीद पर कुछ छूट दी जाती है तथा यदि विवरण पुस्तिका का मूल्य सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के बराबर है तो शुल्क रियायत भी दी जाएगी ।

सभी वर्गों की विज्ञान कक्षाओं के 10 + 1 और 10 + 2 के विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना के निर्माण हेतु परीक्षा श्रृंखला योजना की शुरुआत की गई । राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं की प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना ताकि प्रतियोगिताओं में सफल हो सके । इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के 270 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 12000 विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया ।

नामांकित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है:

1	**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन**			
	कक्षा	बालक	बालिकाएं	जोड़
	I–V	97748	91799	189547
	VI–VIII	59409	54991	114400
	IX-X	28172	25810	53982
	XI-XII	17039	14641	31680
	कुल	202368	187241	389609
2	अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या			
	स्कूल का प्रकार	पुरुष	महिला	कुल
	प्राथमिक	3435	1609	5044
	मिडिल	2938	1220	4148
	उच्च	903	372	1275
	माध्यमिक स्कूल	2015	751	2766
	कुल	9281	3952	13233

स्त्रोत: *प्राथमिक शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश)*

छात्रवृत्ति:- वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के साथ प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तरों पर विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की आय सीमाओं के विवरण सहित छात्रवृत्ति/वजीफा की दर निम्नवत् है:-

योजना का नाम	दर	वर्ष	वित्तीय उपलब्धियां	लाभार्थी
अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक योजना (9वीं एवं 10वीं) यह योजना 2008-09 में शुरु की गई ।	10 महीने के लिए 50/- रुपए प्रतिमाह तदर्थ अनुदान 500/- कुल 1,000/- आय सीमा 44,500	2008-09	10,26,200/-	1026
		2009-10	31,38,000	3138
गंदे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	10 महीने के लिए 110/- रुपए प्रतिमाह तदर्थ अनुदान 750/- कुल 1,850/- कोई आय सीमा नहीं ।	2007-08	-	-
		2008-09	1,85,000	97
		2009-10	1,12,850	62
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	इस योजना की दर का नीचे उल्लेख किया गया*	2005-06	106.70	4268
		2006-07	146.12	8495
		2007-08	141.02	7501
		2008-09	165.74	9273
		2009-10	169.83	9221

नियमित विद्यार्थी के रूप में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के वे विद्यार्थी जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से दो लाख रुपए (2,00,000/- रुपए) की वार्षिक आय है, वे पूरी छात्रवृत्ति लेने के पात्र हैं (जैसे- रखरखाव भत्ता + पूर्ण शुल्क)

समूह	पाठ्यक्रम	मासिक दर	
क	एम.फिल, पीएचडी और डॉक्टोरल अनुसंधान मेडीसिन्स (ऐलोपैथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त मेडीसिन पद्धति) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा कमर्शियल पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रम	550	1200
ख	डिग्री की ओर अग्रसर स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, मेडीसिन में डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग/ एमएससी आदि । मेडीसिन/ इंजीनियरिंग/आर्किटेक्ट/एम.ए./एम.कॉम/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।	530	820
ग	स्नातक अथवा उससे उच्च डिग्री की ओर अग्रसर अन्य सभी बी.ए., बी.एस.सी. दूसरा और तीसरा वर्ष (जो समूह क एवं ख में कवर नहीं हैं) ।	300	570
घ	+1 एवं +2 (दोनों सामान्य व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रमों पोलीटेक्निक के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।	230	380

उच्चतर शिक्षा विभाग

उक्त बताई गई छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आईआरडीपी वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं । कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के लाभार्थी विद्यार्थियों तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	कुल व्यय	कुल लाभार्थी	अनुसूचित जातियों पर व्यय	अनुसूचित जाति के लाभार्थी
2009-10	8,85,81,788	1,18,166	3,74,44,393	49320
2010-11	8,39,85,438	1,16,654	3,65,76,807	52187

6. हरियाणा

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना: - यह योजना 12-09-2005 को प्रारंभ की गई । यह 10+1 या 10+2 और आईटीआई, दो वर्ष की पोलीटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए शुरु की गई । इस योजना को 18-08-2009 से स्नातकोत्तर तक बढ़ाया गया था । इस योजना के अन्तर्गत कोई आय सीमा नहीं थी । वर्षवार बजट व्यय तथा इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	बजट व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2005-06	149.50	1495
2006-07	410.90	4109
2007-08	915.40	9154
2008-09	1233.90	12339
2009-10	983.84	10853
2010-11	925.58	12730
2011-12	(आवंटन 1800.00)14.88	50
कुल	4634.00	50,732

<u>अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना :–</u> इस योजना को 18-08-2009 को इस उद्देश्य से शुरु किया गया कि अनुसूचित जाति की लड़कियों को विज्ञान, कॉमर्स तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं । इसमें उन विद्यार्थियों को अधिक संख्या में शामिल किया गया जो राज्य/केन्द्रीय सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए । इसमें 1.00 लाख रुपए से 2.40 लाख रुपए प्रति वर्ष आय सीमा रखी गई है । वर्षवार बजट/व्यय, इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गई लड़की छात्राओं की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	बजट व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2009-10	24.21	306
2010-11	13.37	165
2011-12	(आबंटन 50.00)--	--
कुल	37.58	471

<u>कम्प्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के बेरोज़गार युवकों के लिए टंकण एवं डेटा कौशल का उन्नयन:–</u> इस योजना को 15-12-2008 को इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के युवकों को कम्प्यूटर साक्षर बनाकर स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करना । इसमें 1.50 लाख रुपए की आय सीमा है । इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए प्रशिक्षु की संख्या वर्षवार बजट/व्यय निम्नवत् है:-

वर्ष	बजट व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2008-09	39.49	—
2009-10	47.02	180
2010-11	46.45	180
2011-12	(आबंटन 129.00)33.00	225
कुल	165.96	585

<u>निजी संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उच्चतर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना :–</u> इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को शुरुआत में 10,000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई । सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जो बाजारों के रेट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग की अवधि और फीस की दर निश्चित करेगी । अब इस योजना का 1-4-2009 से आशोधन किया गया । इस योजना के अन्तर्गत 2009 से आज तक 4366 महत्वकांक्षियों के लिए 155.21 लाख रुपए की राशि खर्च की गई । वर्षवार बजट व्यय तथा इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित महत्वाकांक्षियों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	बजट व्यय (रुपए लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2005-06	0.11	03
2006-07	0.30	09
2007-08	1.96	23
2008-09	18.50	268
2009-10	5.20	76
2010-11	70.00	3600
2011-12	(आबंटन 176.00)59.14	1112
कुल	155.21	5091

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक योजना:-

राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जातियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ योजनाओं को प्रारंभ/आशोधन किया है । वर्ष 2007-08 से पहले कल्याण विभाग द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता था और 2007-08 से शैक्षिक विभाग को इन योजनाओं के कार्यान्वयन का अंतरण कर दिया गया ।

(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (लड़कों एवं लड़कियों) को कक्षा 1 से 12 तक वन टाइम भत्ता: कक्षा पहली से बारहवीं तक 740/- रुपए से 1,450/- रुपए तक की रेंज में वज़ीफा दिया जाता है । वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक 2870990 विद्यार्थियों पर 28986.41 लाख रुपए की राशि खर्च की गई ।

(ख) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (बालकों एवं बालिकाओं) को कक्षा एक से बारहवीं तक मासिक भत्ता: कक्षा एक से बारहवीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 100/- रुपए से 400/- रुपए तक की रेंज में वज़ीफा दिया जाता है । वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक 2870990 विद्यार्थियों पर 39374 लाख रुपए की राशि खर्च की गई ।

(ग) कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 450/- रुपए तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 620/- रुपए दिए जाते हैं । वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक 768059 विद्यार्थियों पर 650.00 लाख रुपए खर्च किए गए ।

(घ) कक्षा एक से दसवीं तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जिनके माता-पिता घृणित व्यवसाय में लगे हैं उन्हें मासिक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 110/- रुपए प्रति माह और 750/- रुपए प्रति वर्ष समय पर दी जाती है, 8087 विद्यार्थियों पर 97.84 लाख रुपए खर्च किए गए ।

7. महाराष्ट्र

<u>तकनीकी शिक्षाः–</u>

सरकारी पोलीटेक्निक में संदर्भ पुस्तकों को उपलब्ध कराना, जो कि महंगी और उनके द्वारा उनका खर्च वहन न कर सकने वाली है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उनके पढ़ने के लिए एक पुस्तकों का सैट दिया गया । यही योजना सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू की है ।

<u>व्यावसायिक शिक्षाः–</u>

व्यावसायिक शिक्षा स्ट्रीम को तीन चरणों में कार्यान्वित किया ।

क) प्लस 2 चरण न्यूनतम सक्षमता आधारित व्यावसायिक शिक्षा, जिसकी कार्य योजना एनसीईआरटी पद्धति के अन्तर्गत तैयार की गई है,

ख) प्री-एसएससी तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा जहां 8वीं से 10वीं तक विषय पढ़ाए जाते हैं और उन्हें प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तथा

ग) अल्प अवधि प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम । यह विशेष रूप से बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए बनाई गई हैं, जिनकी सेवाएं सामान्य तौर पर अनेक उद्योगों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयोग की जाएंगी । इन योजनाओं के सफल उम्मीदवारों को 1,225/- रुपए की टूल किट और इनसे संबंधित पुस्तकों को भी दिया जाएगा ।

<u>स्कूली शिक्षाः–</u>

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की पुस्तक बैंक योजना ।

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पुस्तक बैंक स्थापित करना जिसे मान्यता प्राप्त स्थानीय निकाय एवं सरकार द्वारा सहायता से चलाया जाता है । उच्चतर कक्षाओं के लिए तीन वर्षों में एक बार पूरे पाठ्य पुस्तक के सैट को बदलना और कक्षा पहली एवं दूसरी के सैट को प्रत्येक वर्ष में एक बार बदलना । इस वर्ष सम्पूर्ण व्यय सर्व शिक्षा अभियान के अधीन किया गया । तदनन्तर नामांकन को बढ़ाने के लिए प्रति विद्यार्थी एक सैट वर्दी और एक सैट लेखन-सामाग्री का भी दिया गया । इसके साथ-साथ स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए एक रुपए प्रति दिन उपस्थिति भत्ता लागू किया ।

इसके अलावा जिला परिषद के 103 ब्लॉकों में कक्षा एक से पांचवीं तक राष्ट्रीय साक्षरता की तुलना में जहां महिला साक्षरता का प्रतिशत कम है, सरकार ने छात्राओं को वर्दी के साथ निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति का प्रावधान किया ।

<u>शैक्षिक सहायता</u>

क) अनुसूचित जातियों को शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क

शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क , प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, जिमखाना शुल्क तथा सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के सभी स्तरों पर शुल्क, आयु तथा आय को ध्यान न देते हुए सभी शुल्क की प्रतिपूर्ति करना । एक बार अनुत्तीर्ण तथा भारत सरकार की छात्रवृत्ति में नहीं सम्मिलित विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया गया ।

ख) हाईस्कूल में छात्रवृत्तियों को प्रदान करना

पिछली वार्षिक परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने पहले दो टॉप रैंक प्राप्त किए हैं उन्हें 100/- रुपए प्रतिमाह दिए गए । यह कक्षा छठी से दसवीं तक लागू है । कक्षा पहली से पांचवीं के संबंध में 50/- रुपए की दर के रूप में निर्धारित किया गया ।

ग) <u>अनुसूचित जाति छात्राओं को कक्षा 5 से 7 तक छात्रवृत्तियां प्रदान करना</u>

कृषकों तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों की अनुसूचित जाति की छात्राओं तथा उनके बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उनको स्कूल भेजना, उपस्थिति को बढ़ाने के लिए 10 महीने के लिए 60/- रुपए प्रतिमाह देना ।

घ) <u>भारत सरकार की पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना</u>

अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में पात्र अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों (दिवा विद्यार्थी) को 140/- रुपए प्रति माह से 330/- रुपए प्रति माह के रेंज में तथा लड़के एवं लड़कियों (छात्रावासियों)को 235/- रुपए से 740/- रुपए प्रति माह रखरखाव के रूप में भुगतान किया गया ।

रखरखाव भत्ते के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से संस्थाओं को भुगतान किए गए सभी शुल्क इस योजना के अन्तर्गत भी सम्मिलित हैं ।

1975-76 से शिक्षा के 10+2+3 पद्धति के संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस योजना को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए लागू कर दिया है ।

महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(1) उनके माता-पिता/अभिभावकों की एक लाख रुपए की आय सीमा । जिन विद्यार्थियों को पूर्णकालिक रोज़गार है, वे पात्र नहीं हैं ।

(2) एक ही कक्षा में पुनरावृत्ति पर पात्र नहीं, उच्चतर कक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के बाद पात्र होंगे ।

(3) एक ही माता-पिता के सभी बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे ।

तदनन्तर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में पुस्तक बैंक उनमें से एक घटक होगा, जहां अनुसूचित जाति के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे उन सभी मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, विधि, पशु चिकित्सा डिग्री कालेजों तथा चार्टर्ड एकांउंटेंसी की शिक्षा दे रहे संस्थान, एम.बी.ए. एवं प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों तथा पोलीटेक्निक में बुक बैंकों की स्थापना की गई । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सिवाय अनेक स्तरों पर ऐसे 2 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों के सैट खरीदने होंगे तथा चार्टर्ड एकाउंटेंसी के संबंध में प्रत्येक दो विद्यार्थियों के लिए एक सैट होगा । तथापि, संबंधित राज्य को कुल आबंटित संसाधनों में से सैटों और विद्यार्थियों के अनुपात में समायोजन कर सैटों की कुल संख्या को प्राप्त किया जा सकेगा ।

ङ) आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए वज़ीफा देना

सरकारी आईटीआई के विद्यार्थियों (दिवा विद्यार्थी) को 40/- रुपए की दर से प्रतिमाह और 20/- रुपए पूरक वजीफे के रूप में भुगतान किया जाता है । जो व्यक्ति वजीफा प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें 60/- रुपए की दर से वजीफा दिया जाता है । यह छात्रावासियों को क्रमश: 60/- रुपए एवं 100/- रुपए की दर से भुगतान किया जाता है ।

सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को रखरखाव भत्ता:–

इस तरह के विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता की आय 65,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है उनके शिक्षण शुल्क, आवास, खाना, वर्दी, घुड़सवारी तथा जेब खर्च के सम्पूर्ण व्यय की समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूलों को प्रतिपूर्ति की जाती है ।

च) घृणित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति–

घृणित व्यवसाय जैसे सफाई, स्वच्छता, चमड़ा बनाने एवं उतारने के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को कक्षा एक से दसवीं तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई । छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, आवासीय, पुस्तकें, उपकरण तथा आकस्मिकता खर्च सम्मलित होंगी ।

(1) छात्रावासीय:- संशोधित दर पर छात्रावासियों को छात्रवृत्तियों का भुगतान किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:-

कक्षा I से V तक 40/- रुपए प्रति माह (10 महीने के लिए)
कक्षा III से VIII तक 30/- रुपए प्रति माह (10 महीने के लिए)
कक्षा VI से VIII तक 60/- रुपए प्रति माह (10 महीने के लिए)
कक्षा IX से X तक 75/- रुपए प्रति माह (10 महीने के लिए)

नियमित छात्रवृत्ति के अलावा 600/- रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष तदर्थ अनुदान के रूप में दी गई ।

(2) दिवा विद्यार्थी:- पूर्व में यह योजना केवल छात्रावासीय को कार्यान्वित की गई थी लेकिन संशोधित दरों के अनुसार यह दिवा विद्यार्थी के लिए भी लागू है । छात्रवृत्तियों की दरें अथवा योजना 1 नवम्बर, 1991 से निम्नवत् है:-

- ✓ नियमित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 550/- रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष तदर्थ अनुदान के रूप में दी जाती है ।
- ✓ छात्रवृत्ति एक परिवार के एक बच्चे को ग्राह्य है ।
- ✓ यह योजना जिला परिषद जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित है ।

अनुसूचित जाति के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास

सरकारी छात्रावास सुविधाएं:- शैक्षिक सुविधा को लेने के लिए सरकार द्वारा छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं । इन छात्रावासों में विद्यार्थियों को प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है और उन्हें आवास-खाना पाठ्य पुस्तकें, लेखन-सामग्री, कपड़े एवं बिस्तर, चिकित्सा सहायता, यात्रा सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं तथा जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें विशेष कोचिंग की सुविधाएं भी दी जाती हैं । उनके भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए सभी सुविधाओं सहित सहवासियों की व्यवस्था की गई । राज्य में 2008-09 के अन्त तक कुल 271 सरकारी पिछड़े वर्ग के छात्रावास हैं ।

जी.आई.ए.:- सरकारी छात्रावासों सहित, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 महीने के लिए 500/- रुपए की दर से प्रत्येक लड़के एवं लड़की हेतु अनुदान सहायता का भुगतान किया जाता है और प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधीक्षक को वेतन भी दिया जाता है एवं भवन के किराए की अनुदान सहायता का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2005-06 के अन्त तक अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए अनुदान सहायता छात्रावासों की संख्या 2388 है ।

आश्रम स्कूल:-

10 प्राथमिक एवं माध्यमिक आश्रम विद्यालयों के उनकी रखरखाव अनुदान, वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त अनुदान, भवन किराया, छात्रावासियों को वजीफा, बर्तन, कपड़े, बिस्तर आदि की व्यवस्था की जाती है ।

सरकार कक्षा एक से सातवीं तक 363 आवासीय स्कूलों को चलाती है । उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के भवन (विस्तार) निर्माण के लिए अनुदान सहायता दी जाती है । इसमें राज्य सरकार द्वारा 45%, केन्द्र सरकार द्वारा 45% तथा संस्था का 10% शेयर दिया जाता है । अनुदान जारी होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर विस्तार किया जाना चाहिए ।

छात्रवृत्तियां:

सावित्री भाई फूले छात्रवृत्ति योजना के द्वारा कक्षा 8वीं से 10वीं की बालिकाओं को 100/- रुपए की दर से 10 महीनों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है ।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रावासी विद्यार्थियों को भुगतान की दरें

डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम

क्र.सं.	सत्र	कुल आरक्षित सीट	भरी गई सीट
1.	2007-08	2390	277
2.	2008-09	3505	1036
3.	2009-10	4540	1155

डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम

क्र.सं.	सत्र	कुल आरक्षित सीट	भरी गई सीट	टिप्पणी
1.	2007-08	4805	1225	बहुत कम
2.	2008-09	7707	2150	बहुत कम
3.	2009-10	10330	2954	बहुत कम

छात्रावास

राज्य में अनुसूचित जातियों के बालक अथवा बालिकाओं के लिए पूर्णत: अलग से कोई छात्रावास नहीं है तथा यदि सरकार और निजी संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यमान छात्रावासों का विस्तार कर छात्रावासों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राथमिकता आधार पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराना ।

भारत सरकार ने बालक/बालिकाओं के छात्रावास की योजना के अन्तर्गत 50:50 के आधार पर राज्य सरकार ने इस तरह के 35 छात्रावासों का निर्माण किया ।

35 निर्मित छात्रावासों में से अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए 27 छात्रावासों का निर्माण किया गया, **अनुबंध–X** में विवरण देखा जा सकता है ।

शैक्षिक पिछड़े भटिंडा, फरीदकोट तथा मुक्तसर जिलों के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा

50:50 के आधार पर भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध निधियों से छः बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण किया गया।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विशेष अनुदान, अनुसूचित जाति की छात्राओं को विशेष अनुदान तथा इस योजना के अन्तर्गत शैक्षिक पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा एवं रिपोर्ट के अनुबंध में पहले से दरों के उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और रखरखाव भत्ता उपलब्ध कराया।

पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के छात्रावासों के कार्यों पर कोई भी अध्ययन आयोजित नहीं कराया। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन छात्रावासों का मौके पर निरीक्षण/सर्वेक्षण/अध्ययन कराया जाए। इस अध्ययन से विद्यार्थियों की समस्याओं का पता चल पाएगा और उनकी जरुरतों के आधार पर और सुधार के लिए सुझावों पर विचार करना।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं:-

अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के ऐसे माता-पिता/अभिभावक जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनसे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता तथा नॉन-रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क जैसे प्रवेश, पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षा शुल्क और इस तरह के शुल्क प्रवेश के समय संबंधित संस्था अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से लिए जाते हैं। इन शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा संबंधित संस्थाओं को की जाती है

i) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के समय 5% अंकों की छूट दी जाती है।

ii) प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं।

iii) पुस्तक बैंक की सुविधा भी दी जाती है; वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम चार पुस्तकें परीक्षा तक दे दी जाती हैं।

iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राथमिक, उच्च तथा कालेज स्तर तक छात्रवृत्ति/वजीफा उपलब्ध कराया जाता है ताकि प्रत्येक स्तर पर वे अपने अध्ययन को जारी रख सके। इसके अलावा दिन प्रति दिन की जरुरतों के लिए भी रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है।

9. पुदुचेरी

संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के अनुसूचित जातियों की साक्षरता 69% है। माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत अधिक ज्ञात हुआ। नई योजना अर्थात् डॉ. अम्बेडकर वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत सरकारी कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पी.एम.एस. के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र ने यह भी प्रस्ताव किया है कि आय सीमा हटा दी जाए।

रिपोर्ट से पता चला है कि संघ राज्य क्षेत्र में सामाजिक विषमता का कोई मुद्दा नहीं है । संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जाति का 16% का नामांकन है ।

स्कूल में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी पढ़ते रहने के लिए शिक्षा विभाग योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है ।

स्कूल छोड़ने की दर बहुत कम है । वर्ष 2001-02 के दौरान 1.97 प्रतिशत थी । बाद में वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान प्राथमिक स्तर पर बहुत कम है । विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते रहने के लिए सभी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अच्छी पहल की जा रही है ।

विद्यार्थियों को अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग तथा प्रशिक्षण दिया जाता है । रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि पिछले तीन वर्षों से छात्रवृत्तियों के कोई भुगतान शेष नहीं हैं । संवितरण समय-सीमा निश्चित नहीं की गई हैं लेकिन यह कार्य समय पर ही किया जाता है । तथापि, कुछ मामलों में निधियों की कमी के कारण विलम्ब हो सकता था ।

बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र की पी.एम.एस. के अधीन संवितरण के लिए पहल कर रहा है।

एस.एस.ए.केके अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए रात्रि स्कूल चलाए जा रहे हैं ।

<u>स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति के अध्यापक हैं:</u> पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक/मिडिल/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है । तीन वर्षों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों का विवरण निम्नवत् है:-

स्तर	अध्यापकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या	अनुसूचित जाति के अध्यापकों का प्रतिशत
प्राथमिक	1324	157	11.86
मिडिल	812	124	15.27
उच्च	1318	168	12.75
उच्चतर सेकेण्डरी	1786	194	10.86

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास पर किए गए व्यय एवं वास्तविक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् दर्शाया गया है:

(रुपए लाख में)

		निधि का माध्यम	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		2009–10	
क्र. सं.	योजना		व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना	राज्य/ सीएसएस	103.55	3455	264.40	1121	79.66	936	541.74	2540	469.59	3736
2	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना	राज्य	45.68	5455	57.00	8972	79.55	4241	117.99	6503	145.98	7778
3	अनुसूचित जाति के माता-पिता को अपकार लागत की अनुदान	राज्य	155.64	7801	227.80	7671	176.55	5880	181.80	6060	192.60	6420
4	जिनके माता-पिता घृणित व्यवसाय में लगे हैं उनके बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य/ सीएसएस	9.07	839	9.50	884	6.50	605	6.99	532	20.00	923
5	अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जो स्नातक/ स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए अग्रसर हैं, के अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति	राज्य	10.36	14	3.40	6	16.82	13	1.41	3	21.24	11
6.	सीईएनटीएसी के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चयनित पंजनतालिवार कामराजर वित्तीय सहायता योजना । (शिक्षा विभाग के दिनांक 28-8-2008 के शासकीय आदेश एम एस संख्या 6/2008 कल्याण (एससीडब्ल्यू) द्वारा नई योजना अपनाना)	राज्य	–	–	–	–	योजना 2008 से कार्यान्वित है।		124.70	205	165.85	273
	जोड़		328.44	15570	562.10	15764	359.08	11685	776.83	15844	1015.26	18141

क्र. सं.	योजना	निधि का प्रकार	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
			व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी
	गैर-योजना		-	—	-	-	-	-	-	-	—	-
1	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सहायता, कटिंग एवं टेलरिंग		15.31	90	16.09	98	19.15	98	23.69	82	25.01	89
2.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति		83.74	1601	135.01	2034	115.05	1339	99.96	782	70.08	488
3.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति		130.13	11224	122.17	8879	99.00	5422	66.27	3404	46.32	2405
4	आईटीआई के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वजीफा		1.39	145	1.61	161	1.71	145	1.72	160	1.99	210
5	डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल छात्रवृत्ति प्रदान करना		0.30	2	0.30	2	0.30	2	0.30	2	0.30	2
6	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तदर्थ मेरिट अनुदान (विशेष प्रोत्साहन) देना		0.59	195	1.23	245	2.69	358	2.94	294	2.10	210
7	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राथमिक स्कूल में अध्ययन		35.85	8776	34.79	6957	81.73	5651	52.57	5257	53.87	5387
	करने के लिए रोकने हेतु											
	जोड़:-		287.31	22033	311.20	18376	319.13	12995	247.43	9981	199.58	8791

	सीएसएस		—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति देना	सीएस एस	95.58	908	120.00	1365	268.15	2435	17.94	467	-	-
2	जिनके माता-पिता गन्दे व्यवसाय में कार्यरत हैं उनके बच्चों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना	सीएस एस/ राज्य	2.21	200	12.81	1176	7.33	664	2.72	147	2.25	122
	जोड़		97.79	1108	132.81	2541	275.48	3097	20.66	314	2.25	122

संघ राज्य क्षेत्र ने स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या प्रस्तुत की है । संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की तरह 15% आरक्षण लागू होना चाहिए । प्राथमिक, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूलों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की कमी है । लेकिन मिडिल स्तर पर अनुसूचित जाति के अध्यापकों के प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि हुई है अर्थात् 15.27% है ।

<u>व्यावसायिक एवं अन्य संस्थाएं</u>

पिछले तीन वर्षों के सांख्यिकी के अवलोकन से यह खुलासा होता है कि स्नातक स्तर पर आरक्षित सीटों की तुलना के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भरी सीटों की संख्या कम है:

पिछले तीन वर्षों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों का विवरण:-

क.सं.	वर्ष	संस्था	कुल सीटों की संख्या	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों द्वारा भरी गई सीटों की संख्या
1.	2007-08	इंजीनियरिंग	1521	173
		मेडिकल	311	40
		कुल	1832	213
2.	2008-09	इंजीनियरिंग	1751	229
		मेडिकल	677	89
		कुल	2428	318
3	2009-10	इंजीनियरिंग	2218	191
		मेडिकल	759	106
		कुल	2977	297

नोट: अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या में से, अनुसूचित जाति की रिक्त सीटों को सामान्य वर्ग से भरा गया ।

पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों से स्नातकों की वार्षिक संख्या

क्र सं.	वर्ष	कुल स्नातकों की संख्या	अनुसूचित जाति स्नातक	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत
1.	2007-08	14105	2269	16.09
2.	2008-09	13874	2340	16.87
3.	2009-10	14794	2491	16.84

यह देखा जा सकता है कि जब से पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है तब से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं ।

तथापि, सूचना के अनुसार अन्य पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटें भरी हुई हैं जबकि कृषि कालेजों में बी.एससी. (कृषि) तथा एम.एससी(कृषि)जैसे पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अधिक प्रवेश मिला ।

वर्ष	आरक्षित सीटों की संख्या	वास्तविक भरी हुई
बी.एससी.(कृषि)		
2004-05	10	7
2005-06	10	16
2006-07	10	10
एम.एससी.(कृषि)		
2004-05	5	5
2005-06	5	5
2006-07	5	9

सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक तकनीकी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या का 16 प्रतिशत है और निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कालेजों तथा अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में सरकारी कोटे के अधीन प्रवेश ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुधार के लिए अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी संघ राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही हैं जैसे:-

स्कूल शिक्षा विभाग:-

स्कूल शिक्षा विभाग ने एसएसए के साथ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कूलों में रोकने के लिए पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और प्रथम पीढ़ी के लर्नरों को गुणवत्ता शिक्षा को भी प्रदान किया । योजनाएं इस प्रकार हैं:-

रात्रि स्कूल का आयोजन:

अधिकांश विद्यार्थियों के माता-पिता साधारण साक्षर/निरक्षर तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के लिए घर में शैक्षिक आवश्यकताओं के पूरा करने का समय नहीं है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को औसतन से नीचे अंक मिल पाते हैं इसलिए एसएसए ने रात्रि स्कूलों की योजना लागू की। ये वे स्कूल हैं जिसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत अधिक है। स्कूल देर शाम में खोले जाते हैं और इससे अध्ययन करने के अच्छे अवसर मिल पाए हैं। इस प्रयोजन से जुड़े शैक्षिक स्वयंसेवकों के मार्ग-दर्शन में विद्यार्थियों से शैक्षिक गतिविधियों को करने के लिए कहा जाता है।

अभिप्रेरण शिविर का आयोजन:

चयनित स्कूलों में क्रीड़ा मैदान में कूदने-फांदने के घटक के साथ पढ़ने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए दो दिवसीय अभिप्रेरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

अभिज्ञता भ्रमण: एक दिवसीय

जागरुकता लाने की दृष्टि से भ्रमण का आयोजन किया जाता है तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना जो अन्यथा इन अवसरों से उपेक्षित है।

खेल का सामान उपलब्ध कराना:

चयनित स्कूलों में जहां अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का अधिक संख्या में पंजीयन हुआ है, उन्हें खेल का सामान उपलब्ध कराना।

सोसायटी कालेजों में कार्यक्रमों तथा कोचिंग कक्षा का आयोजन करना।

उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा अधिक रोज़गार के अवसर सृजन करने, उच्चतर शिक्षा के लिए पुदुचेरी सोसायटी के अन्तर्गत अधिक रोजगार पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों सहित नए कॉलेज खोले गए। सोसायटी के अन्तर्गत चार कला एवं विज्ञान कॉलेज तथा एक बी.एड कॉलेज चल रहे हैं। सोसायटीज़ के अन्तर्गत, तकनीकी शिक्षा के अधीन दो इंजीनियरिंग कॉलेज काम कर रहे हैं तथा पीआईपीएमएटीई के अन्तर्गत चार पोलीटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं।

कटिंग और टेलरिंग में 12 माह की अवधि का प्रशिक्षण देकर अनुसूचित जाति के बच्चों को, जो बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं, के लिए राज्य सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है ताकि वे स्व-रोज़गार ईकाइयां स्थापित कर सके।

750/- रुपए प्रतिमाह वजीफा, सहायक समानों के साथ सिलाई की मशीन उपलब्ध कराना। वर्ष 2009-10 में कुल 89 अनुसूचित जाति की महिलाएं लाभान्वित हुईं और वर्ष 2010-11 में 96 अनुसूचित

जाति की महिलाएं इसका लाभ उठायेंगी ।

राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से ट्यूशन कक्षाएं भी उपलब्ध करा रही हैं जो पदोन्नति/उन्नयन के लिए विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं ।

पांडिचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण निम्नवत् हैं :-

अनुसूचित जाति के युवकों की प्रतिभा के विकास के लिए अनेक प्रशिक्षण जैसे सिविल सेवाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के प्रारंभिक परीक्षा, एअर होस्टेस, केटरिंग, कम्प्यूटर, हस्तशिल्प कार्य, जूट बनाना तथा अन्य व्यवहार्य प्रशिक्षण दिए गए ।

उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप 200/- रुपए से 1,000/- रुपए की रेंज में मासिक वजीफा और प्रशिक्षु को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाता है, पाठ्यक्रम शुल्क के अलावा प्रशिक्षण संस्थान को दिया जाता है ।

पिछले सात वर्षों में उच्च प्रशिक्षण योजनाओं के लक्ष्य, उपलब्धियां तथा वित्तीय प्रभाव निम्नलिखित हैं :-

(रुपए लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	वजीफा तथा पाठ्यक्रम शुल्क रुपए
2005-06	400	472	24.70
2006-07	525	596	24.70
2007-08	500	92	26.44
2008-09	500	245	36.96
2009-10	400	309	25.49

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में सामान्य तौर पर संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रावधानों एवं पंजीयन का विवरण ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में कोई विशिष्ट आरक्षण नीति नहीं अपनाई गई क्योंकि सभी सरकारी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें वे चाहते हैं, तथापि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 16% सीटों पर आरक्षण नीति को लागू किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं का विवरण

पूर्णतः अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है ।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का संबंध है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति देना

आदि द्रविड़ कल्याण विभाग, पुदुचेरी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न शैक्षिक योजनाएं इस प्रकार है:-

- संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में कक्षा VI से X तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है ।
- कक्षा VI से VIII के विद्यार्थियों के 1,500/- रुपए प्रति वर्ष तथा कक्षा IX एवं X के विद्यार्थियों को 2,500/- रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है ।
- कक्षा दसवीं तक लगातार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है, जब तक विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होता है ।

सुअवसर लागत छात्रवृत्ति प्रदान करना

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में कक्षा VI से XII तक सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं अर्थात् अनुसूचित जाति की लड़कियों के माता-पिता को अवसर लागत छात्रवृत्ति दी जाती है । छात्रवृत्ति की राशि 300/- रुपए प्रति वर्ष है । कक्षा XII तक छात्रवृत्ति को लगातार दिया जाता है जब तक विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होता है ।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना

पोस्ट मैट्रिक स्तर अथवा पोस्ट माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । माता-पिता की आय 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

विशेष प्रोत्साहन

इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिक/एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी 65% और अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो एक बार 1,000/- रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी । इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं है ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मैमोरियल अवार्ड देना

यह अवार्ड अनुसूचित जाति के टॉप रैंकिंग लड़के और लड़कियों को दिया जाता है जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 55% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं । पुदुचेरी, कराईकल तथा यमन क्षेत्रों के प्रत्येक दो विद्यार्थियों के 1,500/- रुपए का भुगतान किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत कोई आय सीमा निश्चित नहीं की गई है ।

स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति देना

अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीच में स्कूल छोड़ने को रोकने के उद्देश्य से कक्षा I से V में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति की छात्राओं को स्कूल में पढ़ते रहने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति पांचवीं कक्षा तक लगातार उपलब्ध रहती है जब तक विद्यार्थी किसी कक्षा में पढ़ाई जारी रखता है।

उन छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति देना जिनके माता-पिता गन्दे व्यवसायों में लगे हैं:

यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता गन्दे व्यवसायों में लगे हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1,850/- रुपए प्रति वर्ष है। कोई आय सीमा नहीं। वर्ष 2009-10 में कुल 1045 लाभान्वित हुए और वर्ष 2010-11 में लगभग 1200 के लाभान्वित होने की आशा है।

इस संघ राज्य क्षेत्र में व्यावसायिक कॉलेज में अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को कॉलेज शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

मूल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिन्होंने एच.एस.सी. परीक्षा में 75% और अधिक अंक प्राप्त किए हैं और जिनका चयन "सीईएनटीएसी" के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश जैसे एम.बी.बी.एस., बी.ई., बी.टैक, बी.आर्क में हुआ है वे पुदुचेरी सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति द्वारा निर्धारित पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। कोई आय सीमा नहीं।

पेरुन्थालईवर कामराजर वित्तीय सहायता योजना

मूल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जो "सीईएनटीसी" के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चयनित हुए हैं, केवल वे ही इस योजना के पात्र हैं। कोई आय सीमा नहीं।

पुदुचेरी सरकार गंभीरतापूर्वक स्कूलों में गरीब बच्चों को बीच में स्कूल न छोड़ने पर महत्व दे रही है और विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बच्चों के 100% नामांकन की उपलब्धि चाहती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की आय को ध्यान में न रखते हुए निःशुल्क आपूर्ति योजना के अन्तर्गत संघ राज्य राज्य क्षेत्र के सभी स्कूलों में एलकेजी से बारहवीं तक सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों, नोट बुक्स, एटलस, चप्पलें, यूनीफार्म, लेखन-सामग्री उपलब्ध करा रही है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां:

अवधि	वास्तविक उपलब्धि	व्यय (रुपए लाख में)
2005-06	43936	296.60
2006-07	45513	325.15
2007-08	45308	306.91
2008-09	42379	249.99
2009-10	42317	270.37

10. तमिलनाडु

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के लिए उच्च वरीयता निर्धारित की गई है क्योंकि अनेक शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता में सुधार नजर आ रहा है ।

निम्न सारणी सामान्य साक्षरता और अनुसूचित जाति साक्षरता का विवरण दर्शाती है:-

वर्ष	सामान्य साक्षरता			अनुसूचित जाति साक्षरता		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1971	51.80	26.90	39.50	32.20	11.30	21.82
1981	68.00	40.40	54.40	40.65	18.47	29.67
1991	73.70	51.30	62.70	58.36	34.89	46.74
2001	82.42	64.43	73.45	73.41	53.01	63.19

सामान्य साक्षरता को अनुसूचित जाति साक्षरता के तुलनात्मक विश्लेषण को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग साक्षरता से अलग रखना चाहिए ।

राज्य सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं जिससे छात्राओं की संख्या मे वृद्धि हुई है । वर्तमान में 1073 आदि द्रविद्र स्कूलों में 2.10 लाख बालक एवं बालिकाओं का पंजीयन किया गया है । तदनन्तर, जबकि सामान्य स्कूलों में अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं के पंजीयन में भी वृद्धि हुई है । वर्तमान में सामान्य स्कूलों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तरों में अनुसूचित जाति के लगभग 11.68 लाख बालक एवं बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

आदि द्रविड़ कल्याण स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या

स्कूल	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या		
		बालक	बालिकाएं	जोड़
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	72	31689	28446	60135
उच्च विद्यालय	65	12306	11866	24172
मिडिल विद्यालय	156	21673	21933	43606
प्राथमिक विद्यालय	780	41747	40694	82441
योग:	1073	107415	102939	210354

विद्यार्थियों के बारे में वर्गवार स्पष्ट तस्वीर, जिसे देखा जा सकता है (राज्य बोर्ड स्कूलों 2009-10)

	I-VIII			IX-X			XI-XII			%
जाति	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल	कॉलम 10 से 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य जाति	22460	22604	45064	19986	18723	38709	11591	14135	25726	57.08
अजा	268649	263621	532270	248468	249271	497739	131044	148847	279891	52.58
अजजा	16344	18051	34395	12832	14745	27577	5013	4306	9319	27.09
अपिव	712182	694651	1406833	662373	649796	1291988	393332	460170	853502	60.67
कुल	1019635	998927	2018562	943659	932535	1856013	540980	627458	1168438	

(स्रोत वर्ष 2009-10 की डी.एस.ई. प्रकाशन हैंडबुक-30-9-2009)

XI–XII की परीक्षा दे रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों के प्रतिशत में कोई बड़ा अन्तर नहीं देखा गया है ।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को शैक्षिक सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए हैं:

राज्य सरकार द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार आदि द्रविद्र विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं देने की आवश्यकता व्यक्त की है:-

i) अधिक विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यकता हो जरुरी सुविधाओं के साथ अधिक संख्या में नए छात्रावास खोलना ।

ii) निजी भवन में 208 छात्रावास कार्य कर रहे हैं । सरकार निजी भवन के स्थान पर 208 नये छात्रावास का निर्माण कर रही है । वर्ष 2010-11 के दौरान जी.ओ.(एम.एस) संख्या 116, आदि द्रविद्र एवं आदिवासी कल्याण (ए.डी.डब्ल्यू.-4) विभाग दिनांक 27-9-2010 द्वारा 12.50 करोड़ की लागत से 25 छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया है । आयोग स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव देता है:-

क) आदि द्रविड़ कल्याण स्कूलों में आधुनिक शिक्षण पद्धति उपकरणों जैसे कम्प्यूटरों को उपलब्ध कराए जाएं ।

ख) स्कूलों/छात्रावासों में साफ-सफाई का लगातार मानीटरन से ध्यान रखना और पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाए ।

ग) इन-डोर गेम्स सहित स्पोर्टस् सामाग्री का प्रावधान ।

घ)	सुसज्जित पुस्तकालय आदि ।

समस्त तमिलनाडु में विद्यार्थी/शिष्य अनुपात 1:40 है ।

बीच में स्कूल न छोड़े इसके लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1994-95 से उनके पंजीयन में बढ़ोतरी हुई है । अनुसूचित जातियों की आबादी वाले क्षेत्रों के निकट शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विचार करना । एसएसए और आरएमएसए के माध्यम से अनुसूचित जाति रिहाईशी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष और अधिक स्कूलों को खोलना तथा उनको अपग्रेड करना । निःशुल्क शैक्षिक रियायतों जैसे पाठ्य पुस्तकों और लेखन पुस्तकों, वर्दी, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, छात्रावास सुविधाएं, निःशुल्क साईकिल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना ताकि वे स्कूलों को बीच में न छोड़ें ।

प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक में बीच में स्कूलों को छोड़ने का विवरण इस प्रकार है:-

	प्राथमिक				मिडिल				माध्यमिक			
	सामान्य		अनुसूचित जाति		सामान्य		अनुसूचित जाति		सामान्य		अनुसूचित जाति	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2005-06.	-	1	8	76	2	2	11	115	1	4	13	105
2006-	2	4	14	83	1	2	7	102	3	6	9	89
07												
2007-08	3	3	7	90	1	1	22	98	5	11	12	99
2008-09		-	11	55	7	9	12	200	7	8	14	63
2009-10	-	2	13	72	3	6	39	432	4	8	20	44

बीच में स्कूल छोड़ने का विवरण

प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर आदि द्रविद्र कल्याण के, स्कूल छोड़ने की दर को वर्गवार विद्यार्थियों की रूपरेखा जैसे अन्य जातियां, अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग को श्रेणी-वार विभिन्न स्कूल स्तरों जैसे प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सही स्कूल छोड़ने को जानने हेतु ।

स्नातकों की वार्षिक संख्या और उनमें अनुसूचित जाति के स्नातकों का विवरण इस प्रकार है:-

(च) अनुसूचित जातियों के साथ-साथ स्नातकों की वार्षिक संख्या

वर्ष	स्नातकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति स्नातकों की संख्या	व्यावसायिक स्नातकों की कुल संख्या	उनमें से अनुसूचित जाति की संख्या
2007-08	2,17,570	26,628	113353	10150
2008-09	239,287	33,615	135891	12803
2009-10	2,49,667	38,684	177039	17777

रिपोर्ट में 2007-08 से 2009-10 की कुल स्नातकों की संख्या जिनमें अन्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति के स्नातकों की कुल संख्या दी गई है । सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुल स्नातकों की संख्या को इस प्रकार वर्गीकृत करना होगा जैसे अन्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ।

(छ) 2009-10 के दौरान विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण से कुल 3086 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से 1439 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की । वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या 818 थी जिन्हें लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगिताओं की परीक्षा के लिए शामिल होने के लिए विशेष कोचिंग दी गई । "ग" के अधीन, अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए राज्य सरकार के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शैक्षिक योजनाओं की स्थापना की गई ।

एसएसए का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा का प्रावधान तथा सामाजिक-आर्थिक अन्तर को पाटना है और इसे "स्पेशल फोकस ग्रुप" के अधीन रखा गया है । उनकी उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा III, IV एवं V तथा VI, VII एवं VIII की कक्षाओं के बच्चों को एडी एवं टीडब्ल्यू के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छुट्टी के बाद विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं ।

क्रिया-कलाप आधारित शिक्षा (एबीएल) विधि 37486 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यान्वित की गई । सभी स्कूलों में 6, 7 तथा 8वीं कक्षाओं में क्रियाकलाप आधारित शिक्षा (एबीएल) को कार्यान्वित किया गया । इन दोनों विधियों से बच्चे अपने आप लर्निंग प्रक्रिया के लिए अपने अध्यापकों, जो सुविधाकार की भूमिका में हैं, के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी में सहायक हैं । इन नवीन शिक्षण लर्निंग रणनीतियों से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, तमिलनाडु ने पिछले 9 वर्षों में दोनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर 1843 नए प्राथमिक विद्यालयों को खोलकर और 5379 प्राथमिक विद्यालयों को मिडिल स्कूलों में उन्नयन कर शत-प्रतिशत के निकट पहुंचकर उपलब्धि प्राप्त की । यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2010-11 के दौरान कृषाग्रस्त, पुदुकर्त, इरोड, नागातीनम, नमाक्काल, तिरुनेलवेली, तिरुव्ल्लूर, तिरुवनामलाई तथा तिरुवनुर जिलों के गांवों जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 40% से अधिक है, उनमें 38 प्राथमिक विद्यालयों का मिडिल स्कूलों में उन्नयन किया गया ।

आरंभिक स्तर पर पंजीयन आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चों के पंजीयन शेयर कुल पंजीयन के समक्ष 24.41% है । सम्पूर्ण राज्य में कक्षा I-VIII में सभी प्रकार के स्कूलों में वर्गवार बच्चों का विवरण संख्या एवं प्रतिशत के अनुसार निम्नवत है ।

प्राथमिक (I-V) तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति के बच्चों के पंजीयन का सकारात्मक रवैया प्रदर्शित हो रहा है ।

सामाजिक वर्ग	प्राथमिक (I-V)	उच्च प्राथमिक (V I-VIII)	कुल पंजीयन	कुल पंजीयन का %
सभी	61,09,677	36,87,184	97,96,861	-
अनुसूचित जाति	14,84,354	9,06,856	23,91,210	24.41

<u>शिक्षा शुल्क</u>

दावा प्राप्त होने पर व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक कालेजों में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है । शिक्षा शुल्क को बैंक के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है । पिछले 3 वर्षों में विद्यार्थियों के कोई भी भुगतान लम्बित नहीं हैं ।

ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति का क्षेत्र नहीं है जहां अनुसूचित जाति की साक्षरता 10% से कम हो । सर्वशिक्षा अभियान के लागू होने से तमिलनाडु के प्राथमिक तथा मिडिल स्तर पर लगभग 100% उपलब्धि प्राप्त की गई ।

वर्ष 2002-03 तथा 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चों के संबंध में कुल पंजीयन दर (एनईआर) और बीच में स्कूल छोड़ने की दर (डीआर) की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:-

संकेतक	स्तर	2002-03			2010-11		
डीईआर		सभी	अजा	अजजा	सभी	अजा	अजजा
	प्राथमिक	93	89	83	99.60	99.36	97.82
	उच्च प्राथमिक	90	87	79	98.94	99.03	97.12
डीआर	प्राथमिक	12	14	19	1.00	0.91	1.32
	उच्च प्राथमिक	13	15	17	1.79	1.99	1.98

वर्ष 2002-03 से 2010-11 में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति का पंजीयन लगभग 100% है और यह उच्च प्राथमिक स्तर में भी है । कुल पंजीयन दर वर्ष 2002-03 में 87% से वर्ष 2010-11 में 99.03% का सुधार हुआ । अनुसूचित जातियों की ड्रॉप आऊट दर वर्ष 2002-03 में 15% से वर्ष 2010-11 में 1.99% तक घट गई । **नामांकन और बीच में स्कूल छोड़ने की दर लगभग अनुसूचित जाति और सभी के समान है । यह बहुत प्रशंसनीय है ।**

प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तरों पर वर्गवार अध्यापक इस प्रकार हैं -

क्र.सं.	वर्ग	अध्यापकों की संख्या	%
1	सामान्य	28766	8.69
2	अनुसूचित जाति	45323	13.69
3	अनुसूचित जनजाति	3024	0.91
4	एम.बी.सी.	56350	17.02
5	पिछड़ा वर्ग	197631	59.69
जोड़		3,31,094	100

(स्रोत: डीआईएसई 2009, एसएसए, अध्याय-6)

पिछड़े वर्ग तथा अति पिछड़े वर्ग से संबंधित अध्यापकों की संख्या कुल अध्यापकों में से 76.71% है । अनुसूचित जाति से संबंधित अध्यापकों की संख्या का 13.69% है जो पिछड़े वर्गों के बाद दूसरे नम्बर पर है ।

पाठ्यक्रमवार स्वीकृत संख्या और एमबीबीएस, बीडीएस, बी.टैक/बीएससी कृषि में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रवेश में कहीं अधिक है तथापि बी.ई./बी.टैक में अनुसूचित जातियों की प्रवेश में संख्या की कमी है । 35159 की कुल आरक्षित सीटों में से 17689 अनुसूचित जातियों को बी.ई./बी.टैक में प्रवेश दिया गया ।

2010–11 के इन पाठ्यक्रम को निम्न प्रकार पाठ्यक्रमवार दर्शाया जाता है:–

पाठ्यक्रम	संस्थाएं	कुल स्वीकृत संख्या		अनुसूचित जाति को प्रवेश
सामान्य शिक्षा		सामान्य 146394	अनुसूचित जाति 27815	24331
1. इंजीनियरिंग	491	1,95,324	35159	17689
2 एमबीबीएस	17	1653	297	300
3. बीडीएस	1	85	15	17
4. बी.टैक/बीएससी कृषि	5	470	85	93
5. वैटनरी डिग्री	3	242	44	44
6. लॉ डिग्री	7	2314	417	417

(स्रोत: डोट, डीएमई, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, तमिलनाडु वैटनरी और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नै)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (भारत सरकार)

पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । शैक्षिक संस्थाओं को देय रखरखाव भत्ता और सभी अनिवार्य शुल्कों के लिए विद्यार्थियों को संस्वीकृति प्रदान की जाती है । छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए आय सीमा 1-7-2010 से संशोधित कर दी गई है, जिन अनुसूचित जातियों के माता-पिता की सभी ाोतों से आय 2,00,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं । भारत सरकार प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व के रूप में कुल व्यय के 100% के लगभग खर्च उठाती है । प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व के अन्तर्गत अतिरिक्त लाभों को कुल व्यय के तहत रखा जाता है । शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है ।

(रुपए लाख में)

वर्ष	उपलब्धिया	
	शारीरिक	वित्तीय
2005-06	3,39,374	9412.82
2006-07	3,92,037	11864.75
2007-08	4,04,558	12948.85
2008-09	4,25,074	14521.10
2009-10	5,07,572	17067.11
2010-11	7,03,417	26007.19

2005-06 से 2010-11 तक वास्तविक और वित्तीय विवरण सहित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रदान की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों का विवरण रिपोर्ट प्रदान करती है । वर्ष 2010-11 के दौरान 7.03 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर 260.07 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई ।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां (भारत सरकार)

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां उन बच्चों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता गंदे व्यवसाय जैसे शुष्क शौचालय, चमड़ा उतारने तथा सफाई के काम में लगे हैं, उनकी आय, समुदाय तथा धन पर ध्यान न देते हुए उन्हें इस योजना के तहत सम्मिलित किया जाता है । भारत सरकार कुल मिलाकर 50% का प्रतिबद्ध स्तर तक खर्च उठाती है ।

(रुपए लाख में)

वर्ष	उपलब्धि	
	वास्तविक	वित्तीय
2005-06	53070	549.32
2006-07	54235	598.82
2007-08	54597	627.87
2008-09	62323	724.03
2009-10	69096	945.02
2010-11	62740	1271.52

पोस्ट मैट्रिक राज्य विशेष छात्रवृत्तियां

सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से ईसाई धर्म में अपवर्तित, जो पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहते हैं तथा उनके माता-पिता की 100,000/- रुपए से वार्षिक आय नीचे हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की जाती हैं ।

वर्ष	उपलब्धि	
	वास्तविक	वित्तीय
2005-06	19585	300.00
2006-07	33393	396.69
2007-08	45617	587.57
2008-09	57611	660.48
2009-10	60951	747.42
2010-11	69353	870.57

एससीएसपी निधियों को केवल अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए उपयोग की जानी चाहिए न कि अनुसूचित जातियों के अन्य धर्मों में अपवर्तित व्यक्तियों के लिए । तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में सही कदम उठाए जाएं । तमिलनाडु में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अनुसूचित जाति की महिला की साक्षरता दर 2% से नीचे हो ।

राज्य सरकार द्वारा अन्य नवीकरण योजनाएं

(i) प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10वीं के मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया । यह एक लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा का वर्ग है । वर्ष 2010-11 में +1 में 295 विद्यार्थियों और +2 में 297 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया ।

(ii) पांचवीं कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा छठी में प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिलाया । इसमें भी अनुसूचित जाति के ईसाई धर्म अथवा किसी अन्य धर्म में अपवर्तित को एससीएसपी के लाभ में नहीं रखा जाना चाहिए ।

(iii) चेन्नै को छोड़कर सभी जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच में स्कूल छोड़ने के प्रतिशत को कम करने के लिए बालिकाओं को प्रति वर्ष 1,000/- रुपए की राशि (100 x 10 माह) छठी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को दी जाती है । अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं तथा +1 एवं +2 की छात्राओं को नि:शुल्क बाई-साईकिल दी जाती है ।

(iv) कालेज स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग भी दी जाती है ।

11. पश्चिम बंगाल

राज्य/केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निधियों से राज्य सरकार 16 शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है । इन योजनाओं के तहत 30 लाख से अधिक अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी इसमें सम्मलित हैं । पुरुष अनुसूचित जाति साक्षरता 70.54% तथा महिला अनुसूचित जाति साक्षरता 46.9% है । महिला साक्षरता बहुत कम है । इस संबंध में सुधार के लिए राज्य सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिएं ।

पश्चिम बंगाल के सभी ड्रॉप आऊट को मिलाने के साथ-साथ प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर पुरुष एवं महिला बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर निम्नवत् है:-

ड्रॉप आउट	प्राथमिक				मिडिल				माध्यमिक			
	सामान्य		अनुसूचित जाति		सामान्य		अनुसूचित जाति		सामान्य		अनुसूचित जाति	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
योग 11वीं योजना 2005-06	9.5	8.9	आंकड़े उपलब्ध नहीं		10.7	9.1	आंकड़े उपलब्ध नहीं					
2006-07	8.5	7.6	8.3	9.0	8.2	5.8	9.9	8.1				
2007-08	5.0	4.9	4.0	4.6	7.5	5.0	5.7	3.4				
2008-09	7.5	5.9	4.3	5.0	10.6	8.5	8.8	6.5				
2009-10	3.22	1.99	2.01	2.29	6.36	4.60	5.7	4.1				

बीच में स्कूल छोड़ने के कारण:

समाज के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के बच्चों को बीच में स्कूलों को छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि वे उनके परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों जैसे बीड़ी बनाने तथा चाय की पत्तियों को तोड़ने आदि में सामान्य तौर पर शामिल हो सकें ।

18 वर्ष को पूरा करने से पूर्व बालिकाओं के बीच में बाल विवाह तथा वयस्क छात्राओं को घर से बाहर निकालना निषेद्य, कभी-कभी बीच में स्कूल छोड़ने के कारण हैं ।

ड्रॉप आउट का एक कारण आवधिक/सीजनल प्रवास भी बताया गया है

बीच में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने की कार्रवाई:

अनुसूचित जाति सहित सभी बच्चों के लिए एसएसए के अन्तर्गत अध्यापकों, समुदाय नेताओं, पंचायत कार्यकारियों, प्राथमिक शिक्षा के सदस्यों (एम.टी.ए.) के लिए आवधिक/नियमित रूप से पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

बीच में स्कूल छोड़ने के परिदृश्य के मॉनीटरन के लिए सभी स्टेक धारकों को प्रोत्साहित करने तथा तदनुसार कार्य योजना बनाना ।

स्कूल प्राधिकारियों की ओर से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों सहित हाशिए के बच्चों के बीच विज्ञान संग्रहालय आदि को लर्निंग प्रक्रिया को मनोरंजक बनाने के लिए शैक्षिक रूचि के स्थानों का दौरा कराना ।

बालिकाओं को पाठ्य-पुस्तक, मध्याह्न भोजन तथा वर्दियों का समय पर वितरण किया गया । (अनुसूचित जाति सहित विद्यार्थियों के बीच में स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए)

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों सहित स्कूल को बीच में छोड़ने को रोकने के लिए कक्षाओं में शिक्षण सुविधाओं की नई रूप रेखा तैयार की गई ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिताओं के लिए एमटीए/एमसी/पंचायत सदस्यों द्वारा जागरुकता कार्यक्रमों को चलाया जाता है ।

स्कूल के बाह्य बच्चों के लिए चाईल्ड ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई ।

भौतिक और सामाजिक रूप से दोनों में विद्यमान स्कूलों के वातावरण में सुधार किया जा रहा है । दिवा विद्यार्थियों के बीच में स्कूल छोड़ने की मुख्य समस्या है । राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि बीच में स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए स्कूलों के साथ छात्रावासों को खोला जाए ।

उन्होंने यह भी सलाह दी है कि विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षा को रोज़गारपरक बनाया जाए ।

<u>मध्यांतर आहार योजना</u>

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, एसएसके, एमएसके, एनसीएलपी, मदरसा आदि सहित 83019 स्कूलों में मध्यांतर आहार योजना चलाई जा रही है जिसमें 11889860 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है ।

<u>एमडीएम योजना गुणवत्ता रखरखाव तंत्र</u>

एमडीएम के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और स्वच्छता को खाद्य प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग विभाग, जादवपुर, विश्वविद्यालय तथा होटल प्रबंधन संस्थान, टाटातला द्वारा रखरखाव किया जाता है । उपर्युक्त प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षित एसएचजी के सदस्य और अन्य कुकिंग के कार्य से जुड़े हैं ।

मध्यांतर आहार की गुणवत्ता के खाद्य अनाज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ-साथ नोडल एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा आपूर्ति की जाती है । खाद्य गुणवत्ता के परीक्षण के लिए एक अध्यापक और अभिभावक मां को इस प्रणाली में भी रखा गया है ।

उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चल रहे प्रत्येक और सभी एमडीएम स्कूलों की मॉनीटर सभी डीआईएस और एसआईएस स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है और संबंधित नोडल प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ।

इन सभी मॉनीटरन कदम समुदाय भागीदारी के द्वारा और एमडीएम की गुणवत्ता आश्वासनों को सुनिश्चित किया जा रहा है ।

बी.सी.डब्ल्यू. विभाग द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक योजनाएं:

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तक अनुदान ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को रखरखाव अनुदान ।
- गन्दे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को केन्द्रीकृत प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति ।
- स्कूल से जुड़े छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावास अनुदान ।
- आश्रम छात्रावास ।
- केन्द्रीय छात्रावास ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति ।
- IX से XII और V से X तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मेरिट छात्रवृत्ति योजनाएं ।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण ।

- एटीडीसी केन्द्र ।
- पीईटीसी ।
- संयुक्त प्रवेश कोचिंग ।
- औद्योगिक क्षेत्र के सहयोग से रोज़गारपरक प्रशिक्षण ।
- शिक्षा ऋण ।
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधा पुरस्कार

<u>स्कूल शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक योजनाएं:</u>

<u>स्कूलों में अध्यापक:</u>

राज्य में कुल अध्यापकों की संख्या में से प्राथमिक/मिडिल/हाई/हायर माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या:

		अध्यापक	अनुसूचित जाति के अध्यापक
1	प्राथमिक स्कूल	160045	33500
2	मिडिल/जूनियर हाई स्कूल	103907	19756
3	हाई स्कूल	68493	9802
4	हायर माध्यमिक स्कूल	28220	

पश्चिम बंगाल में 10 सरकारी इंजीनियरिंग, 6 मेडिकल, 9 नर्सिंग कॉलेज, 26 जीएनएम नर्सिंग और 34 एएनएम नर्सिंग स्कूल हैं । मेडिकल इंजीनियरिंग कालेजों के अलावा लगभग 169 संस्थाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रही हैं । उनमें से 117 बी.एड कालेज, 20 शारीरिक शिक्षण संस्थाएं, 26 विधि कालेज, 2 संगीत तथा गृह विज्ञान एवं 4 कला कॉलेज जहां 22% सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं । अनुसूचित जाति के लिए इंगित सभी सीटों को केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से ही भरा जाता है । हालांकि, अनुसूचित जनजाति कोटे के अन्तर्गत शेष सीटों, यदि कोई हो, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाता है । मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आरक्षण मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए काउन्सलिंग सत्रों में भाग लेते हैं । पश्चिम बंगाल में मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईटीआई में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश का विवरण निम्नवत् दर्शाया गया है:-

मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश

वर्ष	कुल सीटें	अनुसूचित जाति के लिए आबंटित	वास्तविक आबंटन
2009	1057	233	254
2010	1251	275	302

सरकारी इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश

वर्ष	कुल सीटें	अनुसूचित जाति के लिए आबंटित	वास्तविक आबंटन
2008	900	193	193
2009	1080	236	236
2010	1080	236	236

सरकारी आईटीआई तथा सरकारी प्रायोजित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र:-

वर्ष	कुल सीटें	अनुसूचित जाति के लिए आबंटित	वास्तविक आबंटन
2008	6995	1539	1556
2009	8327	1831	1964
2010	9629	2118	2190

स्त्रोत: उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में यह सुझाव है कि प्रवेश के समय सरकारी कालेजों में शुल्क न लिया जाए । उदाहरण के तौर पर पांच टॉप प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेजों में पूर्ण प्रवेश के आधार पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और इस राशि की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए । जैसे कि कुछ मेडिकल और आईआईएम में इसी आधार पर प्रयोग भी किया जा सकता है । प्राईवेट कालेजों में पिछले पांच वर्षों अथवा अधिक में तत्काल अनुसूचित जातियों की भरी सीटों के आधार पर मानक निश्चित होने चाहिए ।

यह प्रशंसनीय है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों को वास्तविक रूप से दिए गए प्रवेश में उनके लिए आरक्षित सीटों से अधिक संख्या बढ़ी हुई है ।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की पहल पर टीसीएस के द्वारा प्रशिक्षण तथा आईटी और अन्य कम्पनियों ने इन्हें समायोजित किया जो कि सराहनीय है । डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधा पुरस्कार के अन्तर्गत 500 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 5,000/- रुपए तथा मेरिट प्रमाण-पत्र अच्छी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए दिए गए । इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित कार्य करने पर विचार किया जाए ।

अनुबंध-I

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. 5/2/2010-ईएसडीडब्ल्यू

आदरणीय डॉ. आहलूवालिया जी,

जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के व्यक्ति समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से हैं जो जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के 16% से अधिक हैं और कुछ राज्यों में यह आंकड़े लगभग 30% से अधिक हैं। भारत के संविधान में विशेष प्रावधानों एवं सुरक्षण उपलब्ध कराए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप से पूर्णत: अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा लाभ के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विशेष योजनाओं को प्रतिपादित कर उनके सामाजिक-आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहल भी की गई लेकिन अपेक्षित उद्देश्य हासिल प्राप्त करने में लगभग विफल रही। अनुसूचित जातियों के योजनाबद्ध तरीके से विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित कदम उठाने की सिफारिश करता है:-

- विशेष घटक योजना के लिए संसदीय अधिनियम के द्वारा मिशन मोड पर मनरेगा की तरह संसद से मंजूरी दी जानी चाहिए न कि योजना आयोग द्वारा कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र जारी करने की वर्तमान प्रणाली से।

- एससीपी को विनियमित कानून अधिनियमित कर दण्ड के प्रावधान सहित, उल्लंघनकर्ता के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों कारावास तथा दण्ड। सभी अधिकारियों (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखते हुए) जो कार्यान्वयन अथवा लागू करने के प्रभारी हैं, असफलताओं और कमियों के लिए उत्तरदायी होंगे। सरकारी आदेश के गैर-अनुपालन पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक वर्ष के भीतर में राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकारियों का सांविधिक गठन। आवश्यकता आधारित आधार पर विशेष कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए एससीपी निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए एकल खिड़की प्रणाली के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण(एनएससीडीए) का गठन होना चाहिए ।

- वर्ष 1979 से बढ़े हुए एससीपी निधियों को (जैसा कि इसे दूसरी ओर अंतरण और समाप्त न करना) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से रद्द करवा करके फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को अंतरित करना चाहिए ।

- केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, योजना आयोग तथा मंत्रालय) को पुनर्जीवित करना।

- हम भारत के महानियंत्रक एवं लेखाकार से 1979 से एससीपी की समीक्षा लेखा परीक्षा करने को कह सकते हैं और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए क्योंकि यह अनुसूचित जातियों के योजनाबद्ध एवं बजटीय आर्थिक विकास का भाग था ।

- एससीपी निधियों को लाभपरक योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति के परिवारों के भूमि के आबंटन के लिए खरीद, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, सेवा सुरक्षण, कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करना ।

- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आय सीमा नहीं होनी चाहिए जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं है । इसलिए आय मानक/सीमा अर्हता को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए हटाने की आवश्यकता है ।

- बिना किसी आय सीमा के 4% डीआरआई से कम में ऋण पर 35% सब्सिडी दी जानी चाहिए जो किसानों के लिए ऋण पर उपलब्ध है ।

- अनुसूचित जातियों के उत्थान में एससीएसपी को लाभ रूप से उपयोग किया जा सकता है जैसे प्रत्येक जिलों में आवासीय स्कूल, प्रत्येक जिलों में कॉलेज लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास, स्व-पोषित पाठ्यक्रम तथा कॉलेज शुल्क की प्रतिपूर्ति, मालिकाना हक के साथ 100% अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय कॉलोनी, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के कोचिंग केन्द्र वर्किंग विमन छात्रावास, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए., विधि,

मेडिकल तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, पाईलट पाठ्यक्रमों, पीएचसी के लिए पूर्ण शुल्क का फाईनेंस एवं सरकारी समिति की सिफारिशों तथा कुल सभी मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि खरीद एवं वितरण ।

यह कहना अनावश्यक है कि उपर्युक्त उपायों की कड़ियां बिना किसी के हितों को नुकसान पहुंचाने में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगा और योजना गतिविधियों के आधार पर बजट में एससीपी निधियों को खर्च करने के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार के लिए भी सहायक होगी ।

2. अनुसूचित जाति उप-योजना के विस्तृत उद्देश्य को जिसे विशेष घटक योजना के वर्तमान नामकोश के रूप में प्रयोग किया है:-

(i) अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम कुल योजना में एससीएसपी की निधियों को इंगित करना ।

(ii) प्रथक बजट शीर्ष के अन्तर्गत इंगित निधियों को रखना ।

(iii) राज्य में अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभाग को एससीएसपी को प्रतिपादित तथा कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाना ।

(iv) एससीएसपी निधियों को गैर-अपवर्तनीय तथा गैर-व्ययगती बनाना ।

(v) लाभकर्मी योजनाओं अथवा अनुसूचित जातियों के लिए एकमात्र बनाई गई उन समुदाय योजनाओं पर प्रभाव डालना।

3. आयोग की यह सोच है कि एससीपी की इस निधियों को समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है, जो कुछ समय राज्यों द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है, अतः इससे अपेक्षित उद्देश्य असफल होते हैं जिनके लिए इन निधियों का प्रावधान किया गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 5 (ग) के अनुसार आयोग को आवश्यक है कि "अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी एवं परामर्श और संघ तथा राज्य के अधीन किए गए विकास की प्रगति का मूल्यांकन एवं उनकी प्रगति का मॉनीटरन करेगा" ।

4. अनुसूचित जातियों के हितों से संबंधित मुद्दे या प्रभावित करने वाले किसी भी विषय को अंतिम रूप दिए जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए ।

5.	मैं इस अवसर पर यह व्यक्त करता हूं कि उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना आयोग, भारत सरकार के मार्ग-दर्शन और संवैधानिक प्रावधानों को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मार्ग-दर्शनों को अक्षरश: अन्तरात्मा से अनुपालन करेंगे ।

6.	मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा यदि आप इन सभी सुझावों/प्रावधानों को सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें मार्ग-दर्शनों में सम्मिलित करेंगे ।

7.	मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा यदि इस विषय पर की गई कार्रवाई से आयोग को सूचित किया जाएगा ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

सेवा में
श्री मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया,
उपाध्यक्ष, योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि: श्री नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

ह0/-
(टी. तीथन)
संयुक्त सचिव

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की 11वीं योजना के दौरान एससीएसपी परिव्यय/व्यय

(करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वार्षिक योजना 2007-08				वार्षिक योजना 2008-09				वार्षिक योजना 2009-10				वार्षिक योजना 2010-11		
			कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी व्यय	कॉलम 4 से 6 का प्रतिशत	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी व्यय	कॉलम 9 से 8 का प्रतिशत	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	एससीएसपी व्यय	कॉलम 4 से 6 का प्रतिशत	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	कॉलम 4 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आन्ध्र प्रदेश	16.20	30500.00	4355.90	एनआर	14.28	44000.00	7630.42	एनआर	17.34	33496.75	5243.17	5455.84	15.65	36800.00	6131.39	16.66
2	असम	6.90	3800.00	81.09	49.88	2.13	5011.51	100.72	84.38	2.01	6000.00	115.67	100.70	1.93	7645.00	140.27	1.83
3	बिहार	15.70	10200.00	2131.21	एनआर	20.89	13500.00	2428.26	2131.21	17.99	16000.00	2721.02	2721.02	17.01	20000.00	3375.12	16.88
4	छत्तीसगढ़	11.60	7413.72	2722.31	800.78	36.72	9600.00	1103.68	568.59	11.50	10947.76	1271.66	1206.89	11.62	12277.83	1612.13	13.13
5	गोवा	1.80	1430.00	26.95	11.66	1.88	1737.65	19.42	8.47	1.12	2240.00	16.15	15.50	0.72	2710.00	24.51	0.90
6	गुजरात	7.10	16000.00	1134.40	एनआर	7.09	21000.00	1200.00	408.27	5.71	23500.00	1294.94	822.65	5.51	30000.00	1363.46	4.54
7	हरियाणा	19.30	5300.00	1023.00	939.23	19.30	6650.00	1433.27	1385.28	21.55	10000.00	1493.21	1385.28	14.93	18260.00	2148.30	11.77
8	हिमाचल प्रदेश	24.70	2100.00	231.00	170.36	11.00	2400.00	594.00	594.00	24.75	2700.00	668.00	594.00	24.74	3000.00	742.00	24.73
9	जम्मू एवं कश्मीर	7.60	4850.00	368.60	एनआर	7.60	4500.00	-	एनआर	0	5500.00	319. 73	एनआर	5.81	6000.00	455.65	7.59
10	झाखण्ड	11.80	6676.00	729.96	536.67	10.93	8015.00	1012.75	648.37	12.64	8200.00	852.86	852.86	10.40	9240.00	956.94	10.36
11	कर्नाटक	16.20	17782.58	2916.00	1972.28	16.40	26188.83	3232.00	2575.68	12.34	29500.00	4779.00	2916.59	16.20	31050.00	3866.60	12.45
12	केरल	9.80	6950.00	681.80	545.73	9.81	7700.00	746.63	650.63	9.70	8920.00	875.12	848.57	9.81	10025.00	983.45	9.81
13	मध्य प्रदेश	15.20	12011.00	1832.60	1709.58	15.26	14182.61	2209.81	1832.58	15.58	16174.17	2499.60	2000.91	15.45	19000.00	2918.00	15.36
14	महाराष्ट्र	10.20	20200.00	2060.00	488.43	10.20	25000.00	2332.80	1890.66	9.33	35958.94	2651.99	1285.28	7.38	33934.53	3461.00	10.20
15	मणिपुर	2.80	1374.31	33.04	23.81	2.40	1660.00	48.30	33.24	2.91	2000.00	58.06	50.71	2.90	2600.00	62.40	2.40
16	उड़ीसा	16.50	5105.00	843.96	787.79	16.53	7500.00	1239.75	1123.63	16.53	9500.00	1563.03	1410.72	16.45	11000.00	1817.90	16.53
17	पंजाब	28.90	5111.00	1330.00	749.73	26.02	6210.00	1792.00	1235.87	28.86	8600.00	2488.31	2124.19	28.93	9150.00	2640.00	28.85
18	राजस्थान	17.20	11950.00	1787.77	1998.95	14.96	14020.00	2179.31	2352.35	15.54	17322.00	2735.49	2735.49	15.79	24000.00	3896.10	16.23
19	सिक्किम	5.02	691.14	34.70	15.33	5.02	852.00	42.60	24.53	5.00	1045.00	एनए	24.53	0	1175.00	30.77	2.62
20	तमिलनाडु	19.00	14000.00	1649.85	2903.62	11.78	16000.00	2379.20	3453.35	14.87	17500.00	2721.22	2618.56	15.55	20068.00	3827.84	19.07
21	त्रिपुरा	17.40	1220.00	205.22	एनआर	16.82	1450.00	242.19	183.19	16.70	1680.00	280.11	280.11	16.67	1860.00	308.25	16.57
22	उत्तर प्रदेश	21.10	25000.00	5307.00	4340.78	21.23	35000.00	7409.00	6789.41	21.15	39000.00	8275.00	8057.54	21.22	42000.00	8881.00	21.15
23	उत्तरांचल	17.90	4378.63	749.82	350.19	17.12	4775.00	854.73	300.67	17.90	5800.81	1044.15	332.52	18.00	6800.00	1224.00	18.00
24	पश्चिम बंगाल	23.0	9150.00	2328.83	2328.00	25.45	11602.38	2677.83	1929.97	23.08	14150.00	3258.37	3258.37	23.03	17985.00	4142.40	23.03
25	चंडीगढ़	17.50	269.91	46.72	31.58	17.31	304.65	45.91	40.55	15.07	319.22	55.92	एनआर	17.52	450.91	79.15	17.55
26	दिल्ली	16.90	9000.00	1525.13	1534.05	16.95	10000.00	1694.15	1725.00	16.94	10000.00	1782.39	2094.30	17.82	11400.00	1901.56	16.68
27	पुदुचेरी	16.20	1455.00	150.15	149.73	10.32	1750.00	2.83	152.72	0.16	2250.00	176.83	176.83	7.86	2500.00	354.96	14.20
	अखिल भारत	16.20	233918.29	36287.01	22438.16	16.51	300609.63	44645.56	32122.60	14.85	338304.65	49241.00	43369.96	14.56	390931.27	57345.15	14.67

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदित पत्र एवं राज्य सरकारों के एससीएसपी दस्तावेज

* टीएसपी आबंटन सहित

एन.ए.:उपलब्ध नहीं

एन.आर.:रिपोर्ट अप्रतिवेदित ।

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जातियों के रोज़गार पर कार्य समूह की 12वीं योजना की रिपोर्ट ।

अनुबंध-III

एनजीओ योजना का नाम: अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10					2010-11				2011-12 (2-3-2012 से स्वीकृत)			
		नोशनल आबंटन	जारी	एनजीओ की संख्या	लाभार्थी	नोशनल आबंटन	जारी	एनजीओ की संख्या	लाभार्थी	नोशनल आबंटन	जारी	जारी	एनजीओ की संख्या	लाभार्थी	नोशनल आबंटन	जारी	एनजीओ की संख्या	लाभार्थी	नोशनल आबंटन	जारी	एनजीओ की संख्या	लाभार्थी
1	आन्ध्र प्रदेश	330	298.59	35	3447	330	261.78	32	3201	300	1.15	114.71	17	1600	287***	163.1	18	2430	325	112.17	14	1620
2	बिहार	140	92.43	9	1131	140	88.41	10	1085	140	0.06	6.32	1	100	99	0	0	0	106	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	30	0	0	0	30	0	0	0	25	0.00	0	0	0	25	0		0	20	0	0	0
4	गोवा	5	0	0	0		0	0	0		0.00	0	0	0	**	0		0		0	0	0
5	गुजरात	75	51.97	14	758		26.31	11	485	75	0.40	39.75	16	846	65	13.18			63	55.17	13	1225
6	हरियाणा	70	18.28	6	248	70	5.77	2	120	70	0.17	17.34	4	535	43	17.62	3	485	47	30.78	4	630
7	हिमाचल प्रदेश	25	7.17	1	50	25	6.17	1	100	25	0.03	3.14	1	0	15	12.84	1	100	18	0	0	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	15	13.38	1	320	15	0	0	0	15	0.00	0	0	0	11	25.71	1	640	14	4.97	1	160
9	झारखण्ड	45	0	0	0	30	0	0	0	33	0.00	0	0	0	33	0	0	0	25	0	0	0
10	कर्नाटक	280	312.73	28	4135	295	208.19	20	2420	282	1.51	150.6	16	2099	268***	259.99	26	3870	335	70.07	12	873
11	केरल	50	17.33	2	316	50	1.29	1	40	50	0.01	1.37	1	75	28	2.04	1	34	30	1.4	1	45
12	मध्य प्रदेश	180	120.54	26	2360	180	131.14	16	2070	180	0.31	31.15	4	700	136	126.75	20	2858	163	66.13	21	2191
13	महाराष्ट्र	295	429.19	47	5827	300	227.09	31	2200	300	1.94	194.08	20	2350	308***	560.1	43	5570	404	207.65	24	1400
14	उड़ीसा	200	281.48	31	4370	215	288.72	28	3650	215	1.56	155.59	22	2515	249***	392.61	25	4410	311	112.32	15	1430
15	पंजाब	100	0	0	0	80	0	0	0	74	0.00	0	0	0	74	0	0	0	55	0	0	0
16	राजस्थान	260	556.88	51	9018	260	235.99	40	4140	260	1.00	100.19	16	1910	259***	300.81	41	4740	347	64.61	12	1300
17	तमिलनाडु	150	1.22	2	125	120	9.81	1	100	120	0.00	0	0	0	67	7.79	1	100	71	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	560	322.1	38	3590	560	235.89	26	2540	560	1.07	107.09	14	1390	402	401.15	34	4575	472	167.44	19	1990
19	उत्तरांचल	30	10.84	3	100	30	29.81	3	500	30	0.05	5.16	1	100	24	18.19	4	300	27	31.45	5	400
20	पश्चिम बंगाल	280	101.58	11	1690	280	113.57	8	1735	280	0.64	63.66	5	1347	196	93.98	6	1308	211	71.2	4	883
21	अंडमान एवं निकोबाल द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	5	0	0	0	5	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
23	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
24	दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	230	334.96	25	5258	260	209.9	22	4593	260	0.81	80.68	8	1528	253***	334.02	25	5666	306	147.6	19	2840
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	5	0	0	0	5	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
	कुल योग	3360	2970.67	331	42740	3360	2078.84	252	28979	3294	10.71	1070.83	146	17095	2842	2830.23	260	37406	3350	1152.86	164	16987
	उत्तरी-पूर्वी राज्य																					
28	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
29	असम	100	67.77	9	769	100	51.14	8	540	58	0.19	18.68	3	440	65	66.79	10	950	51	22.99	5	390
30	मणिपुर	80	57.5	9	650	80	18.13	5	380	42	0.33	33.28	6	520	54	43.16	9	920	39	18.45	5	330
31	मेघालय	10	0	0	0	10	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
32	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	सिक्किम	10	0	0	0	10	0	0	0		0.00	0	0	0	**	0	0	0		0	0	0
35	त्रिपुरा	0	0	0	0	40	2.54	1	75		0.00	0	0	0	**	3.11	1	0	10	1.71	1	75
	जोड़	240	125.27	18	1419	240	71.81	14	995	100	0.52	51.96	9	960	119	113.06	20	1945	100	43.15	11	795
	कुल जोड़	3600	3095.94	349	44159	3600	2160.65	266	29974	3500	11.2279	1122.79	155	18055	3500	2943.29	280	39351	3500	1196.01		17782

स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

एकमुश्त आबंटन 106 लाख

एकमुश्त आबंटन 50 लाख

राष्ट्रीय आबंटन के 489 लाख का अतिरिक्त आबंटन

पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्षों (2008–09 से 2010–11) के दौरान कम्पोजिट इनकम जेनरेटिंग योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान राज्यवार विशेष केन्द्रीय सहायता एवं सम्मिलित लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008–09		2009–10		2010–11	
		जारी	लाभार्थी	जारी	लाभार्थी	जारी	लाभार्थी
1	आन्ध्र प्रदेश	5167.85	254357	3668.49	30895	4492.78	255109
2	बिहार	4009.15	492873	1916.86	408074	4857.64	एनआर
3	छत्तीसगढ़	547.21	1918	666.69	एनआर	0	एनआर
4	गुजरात	959.52	175237	932.86	181073	1070.41	एनआर
5	गोवा	0.00	एनआर	0.00	एनआर	0	एनआर
6	हरियाणा	1213.48	एनआर	1350.53	13537	1431.17	एनआर
7	हिमाचल प्रदेश	517.08	20945	498.20	20280	660.21	एनआर
8	जम्मू एवं कश्मीर	230.48	एनआर	173.22	एनआर	290.75	एनआर
9	झारखण्ड***	574.94	एनआर	0.00	एनआर	0	एनआर
10	कर्नाटक	3605.30	24899	2464.41	465763	2994.35	एनआर
11	केरल	813.12	18782	763.74	9629	881.21	एनआर
12	मध्य प्रदेश	4806.42	245036	3653.47	261457	4608.72	एनआर
13	महाराष्ट्र	4222.80	एनआर	2880.66	15575	0	एनआर
14	उड़ीसा	2832.14	20283	2209.99	25446	1261.37	एनआर
15	पंजाब	1004.07	64564	1075.88	79275	1362.33	एनआर
16	राजस्थान	3331.86	37341	3460.63	26998	4301.05	27496
17	तमिलनाडु	6002.81	930369	4605.30	914757	6786.56	525061
18	उत्तर प्रदेश	14351.57	82784	10426.82	111976	16621.42	एनआर
19	उत्तराखण्ड	0	3142	0.00	3389	621.41	एनआर
20	पश्चिम बंगाल	4503.80	37458	4502.75	49960	5230.75	एनआर
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र							
1	असम	1089.04	3219	249.22	17411	662.97	एनआर
2	मणिपुर	0.00	एनआर	0.00	एनआर	29.11	एनआर
3	सिक्किम	40.06	एनआर	22.60	310	82.84	एनआर
4	त्रिपुरा	311.42	2592	355.58	2170	460.21	एनआर
संघ राज्य क्षेत्र							
1	दिल्ली	0.00		0.00	एनआर	0	एनआर
2	पांडिचेरी	0.00	2877	0.00	451	20.31	एनआर
3	चंडीगढ़	25.00		18.75	एनआर	0	एनआर
	जोड़	60159.12	2431586	45896.15	2638426	58727.57	807666

* बिहार सरकार से झारखण्ड सरकार को 1606.00 लाख रुपए के अंतरण की रिपोर्ट

स्त्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

<u>अनुबंध– V</u>

<u>फाइल सं. 6/7/समीक्षा/2011/ईएसडीडब्ल्यू</u>

<u>माननीय सदस्य, श्री राजू परमार द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के साथ इसके कार्यकरण पर आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त</u>

माननीय सदस्य, श्री राजू परमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्कंध के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के श्री हरदीप सिंह किंगरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यकारियों के साथ दिनांक 22-11-2011 को समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास और सेवा सुरक्षण के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने माननीय सदस्य और उनकी टीम का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया । उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में पद का कार्यभार ग्रहण किया और वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुझावों का भली-भांति ध्यान रखेंगे । उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की एक लघु रूपरेखा प्रस्तुत की। अनुबंध-I में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

1. माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने इसकी समीक्षा कमियों को निकालने के लिए नहीं कर रहे है बल्कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यों तथा योजनाओं को समझने के लिए कर रहे हैं । अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किसी भी आवश्यक हस्तक्षेप का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वागत करेगा ।

2. अनुसूचित जातियों के आर्थिक उद्धार के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रयास की प्रशंसा करते हुए माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि दशकों अथवा अधिक से अनुसूचित जातियों की भविष्य में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए । उन्होंने इस संबंध में नवपरिवर्तन और कार्य-प्रणाली को जानने की इच्छा व्यक्त की । उन्होंने व्यक्ति विशेष लाभार्थी योजना के अन्तर्गत निम्न ऋण राशि के बारे में इंगित किया । उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रारंभ होने से विशिष्ट विवरण को भी जानना चाहा जैसे:-

   1. अनुसूचित जातियों को राज्यवार, वर्षवार, योजनावार दी गई ऋण राशि ।

2. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या ।

तेंदुलकर समिति ने अपनी सिफारिश में शहरी क्षेत्रों के लिए 30,000/- रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20,000/- रुपए आय प्रतिवर्ष के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को वर्गीकृत किया है ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उल्लेख किया है कि व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित अनेक पाठ्यक्रमों/योजनाओं के लिए ऋण सीमा को बढ़ाने के मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाया गया है । अधिकांश योजनाओं में ऋण घटक बहुत कम है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 31-3-2011 तक 1,000 करोड़ रुपए है । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संरक्षण में सरकारी कम्पनी के रूप में फरवरी, 1989 में स्थापित की गई थी । निगम का उद्देश्य दुगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों के द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित शिक्षित बेरोजगार को वित्तीय सशक्तिकरण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह अनुसूचित जातियों के जरुरतमंदों को शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराते हैं । इसमें सब्सिडी का भी अंश है । यह अनुसूचित जातियों के व्यक्ति विशेष से सीधे मामले को नहीं देखते हैं । प्रस्ताव संबंधित राज्य की माध्यम एजेंसियों के द्वारा प्राप्त होता है । उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार आय-सीमा को बढ़ाने की आवश्यककता पर बल दिया । यह सूचित किया गया कि कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा असम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा परिचालित योजनाओं का लाभ नहीं लिया है । केवल राज्य माध्यम एजेंसियों को पूर्व में दी गई राशि के 80% उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही ऋण प्रदान किए जाते हैं । कर्त्तव्य उपेक्षा राज्यों जैसे असम को दी गई ऋण राशि को वे वापस कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्यों ये राज्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लाभ नहीं उठाना चाहते हैं । यह सूचित किया गया कि इन राज्यों के अपने राज्य निगम तथा बैंक आदि हैं । उत्तर प्रदेश तथा बिहार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । सीएमडी ने यह बताया कि दक्षता विकास के साथ इन लोगों की जरुरतों को पूरा करने के लिए मार्केटिंग संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है । व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा विदेशों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में हस्तशिल्प सामानों को प्रदर्शित करना । उनका यह सोचना है कि अनुसूचित जातियों के शिक्षा ऋण के आय सीमा को एसईबीसी की तरह 4.5 लाख रुपए बढ़ाया जाना चाहिए । तथापि, विदेशों में शिक्षा लेने के लिए कोई आय-सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम अनुसूचित जाति के विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं । अनुसूचित जातियों के लाभार्थ इस प्रस्ताव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए ।

6. माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनकी शिकायतों और समस्याओं के लिए बैठक की । उन्होंने संतोष व्यक्त किया और बताया कि उनकी कोई शिकायतें नहीं हैं । यह भी देखने में आया कि सभी स्तरों पर सेवा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित प्रतिशत से कहीं अधिक था । अनुसूचित जातियों का कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व 40% हैं ।

7. माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के किसी भी सुझावों का स्वागत है ।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए समीक्षा बैठक समाप्त हुई ।

(श्री राजू परमार)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>अनुबंध– VI</u>

<u>फाइल सं. 6/8/समीक्षा/2011/ईएसडीडब्ल्यू</u>

<u>माननीय सदस्य, श्री राजू परमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की दिनांक 15–12–2011 को हुई समीक्षा बैठक ।</u>

श्री राजू परमार, माननीय सदस्य,राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ने अपने अधिकारी के साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली में दिनांक 15-12-2011 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की । प्रतिभागियों की सूची संलग्न है ।

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने माननीय सदस्य का उनके अधिकारी दल सहित समीक्षा बैठक में स्वागत किया । माननीय सदस्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया । उन्होंने उनकी किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायतों को जानना चाहा । कर्मचारियों ने बताया कि निगम में केवल 4 नियमित अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं । उनमें से एक ग्रेड "बी" अधिकारी रैंक, एक लिपिकीय स्तर पर और 2 ग्रुप "डी" स्तर पर कार्यरत हैं । उन्होंने कहा कि उन्हें समय पर पदोन्नति दी गई है और किसी प्रकार के भेदभाव/संकट का सामना नहीं कर रहे हैं ।

उसके बाद माननीय सदस्य ने प्रबंध निदेशक, श्री ललित कोहली और उनके अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया । प्रबंध निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 21-1-1997 को गैर-लाभ प्राप्त करने वाले निगम के रूप में स्थापना की गई । निगम की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य था कि सफाई कर्मचारियों/मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को परम्परागत व्यवसायों से मुक्त करके तथा उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान कर सशक्त बनाया जाए ।

माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विचार-विमर्श के बाद यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकारियों को प्रतिनिधियों के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए । राज्य में सफाई कर्मचारियों की जनसंख्या के आधार पर राज्य माध्यम एजेंसियों को भी परिवर्तन आधार पर सहयोजित किया जाना चाहिए । राज्य सरकार गारन्टी से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं पर भी चर्चा की गई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के नियमित रोज़गार की वर्तमान पद्धति को अलग कर दिया है । अब यह एक ठेके का रोज़गार हो गया है । तथापि ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को रोज़गार देते हैं । या तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठेके पर कर्मचारी सफाई कर्मचारी समुदाय के न हों या सफाई कर्मचारियों के ठेके पर रोज़गार नहीं होने चाहिएं । उन्हें सीधे बिना किसी बिचौलिए के रोज़गार दिया जा सकता है । जीविका उनकी मुख्य समस्या है । ठेका प्रणाली के कारण ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है ।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह निगम अनुसूचित जाति निगम की तरह था और वही योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है । लेकिन शैक्षिक ऋण देने और निगम द्वारा परिचालित अन्य योजनाओं, ऋणों को देने के लिए कोई आय सीमा का मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया । सभी सफाई कर्मचारी उनकी आय को ध्यान में न रखते हुए ऋण सुविधाओं के पात्र हैं और ऋण सुविधाएं ले सकते हैं । माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बताया कि कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का लगभग 4% सफाई कर्मचारी हैं । वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में कार्य करते हैं । उन्हें गमबूट्स, कपड़े, उपकरण एवं सुरक्षा सामान नहीं दिए जाते हैं । उन्हें उक्त सामानों को दिया जाना और निगम द्वारा इसका मॉनीटरन होना चाहिए ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा परिचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार किए जाने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया गया । बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें निगम द्वारा शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिए जा रहे ऋणों के बारे में जानकारी नहीं है ।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि राज्य माध्यम एजेंसी को जागरुकता कार्य करने चाहिएं । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि निगम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित शिक्षा ऋणों के लिए सरकारी वेबसाईट पर विस्तृत विवरण देकर वाल्मीकि समुदाय के व्यक्तियों को दिए गए शिक्षा ऋण को व्यापक प्रचार देकर एक कड़ी के रूप में कर सकती हैं ।

माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा कि उन्हें उनके परम्परागत कार्य से हटाने के लिए उन्हें केवल एक अच्छी शिक्षा दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है । देश और विदेश में भी अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण देकर निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ।

सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए एकमात्र कार्य कर रही एनजीओ की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया । प्रबंध निदेशक ने कहा कि वे इससे जुड़े हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सुझाव दिया कि गैर-सरकारी संगठनों तथा वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करना चाहिए और आर्थिक उद्धार करने केलिए उनके विचारों तथा सुझावों को जानने पर चर्चा की गई । अन्त में माननीय सदस्य ने निम्नलिखित जानकारी लेने की इच्छा व्यक्त की:-

i) 1997 में निगम के प्रारंभ से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-

राज्यवार	वर्षवार	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ऋण दिया गया		
		5 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए से ऊपर

ii) वर्षवार तथा राज्यवार प्राप्त एवं निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या ।

iii) उन राज्यों का विवरण जो योजनाओं का उपयोग नहीं कर रही हैं ।

iv) ऋणों वापस करने में चूककर्ता राज्य ।

माननीय सदस्य ने समीक्षा बैठक को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को बताया कि यदि उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आयोग की मध्यस्थता के लिए उनका स्वागत है ।

(राजू परमार)
माननीय सदस्य

<u>फा.सं. 6/8/समीक्षा/2011/ईएसडीडब्ल्यू</u>
<u>प्रतिभागियों की सूची</u>

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग</u>

1. **श्री राजू परमार**, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
2. **श्रीमती आर. लक्ष्मी**, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
3. **श्री ए.पी. गौतम**, अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
4. **श्री महेन्द्र प्रसाद**, निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।

- **<u>राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम</u>**

1. **श्री ललित कोहली**, प्रबंध निदेशक
2. **श्री पी.के. भंडारी**, मुख्य प्रबंधक
3. **श्री बी.एल. यादव**, प्रबंधक (परियोजना)
4. **श्री चन्दर शील शर्मा**, कनिष्ठ कार्यकारी
5. **श्री सुरेश कुमार**, कनिष्ठ अभियन्ता (पी.ए.)

अनुबंध- VII

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. 14/27/2010/दिल्ली/ईएसडीडब्ल्यू 7 सितम्बर, 2011

आदरणीय महोदय,

आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक सांविधिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की शिकायतों को देखता है । संवैधानिक दायित्वों के अनुसार अनुसूचित जाति के याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा मामला अन्वेषण के अधीन है । श्री लाल चन्द निवासी ए-318, साध नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड संख्या 28687, लाजवंती गार्डन के अतिक्रमण किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंधित प्राधिकारियों को शिकायत निवारण हेतु सुनवाई के लिए बुलाया गया था ।

दिल्ली नगर निगम प्राधिकारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्राधिकारियों को चुनौती दी है और याचिकादाता के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है । मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राधिकारियों के निर्णय को मनाने के बजाय उन्होंने संवैधानिक शक्तियों की मर्यादा को भंग करते हुए संवैधानिक प्राधिकारियों के विरुद्ध तुच्छ मुकदमा करने का आश्रय लिया और दु:साहसता से आयकरदाताओं की राशि को नष्ट किया ।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया आप इस मामले में हस्तक्षेप करें ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)

डॉ. मनमोहन सिंह,
भारत के प्रधानमंत्री,
साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली

अनुबंध

अनुसूचित जाति उप योजना
उत्तर प्रदेश

अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में गति प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति उप-योजना की रणनीति 1979 में तैयार की गई थी । वर्ष 2006 में विशेष घटक योजना के नाम को अपवर्तित कर अनुसूचित जाति उप-योजना कर दिया गया । योजना आयोग के मार्ग-दर्शन के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना का निरुपण किया जाना है । जिसमें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के शेयर के प्रतिशत के अनुपात में उनकी योजनाओं में परिव्यय उद्दिष्ट करना है ।

उद्देश्य-

अनुसूचित जाति उप-योजना के मुख्य उद्देश्य:-

i. किसानों, प्राथमिक चमड़ा कामगार (चमड़ा उतारना, बनाना आदि) ग्रामीण शिल्पकार, मच्छरों, सफाई कर्मियों तथा स्केवैंजर शहरी असंगठित श्रमिक आदि सहित अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से परिवार तथा व्यक्ति विशेष अभिमुख कार्यक्रमों के द्वारा लाभ का प्रत्यक्ष प्रवाह प्रदान करना है । इसका मुख्य उद्देश्य तो आयजनित परि-सम्पत्तियां तथा कौशलता को उपलब्ध कराना है ताकि अनुसूचित जाति के परिवारों का जीविकोपार्जन बनाए रखने में सहायक रहे और वे गरीबी रेखा को पार कर सकें ।

ii. अनुसूचित जातियों के इन सेवाओं का लाभ प्रदान करने का प्रावधान जैसे पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास साईट्स तथा आवास निकासी, लिंक रोड आदि और शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन आदि जैसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ।

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अधीन निधियों का प्रवाह

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (3.52 करोड़) है, वह अनुसूचित जाति उप-योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । योजना अवधियों के दौरान कुल राज्य योजना व्यय के प्रतिशत का अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय निम्नवत् है:

क्र. सं.	अवधि	अनुसूचित जाति की जनसंख्या का % (2001)	राज्य योजना व्यय	अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय	राज्य योजना व्यय के % का अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)		6594.29	525.35	7.97

2.	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)		11948.72	1239.98	10.38
3.	वार्षिक योजना (1990-91)		3208.22	362.15	11.29
4.	वार्षिक योजना (1991-92)		3695.54	339.51	9.19
5.	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)		21679.81	2975.31	13.72
6.	नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)				
	i) 1997-98		5667.12	1064.07	18.78
	ii) 1998-99		6363.94	1356.99	21.32
	iii) 1999-2000		6572.21	1016.36	15.46
	iv) 2000-2001		8188.24	952.92	11.64
	v) 2001-2002		5884.25	713.62	12.00
7.	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)	21.15			
	i) 2002-2003		6617.84	753.06	11.38
	ii) 2003-2004		6141.73	851.50	13.86
	iii) 2004-2005		8456.04	997.77	10.80
	iv) 2005-2006		13582.85	1479.45	10.93
	v) 2006-2007		20341.68	3219.13	15.83
8.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)				

	i) 2007-2008		24296.53	4340.78	17.86
	ii) 2008-2009		34287.62	6789.41	19.80
	iii) 2009-2010		37211.51	7926.85	21.30
	iv) 2010-2011		41148.99	8800.89	21.38

अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए व्यय से पता चलता है कि वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में अवरोध राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के माप के अनुसार समर्थन नहीं करती है ।

वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-10 तथा 2010-2011 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत आबंटित तथा व्यय को निम्नलिखित सारणी दर्शाती है:-

वर्ष	अनुसूचित जाति उप-योजना आबंटन	अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय	व्यय का %
1	2	3	4
2006-2007	3990.00	3219.13	80.68
2007 2008	5287.00	4340.78	82.10
2008-2009	7403.00	6789.41	91.74
2009-2010	8246.55	7926.85	96.12
2010-2011	8881.00	8800.89	99.10

अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय का प्रतिशत हमेशा अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय आबंटन के 100% से कम रहा है ।

<u>**वित्तीय प्रगति–**</u>

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना व्यय को विभागवार/सेक्टरवार निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विकास का शीर्ष	अनुसूचित जाति उप-योजना के अधीन व्यय		
		2008-09	2009-10	2010-11 (पूर्वानुमानित)
1	2	3	4	5
I	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	389.80	183.95	212.97
II	ग्रामीण विकास	1920.90	1524.45	1322.97
III	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	105.53	121.73	180.00
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	61.84	39.49	28.40
V	ऊर्जा	472.93	569.08	161.20
VI	उद्योग एवं खनिज	12.72	493.37	619.79
VII	परिवहन	1231.00	700.56	950.00
VIII	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	-	-	-
IX	सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	-	-
X	सेवाएं	2596.65	4294.17	5108.82
	शिक्षा	169.73	352.71	526.58
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	380.20	418.31	326.67
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	394.12	337.78	203.87
	आवास	442.91	462.41	578.60
	शहरी विकास	182.77	1611.52	1667.48
	अजा/अजजा तथा अपिव के कल्याण	323.68	567.79	504.60
	श्रम एवं रोज़गार	39.42	30.83	48.93
	समाज कल्याण	571.06	309.12	766.09
	पोषणता	92.76	208.70	486.00

विभाग ने सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत व्यय उपगत किया है । अत: अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को जो अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराने की भावना थी, उन्हें नहीं दिया जा सका ।

अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत सामान्य योजनाओं का विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आबंटन और व्यय के योजनावार विश्लेषण से धूमिल तस्वीर चिह्नित होती है । अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जो निधियां थी उन्हें सामान्य योजनाओं में अपवर्तित कर दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा सका । यह नोटिस में आया है कि बहुत सी योजनाओं के आबंटन काल्पनिक हैं । इस संबंध में निम्नलिखित सारणी विवरण प्रस्तुत करती है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमुख योजनाएं/कार्यान्वयन विभाग	2008-09		2009-10		2010-11	
		एससीपी आबंटन	एससीपी आबंटन	एससीपी आबंटन	एससीपी आबंटन	एससीपी आबंटन	एससीपी आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वशिक्षा अभियान	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	103.78
2	प्रांतीय रक्षा बल (युवा कल्याण) का सुदृढ़ीकरण	0.45	1.68	0.45	1.68	0.44	0
3	ग्रामीण स्पोर्टर्स स्टेडियम (युवा कल्याण) का निर्माण	0.75	0.31	0.31	0.30	0.31	0.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का निर्माण	29.95	7.04	29.65	7.03	30.24	3.49
5	समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का निर्माण	15.04	8.95	13.42	8.95	12.76	2.93
6	होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज (चिकित्सा शिक्षा) का निर्माण	13.75	26.85	13.75	23.05	12.44	10.92
7	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा कॉलेज (चिकित्सा शिक्षा) की स्थापना	400.68	274.73	400.68	274.15	355.92	73.14
8	ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक/ यूनानी चिकित्सा कॉलेज (चिकित्सा शिक्षा)	3.45	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
9	आयुर्वेदिक चिकित्सा भवन (चिकित्सा शिक्षा) की स्थापना	1.43	0.81	1.43	0.80	1.43	0
10	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना (परिवार कल्याण)	15.00	15.00	6.40	7.49	3.5	0
11	ग्रामीण पेयजल योजना (ग्रामीण विकास)	125.39	113.63	125.39	113.63	123.33	67.50
12	इन्दिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास)	262.66	228.60	262.66	228.60	262.41	130.85
13.	सामुदायिक भवन/केन्द्र का निर्माण	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
14	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (एसयूडीए)	104.13	64.20	103.63	64.20	103.63	64.20

15	शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं (एसयूडीए)	87.04	12.50	86.97	12.44	86.97	12.44
16	शुष्क शौचालय को जल प्रवाह शौचालय में तबदील (एसयूडीए)	39.56	44.39	39.56	44.39	39.55	44.39
17	शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (एसयूडीए)	249.68	297.20	249.68	297.20	249.68	297.20
18	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एसयूडीए)	12.50	12.08	11.54	12.04	11.54	12.04
19	1995-96, 1997-98, 2002, 03, अप्रैल 2003-अगस्त, 2003 (पीडब्ल्यूडी) से चयनित अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत लिंक रोड/छोटे सेतुओं के निर्माण का प्रबंधन समय पर।	648.36	997.88	548.36	997.88	618.53	918.19
20	सेतुओं और सड़को के चौड़ा करने के पुनर्निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण।	151.00	43.82	0.00	43.78	0.00	36.88
21	पूर्वांचल की विशेष योजना।	141.00	135.70	97.43	135.70	93.34	13.90
22	बुन्देलखण्ड की विशेष योजना	39.00	44.29	28.39	44.29	28.38	2.98
23	प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (श्रम विभाग)	0.61	3.00	0.32	2.07	0.36	0.29
24	इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना	30.00	50.00	30.00	50.00	30.00	32.30
25	आईटी पोलीटेक्निक की स्थापना	21.18	33.99	21.10	26.56	12.94	16.57
26	राज्य कर्मचारी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना	2.57	3.28	1.42	2.48	1.42	0
27	राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	22.40	49.04	22.40	49.04	11.69	36.7
28	अल्प अवधि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1.23	1.32	1.23	1.32	0.17	0.02
29	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	17.17	14.78	17.17	14.78	17.16	0
30	अनुसूचित जाति बहुल जिलो में राजकीय पोलीटेक्निक की स्थापना	8.82	10.00	8.82	10.00	8.82	10.00
31	आईटीआई के देयों का भुगतान	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0
32	गन्ना विकास योजना-जिला योजना	1.05	1.4	1.05	0.70	0.85	0.59
33	सड़कों का निर्माण (गन्ना विकास)	5.95	6.00	5.95	6.00	5.93	5.90
34	चौधरी चरण सिंह हैंड पम्प योजना	10.90	16.00	10.90	16.00	10.90	15.15
35	सामाजिक वानिकी-जिला योजना	30.00	33.22	30.00	33.22	30.00	33.22
36	प्रशिक्षण केन्द्रों एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का सुदृढ़ीकरण (पशुपालन)	7.00	8.00	7.00	8.00	6.99	7.15
37	कृत्रिम गर्भाधान प्रकृति प्रजनन एवं बीएआईएफ (डीएस) के द्वारा गाय एवं भैंसों के लिए प्रजनन का विस्तार	2.77	8.30	2.77	3.50	2.67	3.17

	करना ।						
38	बैकयार्ड पोल्ट्री योजना	2.75	4.00	2.75	2.75	0.51	0.72
39	भेड़ प्रजनन सुविधाओं का विस्तार	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02
40	सुअर विकास	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
41	समन्वित सुअर विकास	4.57	5.03	4.57	2.25	4.23	1.91
42	सुअर क्षेत्रों की स्थापना	1.23	1.35	0.52	0.50	0.50	0.30
43	पर्वत प्रशिक्षण योजनाएं (कृत्रिम गर्भाधान)	2.60	2.60	2.60	2.08	1.94	1.72
44	पशुओं के लिए चारा	0.03	0.10	0.03	0.10	0.01	0.08
45	दुग्ध एसोसिएशनों/सोसाइटीज का विस्तार (डेयरी विकास)	0.20	1.00	0.20	1.00	0.19	0.48
46	ऑटोमेटिक दुग्ध संकलन ईकाइयां	1.00	3.00	0.99	3.00	0.99	2.12
47	दुग्ध के लिए तकनीकी आगत कार्यक्रम	1.00	2.00	1.00	1.33	0.97	1.00
48	कृषकों के लिए प्रशिक्षण	1.00	0.50	1.00	0.39	0.97	0.23
49	एलुवियम क्षेत्रों में मध्यम गहराई पम्प का निर्माण	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00	3.44
50	पत्थर क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.68
51	डॉ. भीमराव अम्बेडकर हैंडपम्प योजना	12.90	4.30	12.90	4.30	12.90	3.41
52	भूजल रिचार्जिंग के लिए बांध की जांच	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.17
53	विकलांगों के लिए कल्याण	32.97	33.30	32.76	33.29	32.22	32.25
54	कौशल विकास केन्द्र (विकलांग कल्याण)	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63
55	पोषण (शिशु विकास)	270.00	843.77	270.00	843.77	269.99	758.73
56	निराश्रित विधवाओं के लिए अनुदान सहायता	75.00	76.09	75.00	76.09	74.19	75.91
57	बागवान विकास योजनाएं	2.50	2.75	2.50	2.75	2.46	1.89
58	वैकल्पिक ऊर्जा योजना (राज्य योजना)	1.58	21.14	1.58	20.22	1.58	3.32
59	हस्तशिल्प कला गहनुक्लेश्वर	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.09
60	पावरलूम उद्योग का विकास	0.15	2.40	0.15	2.40	0.15	0.15
61	मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	1.44	1.44	1.08	1.44	1.06	0.71
62	कौशल विकास प्रशिक्षण (खादी)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
63	विपणन सहायता कार्यक्रम (खादी)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
64	मानक तथा गुणवत्ता उत्पादन विकास	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
65	रेशम उत्पादन	8.67	12.90	8.67	12.90	8.66	10.89
66	ग्रामीण स्वच्छता	160.00	34.77	160.00	28.3	154.55	0
67	शौचालय (लैटरिन्स) का निर्माण (पंचायती राज)	53.46	29.10	45.00	25.32	39.89	14.06
68	सीसी रोड, के.सी. नालियां (पंचायती राज)	1086.37	1250.23	971.18	1250.23	933.22	1223.02
69	पंचायती राज संस्था सफाई कर्मचारी	0.00	518.32	0.00	518.32	0.00	379.06

70	कृषि योजना	42.68	46.00	37.20	43.27	32.24	27.54
71	शेयर खरीदने के लिए सहायता	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.71
72	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	3.15	2.37	3.15	0.89	2.21	0.54
	जोड़	4428.49	5615.85	3775.73	5569.59	3912.80	4503.11
		(12.30%)	(16.37%)	(9.68%)	(14.96%)	(9.31%)	(10.94%)
	कुल राज्य योजना व्यय	36000.00	34287.64	39000.00	37211.51	42000.00	41148.99

अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट योजनाओं का विवरण

अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट योजनाएं बहुत कम संख्या में हैं । अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित निम्नलिखित कुछ योजनाएं जो प्रत्यक्ष/दूरवर्ती संबंध रख सकती हैं । इस तरह की योजनाओं के अन्तर्गत व्यय निम्नवत् है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य योजनाएं/कार्यान्वयन विभाग	2008-09	2009-10	2010-11
		एससीएसपी व्यय	एससीएसपी व्यय	एससीएसपी व्यय
1	2	3	4	5
1	अम्बेडकर गांवों में लिंक रोड्स/पुल	997.88 (2.91%)	997.88 (2.68%)	918.19 (2.23%)
2	मान्यवर श्री कांशी राम जी शहरी गरीब आवास योजना (शहरी विकास)	393.52 (1.14%)	247.90 (0.67%)	87.89 (0.21%)
3	महामाया आवास (ग्रामीण विकास)	350.00 (1.02%)	350.00 (0.94%)	289.60 (0.70%)
4	सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना (माध्यमिक शिक्षा)	145.60 (0.42%)	145.60 (0.39%)	124.62 (0.30%)
5	अम्बेडकर ग्राम सभा का विद्युतीकरण	120.00 (0.34%)	120.00 (0.32%)	120.00 (0.29%)
6	महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना (महिला एवं बाल कल्याण)	110.00 (0.32%)	110.00 (0.29%)	106.96 (0.25%)
7	अम्बेडकर गांवों में प्राथमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	80.00 (0.23%)	79.99 (0.21%)	78.15 (0.19%)
8	एसजीएसवाई	74.50 (0.21%)	51.19 (0.14%)	37.94 (0.09%)
9	बोरिंग एण्ड पमसैट का निर्माण	29.85 (0.09%)	29.85 (0.08%)	22.67 (0.05%)
10	अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्रों में हैंडपम्प	20.00 (0.05%)	20.00 (0.05%)	20.00 (0.05%)

11		4.00 (0.01%)	4.00 (0.01%)	0.00
12		3.17 (0.01%)	18.88 (0.67%)	8.88 (0.02%)
13		3.17 (0.009%)	3.17 (0.008%)	2.81 (0.006%)
14	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बागवानी योजना	1.50 (0.004%)	1.50 (0.004%)	1.31 (0.003%)
15		0.50 (0.001%)	0.50 (0.001%)	0.50 (0.001%)
16		0.10 (एन)	0.07 (एन)	0.05 (एन)
कुल अनुसूचित जाति उपयोजना		2333.79 (6.80%)	2180.53 (5.85%)	1819.57 (4.42%)
कुल राज्य योजना व्यय		34287.62	37211.51	41148.99

अध्याय – VII
सेवा सुरक्षण

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों के व्यक्ति प्रारंभ से ही अपने अधिकारों अर्थात् सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से वंचित थे इसके फलस्वरूप उन्हें सभी तरह से समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया था ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षण देने और सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं । उनके सामाजिक विकलांगता, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण वे निर्वाचित पदों, सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में तर्कसंगत हिस्सा प्राप्त् करने में पूरी तरह से विकलांग थे । अत: उनके हित में आरक्षण नीति को लागू करवाने पर विचार करना आवश्यक हो गया था ताकि उनको शासन में न्यायसंगत भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके ।

इन समुदायों के व्यक्तियों को केवल रोज़गार ही न देना है बल्कि मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भी उपलब्ध कराना है । इसका मूल उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और देश में उनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नवीनतम अनुदेश

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-8-2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/45/2005-स्थापना (आरक्षण) पदोन्नति में आरक्षण अपनी मेरिट पर पदोन्नत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ बर्ताव (**अनुबंध–I**) यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट और वरीयता और देय आरक्षण अथवा योग्यता में छूट के बिना चाहे पदोन्नति चयन पद्धति अथवा अचयन पद्धति द्वारा की गई हो, इस तथ्य का ध्यान किए बिना उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर समायोजन किया जाएगा ।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26-7-2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36038/1/2008-स्थापना (आरक्षण) - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान का पुन: प्रारंभ करना । (**अनुबंध–II**) सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शेष बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को 31 मार्च, 2012 तक संयुक्त प्रयास से भरना सुनिश्चित किया जाए । अभियान की उपलब्धियों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जानी है ।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-11-2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36011/1/2011-स्थापना (आरक्षण) – सेवा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पर ब्रोशर (अनुबंध-III) भारत सरकार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़ा वर्गों के लिए सेवा में आरक्षण पर अद्यतन ब्रोशर वेबसाईट www.persmin.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है ।

एकल संवर्ग पद में आरक्षण

आयोग में एकल संवर्ग पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण उपलब्ध न कराने तथा लघु संवर्ग पदों के लिए एल आकार के 13 बिन्दुओं के आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के विषय में याचिकादाताओं से अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । आयोग ने मामले पर विचार किया और यह भी पाया कि रिक्ति आधार रोस्टर के दौरान एकल संवर्ग पद में आरक्षण विद्यमान था तथा पद आधारित आरक्षण रोस्टर के लागू होने पर एकल संवर्ग पद में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है । यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों के विरुद्ध है ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आयोग रिक्ति आधारित रोस्टर के अनुसार एकल संवर्ग पद में आरक्षण को बहाल करने की सिफारिश करता है और लघु संवर्ग पदों में एल आकार रोस्टर में भी संशोधन करना चाहिए ताकि संवैधानिक एवं संसदीय मंजूरियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लाभ प्राप्त कर पाएं ।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में संशोधित अनुदेश ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 05-12-2007 के पत्र सं. 36012/38/200/-स्थापना (आरक्षण) के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में मसौदा अनुदेश भेजे हैं । यह मुख्य रूप में संशोधित रोस्टरों के रखरखाव से संबंधित है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उनके दिनांक 22-11-2010 के पत्र संख्या 2/2/2008-एसएसडब्ल्यू-।।। द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की शर्तों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के सेवा में आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में संशोधित अनुदेशों पर टिप्पणी भेज दी है । **(अनुबंध-IV)** लेकिन इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

आरक्षण रोस्टर का कार्यान्वयन

अनुसूचित जातियों के अपेक्षित प्रतिनिधित्व को सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति को विनियमित करने के लिए रोस्टर एक पूर्णत: प्रामाणिक यंत्र है । लेकिन अधिकांश राज्य समीक्षा बैठकों तथा आयोग स्तर पर विशिष्ट मामलों की सुनवाई के दौरान यह देखा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मार्ग-दर्शन में निर्धारित प्रपत्र के अनुदेशों/नियमों के अनुसार अधिकांश विभाग आरक्षण रोस्टर का रखरखाव नहीं कर रहे हैं ।

सम्पर्क अधिकारी

- प्रत्येक राज्य सरकार/विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल स्थापित करे और अनुसूचित जातियों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार में उप सचिव रैंक के अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करें लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार कुछ विभागों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं और उप सचिव के नीचे के रैंक के अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन है ।
- सम्पर्क अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण नहीं किया जाता है और न ही सम्पर्क अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाती है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दे

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी समूह के पदों को बैकलॉग रिक्त पदों से भरने के बारे में

भारत सरकार ने विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए अनेक बार अनुदेश जारी किए हैं लेकिन आज तक विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के 15% का आरक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से निम्नलिखित सूचना मांगी है । इस संबंध में 30-12-2010 के अर्द्धशासकीय पत्र माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी जारी किया गया है (**अनुबंध-V**) ।

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में पिछले 5 वर्षों में समूह क, ख, ग और घ के सभी पदों में रिक्तियों की स्थिति ।

2. इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियानों का विवरण ।

3. शेष बैकलॉग रिक्तियों को भरने की समय-सीमा ।

4. मंत्रालयों/विभागों द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में उठाए गए कदम ।

5. अवधि जिसमें सभी समूहों के पदों में आरक्षण पूरा कर दिया जाएगा ।

6. 1997 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से अनारक्षित किए गए पदों की संख्या ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उत्तर भेजा है और यह स्पष्ट किया है कि विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं

रखता है ।

विशेष भर्ती अभियान 2008

यद्यपि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर रोक थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग के लिए अलग समूह की तरह कार्रवाई करने का प्रावधन नहीं था, उनमें वर्ष में 50% आरक्षण की सीमा नहीं लागू होगी। दिनांक 15-7-2008 को उपरोक्त कथनानुसार इस तरह की बैकलॉग रिक्तियों के लिए एक अलग समूह के रूप में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । इससे सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष भर्ती अभियान आयोजन का अधिकार प्राप्त होगा । इसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 2008 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था ।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार सीधी भर्ती कोटा में 01-11-2008 तक कुल 11,615 अनुसूचित जातियों, 11465 अनुसूचित जनजातियों तथा 23066 अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग रिक्तियां थी । उनमें से 3492 अनुसूचित जातियों की रिक्तियां, 2429 अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियां तथा 5529 अन्य पिछड़ा वर्गों की रिक्तियों को अब तक भरा गया है । पदोन्नति कोटा में 13572 अनुसूचित जातियों तथा 16996 अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियां हैं । विस्तारित विचारण क्षेत्र के बावजूद 4471 अनुसूचित जातियों तथा 6315 अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं है । अत: इन रिक्तियों को भरा जाना संभव नहीं है । उनमें से शेष रिक्तियों को 3054 अनुसूचित जातियों तथा 2098 अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को भर दिया गया है । कुल 65,928 की रिक्तियों (सीधी भर्ती कोटा और पदोन्नति कोटा) को भरा जा सकेगा । उनमें से 16602 को अब तक भर दिया गया ।

माननीय राज्य मंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने विशेष भर्ती अभियान की प्रगति से असंतोष व्यक्त किया । उनके निदेश पर आयोग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया गया कि 30-6-2011 तक सभी शेष बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए । बैकलॉग रिक्तियों को 31-3-2012 तक भरे जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान को 20-7-2011 से पुन: आरंभ किया गया ।

2. अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जातियों को पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एक अध्ययन आयोजित किया और निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया:

1. संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 15-11-1992 तक स्वीकार्य किया गया था ।

2. आमतौर पर मंडल निर्णय के रूप में जाना जाने वाले इंदरा साहनी मामले में दिनांक 16-11-1992 को माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं दिया गया है, परन्तु आदेश दिया कि चूंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण, वर्ष 1954 से विभिन्न कार्यालय आदेशों के माध्यम से स्वीकार्य किया गया था, अत: इसे अगले 5 वर्षों के लिए ही जारी रखा जाए । इस बफर अवधि का प्रावधान इंदरा साहनी आदेश को कार्यान्वित करने की दृष्टि से उपयुक्त उपाय के लिए किया गया था । इस विसंगति को हटाने के क्रम में संसद ने संविधान के 77वें संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान करते हुए दिनांक 17-6-1995 से अनुच्छेद 16 में एक नया खंड अर्थात 16 (4क) जोड़ा गया ।

3. वीरपाल सिंह चौहान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10-10-1995 को 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ, दिनांक 01-03-1996 को 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ और दिनांक 16-09-1999 को 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के माध्यम से "कैच अप रूल" का प्रवर्तन कर दिया गया ताकि सामान्य उम्मीदवार अपनी पदोन्नति होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों से सीधे ऊपर रहते हुए वरिष्ठता का लाभ पा सके जो आरक्षण द्वारा सामान्य उम्मीदवारों से पहले पदोन्नत हो गए थे और जिन्होंने सामान्य उम्मीदवारों से वरिष्ठ होने का लाभ मिल गया था । एक और विसंगति को हटाने की दृष्टि से दिनांक 17-6-1995 से पदोन्नति में आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान में 85वां संशोधन किया गया ।

4. संविधान में 77वें और 85वें संशोधन को सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी । न्यायालय ने इन संशोधनों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सम्मिलित कर दिया और एम. नागराज के मामले में निर्णय दिया कि ये संशोधन कतिपय शर्तों के साथ संवैधानिक रूप से वैध है, जैसा कि एम. नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट है ।

5. यद्यपि, नियुक्ति में आरक्षण तथा पदोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है परन्तु उसी समय शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं । यह निदेश दिया गया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संवैधानिक प्रावधानों का लाभ देने से पहले निम्नलिखित के संबंध में आंकड़े प्राप्त कर लेने चाहिए:-

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक पिछड़ापन ।

(ख) सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता ।

(ग) प्रशासनिक कार्य-क्षमता पर आरक्षण का प्रभाव ।

6. इन शर्तों के कारण, अनुच्छेद 16(4क) में सुस्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी वर्ष 1995 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है ।

7. दिनांक 5-2-2010 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्री बजरंग लाल शर्मा के मामले में खंडपीठ के माध्यम से राजस्थान सरकार को निदेश दिया कि पहले एम. नागराज निर्णय द्वारा यथा अपेक्षित डेटा प्राप्त करें

। राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया । इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने भी इसी अनुरूप आदेश पारित कर दिए जबकि वास्तविकता यह है कि संसद ने 77वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का पहले ही मूल्यांकन कर लिया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि (i) सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है । (ii) इंदरा साहनी मामले में भी, उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं । वास्तविकता यह है कि पिछले 19 वर्षों में पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का उनके लिए सुरक्षणों से 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ (वीएस) कतिपय न्यायालयों के आदेशों द्वारा वंचन कर दिया गया है और यह पूरा मामला अब लम्बे समय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मन में उद्वेग पैदा कर रहा है । न्यायालय द्वारा उठाए गए सभी तीन मुद्दों अर्थात् सामाजिक पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और अभिशासन में कार्य क्षमता जिसे पदोन्नतियों में आरक्षण के लिए पूर्वापेक्षा बनाया गया है, पर एक निर्णायक अध्ययन की आवश्यकता है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस अध्ययन से निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्यायालयों द्वारा उठाए गए सभी तीन मुद्दों के उत्तर देने का प्रयास किया है :

क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक पिछड़ापन ।

ख) सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता ।

ग) प्रशासनिक कार्य-क्षमता पर आरक्षण का प्रभाव ।

आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे ।

(माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, विधि मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को अनुसूचित जाति के सदस्यों को आरक्षण में पदोन्नति एक अध्ययन पर रिपोर्ट को संलग्न करते हुए दिनांक 27-06-2011 को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया । **अनुबंध-**VI, VII, VIII)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व

विभिन्न राज्य सरकारों को अधिदेश है कि संबंधित राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान रखें ।

बैकलॉग रिक्तियां

- राज्यों द्वारा उपलब्ध सूचना से यह ज्ञात होता है कि गोवा के अलावा किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी समूह क, ख, ग, तथा घ पदों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है । इसके अतिरिक्त पूर्व उल्लिखित अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें नियुक्त किया गया, उनमें सफाई कर्मचारियों के वर्ग को भी सम्मिलित किया गया । इससे इन आंकड़ों में भ्रम पैदा होता है । इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणियों के पदों में बहुत बैकलॉग है । विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी सेवाओ में

अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकलित सूचना से प्रामाणित होता है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है ।

- इस बैकलॉग पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरा जाना चाहिए । इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के समूह क, ख, ग और घ पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त नहीं है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से प्रमाणित होता है ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 2009–2010 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 01–01–2008 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियो की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जातियों का %
क	91881	11446	12.5
ख	137272	20481	14.9
ग	1810141	284925	15.7
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	696891	134907	19.4

माननीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री, माननीय विधि मंत्री और माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ दिनांक 16-11-2011 को मंत्री के साथ बैठक हुई और कैबिनेट ने भारत सरकार की बैकलॉग रिक्तियों की निकासी को अनुमोदित कर दिया है ।

माननीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन का उत्तर

माननीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन से उत्तर प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एम.नागराज वाद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा आया । माननीय उच्चतम न्यायालय 77वें एवं 85वें संशोधनों को बनाए रखते हुए अभिनियमित करता है कि अनुच्छेद 16(4क) का संवैधानिक प्रावधान राज्य की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण प्रदान करता है । राज्य को अनुच्छेद 335 के अनुपालन के अतिरिक्त पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराते हुए सरकारी रोज़गार में वर्ग के पिछड़ेपन एवं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने के मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करना ।

कुछ उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण (लाभों को वापस लेना) को (उत्तर प्रदेश और राजस्थान) जैसे कुछ राज्यों की तरह योजनाओं को समाप्त कर दिया है चूंकि उन्होंने एम. नागराज वाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है । इसमें निहित कानूनी और संवैधानिक मुद्दे पर राय प्राप्त करने के लिए इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया था । विधि और न्याय मंत्रालय के विचार से किसी भी वाद ने भारत के संविधान में और कोई संशोधन के लिए अभिनिर्णित किया है । संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज मामले में 77वें और 85वें संशोधनों की वैधता को पहले बनाए रखा है और उनमें संशोधन के अनुसार ही पूरी तरह से प्रावधान का निर्धारण किया है । न्यायालय

ने किसी भी ऐसी शर्तों को निर्धारित नहीं किया है जो संवैधानिक प्रावधानों और उपर्युक्त संशोधनों के कार्यक्षेत्र के बाहर जाते हों । इस संबंध में वर्तमान में संवैधानिक संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

3. अनुसूचित जातियों को सरकारी शीर्षस्थ पदों से वंचित रखना

निर्णय लेने के स्तर पर शीर्षस्थ पदों पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य होने पर माननीय प्रधानमंत्री को एक नोट लिखा गया है ।

हिन्दुस्तान टाईम्स दिनांक 21-12-2009 में एक खबर छपी जिसका शीर्षक था कि "सरकारी आंकड़े" शीर्षस्थ पदों पर दलितों को (ईलूड) वंचित रखना ।

अर्ध शताब्दी से अधिक हो जाने के बाद अनुसूचित जातियों को सरकारी सेवाओं में संवैधानिक तौर पर आरक्षण की गारन्टी प्रदान की गई, उन्हें केन्द्रीय नौकरशाहों के शीर्षस्थ पदों पर लगातार वंचित (ईलूड) रखा गया । कुल 88 की संख्या में से एक भी सचिव अनुसूचित जाति का नहीं है । (कुल 66 की संख्या में) से केवल एक अपर सचिव है जिसका प्रतिशत केवल 1.52 है । (कुल 249 की संख्या में से केवल 13) संयुक्त सचिव ही हैं जो अनुसूचित जाति के हैं जिसका प्रतिशत केवल 5.04 है । निदेशक स्तर के 471 पद हैं और उनमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व केवल 31 है जिसका प्रतिशत केवल 6.20 है । आज भी वही स्थिति है कि अनुसूचित जाति समुदाय की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के हितों को प्रभावित करने वाले वर्ग से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भारत सरकार में अनुसूचित जाति के एक भी सचिव और अपर सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया ।

इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 12-8-2010 के अर्द्धशासकीय पत्र सं. 1-8/2010-सीएस(ए) जिसमें भारत सरकार के सचिव/समकक्ष तथा अपर सचिव/समकक्ष के पदों पर रिक्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवा, आई.ए.एस. को छोड़कर समूह "क" के अधिकारियों के पैनल के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया है ।(प्रति संलग्न) भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में अपर सचिव/सचिव बनने के लिए शर्ते निर्धारित की गई हैं । वे अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के लिए स्पष्ट अहितकारी ढंग से सख्त विचार करके रखी गई है क्योंकि उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण कई प्रयासों के करने अथवा लगभग 26 वर्षों की आयु तक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा का कार्यभार ग्रहण करते हैं । इस तरह की कमी से उच्च शीर्षस्थ नौकरशाहों के स्तर पर अनुसूचित जाति को अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी रहती है और इसे अनुसूचित जातियों के हितों के साथ अलग-अलग समझौता है । शीर्षस्थ सोपानक पर अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व न होने से कुछ नकारात्मक प्रभाव है जिसकी निम्न प्रकार से गणना की जा सकती है :

- पिछले कई वर्षों से निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी अनुसूचित जाति के सचिव और अपर सचिव के रूप में भाग नहीं लिया ।

- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और आपके द्वारा विशेष घटक योजना का प्रतिपादन किया गया ।

- 1979 में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास को अपेक्षित परिणाम प्राप्त न करने पर पिछले 32 वर्षों से केन्द्रीय मंत्रालयों में सचिव और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में प्रमुख सचिवों के रूप में समर्पित अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की कमी के कारण विफल होना पड़ा ।

- कैबिनेट सचिव के दिनांक 12-8-2010 के अर्द्धशासकीय पत्र की कमी स्पष्ट दर्शाती है कि सामान्य तौर पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अपर सचिव अथवा समकक्ष पद के धारण के लिए सिविल सर्विस अधिकारियों के पैनल को सूचीबद्ध करने में 2 से 3 वर्षों का विलम्ब है । सीसीएस अधिकारियों के मामले में उन्हें मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से पहले ही पदोन्नति दे दी जाती, राईडर द्वारा सृजित उधार पर लेने की सीसीएस की अतिरिक्त शर्तें केवल विलम्ब का कारण है जो अनुसूचित जातियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है ।

- आधारभूत वास्तविकता यह है कि अधिकांश अनुसूचित जाति समुदाय के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (समूह "क") सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण 26 वर्षों और अधिक की आयु अथवा कई बार प्रयास करने पर सेवा का कार्यभार ग्रहण करते हैं । अत: दिनांक 12-8-2010 के अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लिखित शर्तें अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के हितों के लिए स्पष्ट तौर पर नुकसानदायक और गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती हैं जो शीर्षस्थ नौकरशाहों तक पहुंच सकते हैं । पदोन्नति के मामले में रक्षा अधिकारियों की तरह दिए जा रहे 4/5 वर्षों के वेटऐज़ को अनुसूचित जाति अधिकारियों को देने से अनुसूचित जातियों के अधिकारी अपर सचिव/सचिव पदों के लिए अधिक योग्य होंगे अथवा इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र 2010 में दिए गए राईडर को वापस लिया जाना चाहिए और बैच एवं परीक्षा वर्षों के प्रतिबंध बिना सीसीएस मानकों के अनुसार अनुसूचित जातियों के अपर सचिव/सचिव का पैनल बनाना चाहिए । अनुसूचित जातियों के अधिकारियों के विरुद्ध सीसीएस संवर्ग को बनाया गया है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए बाध्य किया गया है ।

- यदि यह चयन प्रक्रिया विभिन्न वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/महिलाओं तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के व्यक्तियों एवं दफ्तरशाही के उच्चतर स्तर मे अन्य पिछड़े राज्यों को राष्ट्र पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-I एव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-II (यूपीए-I एवं यूपीए-II) द्वारा उठाई गई अच्छी पहल को खतरे में न डाल दे ।

प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों पर कोई आरक्षण नहीं है । जबकि इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सूचीबद्ध मानकों में छूट द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग स्वयं इसे लागू नहीं किया जाता है । अत: भारत सरकार में कोई भी एक सचिव नहीं है और केवल एक अपर सचिव है । इसी प्रकार संयुक्त सचिव और निदेशक के पद के बारे में स्थिति है । तथापि निर्णय लेने के स्तर पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है । अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नीतियों को बनाते समय इन समुदायों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो इन-पुटस् उपलब्ध करा सकता हो । कैबिनेट सचिव के दिनांक 12-8-2010 के पत्र संख्या 1-8/2010-सीएस(ए) ने इस स्थिति को उभरने का और मौका दिया है । वास्तव में इसमें तत्काल वैकल्पिक उपाय करने की आवश्यकता है ।

इस संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ वरिष्ठ भा.प्र.से. अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नोटिस में लाया है कि अफवाहें हैं कि कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के अपर सचिव और सचिव के पद की अवधि निश्चित करने के लिए नए मापदण्ड की सिफारिश करने के लिए अभिनिर्धारित किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले दो वर्ष से अधिक सेवा होनी चाहिए । यह सिफारिश गृह, रक्षा अथवा कैबिनेट सचिव आदि में सचिव के पद के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित आईएएस अधिकारियों के अवसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी जिन्होंने देर से आईएएस की नियुक्ति प्राप्त की है ।

(भारत सरकार में निर्णय लेने के स्तर पर शीर्षस्थ पदों पर अनुसूचित जातियों के नगण्य प्रतिनिधित्व के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को दिनांक 7-10-2011 के अर्द्धशासकीय संख्या 3/19/2011-एसएसडब्ल्यू-II जारी किया गया)

निजी क्षेत्रों में आरक्षण

यह देखा गया है कि केन्द्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उदारीकरण तथा निजीकरण के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को अग्रभाग के रूप में उठाया गया । राज्य के अन्तर्गत पदों/नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण होने के बावजूद सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में इन वर्गों का गैर-आनुपातिक प्रतिनिधित्व है । सरकारी क्षेत्रों में पदों का संकुचन हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक समय इन समुदायों को रोज़गार उपलब्ध कराने योग्य थे, जब उनका निजीकरण होगा तो वे रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकेंगी, यदि आरक्षण नीति को निजी क्षेत्र में भी लागू नहीं किया जाएगा ।

पूर्व राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 1999-2000 और 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि भारतीय कम्पनी अधिनियम सोसायटीज़ पंजीयन अधिनियम, कॉपरेटिव सहित किसी भी विधि के अधीन सभी कॉपरेटिव निकायों और इस तरह के अन्य संगठन जो आंशिक अथवा पूर्णतया संस्थात्मक विदेशी सहयोग द्वारा स्थापित सहित वित्तीय लाभ ले रहे हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को देय प्रतिनिधित्व के अनुसार रोज़गार के अवसर देकर अनुगृहीत होना चाहिए । अन्य निजी संगठनों में भी चरणबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति के सदस्य को देय प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को बढ़ाना चाहिए । तथापि निजी क्षेत्र अंतिम रूप से राज्य द्वारा सृजित इनविजीबिल और विजीबिल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है तथा सामाजिक उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए यह एक बहुत अच्छा कारण है जिसे राज्य प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है ।अतः इन सभी संगठनों से जो संस्थागत वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें सामाजिक समानता के राष्ट्रीय उद्देश्य में सक्रिय रूप से भाग लेकर अनुगृहीत करना चाहिए और तदनुसार इस उपलब्धि को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित सहयोग देना चाहिए ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पुनः 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट में अपनी विचारधारा व्यक्त की है और अनुसूचित जातियों को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में आरक्षण प्रदान करने में सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त के साथ संवैधानिक सुरक्षण के अनुरुप विचार व्यक्त किए हैं कि सामाजिक समानता को लाने के लिए संवैधानिक औपचारिकताओं को भी निजी क्षेत्रों द्वारा आरक्षण देकर पूरा करना चाहिए । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्राईवेट मेम्बर बिल पर भारत के महाधिवक्ता से उनकी राय मांगी है, उन्होंने राय दी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) राज्य के अन्तर्गत नियुक्तियों/पदों में नागरिकों के किसी भी पिछड़े

वर्गों के पक्ष में सेवाओं में राज्य को आरक्षण उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करता है और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति नहीं है तथा संविधान में समानता के प्रावधान का उल्लंघन होगा ।

पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की छठी वार्षिक रिपोर्ट (1999-2000 एवं 2000-2001) और सातवीं वार्षिक रिपोर्ट (2001-2002) में निहित सिफारिशों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विचार किया और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के उपयुक्त प्रावधान को दोहराता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने महसूस किया है कि देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे निजी क्षेत्र कहा जा सके है । 10-15 प्रतिशत वित्त पोषण के अतिरिक्त सभी निजी उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थओं से ऋण लेते हैं जो उनकी इक्विटी को सहयोग देते हैं और पाया कि "निजी क्षेत्रों को अलाभकारी क्षेत्रों के लिए कुछ करना चाहिए ।" निजी क्षेत्र को अनुसूचित जाति का 15 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सहमत होना होगा अथवा इसके कार्यान्वयन के लिए विधान लाना होगा ।

अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निजी क्षेत्र में आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अपने समर्थन को एक बार फिर दोहराता है ।

न्यायिक सेवाओं में आरक्षण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण की सिफारिश करता है । राष्ट्रीय सम्मेलन में सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया तथा उन्होंने सिफारिश की है कि न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए ।

1. न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन अति महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है । न्यायपालिका एक अहम भूमिका अदा करती है । यह कार्यपालिका और विधानपालिका की मनमानी पर अंकुश लगाती है । यह संवैधानिक सुरक्षणों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और सम्पत्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है । यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान और कानून की व्याख्या देश का अन्तिम कानून होता है । न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 233, 234 और 235 के अन्तर्गत विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान किए गए हैं । तथापि, न्यायपालिका का वर्तमान ढांचा सामाजिक समानता और न्याय के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा नहीं करता है ।

2. जब कार्यपालिका और विधानपालिका को संवैधानिक आरक्षण के दायरे में लाया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि न्यायपालिका, संविधान के सुरक्षण के लिए अधिदेशाधीन लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को भी आरक्षण के सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए अन्यथा इससे लोकतंत्र के तीन स्तंभों में संदिग्ध प्रथक्करण का सृजन होगा । न्यायपालिका को एक अपवाद के रूप में श्रेष्ठ होने की अनुमति नहीं दी जा सकती । न्यायपालिका में आरक्षण से विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन आएगा तथा सामाजिक न्याय और समानता का उद्देश्य ठीक प्रकार से पूरा होगा ।

3.	इसके परिणामस्वरूप, आरक्षण नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4क) तथा अनुच्छेद 335 में यथा विचारित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों पर लागू होती है। अनुच्छेद 229 और 146 में, यदि आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है । चूंकि जजों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया विधानपालिका और कार्यपालिका के विपरीत स्पष्ट नहीं है । अत: अनुच्छेद 14 और 15(4) के अनुप्रयोग का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं हो सका । इस तथ्य से अन्तर्निहित प्रक्रिया से इन वर्गों का "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" नहीं लाया जा सका जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वर्तमान अन्तर्निहित प्रक्रिया असफल रही है। यह किसी की सामान्य बौध का अतिवर्तन करता है कि संविधान के संरक्षक और कानून के व्याख्याकर्ता संवैधानिक निकाय में आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए जबकि ऐसा आरक्षण विधि निर्माताओं हेतु उपलब्ध है ।

4.	न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त आरक्षण उसी रूप में कायम रखने के लिए एडवोकेट कोटा से जजों की नई नियुक्तियां और सभी रिक्तियों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरना होगा और यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक 22.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से हासिल न हो जाए ।

5.	उच्च न्यायालयों में नियुक्ति करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक श्रेणी का एक-एक सदस्य हो । इसके अलावा विधि मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और विधिक पृष्ठभूमि का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं – संसद के दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेताओं के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित हो, को उपर्युक्त आयोग में शामिल किया जाए । उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए । कालिजियम के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके दो सहयोगियों को प्रदान की गई प्रमुखता को एक प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित किया जाए कि जहां भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने सहयोगियों से परामर्श कर सकता है, वे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सदस्य नहीं होंगे । अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, उपर्युक्त **कालिजियम** को एक उपयुक्त विधान लाकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय को कानून को गिराने का अवसर नहीं दिया जाना । उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा में भारत के संविधान में IXवीं अनुसूची को इससे अलग रखते हुए विधान में शामिल किया जाए ।

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत संख्या	विद्यमान	अनुसूचित जाति से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या	टिप्पणी
1.	हिमाचल प्रदेश	-	11	शून्य	30.11.2011 तक
2.	पंजाब एवं हरियाणा				सूचना नहीं रखी गई
3.	झारखण्ड	20	12	शून्य	19.11.2011 तक
4.	केरल				सूचना नहीं रखी गई
5.	लक्षद्वीप				सूचना नहीं रखी गई
6.	लखनऊ	76+84 (अतिरिक्त)	60+9 (अतिरिक्त)	सूचना नहीं रखी गई	23.11.2011 तक
7.	मध्य प्रदेश		37	शून्य	11.11.2011 तक
8.	छत्तीसगढ़	18	12	शून्य	11.11.2011 तक
9.	आन्ध्र प्रदेश	49	32	सूचना नहीं रखी गई	11.11.2011 तक
10.	महाराष्ट्र एवं गोवा (मुम्बई)	75	60	2	22.112011 तक
11.	उत्तराखण्ड	9	8	शून्य	5.11.2011 तक
12.	बिहार	43	38	शून्य	09.11.2011 तक

स्त्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय द्वारा उच्च न्यायालय के माध्यम से

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह पाया गया है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है क्योंकि न्यायिक सेवाओं में आरक्षण नहीं है और भारत में 12 उच्च न्यायालयों में केवल मुम्बई उच्च न्यायालय में केवल दो अनुसूचित जातियों के न्यायाधीश हैं जो कि वैश्वीकरण के युग में विकासशील भारत के लिए गंभीर विषय है ।

आयोग द्वारा पूर्व में दी गई रिपोर्टों में अपनी सिफारिशों को दोहराया गया है कि उच्च न्यायालयों से नीचे की अदालतों में निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण के कार्यान्वयन को पूरा करने की आवश्यकता है । आयोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान पर विचार करने की सिफारिश को भी दोहराता है ।

केन्द्रीय लोक उद्यमों में दिनांक 01-01-2012 तक अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व (206 उद्यमों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित)

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व	
		अनुसूचित जाति	%
1	2	3	4
समूह क	261072	40389	15.47
समूह ख	208501	30560	14.65
समूह ग	742516	145619	19.61
समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	221159	42733	19.32
जोड़	**1433248**	**259301**	**18.09**
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	34162	11517	33.71
कुल जोड़	**1467410**	**270818**	**18.45**

स्त्रोत: *लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय*

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि समूह "ख" में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व आज तक भी निर्धारित प्रतिशत से कम है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार एसोसिएशन जिसकी सदस्यता विशिष्ट जाति, जनजाति, धर्मों के नामकरण के रूप में दी जाती है उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती है । यह विश्लेषण है कि सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की आवाज पर प्रतिबंध लगाना है ।

इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पहले ही चर्चा की जा चुकी है और यह पाया गया कि सरकारी सेवा में आरक्षण आदेशों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का लगभग 23% है । जबकि यह कार्य समूह का 1/3 सरकारी तौर पर बनता है तब भी यह उनकी आवाज को मान्यता न देने का स्पष्ट तौर पर सकारात्मक भेदभाव है ।

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है, अत: उन्हें सामान्य सेवा हितों का प्रतिनिधित्व कानूनी मंच के माध्यम से करने का अधिकार है और किसी भी भेदभाव से बचने के लिए जिसके लिए वे अनेक वर्षों से उपेक्षित रहे हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन की मान्यता के बारे में यह निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन को जाति आधार पर नहीं तो समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व पर मान्यता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए । जहां तक सुविधाओं के अनुदान का संबंध है उन्हें रेल मंत्रालय की यूनियनों की तर्ज पर दिया जाना चाहिए ।

"अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (पद तथा सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008"

"अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (पद तथा सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004" । यह विधेयक राज्य सभा में 2004 में प्रस्तुत हुआ था लेकिन पारित नहीं हो सका । उसके उपरान्त एक नया विधेयक अर्थात् "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (पद तथा सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008" राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया तथा तदोपरान्त 2008 में पारित हुआ लेकिन इसे लोक सभा में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मुद्दे पर कारण बताते हुए आपत्तियां उठाई थी कि विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (9) के अन्तर्गत इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करना चाहिए था । इस प्रसंग पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहले ही भारत के महामहिम राष्ट्रपति को दिनांक 13-2-2009 के सं. 17/4/एनसीएससी/2009 के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर चुका है ।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस संबंध में दिनांक 18-5-2011 द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से इस मुद्दे को भी उठाया है ।

पिछले सात वर्षों से विधेयक लम्बित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लगता है कि आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विधेयक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को न्याय देगा ।

अत: आयोग दोहराता है कि अधिनियम को आरक्षण के लिए अधिनियमित किया जाना चाहिए । उपर्युक्त विषय पर मसौदा विधेयक पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को आयोग ने अपनी टिप्पणियां पहले ही भेज दी हैं ।

("अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (पद और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004" को लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने के बारे में माननीय राज्य मंत्री कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18-01-2012 जारी कर दिया गया है। (**अनुबंध–XI**)

न्यायालय में राज्य का राज्य के विरुद्ध मुकदमा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 5(ख) के अन्तर्गत अधिदेश है कि विशिष्ट शिकायतों के संबंध में अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत जांच करेगा । उन जांच के आधार पर इन मामलों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रिपोर्ट/सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों से कार्यान्वयन के लिए निदेश देता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पाया है कि कुछ मामलों की जांच के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जब कभी विशिष्ट मामलों में कुछ सिफारिशें की हैं तब संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों ने अकसर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालयों में रिट दायर की है । कुछ संगठनों की घटनाएं जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, बी.एस.एन.एल., बैंक तथा अभी हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया है । हमने महसूस किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें केवल अनुशंसित करने योग्य ही हैं । जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से विधि मंत्रालय से सलाह/विचार प्राप्त करने के उपरान्त उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता है । इन सिफारिशों के विरुद्ध मुकदमों में जाना कुल मिलाकर सरकारी राशि के अनावश्यक व्यय की ओर अग्रसर करता है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार विभागों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों पर उचित महत्व तथा विचार करने की अपेक्षा की जाती है ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को न्याय प्रदान किया जा सके । लेकिन माननीय न्यायालयों में रिट याचिकाओं से केवल परिणामी व्यय के साथ पेचीदगी तथा अन्तिम रूप से न्याय प्रदान करने में विलम्ब है । यह राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का प्रत्यक्ष उदाहरण है । यह देखने में हास्यास्पद है कि न्यायालय में एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध मुकदमें दायर कर रहे हैं और न्याय देने की प्रक्रिया में विलम्ब/मना करना है वह भी देश के राजकोष पर अधिक वित्तीय बोझ डालकर ।

उपर्युक्त के आलोक में आयोग प्रभावशाली ढंग से सिफारिश करता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई मैकनिज्म बनाया जाए । (इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को अर्द्धशासकीय पत्र संख्या विविधि/17/2011/एसएसडब्ल्यू-II दिनांक 18-11-2011 जारी किया गया) (**अनुबंध–XII**)

अनुसूचित जातियों का उत्पीड़न

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के अधिक संख्या में सरकारी प्राधिकारियों/एजेंसियों अथवा अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा शोषण किए जाने के बारे में

शिकायतों के निवारण के लिए सम्पर्क करते हैं । आयोग ने यह पाया है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों की जानकारी में यह आता है कि उसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत के निवारण के लिए सम्पर्क किया है तब इन याचिकादाताओं का शोषण और अधिक बढ़ जाता है । कुछ मामलों में उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा कुछ अन्य मामलों में कुछ बहाना या अन्य कारणवश निलम्बित रखा जाता है ।

आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि भारत के संविधान अथवा अधिनियमित अन्य किसी विधि के द्वारा उपलब्ध संरक्षण एवं सुरक्षण के लिए आयोग में सम्पर्क करने पर अनुसूचित जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों का शोषण नहीं किए जाने के संबंध में सख्त अनुदेशों को जारी किया जाना चाहिए ।

(अनुसूचित जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के शोषण के बारे में भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 17/17/एनसीएससी/2010-समन्वय प्रकोष्ठ दिनांक 10-01-2011 जारी किया गया । **(अनुबंध–XIII एवं XIV)**

अपने मूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवासित अनुसूचित जातियों को लाभ

भारत में अधिकांश प्रवास सामाजिक संरचना और विकास के तरीके से प्रभावित होकर हुआ है । आजादी के बाद सभी सरकारों की विकास नीतियों के द्वारा प्रवास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है । प्रवास का मुख्य कारण असमानान्तर विकास है । अन्तर-क्षेत्रीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बीच विषमताओं को भी जोड़ा जा सकता है । अनुसूचित जातियों सहित भूमिहीन गरीब अधिकांश छोटी जातियों से संबंधित हैं वे इन प्रवासियों का अधिकांश हिस्सा है ।

अनुसूचित जातियां अधिकांश कृषि श्रमिक के रूप में एवं परम्परागत व्यवसायों में लगे हैं । उनके पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है । अतः अधिकांश अनुसूचित जाति के परिवारों को अपने जन्म स्थान से जीविकोपार्जन के लिए अन्य स्थान पर प्रवास करना पड़ता है । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 49.06% अनुसूचित जातियों के कृषि मजदूर की तुलना में 19.66% अन्य वर्गों से संबंधित है । उससे अनुसूचित जातियों एवं अन्य समुदायों के बीच आर्थिक स्थिति के बड़े अन्तर को स्थापित करना स्वयं में उपयुक्त है ।

यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों लघु अवधि कृषक अथवा भूमिहीन श्रमिक अपने रोजमर्रा के जीविकोपार्जन के लिए अपने वास्तविक मूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थायी रूप से प्रवास कर गए हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ध्यान में लाया गया है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्ति जो उनके मूल स्थान से अन्य स्थान पर प्रवास कर गए हैं, वे शिक्षा, रोज़गार और अन्य लाभों के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उन्हें गैर निवासी तथा उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित न होने के कारण प्रवासी अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार किया जाता है ।

आयोग ने तीन स्थानों अर्थात् पुदुचेरी (2 और 3 मार्च, 2011), चंडीगढ़(01-06-2011) तथा देहरा दून (22-6-2011) का दौरा किया उन्होंने प्रवासी अनुसूचित जातियों की समस्याओं तथा उनकी दुर्दशा पर एक नज़र में अर्थात् प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त की ।

समस्याओं का सामना कर रहे प्रवासी अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखते हुए आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

प्रवासी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रमाणिक सूची राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1-1-2011 तक उपलब्ध करा देनी चाहिए ताकि उनके उद्गम मूल राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सभी को विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.डी.) दी जा सके ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों को एक स्थान पर एक से अधिक वर्ष तक लगातार निवास करने के बाद प्रवासी होने के लाभ को केवल एक राज्य द्वारा यू.आई.डी., राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान-पत्र तथा पासपोर्ट जारी करने को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ।

प्रवासी व्यक्तियों की पहली पीढ़ी के पास अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र हैं तो दूसरी और परवर्ती पीढ़ी को प्रवासी राज्य का स्थायी निवासी माना जाए ताकि उनके पूर्वजों की जाति या मूल राज्य या प्रवासी राज्य के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए ।

जब एक विशिष्ट व्यक्ति एक राज्य में अनुसूचित जाति का है तो उसे सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जाति का माना जाना चाहिए क्योंकि दमनकारी सामान्य जाति के मस्तिष्क से सामाजिक कलंक की यह अमिट छाप नहीं जाने वाली है ।

अनुसूचित जातियों की राज्यवार सूची नहीं बदलनी चाहिए बल्कि प्रवासी अनुसूचित जातियों को प्रवासी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

उनके राज्य के मूल जिला के संबंधित राजस्व प्राधिकारी से उनकी विशिष्ट जाति से संबंधित होने के बारे में एक बार पुष्टि कर लेने के बाद उन्हें जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए ।

अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रवासी माता-पिता के बच्चों के लिए समस्याएं उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए यदि उनके माता-पिता के प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता साबित हो जाती है ।

सभी अनुसूचित जाति समुदायों की अखिल भारतीय स्तर पर एक सूची तैयार करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए ।

संविधान की तत्संबंधी खण्डों में संशोधन के प्रयास किए जाने चाहिएं तथा उद्गम मूल स्थान से बाहर निवास कर रहे प्रवासी अनुसूचित जातियों को आरक्षण के लाभ को सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उन्हें प्रवासी राज्यों में बंधुआ मजदूर की तरह जीवन-यापन करने के लिए बाध्य किया जाएगा ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की उसी खण्डपीठ के द्वारा 2006 की जनहित याचिका (सिविल) संख्या 507 के पंच निर्णय को सुनाने के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हुई जिसे विधि और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय से एक बार संशोधित करवाने की आवश्यकता है ताकि इस विषय पर निर्णय लिया जा सके तथा समय को और बर्बाद किए बिना संबंधित प्राधिकारियों को भी सूचित किया जा सके । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिये जाने को ध्यान में रखते हुए यहां शिक्षा/रोज़गार की संभावनाएं और अवसर अधिक संख्या में उपलब्ध हैं इसलिए भारत के कोने-कोने से अनुसूचित जातियों के व्यक्ति झुण्ड में आते हैं, सामान्य रूप से देश के और संबंधित समुदाय के विकास की पावन प्रक्रिया की भागा-दौड़ी में उन्हें संवैधानिक सुविधाओं का लाभ उठाने के उनके न्याय संगत दावों से वंचित न रखा जा सके । अत: यह अपेक्षित है कि उन्हें मूल निवासी को ध्यान दिए बिना अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय स्तर या ग्राह्यता आधार पर 15% के आरक्षण को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आरक्षण के लाभ दिए जाएं ।

नवगठित राज्य अपने मूल उद्‌गम राज्य से "अनुसूचित जाति" की सूची को प्राप्त कर उसे पूर्णत: स्वीकार करें और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन कर जाति प्रमाण-पत्र जारी करें ।

भारत के महापंजीयक को नवगठित राज्यों में अधिक संख्या में प्रवास की गई जातियों के पहचान की प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए और यह निर्णय लेने चाहिएं कि क्या संबंधित जाति/जातियों को प्रवासी राज्य की "अनुसूचित जाति" की सूची में सम्मिलित कर सकते हैं । प्रासंगिक मार्गदर्शन/मानकों के अनुसार विधमान पद्धति के आधार पर इस तरह की पहचान/निश्चित करने का तौरतरीका भारत के महापंजीयक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 2011-12 में निम्नलिखित संगठनों की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए समीक्षा की गई:-

(i) केनरा बैंक
(ii) सिंडीकेट बैंक
(iii) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
(iv) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड
(v) पंजाब नेशनल बैंक
(vi) ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स
(vii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(viii) भारतीय खाद्य निगम
(ix) टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंसी इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
(x) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(xi) उत्तर रेलवे
(xii) नेशनल हाईड्रो पावर कॉरपोरेशन
(xiii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
(xiv) सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एण्ड रूरल टेक्नॉलोजी (सीएपीएआरटी)

शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रतिवेदन अवधि जुलाई, 2010 से दिसम्बर, 2011 के दौरान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/कर्मचारियों से बहुत अधिक संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए । इनमें सेवा सुरक्षण, नियमों और अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में आरोपित शिकायतें जिनमें विभिन्न प्रकार से किए गए शोषण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति देने पर ध्यान न देना अथवा उनके जूनियरों द्वारा अधिक्रमण, झूठे अनुशासनात्मक मामले में फंसाना, जांच कार्यवाही में विलम्ब करना ताकि पदोन्नति अवसरों से वंचित रखा जाए । विदेशी प्रशिक्षण, तुच्छ आधार पर सेवा समाप्त करना, अनारक्षण अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति उपलब्ध कराने, झूठे अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों से नौकरी सुरक्षित करवाने से संबंधित जैसे मामलों पर कार्रवाई कर निपटान किया जाता है ।

आयोग मुख्यालय में याचिकाओं पर की गई कार्रवाई, सफल तथा बंद मामलों को निम्न सारणी में माहवार दर्शाया गया है:-

माह	आयोग द्वारा मामलो की संख्या जिन पर विचार किया गया	सफल मामलों की संख्या	बन्द मामलों की संख्या
लम्बित फाइलों का ओपनिंग शेष	5972	....	....
जुलाई 2010	29	1	....
अगस्त 2010	35	2	10
सितम्बर 2010	53	1	3
अक्तूबर 2010	62	....	.....
नवम्बर 2010	66	....	1
दिसम्बर 2010	76	.....	.....
जनवरी 2011	69	...	...
फरवरी 2011	100	1	......
मार्च 2011	135	5	6
अप्रैल 2011	84	2	1
मई 2011	106	5	5
जून 2011	95	1	......
जुलाई 2011	103	4	3
अगस्त 2011	113	2	7

सितम्बर 2011	157	6	5
अक्तूबर 2011	88	5	13
नवम्बर 2011	104	2	8
दिसम्बर 2011	113	4	8
जनवरी 2012	53	3	1
फरवरी 2012	55	0	5
मार्च 2012	81	3	2
जोड़	7749	47	78

अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति	अजा का जनसंख्या %	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	टिप्पणी
	भारत	1663.76	16.20					
				नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	
1	पंजाब	70.28	28.90	16	18.44	18.4	31.55	
2	हिमाचल प्रदेश	15.02	24.70	10.83	18.91	18.14	26.89	
3	पश्चिम बंगाल	184.52	23.00	10.28	17.15	17.15	21.26	
4	उत्तर प्रदेश	351.48	21.2	12.47	15.03	17.77	37.95	वर्ष 2004 की स्थिति के अनुसार (अजा एवं अजजा संयुक्त)
5	हरियाणा	40.91	19.40	3.77	10.93	17.19	3.75	
6	तमिलनाडु	118.57	19.00	10	12	15	24	1-1-2004 तक
7	उत्तराखण्ड	15.17	17.90	23	16	14	15	1-1-2009 तक
8	चंडीगढ़	1.57	17.50	9.06	7.29	12.97	14.18	
9	त्रिपुरा	5.55	17.40	9.98	11.94	13.18	13.23	
10	राजस्थान	96.94	17.20	12.53 (राजपत्रित)	-	16.40 (गैर-राजपत्रित)	-	31-3-2009 तक
11	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23.43	16.90		22.99	16.88		
12	उड़ीसा	60.82	16.50	9.85	12.74	14.60	24.55	
13	आन्ध्र प्रदेश	123.39	16.20	14.83	-	15.87	32.77	1-1-2007 की स्थिति के अनुसार केवल राजपत्रित एवं अराजपत्रित और

								समूह "घ" पद
14	कर्नाटक	85.63	16.20	18.63	15.97	15.94	24.56	
15	पुदुचेरी	1.57	16.20	11.54	14.03	12.45	12.89	
16	बिहार	130.48	15.70	14.58	14.15	8.86	11.51	
17	मध्य प्रदेश	91.55	15.20	12.31	16.19	15.91	24.03	
18	झारखंड	31.89	11.80	9.36	10.13	9.38	9.97	
19	छत्तीसगढ़	24.18	11.60	11.02	12.58	13.19	22.11	
20	महाराष्ट्र	98.82	10.20	9.88	11.55	11.98	16.85	
21	केरल	31.23	9.80	11.43	-	9.42	10.47	1-1-2008 को कोई समूह "ख" पद नहीं
22	जम्मू एवं कश्मीर	7.70	7.60					
23	गुजरात	35.93	7.10	7.79	3.50	9.99	8.88	
24	असम	18.25	6.90	5.56	5.83	11.40	—	
25	सिक्किम	0.27	5.00					1-1-2010 को अनु.जाति के कर्मचारियों की स्थिति (6 विभागों को छोड़कर) अर्थात् समूह क-15, समूह ख-42, समूह ग-200 और समूह घ-134
26	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0.05	3.10					अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व समूह ख में 04 और समूह ग में 25 है। कुल कर्मचारियों की संख्या नहीं दी गई है।
27	मणिपुर	0.37	2.6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
28	दादर एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0.04	1.90	1.73	3.46	64.16	30.63	

29	गोवा	0.23	1.80	2.1	2.0	2.0	2.0	
30	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
31	मेघालय	0.11	0.50	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
33	लक्षद्वीप	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
34	मिज़ोरम	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
35	नागालैण्ड	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

स्रोतः सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

अनुबंध-I

सं. 36012/45/2005-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 10 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पदोन्नति में आरक्षण – अपनी मेरिट पर पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का समायोजन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 2002 के का.ज्ञा. सं. 36028/17/2001-स्था.(आ.) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अपनी मेरिट पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त और आरक्षण अथवा योग्यता में छूट न लेने वाले अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किया जाएगा न कि आरक्षित बिंदुओं पर। तदनन्तर इस विभाग के 31-1-2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उपर्युक्त संदर्भित का.ज्ञा. 11-7-2002 से प्रभावी होगा और यह अपनी मेरिट की अवधारणा गैर चयन पद्धति द्वारा पदोन्नतियों पर लागू नहीं होगी।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास खण्डपीठ ने ओ.ए. सं. 900/2005{एस. कालूगासलमूर्ति बनाम भारत संघ एवं अन्य}में दिनांक 31-1-2005 के का.ज्ञा. सं. 36028/17/2001-स्था.(.) पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी वरिष्ठता के आधार पर चयनित होता है तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में उस पर विचार करने और उसकी गणना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम एस. कालूगासवमूर्ति {रिट याचिका सं. 15926/2007}के मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय पर रोक लगा दी।

3. उपर्युक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में इस मामले की जांच की गई और ऊपर संदर्भित दिनांक 31-1-2005 के का.ज्ञा. सं. 36028/17/2001-स्थापना(आ.) को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी मेरिट और वरिष्ठता पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त और आरक्षण अथवा योग्यता में छूट का लाभ न उठाने वाले अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किया जाएगा। इसमें इस तथ्य से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि पदोन्नति चयन पद्धति द्वारा की गई थी अथवा गैर चयन पद्धति द्वारा। ये आदेश 2-7-97 अर्थात् पद आधारित आरक्षण प्रारम्भ होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए।

ह0/-
(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), रेल भवन, नई दिल्ली ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा पैलेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
13. सी.बी.आई./एलबीएसएनएए/आईएसटीएम/पीईएसबी/केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
14. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
15. एन.आई.सी.(कम्प्यूटर कक्ष) को विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु अनुरोध के साथ ।

अनुबंध- II

सं. 36038/1/2005-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान पुन: चलाना ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के 1-1-2008 को विद्यमान बैकलॉग को भरने के लिए नवम्बर, 2008 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया थ । अभियान चलाते समय यह सोचा गया थ कि सभी बैकलॉग रिक्तियां 30-6-2009 तक भर ली जाएंगी । तथापि, यह नोट किया गया है कि उस तिथि तक भर्ती अभियान की प्रगति संतोषजनक नहीं थी । इसलिए इस अभियान की अवधि 30 जून, 2011 तक बढ़ा दी गई थी ।

2. दिनांक 30-6-2011 की समाप्ति के उपरान्त कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जी ने पुन: अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा की और यह पाया कि अभी भी बड़ी संख्या में बैकलॉग रिक्तियां भरी जानी हैं । उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि शेष बैकलॉग को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक भरे जाने के लिए भर्ती अभियान पुन: चलाया जाना चाहिए । इसलिए अभी तक न भरी जा सकी बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए भर्ती अभियान पुन: चलाए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. सभी मंत्रालय/विभागों से यह सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रयास किए जाने हेतु अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को 31 मार्च, 2012 तक भर लिया जाए । इस बीच, 30-6-2011 तक की प्रगति रिपोर्ट इस विभाग को तत्काल भिजवाएं ताकि अभियान की उपलब्धि की विद्यमान स्थिति से मंत्रिमंडल को अवगत कराया जा सके ।

ह0/-
(शरद कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली फैक्स: 23092110

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/ योजना आयोग ।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
4. 25 अतिरिक्त प्रतियां ।
5. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

अनुबंध- III

सं. 36012/1/2011-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17 नवम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोशर ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण संबंधी ब्रोशर इस विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर डाल दिया गया है ।

2. यह स्मरण कराया जाता है कि सरकार ने इस विभाग के दिनांक 2-7-1997 के का.ज्ञा. सं. 36012/2/96-स्था.(आरक्षण) द्वारा पद आधारित आरक्षण प्रारम्भ किया है । हालांकि, इस कार्यालय ज्ञापन में संशोधित अनुदेशों के आधार पर आरक्षण के रखरखाव के लिए पंजिकाओं का प्रपत्र निर्धारित नहीं किया था जो अब ब्रोशर द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । ब्रोशर के भाग-I में इस विषय पर सभी प्रावधान निहित हैं जिसमें आरक्षण पंजिकाएं/आरक्षण रोस्टर पंजिकाएं जो कि समझने हेतु साधारण एवं सहज पद्धति में और अपने आप में पूर्ण हैं, भी शामिल की गई हैं । भाग-II में संबंधित कार्यालय ज्ञापन से किसी भी संदेह की स्थिति में संदर्भ लिया जा सकता है ।

ह0/-
(शरद कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली फैक्स: 23092110

सेवा में

I. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
II. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
III. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
IV. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।

V. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।

VI. मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सरोजनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001

VII. महापंजीयक एवं भारत के महालेखापरीक्षक, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।

VIII. कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।

IX. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

X. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग।

विशेष संदेशवाहक द्वारा
अनुबंध-IV

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट नई दिल्ली-110003
दिनांकः 12-11-2010

फाइल सं0 2/2/2008-एसएसडब्ल्यू-III

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(ध्यानाकर्षण: के.जी. वर्मा, निदेशक)

विषयः मानीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित अनुदेश।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 5-12-2007 के पत्र सं. 36012/38/2007-स्था.(आ.) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित अनुदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव 11-11-2010 को हुई आपात बैठक में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पैरावार टिप्पणियों के साथ बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टिप्पणियां शामिल कर ली जाएं और जारी दिशा-निर्देशों की प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय,

ह0/-
(एस. केशवा अय्यर)
उप सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 11–11–2010 को अपराह्न 3:45 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई आपात बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. पी.एल. पुनिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आपात बैठक दिनांक 11-।।-2010 को 3.45 बजे अपराह्न उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I पर है ।

बैठक के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु संशोधित अनुदेश जारी करने संबंधी अंतिम मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया । इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई और संशोधित अनुदेशों संबंधी निम्नलिखित टिप्पणियां अनुमोदित की गईं:-

पैरा 1 — यह 2 जुलाई, 1996 आदेश पर आधारित केवल वास्तविक सूचना है ।
कोई टिप्पणी नहीं ।

पैरा 2 — चक्रीय सिद्धान्त् शुरु किया जाना निश्चित रूप से अजा/अजजा/अपिव के अनुकूल है । वस्तुत: संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश बहुत पहले की थी । यह प्रस्ताव पहले भी था लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ही इसमें विलम्ब किया है । पूर्व प्रस्ताव में 13 पद तक रखने वाले संवर्गों के संबंध में था लेकिन अब इसे उन सभी संवर्गों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है जहां 6 से अधिक पद हैं और उनमें भी जहां 6 तक पद हैं । 06 पदों तक वाले संवर्गों के मामले में आरक्षित बिंदुओं की बिंदू सं. 4(अपिव) बिंदू सं. 7(अजा) एवं बिंदू सं. 14(अजजा) से अग्रिम करके इन्हें बिंदू सं. 2(अपिव), बिंदू सं. 4 अ.जा. एवं बिंदू सं. 8 (अजा)किया गया है । इससे वहां निश्चित रूप से सुधार होगा जहां 06 पदों तक वाले छोटे संवर्गों में 14 बिंदू चक्रीय रोस्टर लागू हैं । यहां यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि "13 पदों तक" को "06 पदों तक" में अपवर्तित करने से अजा/अजजा/अपिव के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस प्रस्ताव पर सहमति है ।

पैरा 3 — यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश पर आधारित है और इसमें कुछ भी नया नहीं है ।

पैरा 4 — इस पैरा में प्रस्ताव "निश्चित बिंदू आधारित रोस्टरों का रखरखाव" को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई विशिष्ट बिंदू निर्धारित किए बिना आरक्षण रोस्टर रजिस्टर में अपवर्तित करने से संबंधित है । निर्धारित प्रतिशत पर आधारित आरक्षण के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक बार गणना करनी होगी, जब भी भर्ती/पदोन्नति की कार्रवाई शुरु की जानी है । इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 06 पदों तक अथवा 14 बिंदू चक्रीय रजिस्टर वाले संवर्गों के मामले में, अग्रिम बिंदुओं से वंचित रहना पड़ेगा । बहरहाल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समरूपता की दृष्टि से इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट प्रपत्र दिया है । 02 जुलाई, 1997 के पूर्व आदेश में, कोई नियत प्रपत्र नहीं था प्राधिकारीगण अपनी सुविधानुसार रोस्टर का रखरखाव कर रहे थे । यदि हम प्रस्तावित परिवर्तनों को सम्यक रूप में देखें तो अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को समग्र परिदृश्य में कोई हानि नहीं होगी । वास्तव में भिन्न को पूर्ण में बदलने से मामूली लाभ हो सकता है जैसा कि "स्कैयूजिंग"सिद्धान्त में निर्धारित किया गया है ।

पैरा 5 प्राधिकारियों ने रिक्त पदों पर प्रतिस्थापन की "कम्बरसम सिस्टम" का प्रस्ताव दिया है । प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में प्रस्तावित नई प्रणाली को क्रियान्वित किए जाने की स्थिति में यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को प्रभावित नहीं करेगा । बहरहाल, हमें मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा आरक्षण प्रणाली के कार्यान्वयन के "कीप ट्रेक" के स्थान पर एक तंत्र का प्रस्ताव करना चाहिए ।

पैरा 6 एवं 8 प्रस्तावित अनुदेश विद्यमान अनुदेशों पर आधारित हैं और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है । छोटे संवर्गों में उल्लिखित समूहीकरण की अनुमति भर्ती में है । वहां इस घटक के न होने पर पैरा 6(i), 6(ii) के अनुरूप 13 पद आधारित रोस्टर लागू किया जाता है ।

पदोन्नति के संबंध में समूहीकरण की पैरा 6 iii में अनुमति अभी नहीं है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि क्या 13 पद आधारित रोस्टर पदोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त का.ज्ञा. के परिशिष्ट-ग में निर्धारित उपर्युक्त स्थिति में भी लागू होगा ।

पैरा 7 जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि छोटे संवर्गों के लिए संशोधित रोस्टर, बिंदुओं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थ अग्रिम किया गया है । नई अवधारणा में केवल यह परिवर्तन किया गया है कि संशोधित बिंदू दोनों विधियों अर्थात् सीधी खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती और सीधी भर्ती के अलावा अन्यथा भर्ती के लिए भी संगत होंगे ।

आरक्षण पंजिका/रोस्टरों के रखरखाव स्वीकार किया जा सकता है । टिप्पणी के लिए कुछ नहीं है ।

9: 06 पदों से अधिक वाले संवर्गों में आरक्षण पंजिकाओं की प्रारम्भिक तैयारी । कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/26-स्था.(आ.) दिनांक 2-7-97 आधिक्य और कमी के संबंध में बताना है न कि बैकलॉग के संबंध में ।

पैरा 9 यह अपनी मेरिट पर चयनित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में है । प्रपत्र में एक विशेष कालम अनारक्षित रिक्तियों पर चयनित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को दर्शाने के लिए शामिल किया गया है न कि आरक्षित कोटे पर समायोजितों के लिए । वास्तविक रिक्तियों के रूप में आगे ले जाई जा रही बैकलॉग रिक्तियों को दर्शाने के लिए भी एक प्रावधान किया गया है । पुरानी प्रणाली में प्राधिकारीगण अनारक्षित कोटे पर चयनित अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पता लगाने के लिए कभी प्रयास नहीं करते थे । यह एक स्वागतयोग्य कदम है ।

10. **06 पदों तक वाले संवर्गों में आरक्षण रोस्टर की प्रारम्भिक तैयारी ।**

पैरा 10 यह 14 बिंदू रोस्टर में अनारक्षित बिंदुओं पर दिखा गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समायोजन के संबंध में है । उसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर रोस्टर में दिखाए गए अनारक्षित उम्मीदवारों के मामले में है । यह अभ्युक्ति कालम में दर्शाए जाने वाला केवल प्रक्रियात्मक पहलू है । यह केवल एक समायोजन पहलू है ।

11. **एक वर्ष में आरक्षण पर सीमा:**

पैरा 11 यह अलग से दिखाए जाने वाली बैकलॉग रिक्तियों के बारे में है ताकि उसे आरक्षण की 50% सीमा में उसकी गणना नहीं की जाए । यह पूर्व आदेशों पर आधारित है और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

12. **संवर्ग संख्या का अर्थ:**

पैरा 12,13 एवं 14 यह पुन: पूर्व आदेशों पर आधारित है जिनमें भर्ती नियम सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के बीच कोटा प्रणाली नियत करते हैं । सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत पर आधारित ऐसी संभावना हमेशा रहेगी कि सीधी भर्ती कोटा और पदोन्नति कोटा हेतु संवर्ग संख्या कभी सीधी भर्ती तो कभी पदोन्नति के मामले में पदों की रिक्तियों के आधार पर भिन्न हो सकती है । यह सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावित कर सकता है । किसी भी कमी-बेशी को बाद के वर्षों में भर्ती अथवा पदोन्नति के दौरान सुधारा जा सकता है । इस पर टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों का अर्थ – पैरा–15

बैकलॉग और कमी के बीच अन्तर – पैरा–16

पैरा 15 एवं 16 वर्ष 1989 के पूर्व आदेशों पर आधारित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की परिभाषा दुहराई जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, बैकलॉग आरक्षण और आरक्षण में कमी के बीच अन्तर को भी स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी संदेहास्पद स्थिति से बचा जा सके । इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर सीधी भर्ती में सामान्यतया स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार ही आते हैं – पैरा 17

पैरा 17 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 36017/1/2004-स्था.(आ.) दिनांक 5-7-2005 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की मात्रा में संशोधन आरक्षण स्थानीय-क्षेत्रीय आधार पर है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कृपया दिनांक 5-7-2005 के कार्यालय ज्ञापन में नियत % को ध्यान में रखते हुए ब्रोशर के पृष्ठ 376 पर अनुबंध-III के अनुदेशों को संशोधित कर दे ।

इसके अतिरिक्त, यह भर्ती के समय कर्मचारियों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों का भी उल्लेख करता है । जैसा कि पूर्व में पैरा 4 में उल्लिखित है समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भर्ती के लिए जिन पर सामान्यत: स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवारों को लिया जाता है । 100 बिंदु रोस्टर को आरक्षण रजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । इस पर ऊपर पैरा 4 में की गई टिप्पणियों से अलग किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समूह "ग" और "घ" श्रेणियों में पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों को सीधी भर्ती के लिए वही प्रतिशत लागू करने के दीर्घकालिक लम्बित प्रश्न इस आशय की सिफारिशों को आयुक्त/आयोग द्वारा किए जाने और एक समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति के सिद्धान्त पर दुहराए जाने की आवश्यकता है किन्तु उनके कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं । यह विसंगतिपूर्ण स्थिति है कि जब उत्तरी राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण अनुमत नहीं है तब भी प्राधिकारियों द्वारा पदोन्नति के स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए 71-1/2% आरक्षण की अनुमति दी गई है । वहां कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है । इसी प्रकार की स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी है जहां अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है किन्तु अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण की अनुमति दी गई है । यह सलाह दी जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीधी भर्ती में अनुमति की तर्ज पर पदोन्नति में उसी प्रतिशत को लागू करने की स्थिति में सुधार करे ।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे उठाए जाने की आवश्यकता है कि फीडर संवर्गों में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने का है जिसके चलते आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जाता है । यहां तक कि पद आधारित आरक्षण रोस्टर में भी भरे न गए आरक्षण को भी कमी के रूप में दिखाया जाना जारी है । आयोग यह सुझाव देना चाहेगा कि जहां अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध हैं किन्तु पात्र नहीं हैं वहां रिक्तियों को तदर्थ आधार पर अनुसूचित जाति उम्मीदवारों से भरा जाए यदि भविष्य में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की पात्रता होने की संभावना है । विकल्प के रूप में न भरी जा सकी आरक्षित रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के पश्चात् बैठक समाप्त हुई ।

ह0/-	ह0/-
(राज कुमार वेरका)	(एम. शिवाना)
उपाध्यक्ष	सदस्य

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)
अध्यक्ष

अनुबंध–I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 11–11–2010 को अपराह्न 3.45 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई आपात बैठक में प्रतिभागियों की सूची ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. नाम एवं पदनाम

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेराका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य

अधिकारी

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. डा. वी.के. राठी, निदेशक
3. श्री एस. केशवा अय्यर, उप सचिव

अ.शा.पत्र सं. मिस-23/बैकलॉग/2010-एसएसडब्ल्यू-।।

अनुबंध-V

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298
दिनांक: 30-12-2010

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आदरणीय श्री नारायणसामी जी,

कृपया आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पड़े पदों के संबंध में लोक सभा में 11-8-2010 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न सं. 2841 कर संदर्भ लें (प्रति संलग्न) ।

इस उत्तर से यह पता चलता है कि अपेक्षित सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है । ऐसी किसी व्यवस्था के न होने की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में उत्तर में दी गई बैकलॉक रिक्तियों के आंकड़ों क्रमश: 26565, 25649 और 21143 पर कैसे पहुंच गया ।

मैं आपका आभारी होऊंगा यदि आप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त संसद प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देंगे ।

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समूह "क" "ख", "ग" एवं "घ" में पिछले 5 वर्षों में रिक्तियों की स्थिति ।
2. इन बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान का विवरण ।
3. शेष बैकलॉग रिक्तियों को भर लिए जाने की समय-सीमा ।
4. बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत सूचना ।
5. सभी समूह/पदों में आरक्षण पूरा कर लिए जाने की अवधि ।
6. वर्ष 1997 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से अनारक्षित किए गए पदों की संख्या ।

यह आयोग उपर्युक्त सूचना भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से भी प्राप्त करने हेतु इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है (प्रति संलग्न) ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)

श्री वी. नारायणसामी,
योजना और कार्मिक, पेंशन तथा
लोक शिकायत राज्य मंत्री
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

अ.शा.पत्र सं. 6/13/एनसीएससी/2011-सी.सैल

अनुबंध-VI

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298
दिनांक: 27 जून, 2011

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आदरणीय श्रीमन,

जैसा कि आप जानते हैं कि एम. नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं था । यह समाज के सम्पूर्ण वंचित वर्ग में बहुत व्याकुलता का कारण बन गया है ।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रोज़गार में आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्या को देखने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री राजू परमार की अध्यक्षता में रोज़गार में आरक्षण के संबंध में एक समिति के गठन का निर्णय लिया । समिति में विद्यमान सांसद और विषय से संबंधित विख्यात लोगों को शामिल किया गया ।

3. इस समिति ने कई बैठकें कीं और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 20-6-2011 को सम्पन्न हुई बैठक में भी विचार किया गया । रिपोर्ट की एक प्रति आपके विचारार्थ भी संलग्न है । यह साक्ष्य पूर्णता के साथ स्पष्ट है कि एम. नागराज मामले में, 9 जजों की बैंच द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप विचारण नहीं किया गया और इस प्रकार यह लागू करने योग्य नहीं है । कृपया इस रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु निदेश जारी करें ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)

डॉ. मनमोहन सिंह,
भारत के प्रधानमंत्री,
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली

अ.शा.पत्र सं. 6/13/एनसीएससी/2011-सी.सैल

अनुबंध-VII

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298
दिनांक: 27 जून, 2011

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आदरणीय मुकुल जी,

जैसा कि आप जानते हैं कि एम. नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं था । यह समाज के सम्पूर्ण वंचित वर्ग में बहुत व्याकुलता का कारण बन गया है ।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रोज़गार में आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्या को देखने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री राजू परमार की अध्यक्षता में रोज़गार में आरक्षण के संबंध में एक समिति के गठन का निर्णय लिया । समिति में विद्यमान सांसद और विषय से संबंधित विख्यात लोगों को शामिल किया गया ।

3. इस समिति ने कई बैठकें कीं और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 20-6-2011 को सम्पन्न हुई बैठक में भी विचार किया गया । रिपोर्ट की एक प्रति आपके विचारार्थ भी संलग्न है । यह साक्ष्य पूर्णता के साथ स्पष्ट है कि एम. नागराज मामले में, 9 जजों की बैंच द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप विचारण नहीं किया गया और इस प्रकार यह लागू करने योग्य नहीं है । कृपया इस रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु निदेश जारी करें ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)

श्री मुकुल वासनिक,
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

अ.शा.पत्र सं. 6/13/एनसीएससी/2011-सी.सैल

अनुबंध-VIII

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298
दिनांक: 27 जून, 2011

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आदरणीय मोइली जी,

जैसा कि आप जानते हैं कि एम. नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं था । यह समाज के सम्पूर्ण वंचित वर्ग में बहुत व्याकुलता का कारण बन गया है ।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रोज़गार में आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति द्वारा सामना की जा रही विशेष समस्या को देखने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री राजू परमार की अध्यक्षता में रोज़गार में आरक्षण के संबंध में एक समिति के गठन का निर्णय लिया । समिति में विद्यमान सांसद और विषय से संबंधित विख्यात लोगों को शामिल किया गया ।

3. इस समिति ने कई बैठकें कीं और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 20-6-2011 को सम्पन्न हुई बैठक में भी विचार किया गया । रिपोर्ट की एक प्रति आपके विचारार्थ भी संलग्न है । यह साक्ष्य पूर्णता के साथ स्पष्ट है कि एम. नागराज मामले में, 9 जजों की बैंच द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप विचारण नहीं किया गया और इस प्रकार यह लागू करने योग्य नहीं है । कृपया इस रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु निदेश जारी करें ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(पी.एल. पुनिया)

श्री वीरप्पा मोइली,
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

अनुबंध–IX

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति	अजा का जनसंख्या %	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	टिप्पणी
	भारत	1665.76	16.20					
				नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	नियुक्त अजा कर्मचारियों का %	
1	पंजाब	70.28	28.90	16	18.44	18.4	31.35	
2	हिमाचल प्रदेश	15.02	24.70	10.83	18.94	18.14	26.89	
3	पश्चिम बंगाल	184.52	23.00	10.28	17.15	17.15	21.26	
4	उत्तर प्रदेश	351.48	21.2	12.17	15.03	17.47	37.95	जर्ष 2004 की स्थिति के अनुसार (अजा एवं अजजा संयुक्त)
5	हरियाणा	40.91	19.40	3.77	10.93	17.19	3.75	
6	तमिलनाडु	118.57	19.00	10	12	18	21	1-1-2001 की स्थिति के अनुसार
7	उत्तराखण्ड	15.17	17.90	23	16	14	15	1-4-2009 जी स्थिति के अनुसार
8	चंडीगढ़	1.57	17.50	9.06	7.29	12.97	14.18	
9	त्रिपुरा	5.55	17.40	9.98	11.94	13.18	13.24	
10	राजस्थान	96.94	17.20	12.53 (राजपत्रित)	-	16.40 (गैर-राजपत्रित)		31-3-2009 की स्थिति के अनुसार
11	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23.43	16.90		22.94	16.88		
12	उड़ीसा	60.82	16.30	9.85	12.74	14.60	24.55	
13	आन्ध्र प्रदेश	123.39	16.20	14.83	-	15.87	32.77	1-4-2007 की स्थिति के अनुसार केवल राजपत्रित एवं अराजपत्रित और

								समूह "घ" पद
14	कर्नाटक	85.63	16.20	18.63	15.97	15.94	24.56	
15	पुदुचेरी	1.57	16.20	11.54	14.03	12.45	12.89	
16	बिहार	130.48	15.70	14.58	14.13	8.86	11.51	
17	मध्य प्रदेश	91.55	15.20	12.31	16.19	15.91	24.03	
18	झारखंड	31.89	11.80	9.36	10.13	9.58	9.97	
19	छत्तीसगढ़	24.18	11.60	11.02	12.58	13.19	22.11	
20	महाराष्ट्र	98.82	10.20	9.88	11.55	11.98	16.85	
21	केरल	31.23	9.80	11.43	-	9.41	10.47	1-1-2008 की स्थिति के अनुसार समूह "ख" पदों की संख्या
22	जम्मू एवं कश्मीर	7.70	7.60					
23	गुजरात	35.93	7.10	7.79	3.50	9.99	8.88	
24	असम	18.25	6.90	5.56	5.83	11.10	-	
25	सिक्किम	0.27	5.00					सिक्किम सरकार ने 1-1-2010 की स्थिति अनुसार केवल अनु. जाति कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति दर्शाई है (6 विभागों को छोड़कर) अर्थात समूह क-15, समूह ख-42, समूह ग-200 और समूह घ-134
26	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0.05	3.10					अनुसूचित जातियों का समूह ख में 04 और समूह ग में 25 है। कुल कर्मचारियों की संख्या नहीं दी गई है।
27	मणिपुर	0.37	2.8	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

28	दादर एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	0.04	1.90	1.73	3.46	64.16	30.63	
29	गोवा	0.23	1.80	2.1	2.0	2.0	2.0	
30	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
31	मेघालय	0.11	0.50	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
33	लक्षद्वीप	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
34	मिज़ोरम	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
35	नागालैण्ड	00	00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

<u>अनुबंध-X</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

<u>अ.शा.पत्र सं. 3/19//2011-एसएसडब्ल्यू-।।</u>

दिनांक: अक्तूबर, 2011

आदरणीय श्रीमन,

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि दिनांक 21-12-2009 के हिंदुस्तान टाइम्स में टॉप गवर्नमेंट पोस्ट्स इल्यूड दलित्स "गवर्नमेंट डाटा" शीर्षक से एक खबर प्रकाशित हुई । प्रेस रिपोर्ट के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय लेने की स्थिति वाले सचिव, अपर सचिव जैसे पदों पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व दशमलव में है । आज भी स्थिति वैसी ही है । भारत सरकार में एक भी अनुसूचित जाति अधिकारी सचिव और अपर सचिव के पद पर नहीं है ।

भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले पदों पर अनुसूचित जाति के नगण्य प्रतिनिधित्व के संबंध में एक नोट संलग्न कर रहा हूं। वस्तुत: इस संबंध में उपचारात्मक उपाय तत्काल किए जाने की आवश्यकता है ।

मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप पैनल में नाम शामिल किए जाने हेतु छूट प्रावधान का सख्ती से अनुपालन द्वारा सरकार में निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले उच्चतम पदों पर अनुसूचित जाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मामले में हस्ताक्षेप करें ।

सादर,

आपका,

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

डॉ. मनमोहन सिंह,
भारत के माननीय प्रधानमंत्री,
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली

निवास: 5, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110021
ई-मेल: plpunia@gmail.com दूरभाष: 011-24104131 टेलीफैक्स: 011-24104132

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
GOVT OF INDIA
NCSC

भारत सरकार में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर अनुसूचित जाति के नगण्य प्रतिनिधित्व संबंधी टिप्पणी ।

दिनांक 21-12-2009 के हिंदुस्तान टाइम्स में "टॉप गवर्नमेंट पोस्ट्स इल्यूड दलितस "गवर्नमेंट डाटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को यहां नीचे आपके विचारार्थ दिया जा रहा है:

"आधी सदी से भी अधिक पहले अनुसूचित जाति को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की संवैधानिक गारन्टी दी गई थी; अफसरशाही में उच्च पदों पर उन्हें निरन्तर टरकाया जा रहा है । आंकड़े बताते हैं, केन्द्रीय सरकार के सचिवालय में 88 उच्च पदों में से एक पद भी दलित नहीं है । अन्य निर्णायक 100 पदों में भी दलितों का प्रतिनिधित्व दशमलव में है : अपर सचिव स्तर पर 1.52% (66 में से लगभग 1), संयुक्त सचिव स्तर पर 5.04% (249 में से 13) और निदेशक स्तर पर 6.2% (471 में से 31) । यह स्थिति आज भी यथावत है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए भारत सरकार में सचिव एवं अपर सचिव स्तर पर एक भी अनुसूचित जाति अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है जिससे अनुसूचित जाति समुदाय की एक तिहाई जनसंख्या के हित प्रभावित होते हैं ।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान मंत्रिमंडल सचिवालय के 12-8-2010 के अ.शा. सं. 1-8/2010-सी.एस.(ए)की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें भारत सरकार में सचिव/समकक्ष और अपर सचिव/समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न केन्द्रीय/अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित समूह "क" अधिकारियों का पैनल बनाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं (प्रति संलग्न)। भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य सरकारों के अपर सचिव/सचिव होने के लिए निर्धारित शर्तें बहुत कठिन हैं और स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति अधिकारियों के हितों के प्रतिकूल हैं क्योंकि अनुसूचित जाति श्रेणियों के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीगण अपनी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बहुत से प्रयासों के बाद लगभग 26 वर्ष अथवा उसके बाद कार्यग्रहण कर रहे हैं । उच्चतम अफसरशाही स्तर पर अनुसूचित जाति अधिकारियों का प्रतिनिधित्व न होने से उनके संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी आती है और बहुधा अनुसूचित जाति के हितों के साथ समझौता किया जाता है । उच्चतम स्तर पर अनुसूचित जाति अधिकारियों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की गणना निम्नवत् की जा सकती है:

- पिछले बहुत से वर्षों से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी सचिव/अपर सचिव नहीं है ।

- पिछले 4/5 वर्षों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कार्य करने के लिए कोई अनुसूचित जाति का सचिव उपलब्ध नहीं है जबकि अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया।

- पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वयं आपने विशेष घटक योजना (एससीपी) विकसित की।

- वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास हेतु योजना अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के

कारण पिछले 32 वर्षों से असफल है क्योंकि केन्द्रीय मंत्रालयों में सचिव और राज्य/संघ राज्य सरकारों में मुख्य सचिव स्तर पर प्रतिबद्ध अनुसूचित जाति अधिकारियों का अभाव है ।

- मंत्रिमंडल सचिव के 12-8-2010 के अर्धशासकीय से स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में अपर सचिव अथवा समकक्ष पद धारण करने के लिए सिविल सेवा अधिकारियों का पैनल तैयार किये जाने के कार्य में सामान्यत: 2 से 3 वर्षों का विलम्ब किया जाता है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों, जो कि मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन द्वारा पहले ही पदोन्नति पा चुके हैं, के मामले में भी विलम्ब किया जाता है । कुल मिलाकर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की शर्तें अनुसूचित जाति अधिकारियों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रही है और इस प्रकार भारत सरकार में निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी छोड़ने के लिए उन पर दबाव दिया जाता है ।

- वास्तविक स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति समुदाय से अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (समूह "क") अपने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बहुत से प्रयासों के बाद 26 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र में ही कार्यभार कर रहे हैं । इसलिए 12-8-2010 के अ.शा. द्वारा उल्लिखित शर्तें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति अधिकारियों के लिए हानिकारक हैं और उनके लिए गंभीर बाधाओं का कारण बनती है जो उच्चतम अफसरशाही स्तर पर पहुंच पाया हैं । अनुसूचित जाति अधिकारियों को 4/5 वर्षों का भारांश दिया गया है कि जैसाकि पदोन्नति में रक्षा अधिकारियों को दिया जाता है, तब अपर सचिव/सचिव के पदों के लिए अनुसूचित जाति अधिकारियों में और अधिक पात्र अधिकारी उपलब्ध होंगे अथवा इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के 2010 के कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र को वापस लिया जाना चाहिए और अपर सचिव/सचिव के लिए अनुसूचित जाति अधिकारियों का पैनल बैच और परीक्षा वर्ष को ध्यान में रखे बिना केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए । के.स.से. संवर्ग अनुसूचित जाति अधिकारियों के विरुद्ध बना है और उन पर भारत सरकार में निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी छोड़ने का दबाव बनाया जाता है ।

- यदि चयन प्रक्रिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/महिलाओं और राज्यों तथा अन्य पिछड़े राज्यों के लोगों को अधिकारी समूह के उच्चतम स्तर पर इन श्रेणियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती है तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यूपीए-I और यूपीए-II सरकारों द्वारा की गई अच्छी पहलों को बड़ा झटका लग सकता है ।

प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों में कोई आरक्षण नहीं है । हालांकि इन श्रेणियों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व के लिए पैनल तैयार करने हेतु मानकों को शिथिल करना विद्यमान में है । तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उनका पालन नहीं कर रहा है । परिणामस्वरूप भारत सरकार में सचिव स्तर पर एक भी अनुसूचित जाति अधिकारी नहीं है और केवल एक ही अपर सचिव है । संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर भी ऐसी ही स्थिति है । इस प्रकार निर्णय लेने के स्तर पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है । अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु नीतियां निरुपित करते समय इन समुदायों को आदान-प्रदान करने वाला कोई नहीं है । मंत्रिमंडल सचिव के दिनांक 12-8-2010 का पत्र सं. 1-8/2010-सीएस(ए) भी आगे इस स्थिति में अपना योगदान देता है । वस्तुत: इसमें तत्काल उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है ।

स्पीड पोस्ट द्वारा
अनुबंध-XI
पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. 2/2/2009-एसएसडब्ल्यू-III　　　　दिनांक: 18-01-2012

आदरणीय नारायणसामी जी,

कृपया आप "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और पदों में आरक्षण) विधेयक, 2004 का संदर्भ लें । यह विधेयक वर्ष 2004 में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था लेकिन पारित नहीं हो सका । इसके पश्चात् एक नया विधेयक अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों में आरक्षण) विधेयक, 2008 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया और तदनन्तर 2008 में पारित हुआ । लेकिन उसे भी 14वीं लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मुद्दे पर इस कारण का उल्लेख करते हुए आपत्ति की थी कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा (9) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श नहीं किया गया । इस संदर्भ में, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 13-2-2009 के पत्र सं. 17/4/एनसीएससी/2009 द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति को पहले ही एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जा चुका है (प्रति संलग्न अनुबंध-I) । हमने इस संबंध में 18-5-2011 के पत्र सं. 2/2/2009/एसएसडब्ल्यू-III द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी लिखा है (प्रति संलग्न अनुबंध-II) ।

चूंकि यह विधेयक पिछले सात वर्षों से लम्बित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह महसूस करता है कि विधेयक आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है । मैं आपका आभारी होऊंगा कि यदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो आपके नियंत्रणाधीन शीर्ष मंत्रालय है, को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दें ताकि उपर्युक्त विधेयक को लोक सभा में शीघ्र प्रस्तुत किया जा सके ।

सादर,

आपका,

संलग्नक: यथोक्त

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

श्री वी. नारायणसामी,
राज्य मंत्री,
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

निवास: बंगला नं. 5 (टाईप-VIII), न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110001
ई-मेल: plpunia@gmail.com **दूरभाष:** 011-24104131 **टेलीफैक्स:** 011-24104132

<u>विशेष संदेशवाहक द्वारा</u>

<u>अनुबंध-XII</u>

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाषः 24620435, टेलीफैक्सः 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. मिस./17/2011-एसएसडब्ल्यू-II दिनांकः 18-11-2011

आदरणीय श्रीमन,

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति के सुरक्षण और उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के संबंध में विशेष शिकायतों के मामले अनिवार्य जांच-पड़ताल हेतु अधिदेशित किया गया है । इन पड़तालों के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इन मामलों में संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने हेतु रिपोर्ट तैयार करता है और सिफारिशें करता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पाया कि कुछ मामलों में जांच-पड़ताल के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों के विशेष मामलों में कुछ सिफारिशें करता है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ऐसी सिफारिशों के खिलाफ अकसर माननीय उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर कर दी जाती है । उदाहरणार्थ दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, बीएसएनएल, बैंक और केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसे संगठनों ने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किए हैं । हम ऐसा महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें अपनी प्रकृतिस्वरूप केवल सिफारिशपरक हैं जिनकी विधि मंत्रालय (उनके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से) की सलाह/राय लेने के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है । ऐसी सिफारिशों के खिलाफ मुकदमेबाजी पूर्णतया अनुपयुक्त है जिससे जन धन की बर्बादी होती है ।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार विभागों से अनुसूचित जाति को न्याय प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों पर सम्यक विचार किए जाने की अपेक्षा की जाती है । लेकिन माननीय न्यायालयों में रिट याचिका दायर करने और फलस्वरूप व्यय के कारण अंतिम तौर पर न्याय प्रदान करने में पेचिदगियां उत्पन्न होती हैं और विलम्ब भी होता है । यह राज्य के विभिन्न प्रभागों द्वारा विभिन्न रुख अपनाए जाने का ज्वलंत उदाहरण है । यह देखना हास्यास्पद है कि न्यायालय में राज्य ही राज्य के खिलाफ लड़ रहा है और इस प्रक्रिया में न्याय में विलम्ब होता है/मनाही होती है और वह राज्य के खजाने पर भारी भरकम बोझ की कीमत पर ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, मैं दृढ़तापूर्वक आपके हस्तक्षेप हेतु अनुरोध करता हूं ताकि ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई तंत्र बनाया जा सके।

सादर,

आपका,

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

डॉ. मनमोहन सिंह,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली

निवासः बंगला नं. 5 (टाईप-VIII), न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110001
ई-मेलः plpunia@gmail.com दूरभाषः 011-24104131 टेलीफैक्सः 011-24104132

स्पीड पोस्ट द्वारा

अनुबंध-XIII

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाषः 24620435, टेलीफैक्सः 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. 17/17/एनसीएससी/2010-सी.सैल   दिनांकः 14 दिसम्बर, 2010

प्रिय

बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग सरकारी प्राधिकरणों/अधिकरणों अथवा अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा सताए जाने के संबंध में अपनी शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास आते है । आयोग ने यह प्रेक्षण किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जाने का अधिकारियों को पता चलने पर इन याचियों को सताया जाना बढ़ता जा रहा है । कुछ मामलों में उन्हें दूरदराज के स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया और कुछ अन्य मामलों में उन्हें मिथ्या अथवा कपट अथवा अन्य किसी आधार पर निलम्बित कर दिया गया ।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों द्वारा अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आयोग से परामर्श किया जाता है और उन्हें आयोग के पास आने का वाजिब हक है ।

3. अतः मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि कृपया इस मामले को देखें और भारत के संविधान अथवा लागू अन्य किसी विधि में प्रदत्त संरक्षण एवं सुरक्षण के लिए आयोग से सम्पर्क करने पर अनुसूचित जाति को सताया न जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को सख्त अनुदेश जारी करें ।

आपका,

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

सेवा में

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र

स्पीड पोस्ट द्वारा

अनुबंध-XIV

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24620435, टेलीफैक्स: 24632298

सत्यमेव जयते

पी.एल. पुनिया, सांसद
अध्यक्ष

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अ.शा.पत्र सं. 17/17/एनसीएससी/2010-सी.सैल

दिनांक: 10 जनवरी, 2011

बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग सरकारी प्राधिकरणों/अधिकरणों अथवा अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा सताए जाने के संबंध में अपनी शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास आते है । आयोग ने यह प्रेक्षण किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जाने का अधिकारियों को पता चलने पर इन याचियों को सताया जाना बढ़ता जा रहा है । कुछ मामलों में उन्हें दूरदराज के स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया और कुछ अन्य मामलों में उन्हें मिथ्या अथवा कपट अथवा अन्य किसी आधार पर निलम्बित कर दिया गया ।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति द्वारा अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आयोग से परामर्श किया जाता है और उन्हें आयोग के पास आने का वाजिब हक है ।

3. अत: मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि कृपया इस मामले को देखें और भारत के संविधान अथवा लागू अन्य किसी विधि में प्रदत्त संरक्षण एवं सुरक्षण के लिए आयोग से सम्पर्क करने पर अनुसूचित जाति को सताया न जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को सख्त अनुदेश जारी करें ।

आपका,

ह0/-
(डॉ. पी.एल. पुनिया)

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रीगण

अध्याय–VIII
नागरिक अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण

हम अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति के स्वतंत्र भारत के संदर्भ में अवस्थित करते हैं । गरीबों और दलितों के लिए स्वतंत्रता के 64 वर्षों का क्या अर्थ है । हमारे विकासात्मक एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया के परीक्षण में यह देखना है कि क्या इन प्रक्रियाओं ने अनुसूचित जातियों (अस्पृश्यों) के लिए मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और समता प्राप्त करने में कोई योगदान दिया है । इन अस्पृश्यों के साथ सामान्य आकस्मिक सम्पर्क विपरीत स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं । संवैधानिक गारन्टी, संरक्षणात्मक विधायन और विकास कार्यक्रमों के बावजूद इस समुदाय के लोगों की दीनहीन अवस्था बनी हुई है और वे सामाजिक वर्जनाओं एवं घोर अत्याचारों से पीड़ित हैं । वे कभी भी उत्पादक संसाधनों के स्वामी नहीं होते ।

दृढ़प्रतिज्ञ महापुरुषों और उनके बहुत से अनुयायियों के महती प्रयासों के बावजूद और संविधान के अनुच्छेद 17 और छुआछूत (अपराध) अधिनियम के होने के बावजूद व्यवहार में छुआछूत अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है । यह भारतीय समाज "अंधेरी ताकतों" के रूप में सामाजिक कलंक के रूप में विद्यमान है । ये ताकते रूप बदलती रहती है । समय और क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो जाती हैं । यहां तक कि अनुसूचित जाति को न्यूनतम रियायतें और कार्यक्रम भी इन्हें गंवारा नहीं । संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण और रियायतों का लाभ अस्पृश्यों के छोटे से समूह को ही मिला है जबकि उनमें से लाखों आज भी गरीबी और अशक्तता से पीड़ित हैं । भूमि देना, अन्तर्जातीय विवाह और शैक्षिक सुविधाओं जैसे उपाय अपने स्वरूप में धर्मार्थ अधिक हैं जबकि स्पृश्यों और अस्पृश्यों के बीच संबंधों में कुछ ही परिवर्तन आया है । वे आज भी अपने नित्यप्रति के जीवन में भौतिक अलगाव और सामाजिक भेदभाव का दंश झेल रहे हैं । इन भेदभाव का परिणाम अकसर रोज़गार न देने के रूप में होता है और इसलिए उनमें से अधिकांश सामान्य से भी कम आजीविका के सहारे निर्धनता में अपना दैनिक जीवन जी रहे हैं ।

हालांकि अछूत जातियों के व्यावसायिक ढांचे में विविधता लाने के लिए बड़ी संख्या में योजनों शुरु की गई हैं फिर उनमें से अधिकांश अपने परम्परागत व्यवसायों में ही उलझे हुए हैं । लोगों के आर्थिक जीवन के सुधार के लिए व्यवसायगत प्रौद्योगिकीय और आर्थिक सुदृढ़ता की आवश्यकता होती है । जहां इस दिशा में किए गए प्रयास सफल रहे हैं वहीं विरोधात्मक परिणाम भी मिले हैं । परम्परागत जातीय सम्बद्धता या तो व्यवसायगत सुदृढ़ता प्रदान करती है या फिर उसे कमजोर बना देती है । जहां यह मजबूती प्रदान करती है तो जातिवाद को भी प्रभावी बनाती है और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन में विलम्ब करती है । जहां यह कमजोर बनाती है तो लोगों का नया समूह व्यवसाय में उतरता है और उन्नत प्रौद्योगिकीय लाभ उठाता है । लेकिन अस्पृश्य जातियों के दस्तकार इससे बाहर हो जाते हैं । वे तत्काल उच्च लाभांश वाले वैकल्पिक व्यवसाय नहीं अपना सकते । इस प्रकार वे आर्थिक असुरक्षा से पीड़ित रहते हैं और दीन-हीन बने रहते हैं ।

इस दीन-हीन अवस्था में और तेजी के साथ बड़ी संख्या में अछूत उच्च जातीय सवर्णों के अमानवीय अत्याचारों से पीड़ित हो रहे हैं । सवर्णों द्वारा उनके घर जलाने, उन्हें जिंदा जलाने, दिन-दहाड़े उन्हें गोली मारने, महिलाओं को सताने और उनके साथ बलात्कार की घटनाओं की सूचना पुलिस द्वारा प्रतिदिन समाचार-पत्रों को दी जाती है ।

स्वतंत्रता के अवसर पर यह सोचा गया था कि कानून लागू होने के पश्चात अछूतों की समस्याएं हल

हो जाएंगी। बहुत से हरिजन नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया और सदियों की दासता से अपने समाज की मुक्ति के लिए समाधान उपलब्ध कराने की नव-स्वतंत्र भारत में आशा की। यह सोचा गया कि कानूनी सुधार लागू होने, न्यूनतम मजदूरी लागू होने, हरिजनों में अधिशेष भूमि का वितरण, नौकरियों में आरक्षण, शैक्षिक रियायतों आदि जैसे उपायों से आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक समानता युग का सूत्रपात होगा। स्वतंत्रता के बहुत से वर्षों के पश्चात यह महसूस हुआ कि ये उपाय बहुत ही अपर्याप्त् थे। इसके अतिरिक्त उच्च जातियों की शक्तिशाली भूमि लाबी ने इन सुधारों के प्रभावी रूप में लागू किए जाने पर हथियार उठा लिए। अनुसूचित जाति समुदाय अपनी मुक्ति के लिए दूसरे पथ की ओर मुड़ गए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत उन्मूलन की परिणति के रूप में भारत सरकार ने दो विशेष और सामाजिक रूप से सार्थक अधिनियम अर्थात् नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और तदनन्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अन्तर्गत नियम बनाए। ऐसा भारतीय समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों को न्याय एवं समानता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध विधायन द्वारा किया गया। इन दोनों ही अधिनियमों के दोहरे उद्देश्य छुआछूत उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना और देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को अधिकार सम्पन्न बनाना है जिससे इन समुदायों के प्रति विभेद की प्रथा को समाप्त किया जा सके जो कि कुल मिलाकर जातीय प्रथा की प्राचीन कालिक प्रथा है। छुआछूत उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद 17 के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं था इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 की उपधारा (क) द्वारा संसद को ऐसा एक अधिनियमित करना था।

संसद ने छुआछूत (अपराध)अधिनियम, 1955 पारित किया जिसका उन्नत रूप बाद में छुआछूत आदेश, 1950 के रूप में आया। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई घोषणा को प्रभावी बनाना था और यह 1-6-1955 से प्रभावी हुआ। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में अन्यों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि "संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत एतद्द्वारा समाप्त की जाती है और किसी भी रूप में उसका प्रयोग निषेध किया जाता है। छुआछूत अन्य किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध होगा।

अछूतों द्वारा अपनी पीड़ा के खिलाफ विरोध का पहला झोंका 50 के दशक में प्रारम्भ में आया। विरोध का केन्द्रीय बिंदू, घेरे बन्दी हटाना, दुख समाचार ले जाना, पालकी ढोना, कब्रें खोदना, अंतिम संस्कार के समय ढोल पीटना, सफाई करना आदि जैसी बलात् सेवाओं को करने से अछूतों द्वारा मना करना था। वे सताने की प्रथा की समाप्ति चाहते थे। उन्होंने जब पुरातन प्रथा की बंधुआ प्रथा से जब स्वयं को मुक्त करने का प्रयास और भूस्वामियों द्वारा प्रदत्त रोज़गार अवसरों का बहिष्कार भी किया और मना भी किया तो उनके घर जला दिये गए और अकसर उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गईं। बहुत सी स्थानीय बाधाएं थी लेकिन दीर्घ काल में अछूत अपने सिविल अधिकार बहुत हद तक प्राप्त करने में सफल रहे। उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार उन्हें मानव के रूप में स्वीकार किया जाना एवं सम्मान था। यहां तक कि जहां उन्होंने व्यवसायों को करना जारी रखा वहीं भी मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। आर्थिक संबंधों में सामाजिक रूप से सशक्तिकरण अधिक महत्वपूर्ण निर्णायक घटक था।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिनियम की धारा 3(1) और (2) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित करता है और अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आत्म सम्मान और सम्मान को क्षति पहुंचाना आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करना, विभेद, शोषण और कानूनी प्रक्रिया आदि को गाली देने को आपराधिक व्यवहार के रूप में विभिन्न तरीकों से संबंधित 22 अपराधों को सूचीबद्ध करता है । इसलिए यह अधिनियम अनुकरणीय दंड उस पैमाने से भी अधिक आरोपित करता है जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी अत्याचारों के लिए भारतीय दंड संहित के अन्तर्गत दिया जाता है । इसमें केवल अपवाद की स्थिति बलात्कार की है जिसमें भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंड अत्याचार निवारण अधिनियम में निहित दंड से अधिक है । एकात्मक उपायों के अलावा हमें अत्याचार रोकना तथा अत्याचार पीड़ितों को विधि सम्मन अधिकार प्राप्त होना सुनिश्चित करने के प्रयास भी करने चाहिएं । ऐसा अत्याचार पीड़ित को सुव्यवस्थित पैमाने पर वित्तीय सहायता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के नियम 12(4) के अन्तर्गत राहत और पुनर्वास प्रावधानों को लागू किया जाना सुनिश्चित करने के प्रयासों द्वारा किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, जांच और मुकदमें के दौरान रखरखाव , पीड़ितों को कानूनी सहायता के प्रावधान, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान आदि जैसे विभिन्न कदम भी उठाए जाने चाहिएं ।

2. <u>अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों की घटनाएं</u>

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली देशभर में विभिन्न संवेदनशील जातियों के प्रति आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों के एकत्रण एवं समेकन हेतु शीर्ष अभिकरण है । इस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचारों से सम्बद्ध विषय पर भी एक अध्याय अन्तर्वेदित किया गया है । तदनुसार यहां नीचे दी गई तालिका अनुसूचित जाति पर अत्याचारों का पैमाना दर्शाती है:-

तालिका–1

अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों की घटनाएं 2010, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपराधों की घटनाएं (सं.)	अखिल भारतीय अपराध का शेयर	अजा जनसंख्या (लाख में)	अजा जनसंख्या अखिल भारत में शेयर	आपराधिक घटनाएं बनाम जनसंख्या (कालम 4/6)	कालम 3 के संदर्भ में हत्या, बलात्कार और मारपीट	दोषसिद्धि की दर (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आन्ध्र प्रदेश	4321	13.20	123.39	07.40	78.38	852	15.0
2	बिहार	3516	10.70	130.48	07.85	36.65	391	11.5

3	कर्नाटक	2505	07.70	85.63	05.14	49.81	257	4.9
4	मध्य प्रदेश	3374	10.30	91.55	05.50	87.27	1295	35.1
5	उड़ीसा	1710	05.2	60.82	03.70	40.54	436	7.9
6	राजस्थान	4979	15.20	96.94	05.82	161.17	820	40.4
7	तमिलनाडु	1631	05.00	118.57	07.12	(-) 29.78	180	24.5
8	उत्तर प्रदेश	6272	19.20	351.48	21.10	(-) 09.00	863	64.5
	उप जोड़ राज्य (क)	28308	86.50	1058.86	63.61	35.98	5094	–
9–28	अन्य 20 राज्य (ख)	4357	13.05	580.58	34.80	(-) 61.21	1199	-
29–35	7संघ राज्य क्षेत्र (ग)	47	0.10	26.57	01.59	(-) 93.74	2	23.7
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	32712	100.0	1665.76	100.0		6295	35.0

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि अभियोजन की दर (कालम 9) उस राज्य का निर्धारण दर्शाता है जहां अपराधों की संख्या उच्चतम है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और अन्य हैं ।

तालिका–2
वर्ष 2010 के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों के लिए
माननीय न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	पिछले वर्ष से लम्बित मामलों सहित न्यायालयों में सुनवाई हेतु मामलों की कुल संख्या	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	मामलों की संख्या				
				संयोजित अथवा वापस लिए गए	जिनमें सुनवाई पूर्ण हो चुकी है			वर्ष के अन्त में सुनवाई हेतु लम्बित
					दोषसिद्धि	दोषमुक्ति अथवा रिहाई	जोड़ {(6)+(7)}	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	हत्या (धारा 302 भादंसं)	3012	0	1	303	321	624	2387
2	बलात्कार (धारा 376 भादंसं)	5014	0	12	358	638	996	4006
3	अपहरण एवं अगवा करना (धारा 363-369, 371-373 भादंसं)	1398	0	2	141	175	316	1080
4	डकैती (धारा 395-398 भादंसं)	134	0	0	4	17	21	113
5	लूटपाट (धारा 363-369, 371-373 भादंसं)	317	0	1	16	39	55	261
6	आगजनी (धारा 435, 436, 438 भादंसं)	862	0	3	49	88	137	722
7	चोट पहुंचाना (धारा 323-333, 335-338 भादंसं)	14566	0	126	783	2287	3070	11370
8	अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1995	1376	0	5	53	191	244	1127
9	अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989	40481	0	143	3225	5181	8406	31932
10	अनुसूचित जातियों पर अन्य अपराध	40598	1	430	2837	5474	8311	31857
11	**जोड़**	107758	1	723	7769	14411	22180	84855

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि हत्या के कालम में लम्बित मामलों की दर, पिछले वर्ष सहित, मामलों की संख्या 3012 दिखाई गई है जिसमें से 303 दोषसिद्ध करार दिए गए जबकि 321 दोषमुक्त कर दिए गए जिससे पता चलता है कि संबंधित अधिकारी इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं । विशेष रूप से दोषसिद्धि में । अन्य कालमों से भी ऐसी ही स्थिति का अभिज्ञान होता है उदाहरणार्थ चोट पहुंचाने वाले कालम में 2287 मामले दिखाए गए हैं जिनमें दोषमुक्ति की गई अथवा रिहाई दी गई लेकिन केवल 783 मामलों में ही दोषसिद्धि हुई । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में उनकी ओर से की जाने वाली चूक के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है ।

तालिका–3

अनुसूचित जातियों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	अपराध-शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में विचलन %
		2006	2007	2008	2009	2010	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
1	हत्या	673	674	626	624	570	-8.7
2	बलात्कार	1217	1349	1457	1346	1349	0.2
3	अपहरण एवं अगवा करना	280	332	482	512	511	-0.2
4	डकैती	30	23	51	44	42	-4.5
5	लूटपाट	90	86	85	70	75	7.1
6	आगजनी	226	238	225	195	150	-23.1
7	चोट पहुंचाना	3760	3814	4216	4410	4376	-0.8
8	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम	405	206	248	168	143	-14.9
9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	8581	9819	11602	11143	10513	-5.7
10	अन्य	11808	13490	14623	15082	14983	-0.7
11	जोड़	27070	30031	33615	33594	32712	-2.6

उपर्युक्त आंकड़े एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में निहित हैं । उन्होंने आगे इन आंकड़ों का विश्लेषण निम्नवत किया है:-

उपर्युक्त आंकड़े एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में निहित हैं । उन्होंने आगे इन आंकड़ों का विश्लेषण निम्नवत किया है:-

हत्या

वर्ष 2010 के दौरान देश में कुल 570 मामलों की सूचना प्राप्त हुई जबकि वर्ष 2009 में यह संख्या 624 थी । इस प्रकार 2010 में 8.7% की कमी सूचित की गई है । देश में कुल सूचित हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश में 40.2% मामले रहे (अर्थात् 570 में से 229)। जबकि मध्य प्रदेश में 102 मामले सूचित किए गए जो कि ऐसे मामलों का 17.9% है ।

चोट पहुंचाना

देश में वर्ष 2009 में 4410 की तुलना में वर्ष 2010 में कुल 4376 मामले सूचित किए गए जिसमें वर्ष के दौरान 0.8% की मामूली कमी आई है । मध्य प्रदेश (877), आन्ध्र प्रदेश (709) और राजस्थान का (564) ऐसे 4376 मामलों का 49.1% बनता है ।

बलात्कार

वर्ष 2009 में अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ बलात्कार के 1346 मामलों की तुलना में देश में 1349 मामलों की सूचना मिली जो कि वर्ष 2010 में 0.2% की मामूली वृद्धि दर्शाती है । मध्य प्रदेश ने 316 मामलों की सूचना दी है जो कि सूचित कुल मामलों का 23.4% बनता है । इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 311 मामलों (23.1%) की सूचना मिली

अपहरण एवं अगवा करना

अनुसूचित जातियों के लोगों के अपहरण एवं अगवा करने की घटनाओं के वर्ष 2009 में 512 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 के दौरान कुल 511 मामलों की सूचना मिली है जो 0.2% की मामूली कमी दर्शाता है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010 के दौरान 248 मामलों (48.5%) की सूचना दी है ।

डकैती

वर्ष 2009 के दौरान डकैती के 44 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में कुल 42 मामले सूचित किए गए हैं जो 4.5% की कमी सूचित करता है । महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 22 मामलों की सूचना दी है जो कि कुल मामलों का 52.4% बनता है ।

लूटपाट

पिछले वर्ष लूटपाट के 70 मामलों की तुलना में वर्ष के दौरान कुल 75 मामले सूचित किए गए जो कि 7.1% कर वृद्धि दर्शाता है । गुजरात एवं महाराष्ट्र ने उच्चतम संख्या (प्रत्येक 20) की सूचना दी है । ये दोनों राज्य देश में सूचित कुल मामलों में 53.3% की संयुक्त भागीदारी करते हैं ।

आगजनी

वर्ष 2009 में आगजनी के 195 मामलों की तुलना में वर्ष 2010 में पूरे देश से 150 आगजनी के मामले सूचित किए गए जो कि 23.1% की कमी दर्शाता है । राजस्थान उच्चतम संख्या 31 की सूचना दी है उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (24) है । इन राज्यों का संयुक्त रूप से देश में सूचित कुल मामलों का 56.0% बनता है ।

अध्याय– IX

सफल एवं महत्वपूर्ण मामले

आर्थिक एवं शैक्षिक विकास संबंधी

<u>आयोग के हस्तक्षेप से सफल हुए मामले</u>

आयोग को अनुसूचित जाति विद्यार्थियों से शिक्षा संबंधी लाभों के संबंध में उन्हें प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षण न दिए जाने के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन/शिकायतें मिल रही हैं । ये शिकायतें मुख्यत: प्रवेश न दिए जाने, छात्रवृत्ति से इन्कार, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति न किए जाने और दुर्भावना से कक्षाओं में फैल करना आदि से संबंधित है ।

आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मामलों में विद्यार्थियों की शिकायतों का समाधान किया गया ।

अवधि के दौरान आयोग के ईएसडीडब्ल्यू अनुभाग ने आर्थिक और शैक्षिक वंचन से संबंधित 412 फाइलें भी खोली जिसमें से 12 मामले बंद कर दिए/निपटा दिए गए और आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित 6 मामले आयोग के हस्तक्षेप से सफल हुए ।

<u>इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:</u>

आर्थिक विकास पर

1. माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बाजितपुर ठाकरन गांव, दिल्ली-39 के अनुसूचित जाति समुदायों के लोगों को 375 भूखंड्स दिए गए थे । वर्ष 2005 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 204 मकान बन गए थे और 171 मकान अंशत: जैसे चारदीवारी, डीपीसी स्तर तक बने हुए थे । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इन 171 अंशत: बने हुए मकानों में से 134 मकान ध्वस्त कर दिए । संबंधित प्राधिकारियों को आयोग में बुलाया गया । उनमें से एक श्री आर.के. श्रीवास्तव (आईएएस) सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आयोग के सामने हाजिर नहीं हुए । आयोग ने उनके गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये । दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके आयोग के सामने हाजिर किया । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आयोग के हस्तक्षेप के बाद, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आबंटित आवासीय स्थलों के पट्टा अधिकार सभी आबंटियों को "जैसा है जहां है" के आधार पर प्रदान कर दिए ।

2. श्री सोमबीर सिंह ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि ग्राम पंचायत, खरखरा, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा ने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 284 लोगों को 100-100 वर्ग के भूखण्ड आबंटित किए । इन 284 आबंटियों में से 91 आबंटियों ने कब्जा ले लिया । इन 91 आबंटियों में से केवल 36 आबंटियों को ही सम्पत्ति हस्तांतरण पत्र मिले । आयोग के हस्तक्षेप से सभी शेष आबंटियों को कब्जा और सम्पत्ति हस्तांतरण पत्र मिले ।

3. **<u>दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय मे गया</u>**

श्री लाल चंद, निवासी ए-318, साध नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली नगर निगम द्वारा लाजवंती गार्डन, नई दिल्ली में भू-खण्ड सं. 286-287 सुपुर्द किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिया । इसकी आयोग में सुनवाई की गई । इसी बीच, दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति द्वारा की जाने वाली अगली सुनवाई को रुकवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय चला गया । दिल्ली नगर निगम ने आयोग को भी एकपक्ष बनाया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने भारत के प्रधानमंत्री जी को एक अ.शा.पत्र लिखा (अनुबंध-7) जिसमें उनके ध्यान में यह लाया गया थ कि कुछ वरिष्ठ अधिकारीगण इस संवैधानिक प्राधिकरण के प्राधिकार और उसकी गरिमा को मानने के बजाय इस संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमेबाजी का सहारा ले रहे हैं और करदाताओं के धन को बेतुके ढंग से बरबाद कर रहे हैं ।

शिक्षा विकास पर

i) सेंटर फोर डेवलपमेंट एंड एडवांस कम्प्यूटिंग (सी.डी.ए.सी.), मोहाली, पंजाब में वीएलएसआई डिजाइन में एम.टैक के छात्र **श्री रामानन्द** ने छात्रवृत्ति और उसकी उपाधि न दिये जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया । उसने आरोप लगाया कि सी.डी.ए.सी. ने न तो छात्रवृत्ति दी है, न फीस की प्रतिपूर्ति की है और न ही मेरी उपाधि जारी की है । इस मामले को सी.डी.ए.सी. के साथ उठाया गया । उसके पश्चात् आयोग ने हस्तक्षेप किया तब सी.डी.ए.सी. मोहाली ने 1.12 लाख रुपए की फीस प्रतिपूर्ति जारी की और उसका याची को भुगतान किया और वी.एल.एस.आई. में एम.टैक की उसकी उपाधि भी दे दी ।

ii) **<u>आईआईटी समीक्षा</u>**

दैनिक समाचार पत्र में आई.आई.टी., दिल्ली के अनुसूचित जाति छात्रों को सताने और उनके साथ भेदभाव की खबर प्रकाशित हुई । आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए छात्रों के साथ एक बैठक और आई.आई.टी., दिल्ली के प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की ।

iii) **<u>वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली</u>**

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में 2004-2009 बैच से मनोविज्ञान में छात्र परीक्षा पास करने में हर बार असफल हुए । नए बैच 2009 के छात्र भी केवल मनोविज्ञान में ही फेल हुए । तथापि, अन्य विषयों में (एनाटोमी एवं बायोकेमिस्ट्री) आसानी से पास हुए । मनोविज्ञान परीक्षा सरल होने, व्यवसाय पूर्व परीक्षा और फाइन व प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छी उपस्थिति के बावजूद ये छात्र मनोविज्ञान में पास नहीं हो सके । इससे मनोविज्ञान विभाग की ओर से गलत खेल का संकेत मिलता है ।

सेना आयुर्विज्ञान कालेज के छात्र जो उसी विश्वविद्यालय द्वारा उसी तिथि, उसी केन्द्र पर, उन्हीं कक्षा निरीक्षकों के निरीक्षण में परीक्षा में उपस्थित हुए । सरलता से अपवादात्मक रूप से बिना किसी कृपांको के अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए ।

iii) इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को संबोधित करते हुए आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए एक अ.शा. पत्र लिखा (**अनुबंध–VI**) और बी.एम.एम.सी. के छात्रों की शिकायतों के निपटान के लिए डॉ. बी. मुंगेरकर को जांच आयुक्त नामित किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को एक अ.शा. पत्र लिखा जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के जीवन और केरियर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के ध्यान में लाया गया है क्योंकि आयोग का छात्रों के कल्याण से गहरा संबंध है । माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज में शिकायतों के निपटारे के लिए एक सम्पर्क अधिकारी/परामर्शदाता नियुक्त किया जाना चाहिए । यह भी उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों की मेरिट में कमी की स्थिति में निपटने के लिए सम्भव प्रयास किए जाने चाहिएं । यह सकारात्मक दृष्टिकोण एवं क्रियाशीलता से किया जा सकता है ।

iv) दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानन्द कॉलेज की बी.कॉम (पास) की छात्रा **सुश्री रोज़ी सिरीश** ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि जाली जाति प्रमाण-पत्र के कारण विवेकानन्द कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उसका प्रवेश रद्द कर दिया है । इस मामले को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और पंजीयक के साथ उठाया गया । दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुश्री रोज़ी सिरीश को प्रवेश की अनुमति दे दी गई ।.

v) गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के बी. फार्मा के छात्र **मास्टर मुकेश कुमार** ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि विश्वविद्यालय ने उसके इंजी.ग्राफिक्स के कैरी ओवर अंक शामिल नहीं किये और प्रथम सत्र 2007-08 में प्रैक्टिकल विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सका, तथापि उसने इसे पास किया है । इसके बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन नहीं किया है । इस मामले को गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पंजीयक के साथ उठाया गया । यह सूचित किया गया है कि बी. फार्मा प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष का अंक पत्र याची को दे दिया गया है ।

2. सेवा सुरक्षण पर:

आयोग द्वारा 2010–2011 एवं 2011–2012 के दौरान निपटाए गए कुछ सफल मामलों का सार

1. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्रिवेन्द्रम के अनुसूचित जाति से संबंधित 3 वरिष्ठ अधीक्षकों ने आयोग को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में विसंगतियों के संबंध में संयुक्त अभ्यावेदन दिया । मामले की गम्भीरता और वास्तविकता तक पहुंच पर विचार करते हुए इस मामले को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया गया और उनके द्वारा रखरखाव किए जा रहे आरक्षण रोस्टरों की जांच की । सत्यापन के दौरान वरिष्ठ अधीक्षक (इंजीनियरिंग) श्रेणी संवर्ग के अन्तर्गत न भरी गई एक रिक्ति के बारे में नोटिस किया गया । इस मामले में आगे कार्रवाई करने पर यह उत्तर दिया गया कि वरिष्ठ सहायक(इंजी.) के संवर्ग में बैकलॉग रिक्ति के एक पद को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रगति पर है । इस मामले पर सतत निगरानी रखने के बाद सहायक महाप्रबन्धक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उत्तर प्राप्त हुआ । उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सहायक (इंजी.सिविल) का पद 2-5-2011 को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भर लिया गया है ।

2. विजय मोहिनी मिल्स, तिरुमाला, त्रिवेन्द्रम के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा शिकायत याचिका दी गई जिसमें उसने शेष वरिष्ठतम कर्मचारियों के रूप में स्वयं को पैकिंग सेक्शन में तैनात करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था । इस मामले को सीजीएम, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को सूचना के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए महाप्रबंधक, विजय मोहिनी मिल्स के साथ उठाया गया । निरन्तर निगरानी करने पर महाप्रबंधक, विजय मोहिनी मिल्स का अन्तिम उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उसे पैकिंग विभाग में वरिष्ठतम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

3. सहायक ड्रग्स नियन्त्रक, कोल्लम के कार्यालय में अनुसूचित जाति से संबंधित एक सहायक ड्रग्स नियन्त्रक ने पदोन्नति के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया । इस मामले को केरल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के साथ उठाया गया । उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अन्तिम उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया था कि याची को पदोन्नति दे दी गई है और उसे जी.ओ. दिनांक 8-2-2011 के अनुसार डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर के पद पर नियुक्ति दे दी गई है ।

4. भू-जल सर्वे विकास यन्त्रणा, अमरावती से एक अनुसूचित जाति के शाखा अभियन्ता ने पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । यह शिकायत पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में थी क्योंकि वह डिप्लोमा धारक है । आयोग ने इस मामले को जलापूर्ति विभाग, मंत्रालय, मुम्बई के साथ उठाया । आयोग के लगातार हस्तक्षेप से विभाग ने दिनांक 27-7-2010 के अपने पत्र सं. 4509/आईजेडडीजेड 136/पीएयूपी-15 द्वारा आयोग को उत्तर दिया कि भर्ती नियमों में संशोधन की आवश्यकता है और यह कि संशोधन कर दिया गया है और याची को नियमित पदोन्नति दे दी गई है ।

5. डेक्कन कॉलेज की एक अनुसूचित जाति महिला कर्मचारी ने वरिष्ठता एवं पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया । उन्हें आन्तरिक लेखा परीक्षक के पद का प्रस्ताव इस शर्त के अधीन किया गया था कि वह अपना अभ्यावेदन वापस ले लेंगी जिसे उन्होंने विभिन्न मंचों पर दिया है । संस्थान ने उन्हें यह लिखित में भी दिया । संस्थान के निदेशक, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् डेक्कन कॉलेज ने उन्हें लेखा परीक्षक के पद पर बिना किसी शर्त के नियुक्ति दे दी । आयोग के हस्तक्षेप के कारण डेक्कन कॉलेज, पुणे ने दिनांक 8-9-2010 के अपने पत्र सं. 721(ए)स्टाफ/2009 द्वारा सूचित किया कि याची को आन्तरिक लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई है ।

6. **<u>सं. आर-22/फिन-9/2008-एसएसडब्ल्यू:</u>** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादकर कल्याण एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष ने केन्द्रीय उत्पाद कर चंडीगढ़ क्षेत्र में वरिष्ठ कर सहायक से तदर्थ आधार पर निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में एक अभ्यावेदन भेजा । इस मामले को केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के साथ उठाया गया । वर्ष 2002 से पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार 5 वर्षों की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक अथवा उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के रूप में कुल 13 वर्षों की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक, न्यूनतम उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 2 वर्षों की सेवा, निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्र थे ।

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
GOVT OF INDIA
NCSC

केन्द्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया कि 2001-2002 की संवर्ग पुनर्संरचना में अवर श्रेणी लिपिक (वेतनमान 3,050-4,590 रुपए) और उच्च श्रेणी लिपिक (वेतनमान 4,000-6,000 रुपए) कर सहायकों के पदों में वेतनमान 4,000-6,000 रुपए के साथ समाहित कर दिए गए । पुनर्संरचना के पश्चात् कर सहायक (02-05-2003 को), वरिष्ठ कर सहायक (16-1-2003 को) और निरीक्षक (29-11-2002 को) के पद अधिसूचित किए गए थे । कर सहायकों को वरिष्ठ कर सहायक और निरीक्षक के रूप में निम्नवत रखा गया ।

(i)	वरिष्ठ कर सहायक के पद पर पदोन्नति	1 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर सहायक
(ii)	निरीक्षक के पद पर पदोन्नति	2 वर्षों की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ कर सहायक जिनके न मिलने पर 10 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर सहायक

एसोसिएशन ने आगे बताया कि वे भर्ती नियमों की धारा क(iii) के अनुसार निरीक्षक के पद हेतु पात्र हैं और वे उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर 2 वर्षों की सेवा के साथ कुल 15 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं और यदि 01-01-2008-09 तक धारा क (iii) लागू की जाए तो उन्हें पदोन्नति मिल सकती है । यह भी बताया गया कि निरीक्षक के भर्ती नियम, 2002 के नियम 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट देने की शक्ति प्राप्त है जैसा कि पूर्व वर्षों में सरकार ने अनुभव में छूट दी है । अन्ततः यह बताया गया कि वे नियमित रिक्तियों पर निरीक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए कह रहे हैं जो अन्यथा 2013-2014 तक खाली पड़ी रहेगी और बोर्ड अनुभव में छूट देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है ।

विभाग ने मामले की पुनः जांच की और दो को छोड़कर, जो कि अपने अनुरोध पर दिल्ली क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिए गए थे, सभी याचियों को निरीक्षक के रूप में 16-2-2010 से तदर्थ पदोन्नति दे दी गई है।

7. **<u>सं. आर–32/एई–5/08–एसएसडब्ल्यू–III:</u>** आरआरसीएटी, प्रमाणु ऊर्जा विभाग, इंदौर से याची ने अभ्यावेदन दिया और यह बताया कि वे दसवीं पास है और टर्नर ट्रेड (आईटीआई) तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारक है और 23 वर्षों का अनुभव है । लेकिन विभाग ने अन्य उम्मीदवार को पदोन्नति दे दी है जो कि फोरमैन के पद के लिए कम योग्यता प्राप्त है और डिप्लोमा धारक भी नहीं है । याची का उत्कृष्ट सेवा अभिलेख है लेकिन उसे वैज्ञानिक सहायक के पद पर अभी भी पदोन्नति नहीं दी गई है । यहां तक कि विभागीय पदोन्नति समिति के एक सदस्य ने याची को पदोन्नति न दिए जाने पर विरोध भी किया था । आयोग में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और आयोग के हस्तक्षेप से विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक हुई जिसमें याची को पूर्व प्रभाव 1-11-2007 से पदोन्नति दी गई ।

8. **<u>सं. आर–39/एचआर–9/09–एसएसडब्ल्यू–III:</u>** हरियाणा रोडवेज के दो अनुसूचित जाति के परिचालकों ने अपनी पदोन्नति के संबंध में अभ्यावेदन दिया । इस मामले को परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया ।

राज्य परिवहन, हरियाणा, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक ने उत्तर भेजा और बताया कि 17 परिचालक पदोन्नत कर दिए गए हैं और ये 31-12-79 से नियमित हैं । शेष परिचालकों की वरिष्ठता और पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिया जाना है और अनुसूचित जाति के परिचालकों को 1-1-2080 से वरिष्ठता सूची के अनुरूप रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी ।

याची हरियाणा रोडवेज ने सूचित किया कि उसका मामला हल हो गया है और उसने पदोन्नति के पश्चात् 25-1-2011 से कार्यभार संभाल लिया है । याची की पदोन्नति आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात हुई ।

9. डाक विभाग में डाकघरों के निरीक्षक के रूप में कार्यरत एक अधिकारी ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि उसे एएसपीओ के पद पर अनुमति नहीं दी जा रही है । आयोग ने इस मामले को उठाया और याची द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित विभाग से टिप्पणी मांगी और विभाग के साथ काफी पत्राचार किया । डाक विभाग ने भी आयोग के सामने यह तथ्य रखा कि 23-2-2010 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति ने अनुसूचित जाति के याची की पदोन्नति अनुमोदित कर दी है और तदनन्तर उसे एएसपीओ(मुख्यालय-II), दिल्ली के रूप में तैनात कर दिया गया है । (मामला संदर्भ संख्या एस-57/पोस्ट-15/2009/एसएसडब्ल्यू-I) ।

10. अनुसूचित जाति श्रेणी के कुछ विद्यार्थियों ने आयोग को दिल्ली नगर निगम एवं शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अजा/अजजा के लिए 10+2 परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट प्रदान करने संबंधी भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन के संबंध में अभ्यावेदन दिया । आयोग ने इस मामले को उठाया और याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ विभाग से टिप्पणियां मांगी और विभाग से काफी पत्राचार भी किया । संबंधित विभाग ने आयोग को सूचित किया कि शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी और आयुक्त, दिल्ली नगर निगम ने सीनियर सैकेण्डरी (10+2) अथवा इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापित रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग उम्मीदवारों को प्रदान कर दी है ।
(मामला संदर्भ सं. एम-1/दिल्ली-2/2010/एसएसडब्ल्यू-I)

11. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत अनुसूचित जाति के एक अधिकारी ने आरक्षित श्रेणी के वरिष्ठतम उम्मीदवार होने के बावजूद लेखाधिकारी के रूप में पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया । आयोग ने इस मामले को उठाया और याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ विभाग से टिप्पणियां मांगी और विभाग से काफी पत्राचार भी किया । नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आयोग को सूचित किया कि याची को दिनांक 15-9-2010 के पत्र द्वारा लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दे दी गई है ।
(मामला संदर्भ सं. आर-17/दिल्ली-23/2010/एसएसडब्ल्यू-I)

12. अनुसूचित जाति समुदाय के एक अधिकारी ने 2006-2007 की अवधि की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया है । आयोग ने इस मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । काफी पत्राचार भी किया । अंततः संबंधित विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2006-2007 की अवधि की एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणी हटा दी गई है ।

(मामला संदर्भ सं. एच-16/जल संसाधन-7/09/एसएसडब्ल्यू-I)

13. आईटीपीओ में कार्यरत एक अनुसूचित जाति अधिकारी ने वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया । आयोग ने इस मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । काफी पत्राचार भी किया । आयोग ने आईटीपीओ के वरिष्ठ अधिकारी के साथ सुनवाई भी की ।
अन्ततः संबंधित विभाग ने आयोग को सूचित किया कि याची को अगले उच्चतर ग्रेड के पद पर पदोन्नति दे दी गई है ।
(मामला संदर्भ सं. आर-/वाणिज्य-5/09/एसएसडब्ल्यू-I)

2011–12 के सफल मामले

1. **फाइल सं. आर–5/सीए–9/2009–एसएसडब्ल्यू–II:** अनुसूचित जाति की एक महिला ने अभ्यावेदन दिया और बताया कि इंजीनियरिंग विभाग आईजीआईए, एनएसीआईएल में हेल्पर (इंजी.) के रूप में कार्यरत उसके पति को इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं से 30 जून, 2008 को बर्खास्त कर दिया गया था और तदनन्तर 10 अक्तूबर, 2008 को उनकी मृत्यु हो गई । उसने अनुकम्पा के आधार पर अपने पुत्र को रोज़गार देने का अनुरोध किया । उसने आगे बताया कि 10 जून, 2008 को महाप्रबंधक (कार्मिक) से श्री राजेन्द्र कुमार को आबंटित स्टाफ क्वार्टर को खाली करने के लिए एक पत्र मिला है । चूंकि उनके पास अन्य कोई छत नहीं है इसलिए उपरोक्त पत्र रद्द किया जाए और उन्हें क्वार्टर में बने रहने की अनुमति दी जाए ।

आयोग के हस्तक्षेप से उसके पुत्र को एनएसीआईएल की सहायक में संविदा आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मिली और आश्वासन दिया गया कि उन्हें एनएसीआईएल द्वारा आबंटित आवास को खाली करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. **<u>सं. एन–1/सीए–2/2010–एसएसडब्ल्यू–III:</u>** वरिष्ठ फ्लाईट इंजीनियर, एनएसीआईएल ने आयोग को पायलट के रूप में अपनी बहाली के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया । याची एनएसीआईएल की अनुमति से बाहर उड़ाने भरता था और सीपीएल पूर्ण करता था। आईजीआरयूए के अलावा संस्थान के चालू सीपीएल में दो फ्लाईट इंजीनियरों पर भी विचार किया गया और ए 320 इंडोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए डिटेल किया गया । आईजीआरयूए के अलावा संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु गए तीन फ्लाईट इंजीनियरों पर अलग मानदण्ड अपनाए गए और याची के नाम पर उसके लिए विचार नहीं किया गया ।

आयोग के हस्तक्षेप से वरिष्ठ फ्लाईट इंजीनियर, एनएसीआईएल को पायलट के रूप में बहाली मिली और उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा गया ।

3. **<u>सं. एम–13/बैंक–24/2009–एसएसडब्ल्यू–III:</u>** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ के एक पूर्व विशेष सहायक ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सताए जाने के संबंध में आयोग को एक अभ्यावेदन दिया और यह बताया कि उसने बैंक की निधि का कोई दुरुपयोग नहीं किया है लेकिन बैंक प्रबंधन ने उसके खिलाफ झूठे मामले के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर उसे बैंक की सेवाओं से अधिवर्षिता लाभों के साथ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया ।

इस मामले को विस्तृत रिपोर्ट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ उठाया गया। यह पाया गया कि कार्य दायित्वों में लापरवाही के दोष याची के खिलाफ हुई जांच में सिद्ध नहीं हुए और याची के खिलाफ जांच सीटीओ, हापुड़ शाखा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई थी क्योंकि याची ने सीटीओ के संबंध में सच्चे तथ्यों को ध्यान में लाया था जिसे गलत ढंग से भत्ते दिए जा रहे थे और बैंक ने उसके भत्ते रोक दिए थे। आयोग के हस्तक्षेप के बाद याची की सेवा में बहाली हुई।

4. **सं. बी–14/सी एंड एफ–2/2010–एसएसडब्ल्यू–II:** नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के पी एंड ए विभाग में तैनात और निजी सहायक के रूप में कार्यरत एक अनुसूचित जाति कर्मचारी ने आयोग को अभ्यावेदन दिया जिसमें उसने अनुरोध किया था कि कम्पनी की विविधिता नीति के अनुसार उसके पद को आशुलिपि से विधायी विभाग को सौंपा गया है। भटिन्डा यूनिट में भी विधायी विभाग में इस व्यपवर्तन की अनुशंसा की है लेकिन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंधन ने इस मामले पर विचार नहीं किया।

एनएफएल ने उत्तर दिया है और बताया है कि श्री बुद्ध सिंह के मामले की जांच की गई और उसके व्यपवर्तन के अनुरोध को नहीं माना गया और उसकी सूचना उसे दे दी गई है।

इस मामले पर आयोग में विचार-विमर्श किया गया और याची, निजी सहायक (एसजी-II) को व्यपवर्तित करके एनएफएल की विधायी शाखा में पर्यवेक्षक (विधायी) के रूप में आयोग की सलाह पर नियुक्ति दी गई।

5. **सं. ओ–3/यूपी–23/2010–एसएसडब्ल्यू–II:** याची, एटीआई-ईपीआई में उच्च श्रेणी लिपिक, रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, देहरादून ने आयोग को एक अभ्यावेदन दिया और कहा कि एटीआई देहरादून का उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग एटीआई, कानपुर में समाहित कर दिया गया है तथा पदोन्नतियां एवं भर्ती एटीआई, कानपुर द्वारा की जाती है। हॉस्टल अधीक्षक/लेखाकार/ आंतरिक लेखा परीक्षक के दो पद थे। 19-3-2009 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। विभागीय पदोन्नति समिति ने आरक्षण आदेशों का उल्लंघन किया और पदोन्नति द्वारा आरक्षित बिन्दु पर पद को सामान्य श्रेणी उम्मीदवार से भर लिया।

इस मामले को एटीआई, कानपुर के निदेशक के साथ उठाया गया और आयोग में इस मामले पर चर्चा की गई। एटीआई, कानुपर के निदेशक ने सूचित किया कि विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक के उपरान्त याची को हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति दे दी गई है।

6. **सं. बी–1/उ.प्र.–3/2011/एसएसडब्ल्यू–II और एस–3/उ.प्र.–3/2010–एसएसडब्ल्यू–III:** आर्य कन्या इंटर कॉलेज, मथुरा में सहायक अध्यापक लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने अभ्यावेदन में बताया कि उसे 16-5-98 को तदर्थ आधार पर सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था और उसने इस पद पर 12 वर्षों तक कार्य किया। कॉलेज प्रबंधन ने 8-11-2011 से उसकी सेवाएं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त कर दीं और उसका 6 मास का वेतन भी निर्मुक्त नहीं किया गया।

इस मामले को संयुक्त निदेशक, शिक्षा, आगरा मंडल के साथ उठाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ने उत्तर भेजा कि याची को संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ने तदर्थ आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में एक रिक्त आरक्षित पद 16-5-1998 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा

नियमित पद धारी उपलब्ध कराए जाने तक नियुक्त किया गया था । उसने सहायक अध्यापक के रूप में तदर्थ आधार पर 6-8-93 अर्थात 1998 के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया था और चयन बोर्ड ने 3 अध्यापकों का चयन किया था । याची की सेवाएं इस कॉलेज में गृह विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पद पर नए नियमित सहायक अध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात समाप्त की गई थी ।

आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात याची की सेवा में बहाली हुई ।

7. **<u>सं. पी–6/बैंक–22/2002–एसएसडब्ल्यू–II:</u>** गुड़गांव ग्रामीण बैंक के पूर्व कर्मचारी ने आयोग को अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया ।

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई । यह प्रेक्षण किया गया कि दृष्टांत मामला एक दिन अर्थात् 31-12-2001 से संबंधित है और कर्मचारी को 5-1-2002 को निलम्बित किया गया और उसे 16-2-2002 से सेवा में बहाल किया गया लेकिन सेवा समाप्त किए जाने में ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को इतनी तेजी से निपटाया माना गया कि याची को उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया । यह सूचित किया गया कि याची ने सीजीआईटी के सम्मुख अपील भी दायर की है ।

आयोग के हस्तक्षेप से यह निर्णय लिया गया कि याची सीजीआईटी से अपना केस वापस ले लेगा और उसे सेवा में बहाल किया गया । याची ने 8 वर्ष पश्चात 2011 में सेवा में कार्यभार ग्रहण किया ।

8. **<u>सं. 0–12/एचआर–8/2009–एसएसडब्ल्यू–III:</u>** ए. एस.एस. मास्टर, राजकीय उच्च विद्यालय, बरही, बहादुरगढ़, झज्जर (हरियाणा) ने आयोग को अभ्यावेदन दिया और आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार वह 31-3-2009 द्वारा नए वेतनमान के अनुरूप 40% बकाए का हकदार है लेकिन शिक्षा अधिकारी, बहादुरगढ़ ने आज तक बकाए का भुगतान नहीं किया है जबकि सभी कर्मचारियों को बकाया मिल गया है ।

स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उसका वेतन निर्धारण आदेश 23-3-2009 को पहले ही भेज दिया लेकिन उसका बकाया अभी तक निर्मुक्त नहीं किया गया है । आयोग के हस्तक्षेप से जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर ने सूचित किया कि याची का बकाया आयकर कटौती के उपरान्त निर्मुक्त कर दिया है ।

9. **<u>फाइल सं. एन–1/बैंक–1/2010/एसएसडब्ल्यू–II:</u>** श्री निर्मल चन्द्र दास, शाखा प्रबंधक (स्केल-III) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) ने दो आरोप-पत्रों के आधार पर अपनी सेवा बर्खास्तगी के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया ।

इस मामले को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ उठाया गया और आयोग के हस्तक्षेप से याची की सेवा बर्खास्तगी को संशोधित करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति में तब्दील किया गया । याची को 23-7-2011 से पेंशन स्वीकृत की गई है और परिगणना राशि 696590/- रुपए निर्मुक्त कर दी गई है ।

10. अनुसूचित जाति समुदाय के एक रेलवे कर्मचारी ने आयोग को मार्च, 2011 में एक अभ्यावेदन दिया

कि बिना किसी वैध आधार के उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं । तदनुसार आयोग ने संबंधित रेलवे अधिकारी के साथ मामले को उठाया और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । तत्पश्चात संबंधित अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनवाई हेतु भी इस मामले को लिया गया और यह अनुशंसा की गई कि रेलवे याची की सेवाएं बहाल करने पर विचार करे । इसके पश्चात रेलवे ने सूचित किया कि याची की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं (मामला फाइल सं. एच-7/रेलवे-11/2011/एसएसडब्ल्यू-I) ।

11. पैरा मिलिट्री फोर्स के अनुसूचित जाति अधिकारी ने अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति देने से इंकार के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया । तदनन्तर आयोग ने संबंधित विभाग के साथ इस मामले को उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । आयोग ने इस संबंध में काफी पत्राचार भी किया । अंततः संबंधित विभाग ने आयोग को सूचित किया कि याची की शिकायत का उसे अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति देकर समाधान कर दिया गया है ।
(मामला फाइल सं. सी-6/गृह-11/2011/एसएसडब्ल्यू-I)

12. एक अनुसूचित जाति रेलवे कर्मचारी ने जातीय आधार पर उसे सताए जाने और झूठे आरोपों के आधार पर दंडित करने के संबंध में आयोग को अपना अभ्यावेदन दिया । आयोग ने मामले को संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । इसके पश्चात रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग में वैयक्तिक विचार-विमर्श भी किया गया । आयोग ने यह महसूस किया कि याची को सताया गया है और सिफारिश की कि याची पर लगाई गई दंड की शास्ति को वापस लिया जाए क्योंकि आरोप निराधार हैं । तदनुसार रेलवे ने दंड की शास्ति वापस ले ली ।
(मामला फाइल सं आर-17/रेलवे-12/2011/एसएसडब्ल्यू-I)

13. एक अनुसूचित जाति अधिकारी के 2002-03 की ए.सी.आर. में प्रतिकूल टिप्पणी एवं पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में आयोग को एक अभ्यावेदन दिया । तदनन्तर आयोग ने मामले को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । आयोग ने इस संबंध में काफी पत्राचार भी किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ सुनवाई भी की । अंततः संबंधित विभाग ने आयोग को सूचित किया कि याची की 2002-03 की ए.सी.आर. को उन्नयन करके बहुत अच्छा कर दिया गया है और उसे पदोन्नति हेतु पात्र घोषित कर दिया गया है ।
(मामला फाइल सं. एसो.-II/दिल्ली-12/अजा/2003/एसएसडब्ल्यू-I)

14. दिल्ली सरकार ने तकनीकी ग्रेड में कार्यरत एक अनुसूचित जाति कर्मचारी ने पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन और 2008 में आरक्षण रोस्टर के रखरखाव में नियमों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में आयोग को एक अभ्यावेदन दिया । आयोग ने संबंधित विभाग के साथ मामले को उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी । तदनन्तर काफी पत्राचार भी किया गया । आयोग ने अनुसूचित जाति कर्मचारी की शिकायतों के समाधान हेतु सुनवाई बैठकें भी कीं । आयोग ने महसूस किया कि विभाग आरक्षण रोस्टर संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति को अगले उच्चतर ग्रेड में लाभ नहीं दे रहा है । आयोग ने विभाग प्रमुख के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अपने अधिकार का प्रयोग भी किया । अंततः विभाग ने आयोग को सूचित किया कि अनुसूचित जाति याचीगण को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति दे दी गई है ।
(मामला फाइल सं. डी-16/दिल्ली-55/08/एसएसडब्ल्यू-I)

15. भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में कार्यरत एक अनुसूचित जाति दिवंगत कर्मचारी की विधवा ने मार्च, 2011 में अपने पति के स्थान पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति न दिए जाने के संबंध में आयोग को एक अभ्यावेदन दिया। आयोग ने इस मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने विभागीय अधिकारियों के साथ सुनवाई बैठकें भी कीं। अंतत: विभाग ने आयोग को सूचित किया कि दिवंगत कर्मचारी के पुत्र को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया और उसने ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
(मामला फाइल सं. एम-1/एग्री-5/2011/एसएसडब्ल्यू-II)

16. एक अनुसूचित जाति कर्मचारी ने सितम्बर, 2011 में अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया। आयोग ने इस मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी। विभाग ने आयोग को सूचित किया कि अगले उच्चतर ग्रेड में याची की पदोन्नति पूर्वदर्शी अर्थात् 1-4-2006 से अनुमोदित कर दी गई है।
(मामला फाइल सं. एस-39/टीएन-4/2011/एसएसडब्ल्यू-I)

17. एक अनुसूचित जाति रेलवे कर्मचारी ने नवम्बर, 2010 में अपनी सेवा में बहाली के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया। आयोग ने संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी। इसके पश्चात वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ आयोग में वैयक्तिक विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने महसूस किया कि याची के साथ उसकी सेवाएं समाप्त करके भेदभाव किया गया। इसलिए यह सिफारिश की गई कि रेलवे याची की सेवा बहाल करने पर विचार करे। तदनुसार रेलवे अधिकारियों ने सूचित किया कि याची की सेवाएं बहाल कर दी गई है।
(मामला फाइल सं. आर-37/रेलवे-16/2010/एसएसडब्ल्यू-I)

18. एक अनुसूचित जाति अधिकारी ने 2009 में स्थानान्तरण करके सताने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया। आयोग ने इस मामले को संबंधित विभाग के साथ उठाया और अभ्यावेदन पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी की। अंतत: विभाग ने आयोग को सूचित किया कि याची का उसकी पसन्द की जगह स्थानान्तरण कर दिया गया है।
(मामला फाइल सं. एस-1/पेट-1/2007/एसएसडब्ल्यू-I)

19. एन.आई.बी., नोएडा के एक अनुसूचित जाति के कनिष्ठ लेखाकार ने आयोग को अभ्यावेदन दिया और आरोप लगाया कि उसका बिजली अपीलीय प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त/समायोजन आधार पर लेखाकार के पद पर चयन हुआ था लेकिन वह उसके मूल विभाग, एन.आई.बी., नोएडा द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया।

आयोग ने हस्तक्षेप से याची को एन.आई.बी., नोएडा द्वारा कार्यमुक्त किया गया और उसने बिजली अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण कर लिया।
(फाइल सं. एम-25/एचएफडब्ल्यू-101/2011/एसएसडब्ल्यू-II)

20. आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की एक अनुसूचित जाति महिला ने अभ्यावेदन दिया और बताया कि उसने जहानाबाद बाल विकास परियोजना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारी ने उसे सहायक के पद पर नियुक्त किया।

इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट, एस.पी., आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ् उठाया और आयोग के हस्तक्षेप से याची को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त किया गया और उसने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।
(फाइल सं. आर-34/उ0प्र0-50ए/2011/एसएसडब्ल्यू-II)

अत्याचार मामले:

1. दैनिक जागरण (उ.प्र. संस्करण) की 31-3-2011 की प्रेस फुटेज पर संज्ञान के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दो अधिकारियों को एक दल ने गांव कनवर पुर, पुलिस थाना जारिफ नगर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश का 1 अप्रैल, 2011 में दौरा किया। पुलिस पर निर्दोष ग्रामीणों पर अवैध लाठीचार्ज करने का आरोप था। इस दल का उद्देश्य इस घटना की हकीकत का पता लगाना था। कार्यक्रम के अनुसार यह दल स्थानीय पुलिस एस्कार्ट के साथ 1.00 बजे अपराह्न गांव पहुंची और अपना कार्य शुरु किया।

इस दल ने पुलिस से दूर रहने के लिए कहा ताकि ग्रामीण स्वतंत्रतापूर्वक और निर्भय होकर घटना के बारे में बता सकें। सर्वप्रथम गांव प्रधान से घटना का विवरण देने को कहा गया। उसने दल को बताया कि 31-3-2011 की रात 9 से 10 बजे के लगभग पुलिस ने एक अपहृत महिला के इसी गांव में छिपे होने की सूचना के चलते उसे ढूंढने के क्रम में लाठियां बरसाईं। इस अभियान में पुलिस ने चार व्यक्तियों को बुक किया और पूरी रात उन्हें थाने में रखा।

तथापि, ग्राम प्रधान की सहायता से थाने में रोके गए व्यक्तियों को अगले दिन 1-4-2011 को मुक्त कर दिया गया। बहरहाल, इन व्यक्तियों के भूमिगत होने की सूचना दी गई, सम्भवत: स्थानीय पुलिस जिसने थाने में उन्हें रखे जाने के दौरान प्रताड़ित किया था, के कारण ऐसा हुआ।

अगला बयान श्रीमती कलावती और श्रीमती तारावती का था जो चकित कर देने वाला था जिसमें पुलिस पर न केवल मारपीट करने का आरोप लगाया गया अपितु कानों में पहले जाने वाले आभूषण एवं सोने की चेन और 2,000/- रुपए छीनने का आरोप लगाया। इन महिलाओं ने यह भी बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने श्रीमती मौरश्री की गर्भवती पुत्र श्रीमती संगीता को भी नहीं बख्शा। पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उसे धक्का मारा जिसके कारण उसके पेडू में गंभीर दर्द हुआ। उसे चिकित्सा जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसने आशंका व्यक्त की कि इसके कारण उसे गर्भपात हो सकता है। दल ने उससे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। उसने अपने पेडू में दर्द की शिकायत की और पुलिस व्यवहार की भर्त्सना की जिसने उसके साथ धक्का-मुक्की की और लाठियों से पीटा। यह प्रेक्षण किया गया कि पुलिस कार्रवाई शर्मनाक थी। ग्रामीण पर पुलिस का भय और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आयोग के हस्तक्षेप से पीड़ितों को प्रत्येक प्रकार से न्याय मिला।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मीडिया रिपोर्टों एवं कोठीवाल नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी स्व. श्री रामचन्दर बाल्मीकि की विधवा श्रीमती राजो बाल्मीकि उर्फ राजकली से प्राप्त दिनांक 20-12-2010 की याचिका (पृ. 13/पत्रा.) से दो दलित बहनों को जिंदा जलाए जाने की हृदय विदारक घटना का पता चला। अभ्यावेदन के अनुसार मृतक की मां ने बताया कि 9-12-2010 को उसके दो पुत्र श्री राकेश और श्री राजेश को हत्या के मामले में झूठे फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उसने आगे कहा कि 18-12-2010 को लगभग 11-12 बजे कोठीवाल नगर के कुछ लोग उसके घर में घुसे और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी दो बेटियां कु0 गीता और कु0 नीतू को जबरदस्ती दूसरे कमरे में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया गया। इसके पश्चात उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये दोनों बहने सहायता के लिए लगातार चिल्लाती रही लेकिन कोई भी उनके बचाव के लिए आगे नहीं आया यहां तक कि भीड़ के साथ उनके घर के बाहर खड़े पुलिस कार्मिक भी मूकदर्शक बने रहे और इस परिवार की कोई मदद नहीं की।

माननीय सदस्य अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह पहुंचे और उसके बाद वे अम्बेडकर पार्क में अनुसूचित जाति प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों एवं अन्य स्थानीय लोगों से मिले और उनके साथ इस घटना के विषय में चर्चा की जिन्होंने घटना का वही विवरण दिया जैसा कि श्रीमती राजो बाल्मीकि ने बताया था।

श्रीमती राजो बाल्मीकि उर्फ राजकली ने इस घटना के विषय में बताया कि वह बाल्मीकि समुदाय की हैं और इस मकान में पिछले 60 वर्षों से रह रही है । ऊंची जाति के लोग उसके मकान को कब्जाने हेतु उस पर आँख गड़ाए थे जो इस समय करोड़ों रुपए मूल्य का है । इस घटना के तीन दिन पूर्व पुलिस प्रशासन ने भी उसे चेतावनी दी थी कि वे उसकी लड़कियों की भरे बाजार नंगी हालत में परेड कराएंगे । स्थानीय लोगों की एक बड़ी भीड़ पीड़ित के घर के बाहर खड़ी थी और उनमें से कुछ थाली पीट रहे थे । इस घातक चेतावनी को समझते हुए श्रीमती राजो लगातार लिखित और मौखिक रूप में पुलिस से यह अनुरोध करती रही कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए अन्यथा ये लोग हमें मार देंगे लेकिन इस परिवार को दी गई घातक चेतावनी को पुलिस ने तनिक भी संज्ञान में नहीं लिया । पुलिस का हतप्रभ करने वाला व्यवहार यहीं खत्म नहीं हुआ अपितु पुलिस ने पीड़ितों को बाजार से दवा और खाने की चीजें भी नहीं लाने दी । राजो का दुर्भाग्य भी यहीं नहीं रुका, यहां तक कि उसके भाई को भी जेल में डाल दिया गया जहां पांच दिन तक उसे निर्दयतापूर्वक पीटा गया । उसने अपनी आशंका व्यक्त की कि उसका दूसरा बेटा राकेश घटना के समय से लापता है, सम्भवतः पुलिस द्वारा अपहरण कर लिया गया है/हत्या कर दी गई है ।

इस विदारक घटना की गंभीरता और अतिपातक को ध्यान में रखते हुए इस आयोग के माननीय सदस्य श्री राजू परमार सम्पूर्ण घटनाक्रम की प्रथम दृष्टया जानकारी लेने के लिए 21-12-2010 की सुबह मुरादाबाद पहुंचे । माननीय सदस्य ने प्रतिनिधिमंडल के साथ उस घर का निरीक्षण किया जहां दोनों बहनों को जिंदा जला दिया गया था । तत्पश्चात, उनकी माता श्रीमती राजो बाल्मीकि उर्फ राजकली से मिले जो अपने भाई श्री सत्यप्रकाश के घर ठहरी हुई थी । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधिमंडल जब इस घर पर पहुंचा और यह नोटिस किया कि श्रीमती राजो बाल्मीकि ट्रामा जैसी स्थिति में थी और इस भयावह और त्रासदीपूर्ण घटना के कारण शब्दों में हालात बयान करने में असमर्थ थी । वह बिलख कर रही थी, चिल्ला रही थी और उसने रुंधे हुए गले से बहुत धीरे-धीरे सम्पूर्ण घटनाक्रम बयान किया जो शत-प्रतिशत वही था जो उसने अपने ऊपर उल्लिखित आवेदन में बताया था । उसकी दारुण कथा सुनकर सम्पूर्ण परिदृश्य इतना गमगीन था कि आयोग का प्रतिनिधिमंडल गहरे सदमे से हिल गया ।

समाचार-पत्रों की रिपोर्टों का विवरण और मुरादाबाद के अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया गया विवरण जिसके साथ माननीय सदस्य ने इस घटना के विषय में विस्तृत चर्चा की थी, श्री राजो बाल्मीकि उर्फ राजकली द्वारा दिए गए विवरण से लगभग पूरा मेल खाता है ।

स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

माननीय सदस्य के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मुरादाबाद के सर्किट हाऊस में मिला । माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक प्रश्न पूछे जिनके विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए । जब मुरादाबाद के उपमहानिरीक्षक ने दोनों बहनों

को जिंदा जलाए जाने की घटना को "आत्महत्या" कहा तो माननीय सदस्य ने उसे डपट दिया और पूछा कि उसके इस दावे का ठोस आधार क्या है तो उपमहानिरीक्षक कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे पाए । माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नवत् थे:-

(i) श्री राजेश को सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रथम दृष्टया आधार । पुलिस ने उसे मुरादाबाद के एक कपड़ा व्यवसायी की पत्नी और पुत्री की हत्या के संबंध में उठाया था । पुलिस कोई हथियार, उंगलियों के निशान अथवा अन्य कोई ऐसा सूत्र नहीं प्रस्तुत कर पाई जो उसकी गिरफ्तारी को युक्तियुक्त ठहरा सकें । यह आरोप लगाया गया कि उसने कुछ नकदी और आभूषण चुराए थे जिनके बारे में बताया गया कि वे चाय स्टाल स्वामी के पास जमा कराए थे । यह नोटिस करने योग्य है कि चाय की दुकान और पीड़ित के घर की दूरी मुश्किल से 100 मीटर थी । इस प्रकार यह समझ के परे है कि श्री राजेश इन वस्तुओं को इतनी कम दूरी पर क्यों छुपाता ।

(ii) श्री राकेश जिसके विषय में श्रीमती राजो बाल्मीकि ने आरोप लगाया था कि उसका पुलिस ने अपहरण कर लिया है अथवा हत्या कर दी है, के बारे में सुराग ।

(iii) श्रीमती राजो द्वारा अग्रिम में 13-12-2010 को दर्ज कराई गई लिखित शिकायत और मौखिक अनुरोध के बावजूद उसके परिवार को संरक्षण देने के लिए तुरन्त कार्रवाई न करने के कारण ।

(iv) श्री राजेश को अपनी बहनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल न देने के कारण ।

(v) श्री राजेश को अपनी बहनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल न देने के कारण ।

(vi) आयोग के पीड़ित के घर पर पहुंचने वाले दिन ही वित्तीय राहत के 75,000/-, 75,000/- रुपए के दो चैक क्यों दिए गए ?

स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा इन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए ।

मृतक बहनों की माता सहित सभी संबंधितों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि संदेहास्पद बिंदुओं की सुईं स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर जाती है । माननीय सदस्य का मत था कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो दोनों बहनों का जीवन बचाया जा सकता था जैसा कि श्रीमती राजो बाल्मीकि ने 13-12-2010 को लिखित शिकायत और मौखिक अनुरोध भी किए थे जबकि परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु पर्याप्त समय था । इसलिए इस विदारक घटना का दायित्व स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर जाता है । माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण घटनाक्रम के लिए पुलिस विभाग को घटना की गुत्थी माना । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस घटना की सुनवाई के लिए कई बैठकें की और इस मामले को सी.बी.-सी.आई.डी. को सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश

सरकार प्रशासन को समझाया । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप से पीड़ितों को वित्तीय राहत और पुलिस सुरक्षा भी दी गई ।

3. हुसेपुर गांव, थाना भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में अनुसूचित जाति सदस्यों पर अत्याचार संबंधी प्रेस फुटेज पर संज्ञान लेते हुए आयोग के दो अधिकारियों ने 29-3-2011 को प्रभावित स्थल का दौरा किया ।

पूर्व कार्यक्रम के अनुसार पुलिस दल ने भिवाड़ी में अपराह्न 12.30 बजे इस दल को अतिथि गृह पहुंचाया । उपर्युक्त गांव के 9 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां आयोग के अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहा था ।

इन सभी लोगों ने शिकायत की कि अभियुक्तों द्वारा उनके घर जलाए गए, उनके फ्रीज, मोटर साईकिलें, साईकिलें, बड़े बॉक्स, अनाज कंटेनर आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त किए गए, उनके घरों के लगभग सभी दरवाजे या तो तोड़ दिए गए अथवा उखाड़ दिए गए और लगभग 25 भैंसे जबरदस्ती ले ली गईं ।

उपर्युक्त दावों के सत्यापन की दृष्टि से इस दल ने मुख्य शहर से 7 किलोमीटर दूर दूरस्थ कोने में बसे इस प्रभावित गांव का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया । इस गांव का कच्चा रास्ता जीप लायक नहीं था लेकिन दल ने गांव पहुंचने के लिए व्यवस्था की । यह ध्यान देने योग्य था कि गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु वहां एक अस्थायी पुलिस चौकी विद्यमान थी ।

गांव वालों से यह पता चला कि 19-1-2011 को लगभग पूर्वाह्न 11.30 बजे इसी गांव के एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर के नीचे एक मुर्गी आ गई । यह मुर्गी ट्रैक्टर के टायर से कुचल गई । जो झगड़े की मुख्य फसाद का कारण बनी और अभद्र शब्दों, गालियों और वाद-विवाद का आदान-प्रदान हुआ जिसके कारण अंततः पिस्टल फायर से एक व्यक्ति (गैर-अनुसूचित जाति) की मृत्यु हो गई । इसके कारण दूसरे समुदाय की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसने गांव पर धावा बोल दिया । अनुसूचित जाति के लोग इससे इतने भयभीत हो गए कि वे गांव से भाग गए और इस दल द्वारा गांव का दौरा किए जाने तक लौटे नहीं थे ।

इस दल ने सम्पूर्ण गांव का दौरा किया, विशेष रूप से उन घरों का जो भीड़ द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे । लगभग सभी घरों में केवल कुछ महिलाए रह रही थीं जिन्होंने सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । वे दल को अपने घरों में अंदर ले गई जिसे उनके क्षति के दावे को परखा जा सके । यह भी बताया गया कि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया और सुरक्षा प्रदान की अन्यथा कुछ और अधिक जन क्षति हो सकती थी । राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को 25,000/- की वित्तीय राहत दी गई । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उठाया जिसके कारण प्रभावितों को राहत मिली ।

4. चांदपुर गांव, जिला भरतपुर, राजस्थान में अनुसूचित जाति पर अत्याचारों के संबंध में प्रेस फुटेज पर संज्ञान लेते हुए आयोग के दो अधिकारियों ने 8-4-2011 को प्रभावित स्थल का दौरा किया । पूर्व कार्यक्रम के अनुसार पुलिस एस्कार्ट ने इस दल को पाहेरी में साथ लिया और सीधे चांदपुर अर्थात् प्रभावित गांव ले गए । यह दल 12.40 अपराह्न पहुंचा । यह गांव मुख्य सड़क से 6-7 किलोमीटर दूरी पर स्थित था । गांव प्रधान ने

गांव के अन्य 30-40 व्यक्ति इस दल के साथ रहे ।

दिनांक 16-2-2011 को लगभग 8.30 बजे घटी इस घटना के विषय में गांव प्रधान एवं गांव के अन्य व्यक्तियों ने बताया । हुआ यह कि मि0 इमरान के गेहूं के खेत में एक बकरी घम रही थी जिसने कुछ गेहूं के पौघे खा लिए । बकरी मालिक महेन्द्र बकरी को दूर भगाने के लिए दौड़ा । इसी बीच, इमरान ने उस पर हमला कर दिया । यह सुनकर वहां गांव वाले इकट्ठा हो गए और गर्मागर्मी के साथ गालियों का आदान-प्रदान हुआ । जातीय टिप्पणियां हुई और इसी प्रक्रिया में कुछ अभद्र बातें हो गईं जिसके कारण अनुसूचित जाति परिवारों पर पूर्ण रूप से हमला कर दिया गया । जल्दी ही पत्थरबाजी शुरु हो गई जिसके घरों की एसबेस्टोस छतों को काफी नुकसान पहुंचा । इसके अतिरिक्त इस भारी पत्थरबाजी में एक भैंस की आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक छोटी बकरी मर गई ।

यह भी बताया गया कि श्रीमती मायावती (35 वर्ष), श्रीमती जगन (20 वर्ष) और कुमारी सीमा (18 वर्ष) सभी अनुसूचित जाति, पत्थरबाजी के कारण बुरी तरह घायल हुई । इन सभी का सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया । गांव वालों ने बताया कि इस घटना के कारण अनुसूचित जाति को कुल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ । लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति नहीं की है । यह भी पता चला कि अभी तक किसी भी डी.एम., डी.आई.जी./एस.एस.पी. स्तर के वरिष्ठ अधिकारी ने गांव का दौरा नहीं किया है । अभी तक घटना की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

गांव वालों ने यह भी सूचित किया कि इस घटना के कारण पेयजल का पाइप कट गया है और अब केवल हैंड पम्प ही पेयजल का एकमात्र ग्रोत है जो कि अपर्याप्त है । वे भी पेय जल की कमी को दूर करने के लिए 2-3 हैंडपम्पों, विशेषकर आगामी गर्मी में, के लिए कह रहे थे । इस मामले को प्रशासन के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया और पीड़ितों को अपेक्षित राहत उपलब्ध कराई गई ।

5. मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने 26-5-2011 को ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. के भट्टा पारसौल और अच्छेपुर गांवों का दौरा किया । दौरे का उद्देश्य कथित रूप से किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मुद्दे पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष, जिसमें कई ग्रामीणों की मौत हुई, आन्दोलनकारियों के साथ बलात्कार एवं जलाए जाने की घटनाएं हुई थीं, के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति पर अत्याचारों की प्रथम दृष्टया सूचना एकत्र करना था ।

सर्वप्रथम यह दल भट्टा गांव पहुंचा और अनुसूचित जाति के लोगों से अत्याचारों के संबंध में पूछताछ की । बाईस पीड़ितों ने आयोग के अधिकारियों को उनके साथ हुई यातना के विषय में बताया और गांव विशेष में पुलिस की बर्बरता की पुष्टि की ।

इन गांवों के मजबूर, निर्दोष और गरीब लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को जानबूझकर किए गए अत्याचारों के सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए इन अत्याचारों के लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संगत प्रावधान लागू किए जाने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सक्रिय हस्तक्षेप से अभियुक्त पुलिस कार्मिकों को बुक किया गया और पीड़ितों को सभी प्रकार की राहत प्रदान की गई ।

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को श्री रघुनाथ दोहरे से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें आदित्य शर्मा, पूर्व सरपंच और उसके परिवार, गांव जागीर सीकरी, जिला भिंड द्वारा किए गए अत्याचारों, उसे सरपंच का कार्य न देने, जान से मार डालने की धमकी और जाति आधारित व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था । इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोग के एक दल द्वारा 16-6-2011 को मौका मुआयना द्वारा मामले की जांच का निदेश दिया था ।

सर्वप्रथम यह दल भिंड के सर्किट हाउस पहुंचा और अनुसूचित जाति पर किए गए गंभीर अपराधों के संबंध में वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियों, श्री पी.के. जैन, सर्किल् अधिकारी पुलिस, भिंड और श्री के.एन. गोस्वामी, डी.एस.पी. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण) जिला भिंड के साथ इस मामले पर चर्चा की । इस दल ने उनसे श्री दोहरे के मामले पर विस्तृत विवरण देने को कहा । इस दल ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से भिंड में अनुसूचित जाति पर पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए अत्याचार संबंधी मामलों का विवरण देने को भी कहा । श्री के.एन. गोस्वामी ने दल को सूचित किया कि यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । बहरहाल, वह जल्दी ही आयोग को उपलब्ध करा दी जाएगी । इसके पश्चात, यह दल घटनास्थल अर्थात सीकरी जागीर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया ।

जिला प्रशासन अधिकारियों, एस.डी.एम., कस्बा निरीक्षक, तहसील लहर और अन्य अधिकारी अन्य गांव वालों के साथ स्कूल में उपस्थित थे । इस दल ने याची से पूछा कि क्या वह जिला प्रशासन अधिकारी और अन्य गांव वालों के सामने अपना बयान देने का इच्छुक है ? इस पर याची श्री दोहरे ने दल को बताया कि वह अपना बयान अलग से देगा, प्रशासन के सामने नहीं । याची की भावना को ध्यान में रखते हुए दल ने प्रशासन से अलग कमरा उसका बयान लेने हेतु उपलब्ध कराने को कहा । उपर्युक्त व्यक्तियों का बयान रिकार्ड करने के पश्चात याची एवं अन्य गांव वालों ने दल से अनुरोध किया कि वे श्री दोहरे एवं गांव के अन्य अनुसूचित जाति लोगों के घर उनकी रहन-सहन की दशाओं को देखने के लिए एवं महिलाओं एवं बच्चों से मिलें तथा उनके बयान रिकार्ड कर लें । ग्रामीणों ने यह भी दिखाया कि वहां कोई उपर्युक्त पानी निकासी प्रणाली नहीं है । वस्तुत: कुएं में वर्षा जल संचय चाहते हैं । अनुसूचित जाति बस्ती में एक शौचालय निर्माण का प्रस्ताव था लेकिन श्री आदित्य शर्मा और पूर्व सरपंच ने निर्माण नहीं होने दिया । एक चार इंची पाइप शौचालय निर्माण स्थल पर दल ने पड़ा देखा । ग्रामीणों ने दल को यह भी सूचित किया कि अनुसूचित जाति बस्ती में खंड निर्माण हेतु आई ईंटें श्री आदित्य शर्मा और उसके परिवारी जन ले गए । अनुसूचित जाति ग्रामीणों के अनुसार, अनुसूचित जाति के लोगों के राशन कार्ड भी श्री आदित्य शर्मा द्वारा ले लिए गए हैं । वृद्धावस्था पेंशन भी रोक दी गई है । गांव वालों के अनुसार श्री आदित्य शर्मा और उसके परिवारी जन अनुसूचित जाति को ट्यूबवैल से पानी नहीं देते जिससे उनकी फसलों को नुकसान होता है । राष्ट्रीय रोज़गार गारन्टी योजना का कार्य भी पूर्व सरपंच एवं उसके परिवारी जनों के चलते लटका पड़ा है ।

अनुसूचित जाति ग्रामीणों ने दल को सूचित किया कि श्री आदित्य शर्मा के परिवारी जन लगभग पिछले 40 वर्षों से सरपंच के पद पर रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि याची को उसके छोटे बच्चों सहित एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को श्री आदित्य शर्मा उसके परिवार के सदस्यों ने कई बार राइफल की बट से पीटा है । श्री दोहरे ने दल को बताया कि उसने पुलिस एवं अन्य उच्चाधिकारियों को 20-30 शिकायतें दी हैं लेकिन आज तक पुलिस ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।

इसके पश्चात, दल ने एस.डी.एम., लहर और कस्बा इंचार्ज लहर के साथ इस मामले पर चर्चा की ।

उन्हें अनुसूचित जाति ग्रामीणों द्वारा प्रकट की गई इस आशंका के बारे में बताया गया कि वे आदित्य शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुन: पीटा जा सकता है । एस.डी.एम., लहर ने आश्वस्त किया कि यथापेक्षित पुलिस बल तैनात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो ।

एस.डी.एम. ने बताया कि उन्होंने पहले ही धारा 107 और 116(3) के तहत कार्रवाई की है ।

संबंधित पुलिस और सिविल अधिकारियों के साथ कई सुनवाई बैठकें की गईं जिनमें पीड़ित के लिए बड़ी आवश्यक राहत दी गई ।

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली की माननीय सदस्या, श्रीमती लता प्रियाकुमार द्वारा रामानाथपुरम जिले में प्रामकुडी, जहां पुलिस गोलीबारी में 6 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए थे, का मौका मुआयना किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली की माननीय सदस्या, श्रीमती लता प्रियाकुमार ने दिनांक 15-9-2011 और 16-9-2011 को रामनाथपुरम जिले में प्रामकुडी और रामनाथपुरम का दौरा किया । दौरे का उद्देश्य प्रामकुडी में पुलिस गोलीबारी की घटना, जिसमें 6 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए थे और बहुत से अन्य घायल हुए थे, की जांच करना था । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, चेन्नै के निदेशक श्री ई.डी. दशरथन और श्री ए. इनियन, अन्वेषक भी माननीय सदस्य के साथ रहे और जांच कार्य में सहायता की । माननीय सदस्य ने प्रामकुडी में फाइव-रोड जंक्शन का दौरा किया जहां पुलिस गोलीबारी हुई थी और माननीय सदस्य प्रामकुडी में प्रभावित लोगों और उनके प्रतिनिधियों से भी मिलीं और वे रामनाथपुरम जनरल अस्पताल में घायल व्यक्तियों और पुलिस से भी मिलीं । दौरे के पश्चात उन्होंने जिलाधिकारी, श्री वी. अरुण रॉय और पुलिस अधीक्षक, श्री एस.के. महेश कुमार, रामनाथपुरम के साथ विचार-विमर्श किया । इसके पश्चात, वे राजकीय राजाजी अस्पताल, मदुरई में भर्ती घायल अनुसूचित जाति के लोगों से भी मिलीं ।

घटनाओं की पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना:

रामनाथपुरम जिले की नगर पालिका प्रामकुडी की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 84,321 है जिसमें से 11,106 (26.31%) अनुसूचित जाति की जनसंख्या है । श्री इम्मानुअल शेकर (अनुसूचित जाति नेता) की गुरु पूजा रामनाथपुरम जिले के प्रामकुडी शहर में प्रत्येक वर्ष 11 सितम्बर को मनाई जाती है । इस जिले में अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जनजाति, थेवार समूह के बीच अकसर संघर्ष होता है । रामनाथपुरम जिले की पालपाचेरी, कामुधी के पास के श्री पालनीकुमार, एक अनुसूचित जाति छात्र (16 वर्ष) की गुरु पूजा से ठीक एक दिन पहले सम्पूर्ण रामनाथपुरम जिले और कामुधी में गठित घटना में तनाव की गिरफ्त में होने के कारण गैर-अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा कथित रूप से उसकी काट कर हत्या कर दी गई । दिनांक 11-9-2011 को प्रामकुडी में श्री इम्मानुअल, अनुसूचित जाति के नेता के लिए गुरु पूजा आयोजन में सुबह से ही व्यक्तियों, अनुसूचित जाति के विभिन्न समूहों और दलों/संगठनों द्वारा उनकी स्मृति में आयोजित आयोजन में भागीदारी की गई थी । श्री जॉन पांडियन तमिलगा मक्कल मुन्नेतर कड़गम (राजनीतिक दल) के नेता की 11-9-2011 को पुलिस द्वारा निरोधात्मक गिरफ्तारी इस आयोजन के मार्ग में आने के कारण की गई । उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके समर्थकों ने सड़कें जाम कर दीं और अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए प्रामकुडी में सुबह 11.30 बजे "रास्ता रोको" आन्दोलन किया ।

घटना:

दिनांक 11-9-2011 को सुबह लगभग 11.30 बजे प्रामकुडी में श्री जॉन पांडियन के समर्थकों द्वारा रास्ता रोको आन्दोलन किया गया । उनकी मांग श्री जॉन पांडियन को पुलिस हिरासत से रिहा करने और उन्हें प्रामकुडी में इम्युनियल सीक्रन गुरु पूजा में भाग लेने की अनुमति देने की थी । यहां तक कि रास्ता रोको के दौरान जनता और अनुसूचित जाति के संगठनों एवं अन्य लोगों ने अपने नेता को उनकी समाधि (स्मारक) पर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की । पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने आन्दोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। लगभग 1.00 बजे अपराह्न के आसपास आन्दोलनकारियों ने वाहन रोक दिए और दूसरे समूह के समर्थकों के साथ रास्ता पार करने पर कहासुनी की । जब पुलिस ने उन्हें समझाया तो आन्दोलनकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, डॉ. शेलथिल वेनल, उपायुक्त पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की । उन्होंने कहा कि वे आन्दोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर रहे थे । इसके पश्चात, आन्दोलित भीड़ ने पुलिस पर पत्थरों, झड़ियों, स्लीपरों से कथित तौर पर हमला किया और उनके वज्र वाहन, दो एम्बुलेंस, एक अग्निशमन सेवा व्हीकल, दुकानों को आग में झोंक दिया और क्षेत्र में आगजनी कर दी । पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आन्दोलनकारियों पर गोली चलाई । पुलिस गोलीबारी में 6 लोग मारे गए और 27 लोग घायल हुए । मदुरई के बाहरी क्षेत्र चिन्तामणी में भी विरोध करने वालों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई जिसमें अनुसूचित जाति के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए ।

रामनाथपुरम के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा:

माननीय सदस्य रामनाथपुरम में श्री वी. अरुण रॉय, जिलाधिकारी और श्री एस. कालीराज महेश कुमार, पुलिस अधीक्षक जिला रामनाथपुरम से मिलीं और प्रामकुडी में पुलिस गोलीबारी से संबद्ध मामलों पर चर्चा की । उन्होंने इम्युनल शेखरन गुरु पूजा और प्रामकुडी में पुलिस गोलीबारी की घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई पूर्व तैयारी और कार्रवाई के विषय में पूछा । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी और सार्वजनिक वाहनों को आग लगाई और आस-पास की दुकानों पर आगजनी की । उन्होंने यह भी सूचित किया कि उन्हें समझाने-बुझाने के प्रयास असफल हो गए थे और लाठीचार्ज तथा आसूगैस छोड़ना भी उन्हें नियंत्रित करने में सफल न हुआ । जिलाधिकारी ने सूचित किया कि उन्होंने स्वयं 19-9-2011 को प्रामकुडी स्थल का दौरा नहीं किया क्योंकि वे उस समय रामनाथपुरम जिला मुख्यालय में थे और जिले में व्याप्त स्थिति तथा अनुसूचित जाति नेता की गिरफ्तारी के पश्चात जाम की गई सड़कों तथा पुलिस गोलीबारी की निगरानी कर रहे थे । उन्होंने प्रामकुडी का दौरा केवल अगले दिन 12-9-2011 को ही किया ।

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जिला रामनाथपुरम दोनों ने सूचित किया कि रोकथाम उपायों के रूप में 11-9-2011 को रामनाथपुरम में श्री जॉन पांडियन को प्रवेश न करने के निदेश के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा दी गई थी क्योंकि इस प्रकार का गोपनीय संदेश प्राप्त हुआ था कि यदि श्री जॉन पांडियन पालपाचेरी गांव का दौरा करते हैं जहां 10-9-2011 को एक अनुसूचित जाति के लड़के की हत्या हुई थी, तो कानून व्यवस्था और जातीय सघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । जिलाधिकारी, रामनाथपुरम ने बताया कि वे रामनाथपुरम जिले में प्रवेश से पूर्व ही तूतीकोरल जिले में ही श्री जॉन पांडियन की गिरफ्तारी के कारण से अवगत नहीं हैं । कुछ गैर-अनुसूचित जाति के समूहों को अनुसूचित जाति नेता इम्यूनुअल

सीकरन के नाम से पूर्व दिव्य त्रिमंगन (ईश्वर पुत्र) का उपनाम लगाए जाने पर आपत्ति थी क्योंकि आमतौर पर यह उपनाम उनके नेता पाशुमपोन मथुरामलिंगा थेवर के नाम से पूर्व किया जाता है । जिलाधिकारी ने बताया कि प्रामकुडी में गुरु पूजा दिवस के लिए तैयारी उपायों के रूप में जिला/प्रभाग/तहसील स्तरों पर अनुसूचित जाति नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था । पुलिस अधीक्षक, रामनाथपुरम ने बताया कि पुलिस पर हमला पूर्वनियोजित था और घटना के दौरान भीड़ प्रामकुडी के सभी महिला पुलिस थानों में घूमी ।

माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को बताया कि प्रामकुडी पुलिस थाने के निरीक्षक और उप निरीक्षक की भूमिका के संबंध में अनुसूचित जाति के लोगों के मस्तिष्क में अलग भावना है । उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा 2 अनुसूचित जाति व्यक्ति जिन्दा ले जाए गए थे लेकिन बाद में पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई । जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस गोलीबारी में 5 लोगों की मृत्यु हुई और 1 घायल हुआ । पोस्टमार्टम रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं । माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी से मृतकों के पात्र परिवारजनों को रोज़गार सहायता पर विचार करने का अनुरोध किया । जिलाधिकारी ने इन मामलों पर सहानुभूमिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया । जिलाधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात माननीय सदस्य ने प्रैस के साथ बैठक की ।

पुलिस और सिविल प्रशासन के साथ कई सुनवाई बैठकें की गई और आयोग के हस्तक्षेप से पीड़ितों के परिवारों को रोज़गार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक दल द्वारा आयोग के अधिकारियों ने दौलतपुर गांव, जिला हिसार, हरियाणा का मौका मुआयना रिपोर्ट हेतु 17-2-2012 को दौरा किया जहां अनुसूचित जाति व्यक्ति पर घातक हमला हुआ था और जिसकी खबर 17-2-2012 को दैनिक समाचार पत्र में छपी थी ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दल सबसे पहले सीधे जैन अस्पताल गया जहां पीड़ित श्री राजेश भर्ती था । आयोग का दल उससे व्यक्तिगत रूप से मिला । श्री राजेश पुत्र श्री इन्दर सिंह, गांव सनियाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा ने इस भयावह घटना के बारे में बताया कि दिनांक 15-2-2012 को सुबह 10.00 बजे के आसपास उसे अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर पर खेत में जाना था और वह अभियुक्त श्री पप्पू के खेत में उसके खेत में पड़े पिचर से पानी लेने गया । इस पर अभियुक्त पप्पू ने उसकी जाति पूछी और डांटा कि वह उसके पिचर से पानी लेने क्यों आया और उस पर दरांती से हमला कर दिया जिसे वह अपने हाथ में लिए हुए था । उसने कड़ाई से उसकी कलाई पर वार किया और उसे जातीय आधार पर गालियां भी दी । तब वह जैन अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती हुआ । यह दल संबंधित चिकित्सक से भी मिला जिसने संक्षेप में बताया कि श्री राजेश को उपयुक्त चिकित्सा उपचार दिया गया है ।

यह दल जैन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से भी मिला और उसके साथ इस मामले पर चर्चा की । उसने पीड़ित को पूर्ण चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया । लेकिन आशंका व्यक्त की कि मरीज अस्पताल से छुट्टी के पश्चात अपनी कलाई से सामान्य रूप से कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है । उसने इस बात की भी पुष्टि की कि चिकित्सा उपचार और अन्य व्यय जिला प्रशासन अधिकारियों द्वारा वहन किए जा रहे हैं । इसके पश्चात पीड़ित को 12.50 हजार रुपए भी दिए गए हैं ।

इस दल ने इस मामले पर हिसार पुलिस एवं प्रशासन अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जिन्होंने पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा और सभी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया । अभियुक्त को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत बुक करने पर भी जोर दिया गया । यह बताया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज की जा चुकी है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । इस दल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को वित्तीय सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए और मामले पर गंभीरतापूर्व कार्रवाई की जाए जिसका उन्होंने आश्वासन दिया । इसके अतिरिक्त, श्री राजेश को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, दिल्ली से भी वित्तीय सहायता दी गई । जब यह पता चला कि पीड़ित अनाथ है और उसकी पत्नी गर्भवती है तो इस दल ने उसकी आजीविका के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की । यह सुझाव दिया गया कि उसे कोई स्थायी रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएं जिसका प्रतिवादियों ने आश्वासन दिया । लेकिन उन्होंने बताया कि पति-पत्नी दोनों ही अशिक्षित हैं और वस्तुत: उन्हें छोटा-मोटा धंधा आदि शुरु करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी । इस सुझाव पर दल ने जोर दिया कि पीड़ित अथवा उसकी पत्नी को उनकी आर्थिक और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार में समूह घ में नौकरी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं ।

उपायुक्त, हिसार द्वारा भेजी गई फैक्स रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित को 73,750/- रुपए की वित्तीय राहत पहले ही प्रदान की जा चुकी है । रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि माननीय कृषि मंत्री हरियाणा ने 3,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है । इसके अतिरिक्त, सभी चिकित्सा व्यय जिला प्रशासन द्वारा वहन किए जाने का आश्वसन दिया गया । इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि राजेश का प्रभावित हाथ में हलचल है और वह चिकित्सा उपचार से संतुष्ट है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति भी उपलब्ध कराई गई है जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 326 भारतीय दंड संहिता और 3(1) (xii), 33/89 भी लागू की गई है ।

अध्याय-X

मुख्य घटनाएं एवं उपलब्धियां

20सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत से मकान बनाए गए । बहरहाल, 25-11-2010 के आदेश द्वारा अनुसूचित जाति के 171 अर्धनिर्मित पक्के घरों में से 134 घर ध्वस्त कर दिए गए । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप से 134 अनुसूचित जाति के आबंटियों के मकानों, जैसा है जहां है, के आधार पर, के पट्टा अधिकार उन्हें दिए गए ।

- वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में 25 अनुसूचित जाति छात्र 2011 सत्र में मनोविज्ञान की परीक्षा में फेल हुए । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप से प्राधिकारियों ने पूरक परीक्षा आयोजित कराई जिसमें एक छात्र को छोड़कर सभी अनुसूचित जाति छात्र सफल हुए ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए एक नया लोगो अनुमोदित किया गया और अपनाया गया । जागरुकता अभियान पुस्तिका सभी भाषाओं में अनुमोदित की गई । अखिल भारतीय शुल्क मुक्त दूरभाष नम्बर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमोदित किया गया ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लोकपाल विधेयक में आरक्षण की मांग प्रस्तुत की गई और प्रथम दृष्टया इस पर कार्रवाई हेतु स्वीकार की गई ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने छत्तीसगढ़ न्यायालयों के 17 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मद्रास उच्च न्यायालय में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों/शिकायतों का संज्ञान लिया ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद सदस्य मंच की प्रथम बैठक की मेजबानी की गई ।
- अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेज दी गई हैं ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेवा एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों और भारत में अनुसूचित जाति के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत जाने-माने व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की । यह बैठक कंस्टीट्शनल क्लब, नई दिल्ली में 22 दिसम्बर, 2011 को आयोजित की गई जिसमें पूर्ण आयोग और माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री उपस्थित रहे । बैठक में अंगीकृत संकल्प अगले पृष्ठों में दिया गया है ।

अध्याय–XI

मुख्य बाधाएं
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) 36वीं रिपोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार)

दिनांक 18 फरवरी, 2002 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय कल्याण समिति(इसके पश्चात "समिति") राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग – इसके अधिदेश एवं उपलब्धियां – इसके संगठन एवं कार्यकरण के संबंध में अपनी 36वीं रिपोर्ट (14वीं लोकसभा) लोकसभा को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 22 सिफारिशें और प्रेक्षण अन्तर्वेशित हैं ।

समिति की सातवीं रिपोर्ट और इस पर टिप्पणियों सहित की गई कार्रवाई रिपोर्ट 15वीं लोकसभा को 22-4-2010 को प्रस्तुत की गई और उसी दिन राज्य सभा में पेश की गई । संसदीय स्थाई समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि कुल 22 सिफारिशों/प्रेक्षणों में से 10 सिफारिशें अर्थात् 45% सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं । समिति ने 8 सिफारिशों अर्थात् 36% पर आग्रह की इच्छा व्यक्त नहीं की क्योंकि सरकार के उत्तर से समिति संतुष्ट थी और समिति ने 4 सिफारिशों अर्थात् 18% के मामले में सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए।

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सुदृढ़ीकरण

समिति ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास संविधान अथवा सरकार के किसी अन्य कानून अथवा किसी अन्य आदेश के अन्तर्गत सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करने का व्यापक दायित्व है । बहरहाल, आयोग की जनशक्ति पर्याप्त नहीं है जिससे सम्पूर्ण भारत में फैली अनुसूचित जाति की समस्याओं और आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । अधिकार वंचना की विशिष्ट शिकायतों के संबंध में जांच करना ही अपने-आप में बड़ा दायित्व है । अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों के रूप में अधिकार वंचना, उनके सिविल अधिकारों का अतिक्रमण और उन्हें उनके सेवा अधिकारों से वंचित करना कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें बुनियादीजानकारी एवं सूचना प्राप्त करने के लिए ऐसी घटनास्थलों का दौरा किए जाने की आवश्यकता होती है ।

इसलिए समिति ने सिफारिश की "आयोग की जनशक्ति" समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अत्याचार, सामाजिक आर्थिक विकास, सेवा संबंधी मामले आदि के रूप में प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट मामले सौंपे जा सकें जिससे वह शोषित अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/कठिनाइयों का अनुकूल समाधान तलाशने के लिए एकाग्र रूप से ध्यान केन्द्रित कर सकें ।

इसके उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह कहते हुए इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया कि विद्यमान सदस्य पर्याप्त हैं ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उत्तर पर टिप्पणियों में समिति ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आयोग को सौंपे गए कार्यदायित्व बहुत अधिक हैं और तदनुसार आयोग को सुदृढ़ करने के लिए संख्या

बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । आयोग के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, खण्ड 5 के उपखण्ड क और ख में संदर्भित मामलों की जांच करते समय अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है और अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के नियोजन की प्रक्रिया में सलाह देता है और केन्द्र अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है । तथापि, आयोग को सौंपे गए कार्यों और दायित्वों के महत्व और मात्रा को ध्यान में रखे बिना और कार्य की अधिकता को ध्यान में रखे बिना मात्र संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा जिस ढंग से उत्तर दिया गया है समिति उससे आहत है । अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराते हुए समिति ने आगे फिर अनुशंसा की कि आयोग में सदस्यों की संख्या विद्यमान में 5 से बढ़ाकर कम से कम 7 की जाए ।

II. वित्तीय स्वायत्ता: निर्वाचन आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग के समान दर्जा दिया जाए

समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यकरण के लिए वित्तीय स्वायत्ता अनिवार्य है । समिति ने खेद व्यक्त किया कि *"आयोग के पास वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में पूर्ण स्वायत्ता नहीं है और उसे पदों के सृजन, निधियों के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में विनियोजन, वाहन खरीद और आयोग के अधिकारियों को सेमिनार, सम्मेलनों अथवा विदेश प्रशिक्षण जैसे मामलों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।"*

समिति ने आगे इस पर भी व्याकुलता व्यक्त की कि आयोग जिसे कुछ मामलों में सांविधिक हैसियत और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय की शक्तियां दी गई हैं, को अपनी आवश्यकताएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बजट आकलन में प्रावधानों हेतु प्रस्तुत करनी होती है ।

अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए पृथक अनुदान मांगों पर सहमति दे दी है । इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों में केवल बजट शीर्ष रखता है । वित्त मंत्रालय ने बताया कि यही पद्धति गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में भी अपनाई जा रही है ।

अपनी आगे टिप्पणियों में समिति ने कहा कि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभक्त करने का निर्णय लिया गया था तो यह कभी कल्पना नहीं की गई थी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक भाग के रूप में कार्य करेगा । यदि ऐसा ही था तो तत्कालीन आयोग को दो पृथक सांविधिक निकायों के रूप में विभक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसे पूर्व की भांति गैर सांविधिक निकाय के रूप में ही कार्य करने देना था । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निर्भयतापूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेगा जब तक कि उसे अपने प्रशासनिक वित्तीय और विधायी मामलों को निर्णीत करने की अनुमति देकर उसके दैनिक कार्यों में स्वतंत्रता न दी जाए ।

समिति ने आगे कहा कि अनुच्छेद 338 (5), 338(6) और 338(7) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए उसे इसके कार्यकरण हेतु स्वायतता की आवश्यकता है । चूंकि आयोग को विभिन्न कार्यकरणों तथा विभिन्न कल्याण उपायों आदि के कार्यान्वयन तक पहुंचना और रिपोर्ट करना होता है । इसलिए वित्तीय स्वायत्ता और पृथक अनुदान मांग सहित पूर्ण

स्वायतता की आवश्यकता होती है । यह देखा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रदत्त कोई भी सांवैधानिक प्रावधान उसके व्यय को "प्रभारित" के रूप में वित्तीय स्वतंत्रता पर नहीं है जिसे वित्त आयोग पसन्द न करे । इसलिए समिति का मत है कि संविधान में प्रावधान करने के लिए सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरु करनी चाहिए ।

"प्रथक अनुदान मांग के मुद्दे के संबंध में समिति ने बताया कि आयोग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के भाग के रूप में केवल सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिए गए हैं इसलिए समिति सिफारिश करती है कि आयोग को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर प्रत्येक वित्तीय प्रभाव वाले प्रस्ताव पर निर्भर न रहे । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वतंत्र सांविधिक निकाय है और उसे अपनी प्रत्येक अनुदान मांग पर वास्तविक रूप से प्रत्येक अधिकार है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंपे गए कार्यों और दायित्वों की गहनता को देखते हुए समिति यह भी सिफारिश करती है कि निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे संवैधानिक निकायों की तर्ज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए पृथक अनुदान मांग के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय को एक ताजा प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह आयोग के स्वतंत्र कार्यकरण के लिए आवश्यक है । समिति ने 3 महीने में इसके परिणामों की भी अपेक्षा की ।

मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए पृथक अनुदान मांग के मुद्दे को आयोग के सचिव ने 4-12-2006 के अ.शा. पत्र द्वारा सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया था । बहरहाल, सचिव, व्यय विभाग 15-1-2007 के अ.शा.पत्र द्वारा इस अनुरोध पर सहमत नहीं हुए । सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 15-6-2009 के अ.शा.पत्र द्वारा आयोग के लिए पृथक अनुदान मांग सृजन हेतु सचिव, व्यय विभाग को एक ताजा प्रस्ताव भेजा ।

समिति ने कहा कि मंत्रालय को इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ आग्रह करना चाहिए ताकि आयोग के लिए पृथक अनुदान मांग शीघ्रातिशीघ्र बजटीय मांगों में शामिल की जा सके । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए पृथक अनुदान मांग स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् यह भारत में सभी एनएचआरआई की प्रभावकारिता के लिए सकारात्मक संकेत होगा ।

III. अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति:

समिति ने आयोग के दायित्वों के साथ-साथ अनुसूचित जाति को प्रदत्त सुरक्षणों से संबंधित मामलों में विचार करने और अनुसूचित जाति के सुरक्षणों और अधिकारों से वंचना के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करने तथा आयोग की शक्तियों के बीच द्विभाजन नोट किया । ऐसे मामलों की जांच करते समय अथवा विशेष शिकायतों में पूछताछ करते समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा 8 के अन्तर्गत मुकदमे में भी प्राप्त हैं । यह किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने और समन करने, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने हेतु कहने अथवा साक्ष्य की जांच करने तक ही सीमित हैं । लेकिन अन्य न्यायालयों की तरह न्यायिक शक्तियां नहीं हैं । मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बताया कि आयोग की भूमिका परामर्शी निकाय के रूप में है ।

समिति ने बताया कि आयोग को इसके प्राधिकरण में सशक्त न बनाकर और इसके आदेशों और न्यायनिर्णयों को बाध्यकारी न बनाकर दंतविहीन और अप्रभावी कर दिया गया है । यह आयोग को जांच/पूछताछ हेतु आदेश जारी करने के लिए सशक्त न बनाने की सोची-समझी रणनीति है । इसलिए समिति अपनी इस सिफारिश को दोहराती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए तदनुसार आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ।

IV. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शीर्ष निकाय की शक्तियां न सौंपा जाना ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर शीर्ष निकाय के रूप में दिखाया गया है । भारत सरकार की नीति के अनुसार शीर्ष निकाय शीर्ष निकाय के रूप में घोषित संगठन के उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती हैं, क्या करें, क्या न करें का निर्धारण करती है । उदाहरणार्थ डीओईएसीसी को शीर्ष निकाय के रूप में घोषित किया गया है जो कि कम्प्यूटर शिक्षा एआईसीटीई से संबंधित सार्वभौमिक उद्योग के रूप में अद्यतन करने में लगा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के संबंध में शीर्ष निकाय बनाया गया है । इसी प्रकार, एमसीआई को स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय के रूप में घोषित किया गया है । बहरहाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अभी तक ऐसी कोई शक्ति और प्राधिकार नहीं सौंपा गया है और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुलग्नक के रूप में चल रहा है ।

अध्याय–XII

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सुदृढ़ीकरण और उसकी कार्य स्थितियों में सुधार संबंधी प्रमुख सिफारिशें

1. <u>सिविल न्यायालय का नियमित दर्जा दिया जाना:</u>

अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत "सिविल न्यायालयों" का दर्जा दिए जाने के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि उपखण्ड (क) में संदर्भित किसी मामले की जांच करते समय अथवा खण्ड 5 के उपखण्ड (ख) में संदर्भित किसी शिकायत के संबंध में पूछताछ, जांच-पड़ताल करते समय आयोग को मुकदमे के मामले में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं । बहरहाल, आयोग ने यह नोट किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिविल न्यायालय के रूप में भूमिका शपथ और दस्तावेजों को परीक्षण करने के अन्तर्गत गवाहों की जांच सहित किसी व्यक्ति को समन करने और उपस्थिति सुनिश्चित करने तक ही सीमित है और उसे अन्य सिविल न्यायालयों की भांति कोई न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं । सिविल न्यायालय के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सीमित भूमिका का अखिल भारतीय ओवरसीज़ बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के शीर्ष न्यायालय द्वारा भी यह प्रेक्षण किया गया कि आयोग के पास स्थायी अथवा अस्थायी आदेश पारित(Granting Injuctions) करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां नहीं हैं और न ही कोई ऐसा अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 5 से मिलता हो । इसलिए समिति की यह राय है कि आयोग को इस प्रकार अनिश्चय की स्थिति में रखा गया है कि एक ओर तो आयोग को सिविल न्यायालय के रूप में मामलों की जांच करने की शक्तियां दी गई हैं और दूसरी ओर इसकी सिफारिशें परामर्शी स्वरूप की मानी जाती है । इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि संविधान में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य मानी जाएं । आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियों की भांति ही व्यापक न्यायिक अधिकारों के साथ कार्य करना चाहिए ताकि अधिनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों और नियम का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके ।

2. <u>नए आयोग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करना</u>

यह देखा गया है कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् मंत्रालय नए आयोग की नियुक्ति में सापेक्ष रूप से अधिक समय लेता है । आयोग के कार्यकरण में अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने के लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि या तो सदस्यों के आने और कार्यकाल पूरा करने के बीच समय अन्तराल न हो अथवा उन्हें अग्रिम रूप में पदनामित कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई समय अन्तराल न रहे ।

3. <u>आयोग की संख्या में वृद्धि:</u>

आयोग ने यह प्रेक्षण किया है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि, 2001 में 16.23% से 2011 में 17.64%(अनुमानित), के कारण अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित कामकाज़ में वृद्धि हुई है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जाति के संबंध में कल्याण

गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए आयोग में पांच सदस्यों की संख्या अपर्याप्त है । इसलिए आयोग दृढ़ता से यह सिफारिश करता है कि आयोग की विद्यमान संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य को कार्य विशिष्ट सौंपा जा सके जिससे वे मजबूर अनुसूचित जाति लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/कठिनाइयों के अनुकूल समाधान तलाशने में एकाग्रचित होकर ध्यान दे सकें ।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग/निर्वाचन आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग के समान दर्जा दिया जाना:

हालांकि, आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं । तथापि, यह विचार आया है कि आयोग को भारत निर्वाचन आयोग अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग के समान अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए । समिति का यह दृढ़ मत है कि चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति के हितों के सुरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से स्वतंत्र अधिदेश दिया गया है । तथापि, इसकी स्वतंत्र पहचान और अधिकार होने चाहिएं ताकि इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों पर आश्रित रहने की आवश्यकता न हो ।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शीर्ष निकाय की शक्तियां न सौंपा जाना ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर शीर्ष निकाय के रूप में दिखाया गया है । भारत सरकार की नीति के अनुसार शीर्ष निकाय शीर्ष निकाय के रूप में घोषित संगठन के उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती हैं, क्या करें, क्या न करें का निर्धारण करती है । उदाहरणार्थ डीओईएसीसी को शीर्ष निकाय के रूप में घोषित किया गया है जो कि कम्प्यूटर शिक्षा एआईसीटीई से संबंधित सार्वभौमिक उद्योग के रूप में अद्यतन करने में लगा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के संबंध में शीर्ष निकाय बनाया गया है । इसी प्रकार, एमसीआई को स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय के रूप में घोषित किया गया है । बहरहाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अभी तक ऐसी कोई शक्ति और प्राधिकार नहीं सौंपा गया है और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुलग्नक के रूप में चल रहा है । इसलिए आयोग दृढ़तापूर्वक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति के कल्याण से संबद्ध सभी मामलों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में घोषित करने की सिफारिश करता है ।

6. बजट प्रावधान:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कम गैर-योजना आबंटन के कारण अपनी योजनाओं के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करता है । यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बजट शीर्ष के अंतर्गत आयोजनागत योजना में पृथक रूप से धनराशि डाले जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225" के अन्तर्गत मांग संख्या 88(केन्द्रीय बजट) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि पारित व्यय है । तुलनात्मक रूप में यह प्रेक्षण किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और योजना आयोग जैसे गैर-संवैधानिक निकाय प्रभारित व्यय के रूप में अपने-अपने शीर्षों से निधियां आहरित कर रहे हैं न कि पारित व्यय के रूप में

। चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और डीएफपी नियमावली, 1978 की अनुसूची-II में गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्रमांक 15 द्वारा भारत सरकार के विभाग की शक्तियां दी गई हैं । तथापि, आयोग का अपनी गतिविधियों के लिए व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत समाहित किया जाना जारी है जो कि एक पारित व्यय है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों के भाग के बजाय पृथक अनुदान मांग की सिफारिश करते समय योजना आयोग द्वारा भी अपने दिनांक 23-11-2006 के का.ज्ञा. सं. एच/11011/1/2006-बीसी द्वारा इसका समर्थन किया लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं । इसलिए समिति दृढ़तापूर्वक यह महसूस करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए बजट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों के भाग के रूप में दिखाए जाने के बजाय पृथक अनुदान मांगों के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए ।

7. <u>कार्यालय हेतु स्थान:</u>

समिति ने यह नोटिस किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास विद्यमान कार्यालय अवसंरचना – पांचवां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली अपर्याप्त है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय की अवस्थिति भी सहजता से पहुंच में नहीं है क्योंकि यह कार्यालय दोनों रेलवे स्टेशनों अर्थात् नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुख्य बस अड्डों जैसे आईएसबीटी, कश्मीरी गेट अथवा सराय कालेखाँ से काफी दूरी पर है । इससे सभी क्षेत्रों से न्याय की तलाश में अक्सर आने वाले अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को बड़ी कठिनाई होती है । एक पृथक भवन जैसे अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाना चाहिए जहां आयोग के मुख्यालय के अलावा अम्बेडकर प्रतिष्ठान एनएसएफडीसी के कार्यालय भी हो सकते हैं ।

8. <u>कार्मिक संख्या में तदनुरूप वृद्धि:</u>

समिति ने आगे यह भी प्रेक्षण किया कि अनुसूचित जाति के लोगों में बढ़ती जागरुकता और उनकी जनसंख्या वृद्धि के साथ आयोग में काम का दबाव काफी बढ़ा है । बहरहाल, बढ़े हुए कार्य के दबाव को ध्यान में रखते हुए आयोग में कार्मिक संख्या नहीं बढ़ाई गई है । इसके विपरीत इसमें कमी ही आई है क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और अन्य कारणों से भर्ती नहीं की गई है । स्टाफ संख्या में कमी की समस्या तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में विभक्त किए जाने के समय से ही है क्योंकि संविधान का क्रियान्वयन (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया गया था । भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के 31 पद समाप्त कर दिए थे जिसके कारण दोनों आयोगों में स्टाफ की किल्लत हुई । इसलिए समिति का यह मत है कि कार्य की मात्रा पर विचार करते हुए वित्त मंत्रालय से परामर्श करके मंत्रालय द्वारा उपयुक्त स्टाफ संख्या स्वीकृत की जानी चाहिए । अभी तक आयोग बहरहाल नियमित शिकायतों से संबंधित कार्य को आउटसोर्स करवा सकता है ताकि अनुसूचित जाति के हितों से कोई समझौता न किया जा सके । समिति कार्य अध्ययन एकक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्टाफ आवश्यकता के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कार्य अध्ययन की भी सिफारिश करती है । अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति विशेष रूप से राज्य कार्यालयों में आवधिक रूप से की जानी चाहिए जिससे अवरोध और स्थानान्तरण में कमी

आ सके ।

9. <u>विद्यमान कार्यालयों का नया सैटअप/उन्नयन करना:</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन के कारण एक बड़े क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिशत रहता है, के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे अपनी शिकायतें डाक द्वारा भेजें जिसमें काफी समय लगता है । उदाहरणार्थ यदि कोई अनुसूचित जाति व्यक्ति मध्य प्रदेश में जाति विभेद से पीड़ित है तो उसे अपना अभ्यावेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैदराबाद कार्यालय को भेजना अपेक्षित है जो कि वहां से 1200-1500 किलोमीटर दूर है । इसी प्रकार, यदि कोई अनुसूचित जाति व्यक्ति उड़ीसा में रहता है तो उसे अपना अभ्यावेदन कोलकाता कार्यालय को भेजना अपेक्षित है जो कि पुन: पर्याप्त दूरी पर स्थित है । इसलिए आयोग के 8 नए कार्यालय खोलने और 4 राज्य कार्यालयों के स्तर का उन्नयन विद्यमान उप निदेशक कार्यालय से निदेशक कार्यालय स्तर पर करने का प्रस्ताव आयोग द्वारा किया गया जिस पर उपयुक्त स्तर पर और त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

आर्थिक विकास संबंधी सिफारिशें

1. समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2006-07 से 2009-10 की अवधि में एससीएसपी घटक के लिए 571 करोड़ रुपए की निधियां अवैध रूप से उपयोग कर ली गईं । जब इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो इसे दिल्ली का सर्वदेशीय स्वरूप बताया गया जहां अनुसूचित जातियां अन्य जनसंख्या के साथ रहती हैं और अनुसूचित जाति के लिए पृथक निधियों के उपयोग का क्षेत्र सीमित है । बहरहाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा यह विचार किया गया कि प्रवासी अनुसूचित जाति जो जेजे कालोनियों में रहते हैं, पर ये निधियां विभाज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपयोग की जा सकती हैं ।

2. संसद की संस्वीकृति मिशन मोड संबंधी मनरेगा की तर्ज पर एससीपी के लिए संसद अधिनियम द्वारा होनी चाहिए न कि विद्यमान में योजना आयोग द्वारा कार्यालय ज्ञापन अथवा परिपत्र प्रणाली के माध्यम से ।

3. अपराध की गहनता के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं के लिए कारावास और जुर्माना दोनों दंड प्रावधानों के साथ एससीपी को रेगुलेट करने के लिए विधि अधिनियमन । असफलता एवं चूक के लिए कार्यान्वयन अथवा प्रवर्तन प्रभारी सभी अधिकारियों (अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति को ध्यान में रखे बिना) को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । सरकारी आदेशों का अनुपालन न कराने वालों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 लागू किया जाना चाहिए ।

4. अनुसूचित जाति के विकास के लिए एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय और राज्य सांविधिक प्राधिकरणों का गठन । आवश्यकता आधारित अनुसूचित जाति विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रभावी उपयोग हेतु एससीपी निधियों के एकल खिड़की प्रणाली के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण होना चाहिए ।

5. 1979 से - एससीपी के अन्तर्गत आई निधियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ अलग से रखी जानी चाहिए और तत्पश्चात् इन्हें एनएससीडीए को हस्तांतरित किया जाना चाहिए (चूंकि ये गैर अपवर्तनीय और व्ययगमनीय हैं) ।

6. केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति को बहाल किया जाना चाहिए (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, योजना आयोग एवं मंत्रालय)।

7. सीएजी 1979 से एससीपी लेखा परीक्षा की समीक्षा करता है और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है क्योंकि यह अनुसूचित जातियों के नियोजित और बजटीय आर्थिक विकास का हिस्सा है ।

8. एससीपी निधियों को एनएससीडीए के माध्यम से पीसीआर एंड पीओएक्ट 1989 के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं संरक्षण द्वारा सेवा सुरक्षण, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, अनुसूचित जाति परिवारों में वितरण हेतु भूमि खरीद जैसी लाभोन्मुखी योजनाओं पर किया जाना चाहिए ।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आय की सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर चुका है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कोई क्रीमीलेयर नहीं हैं इसलिए विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक योजनाओं के लिए, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, पात्रता हेतु आय सीमा/मानदण्ड हटाना आवश्यक है ।

10. ऋणों पर राज सहायता 35% होनी चाहिए जो > 4% डीआरआई बिना किसी आय सीमा के वहन करता है जैसा कि किसानों के लिए ऋणों में उपलब्ध है ।

11. एससीएसपी को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए लाभप्रद ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे प्रत्येक जिले में आवासीय स्कूल प्रत्येक जिले में लड़कों एवं लड़कियों के कालेजों के लिए हॉस्टल स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों और कॉलेज शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति के लिए स्वामित्व के साथ शत-प्रतिशत आवासीय कालोनी संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग और राज्य पब्लिक सेवा आयोग के लिए कोचिंग केन्द्र कामकाजी महिला हॉस्टल, सीए/आईसीडब्ल्यूए, विधि, चिकित्सा और अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमों, पायलट पाठ्यक्रमों, पीएचसी की सम्पूर्ण फीस का वित्त पोषण, भूमि खरीद और प्रत्येक अनुसूचित जाति भूमिहीन परिवार में उसका वितरण और यह सभी कार्य पूर्ण मानव विकास सूचकांक विकास और सरकारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए ।

12. यह महसूस किया गया कि इसे ध्यान में रखते हुए योजना आयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों संबंधित राज्य/संघ राज्य प्रशासन सरकारें पत्र के दिशा-निर्देशों और भावना से जुड़ने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं ।

13. गैर-सरकारी संगठन भी बंधुआ मजदूरों का पता लगाने उनकी मुक्ति और उनके पुनर्वास कार्य में शामिल हैं । आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे सभी पहचाने गए बंधुआ मजदूरों उनकी निर्मुक्ति एवं उनके पुनर्वास का विवरण ग्राम और मंडलवार कम्प्यूटर में डालें ।

14. यह सुझाव दिया गया कि अन्य राज्य भी ऐसा ही करें और आंकड़े नेट पर होने चाहिएं ।

15. स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मामले में तमिलनाडु का उदाहरण बहुत अच्छा है । इसे अन्य राज्य द्वारा दोहराया जाना चाहिए । अन्य राज्यों से ऐसा करने के लिए कहा जाए । विशेष रूप से उन राज्यों में जहां अधिक मातृत्व और निरन्तर जन्मदर के कारण परिवार बढ़े हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान राज्य में इसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है ।

छात्रावास कार्यकरण

16. तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति कार्मिक छात्रावास के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । राज्य सरकार से इन छात्रावासों के कार्यकरण के संबंध में सर्वे करने के लिए कहा जाए जिससे उनकी व्यवहार्यता का पता चल सके । अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अनुसूचित जाति हॉस्टलों के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है उनसे भी नियमित आधार पर सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाए जिससे उनके व्यवहार्य कार्यकरण का पता चल सके ।

17. गुजरात में एससीएसपी के अन्तर्गत कम आबंटन और कम आबंटन का भी कम उपयोग प्रक्षिप्त किया गया है । सरकार को एससीएसपी के अन्तर्गत किए गए आबंटन को पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग हैं ।

18. जहां तक जन्मदर और मृत्युदर का संबंध है, तो अनुसूचित जाति में इस मृत्युदर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । ऐसे माता-पिता से जन्मे बच्चों की संख्या और उन बच्चों में अन्तर । क्या परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहन हेतु कोई विशेष कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम 5 वर्ष का अन्तर रखने के लिए छोटे परिवारों के मानकों हेतु कोई परामर्शीकाएं जारी की गई हैं जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आए । गुजरात सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त पहल करनी चाहिए ।

19. पश्चिम बंगाल में विशेष केन्द्रीय सहायता से एससीपी के उपयोग की विधि जानने के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है । बहरहाल, सरकार इसकी तैयारी कर रही है । इस अध्ययन का केन्द्र बिन्दु उन मुख्य गतिविधियों पर होगा जिसके द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटन किया जाता है और अनुसूचित जाति लाभार्थियों की संख्या पर ध्यान केन्द्रित होगा । इस योजना के कार्यकरण में किसी कमी में सुधार हेतु सुझाव । विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की विधि के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवधिक अध्ययन किए जाने चाहिएं ।

20. वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की योजना अवधि को छोड़कर एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत अर्थात् 23% की तुलना में बहुत कम रहा है । एससीएसपी के अन्तर्गत आबंटित निधियों के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुरूप सख्ती से पालन किया जाना है ।

21. सारणी से यह प्रक्षेपित होता है कि एससीएसपी परिव्यय से एससीएसपी उपयोग बहुत कम रहा है ।

22. पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम द्वारा चलाए जा रहे एससीपी के अन्तर्गत स्वरोज़गार कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि बैंक लाभार्थियों को परियोजना लागत का ऋण भाग जारी नहीं कर रहे है और वे केवल अनुदान सहायता भाग ही निर्मुक्त कर रहे हैं ।

23. क्षेत्र दौरों के दौरान राज्य कार्यालयों के अधिकांश सामान्य प्रेक्षणों में से एक तथ्य यह है कि अधिकांश व्यय या तो पिछली तिमाही में अथवा पिछले 5 महीनों के दौरान किया गया । जिसके कारण दोषपूर्ण कार्य व्यय होता है और बड़े पैमाने पर कार्य की गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है जो अन्ततः स्थानीय स्तर पर अभियन्ताओं द्वारा प्रमाणित की जाती है । वस्तुतः एससीपी व्यय चार्ट वैसा ही प्रस्तुत करेगा । वस्तुतः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने सभी संबंधितों को पहले ही सीमाओं के प्रति सख्त रहने के अनुदेश जारी कर दिए गए थे और यह भी कहा था कि आन्तरिक वित्तीय सलाहकार इसका मॉनीटरन करें और अव्ययित राशि वापस करें । इस अनुदेश का सावधानी से पालन नहीं किया गया है । सख्त अनुपालन न करने वाले संबंधित उत्तरदायी एच.ओ.ओ. और एच.ओ.डी. की एसीआर में इस आशय की प्रविष्टि करने से अपवाद को छोड़कर स्थिति में बहुत हद तक सुधार होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया इस संबंध में राज्य कार्यालयों को चेतावनी के साथ अनुदेश जारी करें ।

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
GOVT OF INDIA
NCSC

24. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार अनुसूचित जाति में बाल मृत्यु दर पंजाब राज्य में कुल जनसंख्या में 6.80 की तुलना में 16.00 है । राज्य सरकार को अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों में इतनी ऊंची मृत्युदर के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए ।

25. उड़ीसा राज्य में कॉलेजों, स्कूलों में प्रवेश के मामले में निर्धारित प्रतिशत अर्थात् 16% अनुसूचित जाति छात्रों को आबंटित नहीं किया गया औरअनुसूचित जाति छात्रों को केवल 8% आरक्षण दिया गया ।

26. उड़ीसा में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में पेयजल, बिजली सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

<u>शैक्षिक विकास संबंधी सिफारिशें</u>

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की तुलना से अनुसूचित जाति में साक्षरता की स्थिति में ही असमानता की बेहतर तस्वीर सामने आ सकती है ।

2. यह सुझाव दिया गया कि इसी ढंग से गुजरात में सफाई कर्मचारियों से संबंधित विद्यार्थियों को भी यह विशेष अधिकार दिया जा सकता है यदि ये दसवीं या उससे आगे की परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं ।

3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में शिकायतों के दृष्टिगत यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश ब्रोशर में यह शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे कि अनुसूचित जाति पात्र छात्र अपने छात्रवृत्ति फार्म अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरु करने के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी तक जमा कर दें । इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिकारिक व्यवसाय में भी शामिल किया जाए ।

4. यदि सामान्य छात्रों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की दर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एसईबीसी के छात्रों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की दर के बीच पर्याप्त अन्तर है तो इसका विश्लेषण किया जा सकता है । स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें अनुसूचित जाति के श्रेणी के छात्रों की दी जाती हैं ।

5. अनुसूचित जाति सहित सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए पंचायत कार्यकर्ताओं, एमटीए सदस्यों, समुदाय नेताओं, अध्यापकों के लिए एसएसए के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल अभिमुखी कार्यकरण आवधिक/नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं ।

6. सभी स्टेक होल्डर्स स्कूल छोड़ने की दर के परिदृश्य को मॉनीटर करने के प्रति प्रोत्साहित हैं और तदनुसार कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ।

7. शैक्षिक महत्व साइंस म्यूजियम आदि स्थानों के दौरे स्कूल प्राधिकारियों की ओर से कराए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जाति छात्रों सहित सीमान्त बच्चों में सीखने की सुखद प्रवृत्ति उत्पन्न हो ।

8. अनुसूचित जाति छात्रों सहित सभी छात्रों के स्कूल छोड़ने को कम करने के लिए बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें मध्याह्न भोजन और यूनीफार्म समय पर वितरित की जा रही है ।

9. अनुसूचित जाति छात्रों सहित स्कूल छोड़ने की दर में कमी के लिए कक्षा शिक्षण सुविधाएं अभिकल्पित की जा रही हैं ।

10. अनुसूचित जाति बच्चों के माता-पिताओं के लिए एमटीए/एमसी/पंचायत सदस्यों द्वारा जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

11. स्कूल बाह्य बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम शुरु किया जा रहा है ।

12. विद्यमान स्कूलों का पर्यावरण भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार से उन्नत किया जा रहा है ।

13. बीच में ही स्कूल छोड़ने की समस्या मुख्यत: दिन में पढ़ने वाले बच्चों की है । राज्य सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल रखने का सुझाव दिया है ताकि स्कूल छोड़ने को कम किया जा सके ।
विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए इसे रोज़गारोन्मुख बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुझाव भी दिया गया है ।

14. शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि सरकारी कालेजों में प्रवेश के समय शुल्क न लिया जाए । कुछ उच्च निजी कालेजों में शून्य शुल्क प्रवेश के लिए पायलट परियोजना आधार पर एक प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरणार्थ पूर्ण प्रवेश फीस आधारित पांच उच्च निजी अभियांत्रिकी कालेजों में अनुसूचित जाति छात्रों से शून्य शुल्क वसूला जाना चाहिए और इस राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाए । इसी प्रकार, चिकित्सकीय और आईआईएम कालेजों में भी इसी आधार पर प्रयोग किया जा सकता है । इसका मानदण्ड निजी कालेजों में ठीक विगत पांच वर्षों में अनुसूचित जाति से भरी गई सीटों के आधार पर होना चाहिए ।

15. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की टीसीएस द्वारा प्रशिक्षण और आईटी एवं अन्य में कम्पनियों द्वारा समायोजन अच्छी पहल है । गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 500 अनुसूचित जाति छात्रों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर महा पुरस्कार के अन्तर्गत 5,000/- रुपए और मेरिट प्रमाण-पत्र दिए गए हैं ।

16. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में शिकायतों के दृष्टिगत यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश ब्रोशर में यह शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे कि अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्र अपने छात्रवृत्ति फार्म शैक्षिक वर्ष में अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरु करने के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी तक जमा कर दें । इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिकारिक व्यवसाय में भी शामिल किया जाए ।

सेवा सुरक्षणों संबंधी सिफारिशें

1. आयोग यह सिफारिश करता है कि एकल संवर्ग पद में आरक्षण रिक्ति आधारित रोस्टर के अनुरूप होना चाहिए और कम संवर्ग पदों के लिए एल शेप रोस्टर संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संविधान और संसदीय प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण का लाभ उठा सके ।

2. आयोग यह सिफारिश करता है कि पदोन्नति में आरक्षण सभी राज्य सरकारों द्वारा जारी रखा जाना चाहिए । सभी बैकलॉग पद विशेष भर्ती अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से भर लिए जाने चाहिएं ।

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह महसूस करता है कि इस देश में निजी क्षेत्र जैसा कुछ नहीं है सिवाय 10-15% वित्त पोषण के सभी निजी उद्यमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं जो उनकी इक्यूटी में अंशदान करकते हैं और प्रेक्षण किया कि निजी क्षेत्र को इसलिए वंचित क्षेत्रों के लिए कुछ करना होगा । निजी क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण के लिए समझाना होगा या इसे लागू करने के लिए कानून बनाना होगा । इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक बार पुन: अपना रुख निजी क्षेत्र में आरक्षण के क्रियान्वयन हेतु दोहराता है ।

4. आयोग अपनी रिपोर्टों में की गई अपनी इस सिफारिश दोहराता है कि उच्च न्यायालयों से नीचे न्यायिक नियुक्तियों में प्रदत्त आरक्षण को क्रियान्वित किया जाना है जिससे निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को पूरा किया जा सके । आयोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों पर विचार करने के लिए अपनी सिफारिश को भी दोहराता है ।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन को मान्यता के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश है कि सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन जातीय आधार पर नहीं हैं बल्कि समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग के आधार पर है । जहां तक सुविधाओं की स्वीकृति का संबंध है तो उन्हें रेल मंत्रालय और यूनियनों को प्रदान की जा रही सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

6. आयोग सिफारिश करता है कि "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008" राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों के साथ आरक्षण पर अधिनियमित किया जाना चाहिए ।

7. संविधान के अनुच्छेद, 338 के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुसूचित जाति जनसंख्या को न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों को यथेष्ट महत्व दिए जाने की अपेक्षा की जाती है लेकिन वे माननीय विभिन्न न्यायालयों में रिट याचिका दायर कर देते हैं जिसके कारण न केवल काफी व्यय होता है बल्कि पेचीदगियां बढ़ती हैं और अन्तिम तौर पर न्याय प्रदान करने में विलम्ब होता है । यह एक ज्वलन्त उदाहरण है कि राज्य के विभिन्न प्रभाग विभिन्न रुख अपनाते हैं । यह देखना हास्यास्पदमनोरंजक है कि न्यायालय में राज्य राज्य के खिलाफ लड़ रहा है और इस प्रक्रिया में न्याय में देरी होती है/मनाही की जाती है और वह भी राज्य के खजाने पर भारी भरकम वित्तीय बोझ के साथ ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आयोग दृढ़तापूर्वक सरकार के हस्तक्षेप की सिफारिश करता है ताकि ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई तंत्र बनाया जा सके ।

8. आयोग यह सिफारिश करता है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अपने नियंत्रणाधीन संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त अनुदेश जारी करें कि अनुसूचित जाति अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत के संविधान अथवा प्रवृत्त अन्य किसी कानून द्वारा प्रदत्त संरक्षण और सुरक्षणों के लिए आयोग के पास आने पर सताया न जाए ।

9. अनुसूचित जाति प्रवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के दृष्टिगत आयोग निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश करता है:-

प्रवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकृत सूची 1-1-2011 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उन सभी को उनके मूल राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पहचान संख्या (यूआईडी) दी जा सके । जब कोई व्यक्ति एक राज्य में अनुसूचित जाति का है तो सम्पूर्ण भारत में उसे अनुसूचित जाति ही माना जाना चाहिए क्योंकि सामाजिक कलंक शोषितों, सामान्य जाति के मस्तिष्क में अमिट है ।

अनुसूचित जाति की राज्यवार सूची में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए लेकिन प्रवासी अनुसूचित जाति को प्रवासित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए । उन्हें एक बार अपने मूल राज्य के मूल जिले के संबंधित राजस्व प्राधिकारी से जाति विशेष से संबंधित होने के संबंध में पुष्टि के पश्चात जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए ।

अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति समुदाय की एक ही सूची तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए ।

संविधान के संगत खण्ड में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन के प्रयास किए जाने चाहिए कि प्रवासी अनुसूचित जाति को आरक्षण के लाभों से मना न किया जाए जो अपने मूल राज्य से बाहर रह रहे हैं अन्यथा वे प्रवासित राज्यों में बंधुआ मजदूरों के रूप में रहने के लिए बाध्य बने रहेंगे ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में सिफारिशें

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में कठोर उपाय करने की दिशा में आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसने इस अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों की गंभीरतापूर्व जांच की और इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि हेतु परिवर्तनों के सुझाव दिए । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को निम्नवत प्रस्ताव भेजा गया था :-

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा	विद्यमान प्रावधान	सिफारिशें
3(1)(i) से (xiv) • न पीने योग्य पेय पीने हेतु दबाव डालना • गलत व्यवसाय • विभिन्न अन्य अपराध	जुर्माने सहित कारावास (6 मास से 5 वर्ष) । "सार्वजनिक दृष्टिकोण से" अपराध का होना ।	न्यूनतम 7 वर्ष की कारावास जो न्यूनतम 25,000/- से 1 लाख रुपए तक जुर्माने सहित आजीवन कारावास तक बढ़ायी जा सकती है । 3(1) (x) "जनता के विचार में" के स्थान पर "कहीं भी" प्रतिस्थापित करें और "इरादा" शब्द को हटाया जाना चाहिए । 3(1) (xiii) "सार्वजनिक आश्रय" शब्द के स्थान पर "कहीं भी" प्रतिस्थापित किया जाना है ।
3(2)(i) • झूठे साक्ष्य देना अथवा गढ़ना जिससे अर्थस्वरूप का दंड हो ।	जुर्माने सहित आजीवन कारावास, झूठे साक्ष्य के मामले में, लागू करने, मृत्युदंड में दंडनीय ।	आजीवन कारावास और न्यूनतम 25,000/- रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना ।
3(2)(ii) • झूठे साक्ष्य देना अथवा गढ़ना जो दंड कैद (7 वर्ष या अधिक) का कारण होगा ।	न्यूनतम 6 मास का कारावास जो जुर्माने सहित 7 वर्ष और उससे आगे बढ़ाया जा सकता है ।	न्यूनतम दो वर्ष की कैद और जुर्माने (> 25000/- से < 1 लाख रुपए) सहित सात वर्ष तक की कैद।
3(2)(iii) • सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने हेतु आग/विस्फोटक का सहारा लेना ।	न्यूनतम 6 मास की कैद जो जुर्माने सहित 7 वर्ष तक बढाई जा सकती है ।	न्यूनतम दो वर्ष की कैद और जुर्माने (> 25000/- से < 1 लाख रुपए) सहित दो वर्ष की कैद ।

3(2)(iv) • भवन/पूजास्थल आदि को क्षति पहुचाने के इरादे से आग/विस्फोटक का उपयोग ।	जुर्माने सहित आजीवन कारावास ।	जुर्माने (> 25000/- से < 1 लाख रुपए) सहित आजीवन कारावास और क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के पूर्ण मूल्य का भुगतान ।
3(2)(v) • आईपीसी अधिनियम 10 वर्ष या अधिक के कारावास सहित दंडनीय अपराध	जुर्माने सहित आजीवन कारावास ।	जुर्माने (> 25000/- से < 1 लाख रुपए) सहित आजीवन कारावास ।
धारा 4 • लोक सेवक जो अजा/अजजा का न होने के कारण जानबूझकर ड्यूटी में लापरवाही करता है ।	न्यूनतम 6 मास का कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	न्यूनतम दो वर्ष का कारावास जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है सहित आजीवन कारावास और > 25000/- रुपए जुर्माना ("अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति" न होने वाले शब्दों को "कोई भी व्यक्ति" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए) ।
धारा 5 • अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पहले दोषी सिद्ध जो तदनन्तर दूसरा अपराध करता है ।	न्यूनतम एक वर्ष का कारावास जिसे अपराध के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।	न्यूनतम दो वर्ष की कैद जिसे जुर्माने (> 25000/-, < 1 लाख रुपए) सहित आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है ।
धारा 8 • उकसाने के कृत्य द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा-II के तहत रिकार्ड अपराध ।	पुराने विवादों की श्रृंखला में अपराध के लिए उकसाना ।	उकसाने वाले पर अभियुक्त की भांति मुकदमा ।
धारा 10 - 13 • निष्कासन	निष्कासन अवधि $\leq$ 2 वर्ष । कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है वह उस अवधि के लिए कैद की सजा से दंडनीय होगा जिसे जुर्माने सहित एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।	निष्कासन अवधि $\leq$ 3 वर्ष । अधिनियम की धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति 3 वर्ष तक बढ़ाए जा सकने वाली अवधि की कैद और (> 25000/- से < 1 लाख रुपए) जुर्माने से दंडनीय होगा ।

धारा 14 • त्वरित मुकदमा सुनवाई	विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किए जाने वाले जिला न्यायालय/ सत्र न्यायालय की स्थापना ।	अनुसूचित जातियों के लिए भी विशेष न्यायालयों का गठन ।
धारा 17 • जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई	सम्मुख सम्भावित अपराध में आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।	तुरन्त कार्रवाई की जानी है और उठाए गए कदमों के विवरण के साथ उच्चाधिकारियों को सूचित भी करना ।

<u>अत्याचार से संबंधित मुद्दों पर सामान्य सिफारिशें</u>

(1) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी (जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक) को अलग-अलग श्रेणियों में अत्याचारों का विश्लेषण करना चाहिए ।

(क) जब चिकित्सकीय रिपोर्ट में निम्न अपराध सिद्ध हो जाए:-

(i) हत्या,
(ii) बलात्कार और
(iii) गंभीर चोट

(ख) आगजनी का अपराध वास्तविक सत्यापन के आधार पर सिद्ध हो जाए, और
(ग) अन्य मामले

(2) विश्लेषण में निम्नवत बिंदू कवर होने चाहिए:-

(क) विद्यमान दोषसिद्धि दर और उसमें असफलता के कारण (यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जांच केवल पुलिस उपाधीक्षक द्वारा ही की जाती है) ।

(ख) अभियोजन व्यवस्था द्वारा असफलता ।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निम्नवत उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए:-

(क) अनुसूचित जाति शिकायतकर्ता के नए आवेदन पर शिकायत का तत्काल पर्याप्त स्तर पर समाधान परिणामस्वरूप अत्याचार न होना ।

(ख) अस्त्र लाइसेंस जारी/नवीनीकरण पर नियंत्रण । इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों के लाइसेंस निरस्त करना अथवा नवीनीकरण न करना ।

(ग) अन्तर जिला विश्लेषण सहित सरकारी अभियोजक बदलना ।

(घ) दोषसिद्धि दर, विशेष रूप से हत्या, बलात्कार और गंभीर चोट के मामले में, बढ़ाने हेतु निम्नलिखित के साथ-साथ उपाय करना –

- दोषसिद्धि दरों की बैंच मार्किंग,
- त्वरित मुकदमा सुनवाई सुनिश्चित करना (6 मास की सीमा सहित)
- अभियोजन साक्षीगणों के लिए वित्तीय प्रतिपूर्ति बढ़ाना
- लोक अभियोजक की ए.पी.ए.आर. में अदालत के सम्मुख प्रविष्टि करना।
- पीड़ितों को शीघ्र वित्तीय राहत का भुगतान एवं उसकी दरों में आरोही संशोधन।

(i) ऐसा ही विश्लेषण राज्य स्तरीय समिति द्वारा भी किया जाना चाहिए।
(ii) उदाहरणार्थ हत्या पुलिस जांच द्वारा सिद्ध की जाती है।

विद्यमान भुगतान प्रणाली में यह निहित है:–

(क) 75% भुगतान (प्रथम सूचना रिपोर्ट पर 2 लाख रुपए का) तत्काल और शेष
(ख) 25% दोषसिद्धि/न्यायालय के निर्णय के उपरांत (जिसमें अक्सर वर्षों लग जाते हैं)

इसमें निम्नवत परिवर्तन किया जाना चाहिए:

(क) 75% तत्काल विद्यमान स्थिति के रूप में, (चिकित्सा रिपोर्ट पर), और

(ख) 25% न्यायालय में आरोप-पत्र दायर करने पर (यह पुलिस जांच के बाद अपराध होना सिद्ध होने पर)

(ग) साक्षी के यात्रा व्यय के अलावा कुछ भत्तों के भुगतान का प्रावधान है (गुजरात में बहुत से जिलों में 50/- + यात्रा व्यय है)।

(घ) इसे मनरेगा मजदूरी/विद्यमान न्यूनतम मजदूरी स्तर 150% तक बढ़ाया जाना चाहिए (अगले उच्चतर गुणक 50% तक पूर्णतया)। इससे साक्षी की बेहतर उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी और दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी (बहुत से राज्यों में वह लगभग 2-3% है)।

(ङ) भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राज्य द्वारा किए गए भुगतान के अलावा भी अतिरिक्त वित्तीय प्रतिपूर्ति प्रदान करता है (संदर्भ डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान प्रस्तुति)। इसे अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जिला एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक मॉनीटर में की जानी चाहिए।

(च) राज्य स्तर पर दोषसिद्ध दर 10% से काफी कम है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दोषसिद्धि दर बैंच मार्क निम्नवत होना चाहिए:-

हत्या एवं बलात्कार के मामले में	-	75%
गंभीर चोट	-	न्यूनतम 50%

आगजनी एवं अन्य - न्यूनतम 25%

(छ) पुलिस द्वारा दोषसिद्धि असफलता के मामले के विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त जांच सुनिश्चित करने हेतु सभी उपाय किए जाने चाहिए।

(ज) राज्य स्तरीय व्यवस्था द्वारा इसके गहन मॉनीटरन की आवश्यकता है।

(झ) प्रथम सूचना रिपोर्ट का ऑन लाइन पंजीकरण जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत।

(ट) अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने वाले जांच अधिकारी (आई.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि कैरियर विकास में संबंधित जांच अधिकारी के लिए सहायक होनी चाहिए।

****